बौद्धिक सम्पदा भारत

सत्यमेव जयते

# वार्षिक प्रतिवेदन

## 2024-2025

बौद्धिक
सम्पदा भारत

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प,
व्यापार चिन्ह एवं भौगोलिक उपदर्शन
भारत

**वार्षिक प्रतिवेदन 2024–25**

**निर्माता एवं प्रकाशक :**

**कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन (सीजीपीडीटीएम), भारत,**

**कॉपीराइट उद्धरण**

© कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन (सीजीपीडीटीएम), भारत, 2025.

"वार्षिक प्रतिवेदन 2024–25" शीर्षक प्रकाशन कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन (सीजीपीडीटीएम) की बौद्धिक संपदा है।

इस प्रकाशन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

ईमेल : **cgoffice.in@nic.in**

इस रिपोर्ट में शामिल विवरण भारत सरकार की संसद के माध्यम से भारत के नागरिकों के लिए एक अद्यतन जानकारी है। किसी भी इच्छुक संस्था या व्यक्ति को किसी भी प्रकार के प्रकाशन, शोध या विश्लेषण हेतु द्वितीयक डेटा उपयोग में इस रिपोर्ट के किसी भी भाग या संदर्भ का उपयोग करते समय उचित उद्धरण देना आवश्यक है।

**अस्वीकरण**

यह रिपोर्ट कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन (सीजीपीडीटीएम) द्वारा सूचनात्मक और संदर्भ उद्देश्यों के लिए तैयार की गई है। यद्यपि इसमें निहित जानकारी की सटीकता, पूर्णता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है, फिर भी सीजीपीडीटीएम कार्यालय इस जानकारी के उपयोग से उत्पन्न किसी भी त्रुटि, चूक या किसी भी परिणाम के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है।

इस रिपोर्ट में प्रस्तुत आँकड़े, विश्लेषण और विचार कानूनी सलाह नहीं हैं और इसे कानूनी सलाह के रूप में इसे माना भी नहीं जाना चाहिए। सीजीपीडीटीएम कार्यालय अपने विवेकानुसार तथा बिना किसी पूर्व सूचना के आईपी प्रसंस्करण की बदलती गतिशील स्थिति के आधार पर इस प्रकाशन में निहित सूचना को संशोधित या अद्यतन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

दूरभाष दिल्ली : +911125300205
ईमेल : ipo-helpdesk@nic.in
वेबसाइट : https://www.ipindia.gov.in

# अनुक्रमणिका


| अध्याय | विषय–वस्तु | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| | प्रस्तावना | 4 |
| अध्याय I | बौद्धिक संपदा अधिकार की प्रवृत्ति – एक झलक | 6 |
| अध्याय II | जन सेवा वितरण – दक्षता और पारदर्शिता | 15 |
| अध्याय III | पेटेंट | 20 |
| अध्याय IV | पेटेंट सहयोग संधि | 40 |
| अध्याय V | डिजाइन | 46 |
| अध्याय VI | व्यापार चिह्न | 65 |
| अध्याय VII | चिह्नों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण हेतु मेड्रिड प्रणाली | 78 |
| अध्याय VIII | भौगोलिक उपदर्शन | 82 |
| अध्याय IX | प्रतिलिप्यधिकार | 90 |
| अध्याय X | अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री | 94 |
| अध्याय XI | राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) एवं पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस) | 96 |
| अध्याय XII | अंतरराष्ट्रीय सहयोग | 110 |
| अध्याय XIII | प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं बर्हि–क्रियाकलाप | 141 |
| अध्याय XIV | मानव संसाधन | 178 |

# प्रस्तावना

वर्ष 2024–25 के लिए कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सुअवसर प्राप्त करना अत्यंत गर्व का विषय है। भारत के संपूर्ण बौद्धिक संपदा तंत्र की सतत गतिमानता और सुदृढ़ प्रदर्शन इस रिपोर्टिंग अवधि की विशेषता रही। कार्यालय ने रणनीतिक, प्रौद्योगिकी–संचालित आधुनिकीकरण, सेवा वितरण में प्रदर्शनकारी वृद्धि और नवप्रवर्तकों और हितधारकों के साथ सक्रिय, सार्थक जुड़ाव के माध्यम से बौद्धिक संपदा प्रशासन की प्रणाली को सशक्त करने की अपनी प्रतिबद्धता जारी रखी है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारत के बौद्धिक संपदा कार्यालय ने ऐतिहासिक वृद्धि हासिल की और बौद्धिक संपदा की सभी श्रेणियों में अभूतपूर्व संख्या में आवेदन दाखिल किए गए। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि पेटेंट आवेदनों की संख्या पहली बार एक लाख के आंकड़े को पार कर गई, जो साल–दर–साल लगभग 20% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है और घरेलू नवप्रवर्तकों की बढ़ती शोध क्षमता और अंतर्निहित आत्मविश्वास की पुष्टि करता है। उल्लेखनीय रूप से, सभी पेटेंट आवेदनों में भारतीय मूल के आवेदनों का योगदान 60% से अधिक रहा, जो नवाचार में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास आधार के सुदृढ़ीकरण की ओर एक स्पष्ट बदलाव का संकेत है।

यह व्यापक गतिमानता सभी वैधानिक बौद्धिक संपदा श्रेणियों में परिलक्षित होती है। डिज़ाइन आवेदनों में तेज़ी से वृद्धि हुई, जो 40% से भी अधिक की वृद्धि थी, जो उपभोक्ता और विनिर्माण क्षेत्रों में सौंदर्य और औद्योगिक नवाचार के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। वाणिज्यिक बौद्धिक संपदा के सबसे व्यापक रूप, व्यापार चिह्न के लिए 5.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में ब्रांड निर्माण और व्यावसायिक विस्तार की मज़बूत गति को दर्शाता है। इसके अलावा, भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) और प्रतिलिप्यधिकार आवेदनों में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो पारंपरिक ज्ञान और रचनात्मक कार्यों की राष्ट्रीय मान्यता को दर्शाता है। कुल मिलाकर, प्रत्येक बौद्धिक संपदा श्रेणी में दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की गई जो पिछले पाँच वर्षों के औसत से काफ़ी अधिक है। यह सर्वांगीण प्रदर्शन स्पष्ट रूप से पूरे देश में अपनी गहरी जड़ें जमा चुके नवाचार संस्कृति का एक स्पष्ट और हृदयस्पर्शी चित्रण प्रस्तुत करता है जो उनके बौद्धिक संपदा सृजन, संरक्षण और व्यावसायीकरण के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके विश्वास को दर्शाता है।

इस अभूतपूर्व विकास यात्रा को निरंतर प्रशासनिक सुधारों, अधिक पारदर्शिता और सभी बौद्धिक संपदा कार्यालयों द्वारा सेवा वितरण में महत्वपूर्ण संवर्द्धन द्वारा सहयोग प्राप्त हुआ है। डिजिटलीकरण और प्रक्रिया सरलीकरण के प्रति प्रतिबद्धता ने बौद्धिक संपदा प्रणाली को हितधारकों के लिए अधिक तेज़, अधिक कुशल और स्पष्ट रूप से अधिक सुलभ बनाने में सफल रहा है। फिर भी कार्यालय पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करते हुए बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के लिए मजबूत आईटी इंटरफेस बनाने की दिशा में अग्रसर है।

इस संस्थागत प्रगति में एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में प्रौद्योगिकी की भूमिका उल्लेखनीय रही है। एआई–संचालित ट्रेडमार्क खोज के सफल प्रक्षेपण ने परीक्षा प्रक्रिया की सटीकता और गति में सुधार किया है। आईपी सारथी चैटबॉट 24x7 डिजिटल सहायता सुनिश्चित करता है, जिससे पूरे देश में सेवा की पहुँच का व्यापक विस्तार होता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (एनआईपीएएम) जैसी रणनीतिक पहल आईपी शिक्षा के लोकतंत्रीकरण और लाखों छात्रों, शोधकर्ताओं और उद्यमियों को ज्ञान प्रदान करने में महत्वपूर्ण रही हैं। इन प्रयासों ने सामूहिक रूप से नवाचार–आधारित विकास के लिए एक मजबूत, दीर्घकालिक तंत्र का सृजन सुनिश्चित किया है, जिसने वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को परिभाषित किया है।

लंबित मामलों को सुलझाने के लिए, वर्ष 2022 में एक व्यापक आंतरिक पुनर्गठन किया गया, जिसके तहत लगभग 370 परीक्षकों को नियंत्रक के रूप में पदोन्नत किया गया। इससे वित्त वर्ष 2023–24 में 1.26 लाख पेटेंट आवेदनों का रिकॉर्ड अंतिम निष्पादन करने में मदद मिली, जिसमें एक लाख से अधिक पेटेंट अनुदान करना भी शामिल है। इससे अंतिम निर्णयों की समयबद्धता में उल्लेखनीय सुधार भी हुआ है। हालाँकि, इस आंतरिक और बाहरी कारकों ने नई चुनौतियाँ उत्पन्न की है। कानूनी बाधाओं के कारण नए परीक्षकों की भर्ती में देरी के परिणामस्वरूप पेटेंट के पहले परीक्षण चरण में लंबित मामलों की संख्या बढ़ गई। व्यापार चिह्न रजिस्ट्री (टीएमआर) में भी इसी तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा, जहाँ अनुबंध परीक्षकों की नियुक्ति बंद होने से व्यापार चिह्न आवेदनों का परीक्षण कम हो गया।

हालाँकि, हम इन चुनौतियों का निर्णायक रूप से समाधान करने में सक्षम रहे हैं। जनवरी 2025 में, पेटेंट कार्यालय ने 407 नए परीक्षकों का स्वागत किया, जिन्होंने अब चार महीने का प्रेरण कार्यक्रम, 'बौद्धिक आगमन' पूरा कर लिया है। संरचित प्रशिक्षण, जिसने तकनीकी

दक्षता और परीक्षण की गुणवत्ता में निरंतरता, दोनों पर ज़ोर दिया। इस प्रयास की पर्यवेक्षकों और बाहरी हितधारकों ने भी सराहना की है। नए परीक्षकों द्वारा वित्त वर्ष 2025–26 की दूसरी छमाही में पूर्ण परीक्षण कार्य शुरू करने की अपेक्षा है, और उनके योगदान से परीक्षण परिणाम में उल्लेखनीय वृद्धि और लंबित मामलों में कमी आने की संभावना है। इसके साथ ही, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में 200 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी गई है, जिसमें परीक्षक और वरिष्ठ परीक्षक के 120 पद शामिल हैं, ताकि परीक्षण क्षमता को मजबूत किया जा सके और व्यापार चिह्न आवेदनों की बढ़ती मात्रा को बनाए रखा जा सके। भर्ती नियमों में संशोधन और ऑनबोर्डिंग आरंभ करने की प्रक्रिया जारी है।

वर्ष के दौरान संक्रमणकालीन और भर्ती चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, बौद्धिक संपदा कार्यालयों ने असाधारण वित्तीय शक्ति का प्रदर्शन जारी रखा। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कार्यालय राजस्व अधिशेष में बने हुए हैं, कुल राजस्व रु.1,449 करोड़ को पार कर गया है, जो लगभग 7% की वृद्धि दर्शाता है।

भारत और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वायपो) के बीच साझेदारी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, रिपोर्टिंग वर्ष अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सहयोग में एक बड़ी उपलब्धि का वर्ष रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर, भारत में वायपो महासभा 2025 का आयोजन किया गया जो विश्व स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकारियों का सबसे बड़ा वार्षिक सम्मेलन है। "रचनात्मक भारत, अभिनव भारत" विषय पर एक विशेष मंडप का आयोजन किया। इस मंडप ने अग्रणी स्टार्ट–अप नवाचारों से लेकर उल्लेखनीय भौगोलिक उपदर्शन और व्यापार चिह्न तक, सभी क्षेत्रों में भारत की बौद्धिक संपदा शक्ति का प्रदर्शन किया गया। इस आयोजन की व्यापक रूप से सराहना की गई और इसने बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा और बढ़ते वैश्विक नेतृत्व की पुष्टि की।

इसके अतिरिक्त, भारत ने दो ऐतिहासिक वायपो संधियों: आनुवंशिक संसाधन और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान (जीआरएटीके) संधि और डिज़ाइन कानून संधि (डीएलटी) के सफल समापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर अपने वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव का प्रदर्शन किया। भारत के रणनीतिक हस्तक्षेप इन लंबे समय से लंबित समझौतों पर सदस्य देशों के बीच संबंधों को सुधारने और आम सहमति बनाने में सहायक रहे। "ग्लोबल साउथ" के प्रभावी समर्थन से भारत ने अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सहयोग में अग्रणी एक विश्वसनीय और रचनात्मक भागीदार के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया।

भविष्य की ओर देखते हुए, कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प औए व्यापार चिह्न, भारत के बौद्धिक संपदा प्रणाली को मज़बूत करने के लिए एक संरचित और प्रगतिशील दृष्टिकोण की परिकल्पना करता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से आईपी अधिकारियों में 'अच्छे आईपी व्यवहार' को विकसित करने पर ज़ोर दिया जाएगा। कार्यालय की योजना "बौद्धिक मध्यमा" पहल को तीन चरणों में लागू करने की है, साथ ही संगठन के भीतर नेतृत्वकारी भूमिकाओं को पोषित करने के लिए "बौद्धिक नेतृत्व" को बढ़ावा देने की भी है, ताकि उन्हें भारत में बौद्धिक संपदा प्रणाली की ज़रूरतों को पूरा करने और आईपी परिदृश्य के विकास के लिए तैयार किया जा सके। अधिकारियों को एसीबीपी और आईजीओटी के माध्यम से 80 घंटे का लक्षित प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके साथ ही आईपी मामलों की न्यायिक समझ प्रदान करने के प्रयास भी किए जाएँगे। दक्षता बढ़ाने के लिए आईटी इंटरफेस में व्यवस्थित सुधारों को प्राथमिकता दी जाएगी, और समग्र उपयोगकर्ता सेवा अनुभव को बेहतर बनाने पर धीरे–धीरे ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन पहलों को समझने के लिए, नई दिल्ली स्थित आईपीओ द्वारका में एक नया अत्याधुनिक आईपीओ भवन बनाया जाएगा, जिसमें 800 से अधिक आईपी अधिकारी रह सकेंगे। इससे आईपीओ दिल्ली की क्षमता 1200 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को समायोजित करने की क्षमता में वृद्धि होगी। ये पहल एक सुदृढ़, उत्तरदायी और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी आईपी प्रशासन का मार्ग प्रशस्त करेंगी, जो विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है।

जैसे–जैसे भारत अपने विकसित भारत 2047 के संकल्प के समीप पहुँच रहा है, ज्ञान–संचालित अर्थव्यवस्था के विकास में बौद्धिक संपदा की अनिवार्यता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। सीजीपीडीटीएम कार्यालय एक ऐसी बौद्धिक संपदा प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो तीव्र, अधिक निष्पक्ष, सुनहरे भविष्य के लिए वास्तव में तैयार हो, जिसे न केवल नवाचार की रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया हो, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में उद्यमशीलता, आविष्कार और मौलिक अभिव्यक्ति को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए भी डिज़ाइन किया गया हो।

मैं बौद्धिक संपदा कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मार्गदर्शन और सहयोग, और उद्योग जगत, शिक्षा जगत और रचनात्मक समुदाय के हमारे सहयोगियों के निरंतर सहयोग और समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हम सब मिलकर एक ऐसे बौद्धिक संपदा व्यवस्था के सृजन को बढ़ावा दे रहे हैं जो नए भारत की कल्पनाशीलता, विविधता और नवाचार को प्रतिबिंबित करता है।

**(प्रो. (डॉ.) उन्नत पी. पंडित)**
**महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न**

# बौद्धिक संपदा अधिकार की प्रवृत्ति–एक झलक

## 1. परिचय

भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) परिदृश्य ने मजबूत विकास की गतिमानता को निरंतर जारी रखा है। कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प तथा व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों ने विभिन्न बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण हेतु आवेदन दाखिल करने में विगत वर्षों के तुलना में लगातार बढ़ोतरी का प्रदर्शन किया है। विभिन्न बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) हेतु दाखिल कुल आवेदनों में गत वर्ष के (635508) की तुलना में इस वर्ष वृद्धि होकर (749946) हुई है, जो समग्र आवेदन में 18% की वृद्धि को दर्शाता है। पिछले पांच वर्षों की तुलना में इस वर्ष के दौरान पेटेंट, डिजाइन, व्यापार चिह्न, कॉपीराइट एवं भौगोलिक उपदर्शन में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है।

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) दाखिल करने में निरंतर वृद्धि रणनीतिक नीति और प्रशासनिक सुधारों पर आधारित थी। इस प्रगति में पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 की महत्वपूर्ण भूमिका रही जिस कारण अनुदान–पूर्व विरोध प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके पेटेंट अभियोजन को सरल बनाया गया। इसके साथ ही, औद्योगिक डिजाइन के लिए लोकार्नो समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण को अपनाने से वैश्विक मानकों के साथ भारत के बढ़ते तालमेल को रेखांकित किया गया, जो डिजाइन फाइलिंग को और सरल बनाता है।

प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और जनशक्ति में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। एआई–संचालित व्यापार चिह्न खोज प्रौद्योगिकी की शुरूआत से व्यापार चिह्न परीक्षण की गति और सटीकता में काफी सुधार हुआ है, जबकि पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में परीक्षकों के लिए सैकड़ों अतिरिक्त पदों की मंजूरी से आवेदन लंबित होने की संख्या में कमी लाने में सहायता मिली है।

नीति से परे भी आईपी सारथी चैटबॉट के माध्यम से प्रौद्योगिकी–संचालित आउटरीच पर बहुत जोर दिया गया है। यह एआई–संचालित जटिल आईपी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए तत्काल, 24/7 समर्थन प्रदान करता है, जिससे एमएसएमई और पहली बार फाइल करने वालों के लिए यह पारिस्थितिकी तंत्र अधिक सुलभ हो जाता है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (निपम) जैसी पहलों के द्वारा लाखों लोगों को शिक्षित किया गया है, इसने सार्वजनिक जागरूकता को और अधिक व्यापक बनाया है। इन व्यापक डिजिटल–आउटरीच पहलों के संचयी प्रभाव से न केवल फाइलिंग में वृद्धि को बढ़ावा मिला है, बल्कि भारत को पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिजाइन के लिए विश्व स्तर पर शीर्ष दस देशों में एक स्थान सुरक्षित करने में भी सहायता मिली है।

## 2. समग्र आईपीआर फाइलिंग प्रवृत्ति

पेटेंट आवेदनों में 19.75% की वृद्धि हुई है, जिसमें घरेलू आवेदनों की संख्या कुल आवेदनों का 61.79% है, जो बढ़ी हुई अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को दर्शाता है। औद्योगिक उत्पादों में सौंदर्य और कार्यात्मक संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए डिजाइन फाइलिंग में 41.52% की वृद्धि हुई। व्यापार चिह्न व्यापक रूप से दाखिल किए जाते हैं; दाखिल किए गए व्यापार चिह्न आवेदन की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 16% बढ़ गई है। भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) पंजीकरण क्षेत्रीय उत्पादों की अनूठी पहचान को संरक्षित करते हुए लगातार प्रगति कर रहे हैं। कॉपीराइट फाइलिंग में 20% की वृद्धि हुई, जिससे अर्थव्यवस्था में रचनात्मक कार्यों का मूल्य और मजबूत हुआ है। पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन और कॉपीराइट अनुदत्त करने की समग्र प्रवृत्ति एक वृहत बौद्धिक संपदा पारिस्थितिकी तंत्र का अवलोकन करती है। नीचे दी गई तालिका पिछले पांच वर्षों में विभिन्न आईपी श्रेणियों में लगातार वृद्धि को दर्शाती है:

चित्र : बौद्धिक संपदा आवेदन दाखिल करने के संबंध में विगत पांच वर्षों की प्रवृत्तिः

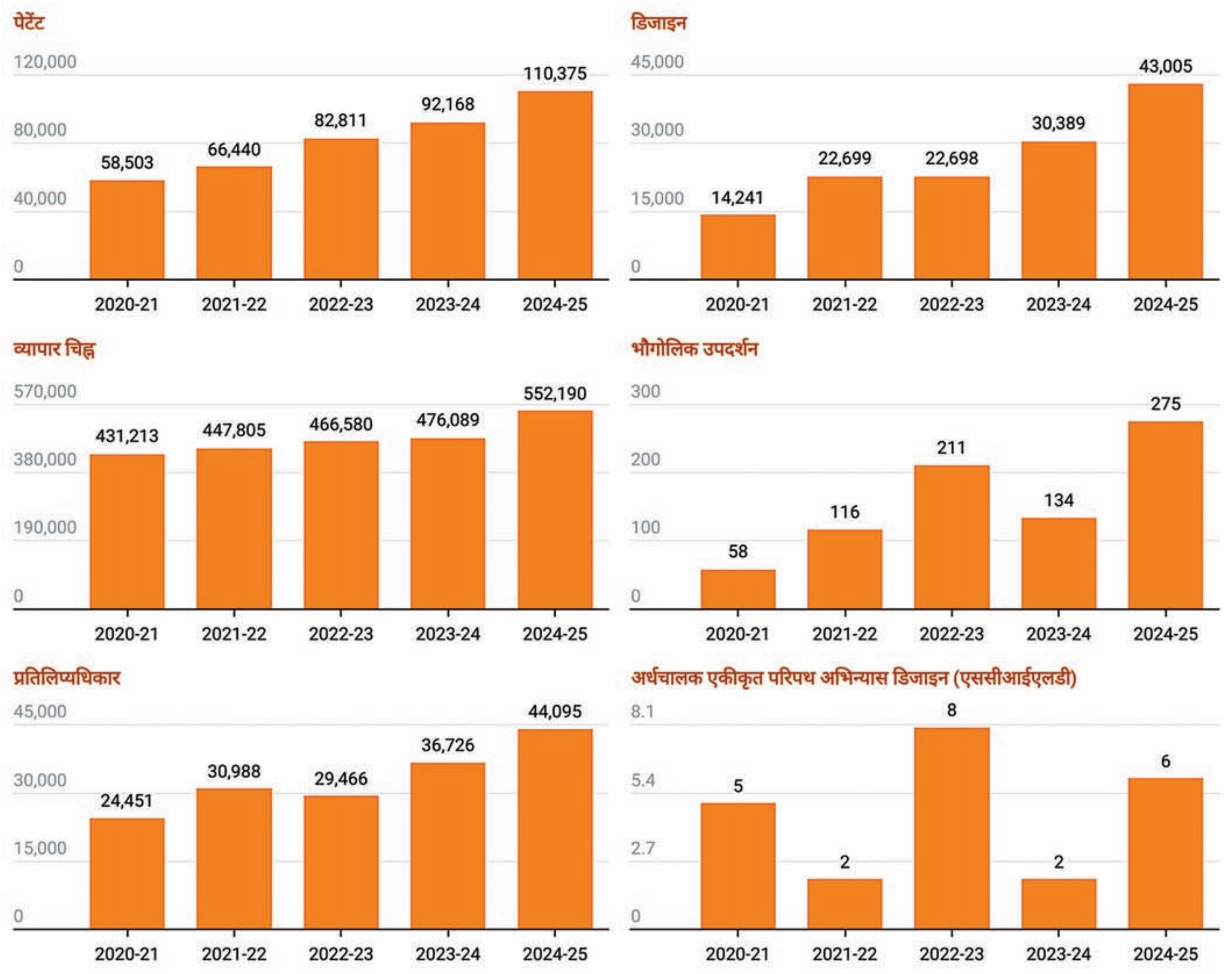


सारणी : बौद्धिक संपदा आवेदन दाखिल करने के संबंध में विगत पांच वर्षों की प्रवृत्तिः

| **आवेदन** | 2020–21 | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 | **2024–25** |
|---|---|---|---|---|---|
| पेटेंट | 58503 | 66440 | 82811 | 92168 | **110375** |
| डिजाइन | 14241 | 22699 | 22698 | 30389 | **43005** |
| व्यापार चिह्न | 431213 | 447805 | 466580 | 476089 | **552190** |
| भौगोलिक उपदर्शन | 58 | 116 | 211 | 134 | **275** |
| प्रतिलिप्यधिकार | 24451 | 30988 | 29466 | 36726 | **44095** |
| एससीआईएलडी | 05 | 02 | 8 | 2 | **6** |
| **कुल** | 528471 | 568049 | 601789 | 635508 | **749946** |

## 3. पेटेंट

पेटेंट क्षेत्र ने अपने मजबूत विस्तार को जारी रखा, जो देश के भीतर बढ़ी हुई अनुसंधान और विकास गतिविधियों को दर्शाता है। इस वर्ष के दौरान, कुल 110,375 पेटेंट आवेदन दाखिल किए गए जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग 19. 75% की वृद्धि दर्शाता है। विशेष रूप से, पेटेंट आवेदनों की घरेलू फाइलिंग भी बढ़कर 68,201 हो गई है, जो कुल फाइलिंग का 61.79% है, 2023–24 में दाखिल 51,574 आवेदन उस वर्ष के लिए (55.96%) था।

दाखिल, परीक्षित, अनुदानित तथा निष्पादित पेटेंट आवेदनों के संदर्भ में पिछले पांच वर्षों की प्रवृत्ति निम्नवत है। आवेदनों के निष्पादन में पेटेंट कार्यालय द्वारा अनुदानित एवं अस्वीकृत तथा आवेदकों द्वारा परित्यक्त तथा आहरित आवेदन शामिल हैं।

**चित्र : पेटेंट आवेदनों की प्रवृत्ति**

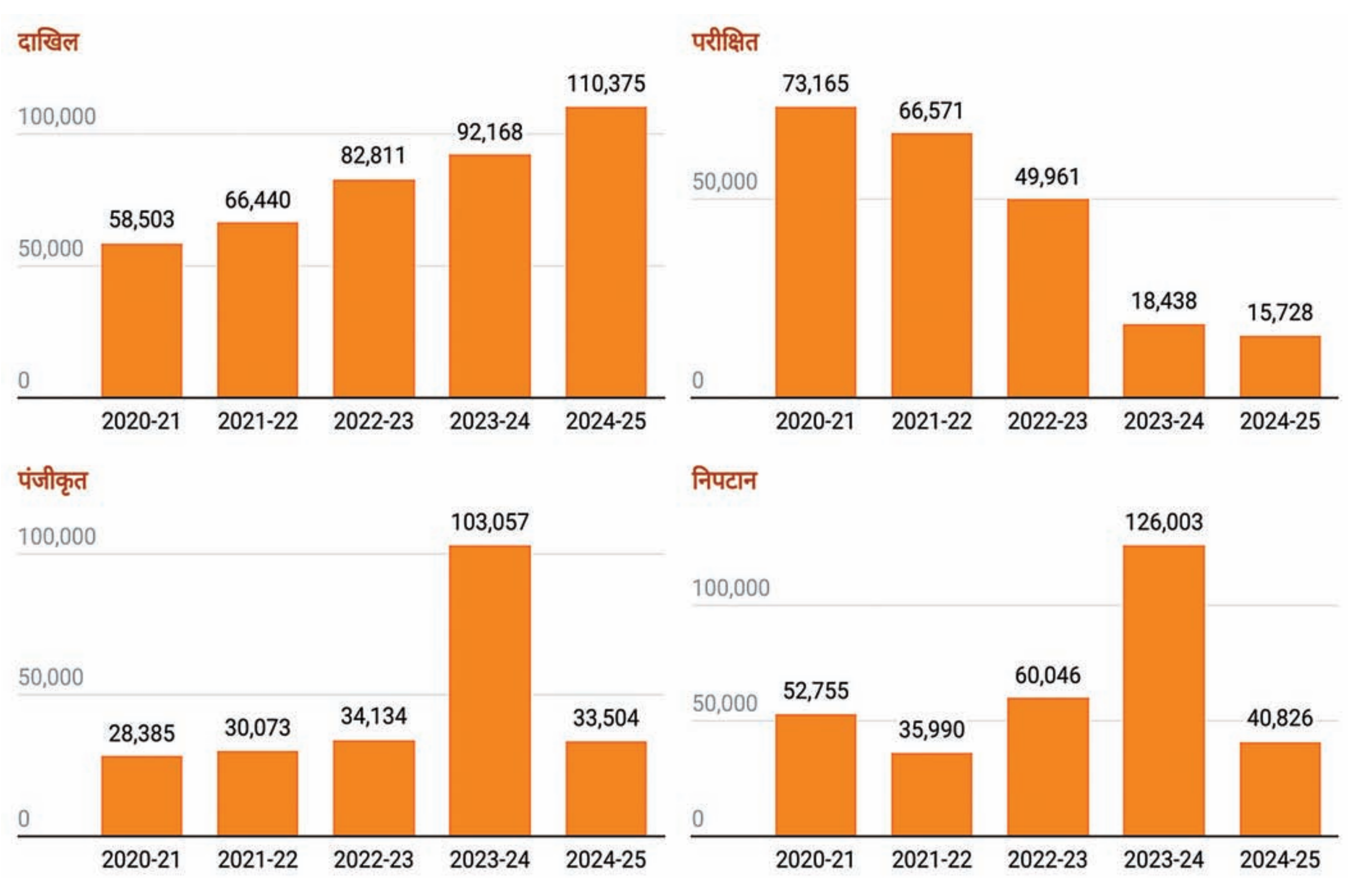


**सारणी : पेटेंट आवेदन की प्रवृत्ति**

| वर्ष | 2020–21 | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 |
|---|---|---|---|---|---|
| दाखिल | 58503 | 66440 | 82811 | 92168 | 110375 |
| परीक्षित | 73165 | 66571 | 49961 | 18438 | 15726 |
| पंजीकृत | 28385 | 30073 | 34134 | 103057 | 33504 |
| निष्पादित | 52755 | 35990´ | 60046 | 126003 | 40606 |

## 4. डिज़ाइन

डिजाइन आवेदन के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो औद्योगिक उत्पादों में सौंदर्यपरक और कार्यात्मक संरक्षण की बढ़ती आवश्यकता को रेखांकित करता है। इस वर्ष के दौरान, कुल 43,005 डिज़ाइन आवेदन दाखिल किए गए जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 41.52% की उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। परीक्षित डिज़ाइन आवेदनों की संख्या 38,009 थी। 2024–25 में, 30,349 डिजाइन आवेदन पंजीकृत किए गए और 31,923 आवेदनों का निष्पादन किया गया, जो पिछले वर्ष की बढ़ती निरंतरता का संकेत देता है। आवेदन किए गए, जांच किए गए, पंजीकृत किए गए और निपटाए (अनुदान, अस्वीकृत, परित्यक्त या वापस लिए गए) गए डिजाइन आवेदन की प्रवृत्ति नीचे दी गई है।

**चित्र : डिजाइन आवेदन की प्रवृत्ति**

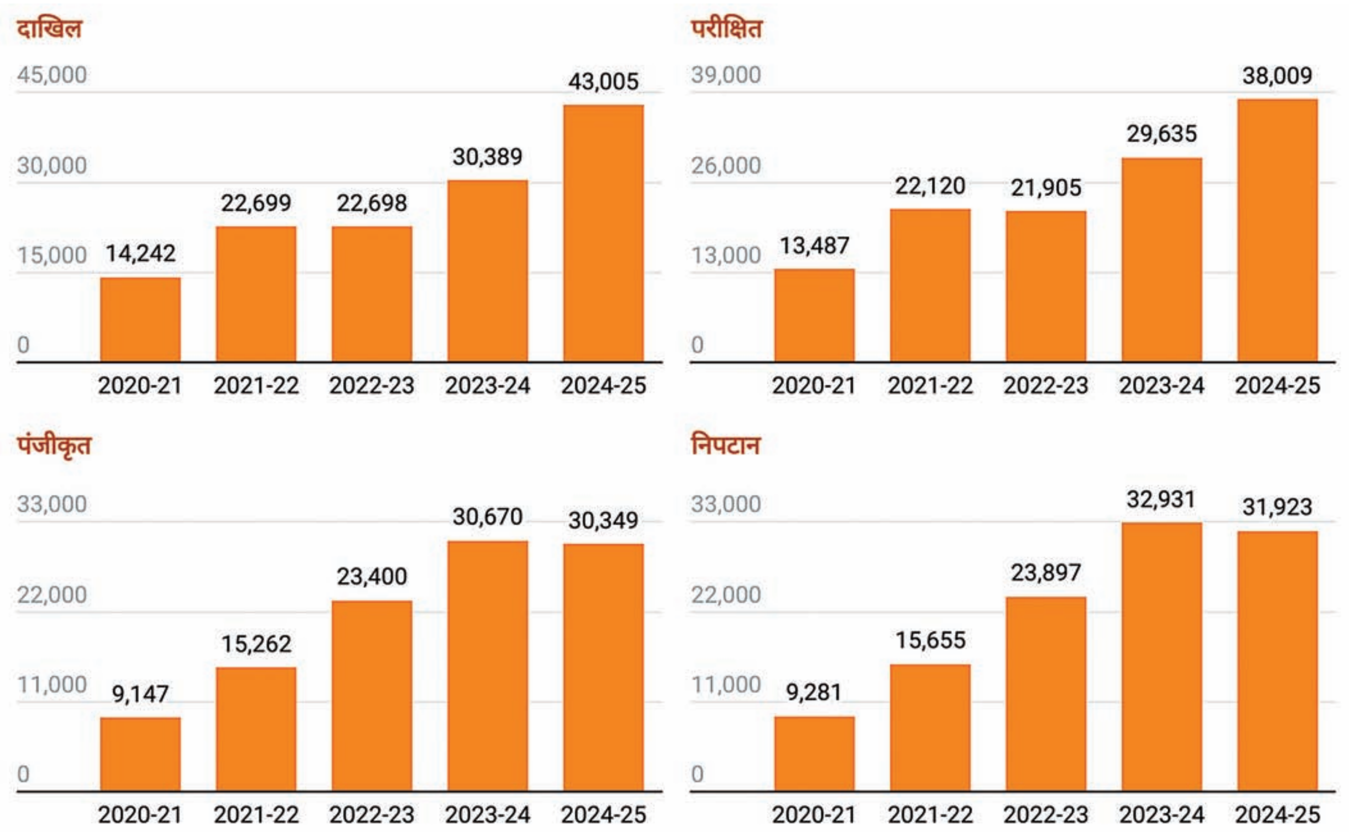


**सारणी : डिज़ाइन आवेदनों की प्रवृत्ति**

| वर्ष | 2020–21 | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 |
|---|---|---|---|---|---|
| दाखिल | 14242 | 22699 | 22698 | 30389 | 43005 |
| परीक्षित | 13847 | 22120 | 21905 | 29635 | 38009 |
| पंजीकृत | 9147 | 15262 | 23400 | 30670 | 30349 |
| निष्पादित | 9281 | 15655 | 23897 | 32931 | 31923 |

## 5. व्यापार चिह्न

व्यापार चिह्न का व्यापक रूप से दाखिल किया जाना जारी है, जो जीवंत वाणिज्यिक परिदृश्य को दर्शाता है। व्यापार चिह्न के 552,190 आवेदन पंजीकरण हेतु दाखिल किए गए और 156,403 आवेदनों का परीक्षण किया गया। 2024–25 के दौरान व्यापार चिह्न पंजीकरण और निपटान की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 36.86% और 8.75% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। व्यापार चिह्न आवेदन में दर्ज किए गए, जांच, पंजीकृत और निपटाए गए (अनुदान, अस्वीकृत, परित्यक्त या वापसी) की प्रवृत्ति नीचे दी गई है।

**चित्र : व्यापार चिह्न आवेदनों की प्रवृत्ति**

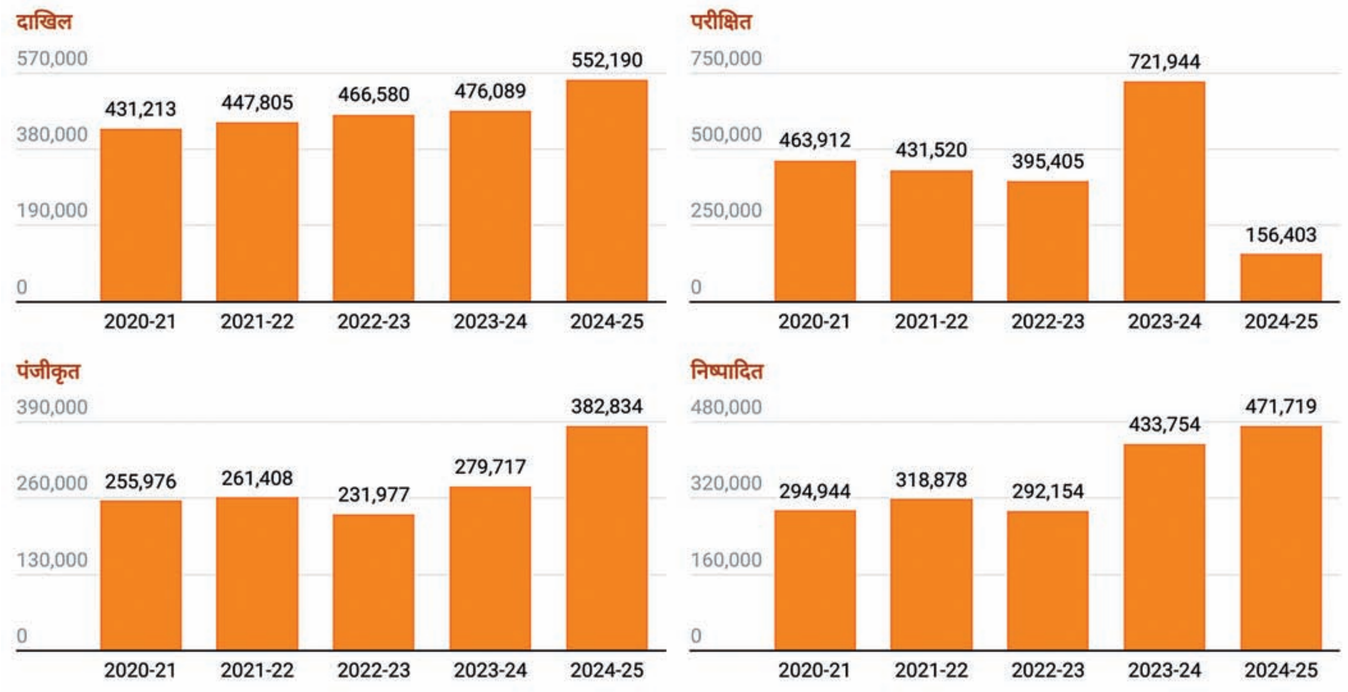


**सारणी : व्यापार चिह्न आवेदनों की प्रवृत्ति**

| वर्ष | 2020–21 | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 |
|---|---|---|---|---|---|
| दाखिल | 431213 | 447805 | 466580 | 476089 | 552190 |
| परीक्षित | 463912 | 431520 | 395405 | 721944 | 156403 |
| पंजीकृत | 255976 | 261408 | 231977 | 279717 | 382834 |
| निष्पादित | 294944 | 318878 | 292154 | 433754 | 471719 |

## 6. भौगोलिक उपदर्शन :

भौगोलिक उपदर्शन पंजीकरण लगातार बढ़ रहे हैं जो क्षेत्रीय उत्पादों की अनूठी पहचान को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, 275 आवेदन दाखिल किए गए, 212 आवेदन परीक्षित किए गए और 62 भौगोलिक उपदर्शन पंजीकृत किए गए। विगत पांच वर्षों के दौरान दाखिल, परीक्षित और पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की प्रवृत्ति निम्नवत है–

चित्र : भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की प्रवृत्ति

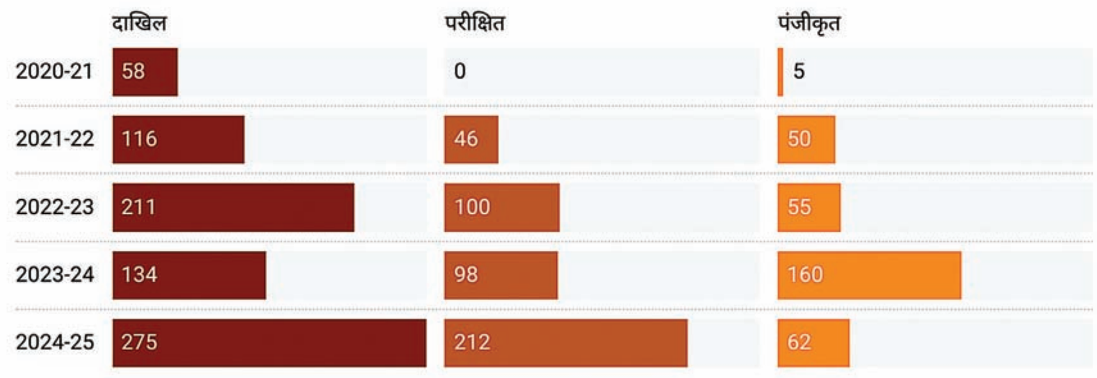


सारणी : भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की प्रवृत्ति

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| दाखिल | 58 | 116 | 211 | 134 | 275 |
| परीक्षित | 0 | 46 | 100 | 98 | 212 |
| पंजीकृत | 5 | 50 | 55 | 160 | 62 |

## 7. प्रतिलिप्यधिकारः

प्रतिलिप्यधिकार फाइलिंग करने में वृद्धि जारी रही, जिससे अर्थव्यवस्था में रचनात्मक कार्यों की मान्यता में वृद्धि के साथ–साथ उनके महत्व को मजबूत किया गया। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान प्रतिलिप्यधिकार पंजीकरण के लिए कुल 44,095 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 43,940 आवेदनों का परीक्षण किया गया, और प्रतिलिप्यधिकार पंजीकरण (आरओसी) के 26,767 पंजीकरण पूरे किए, जिसमें कुल 27,027 आवेदनों का निपटान किया गया। प्रतिलिप्यधिकार आवेदन, परीक्षण, पंजीकरण और कुल निष्पादन नीचे दिए गए हैं–

चित्र : प्रतिलिप्यधिकार आवेदनों की प्रवृत्ति

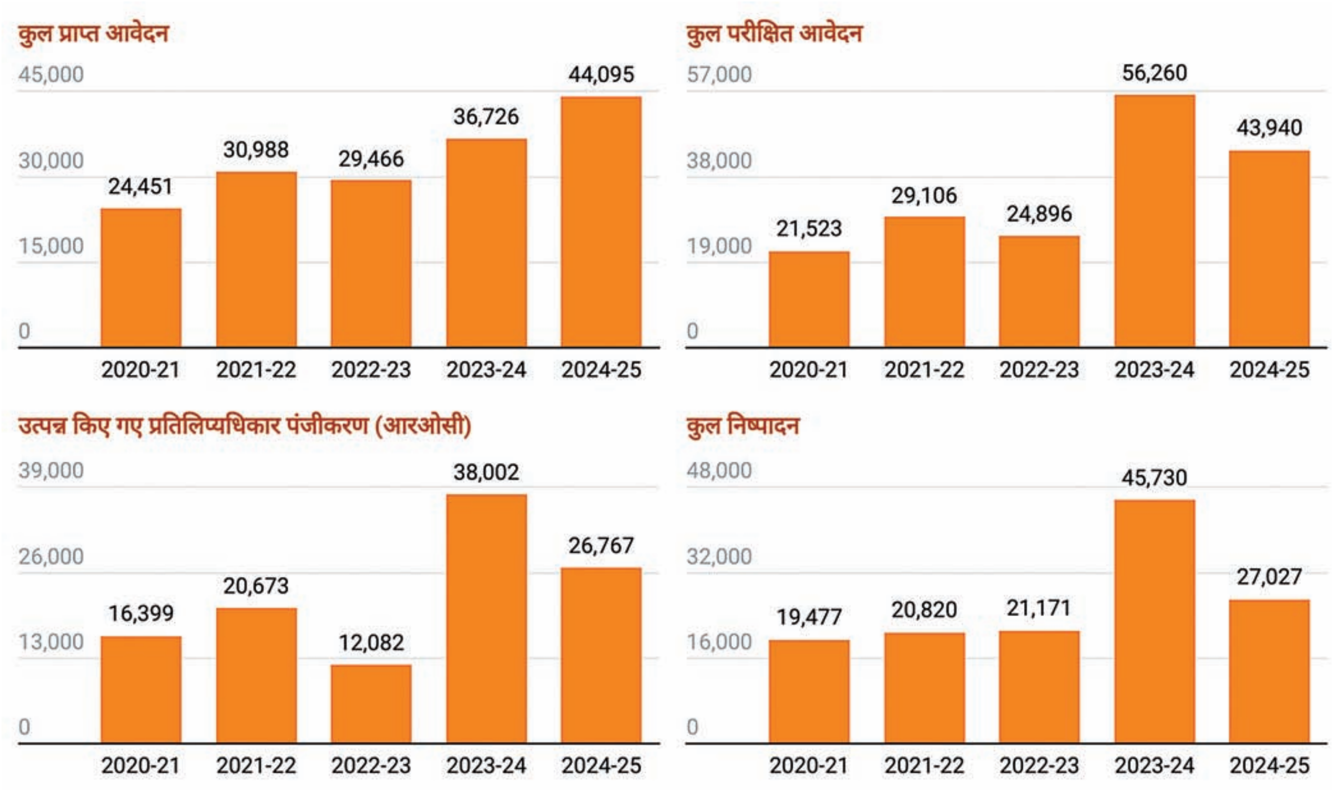

सारणी : प्रतिलिप्यधिकार आवेदनों की प्रवृत्ति

| वर्ष | कुल प्राप्त आवेदन | कुल परीक्षित आवेदन | उत्पन्न किए गए प्रतिलिप्यधिकार के पंजीकरण (आरओसी) | कुल निष्पादन |
|---|---|---|---|---|
| 2020–21 | 24451 | 21523 | 16399 | 19477 |
| 2021–22 | 30988 | 29106 | 20673 | 20820 |
| 2022–23 | 29466 | 24896 | 12082 | 21171 |
| 2023–24 | 36726 | 56260 | 38002 | 45730 |
| **2024–25** | **44095** | **43940** | **26767** | **27027** |

## 8. अनुदानित/पंजीकृत बौद्धिक संपदा अधिकार की प्रवृत्तिः

विगत 5 वर्षों के दौरान अनुदानित/पंजीकृत बौद्धिक संपदा अधिकार की तुलनात्मक प्रवृत्ति निम्नवत है। कोष्ठक में प्रदत्त आंकड़े आवेदनों के कुल निष्पादन को इंगित करते हैं।

सारणी : बौद्धिक संपदा अधिकार की तुलनात्मक प्रवृत्ति (अनुदानित/पंजीकृत और निष्पादित)

| आईपीआर/वर्ष | 2020–21 | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 |
|---|---|---|---|---|---|
| पेटेंट | 28385 (52755) | 30073 (35990) | 34134 (60046) | 103057 (126003) | 33504 (40826) |
| डिजाइन | 9147 (9281) | 15262 (15655) | 23400 (23897) | 30670 (32931) | 30349 (31923) |
| व्यापार चिह्न | 255976 (294944) | 261408 (318878) | 231977 (292154) | 279717 (433754) | 382834 (471719) |
| भौगोलिक उपदर्शन | 5 | 50 | 55 | 160 | 62 |
| अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (एससीआईएलडी) | शून्य | शून्य | 03 (07) | 02 (04) | शून्य |
| प्रतिलिप्यधिकार | 16399 (19477) | 20673 (20820) | 12082 (21171) | 38002 (45730) | 26767 (27027) |

## 9. राजस्व और व्ययः

वित्तीय वर्ष 2024–25 में आईपी प्रशासन ने अपनी वित्तीय स्थिति में मजबूती प्रदर्शित की। अर्जित कुल राजस्व रु.1449.47 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7.14% की वृद्धि दर्शाता है, जबकि कुल व्यय उल्लेखनीय रूप से कम रु.295.67 करोड़ रहा।

विभिन्न आईपी कार्यालयों द्वारा राजस्व सृजन का विवरण इस प्रकार है – पेटेंट कार्यालय ने रु.897.75 करोड़ का राजस्व उत्पन्न किया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो (IB) से आईएसए शुल्क के रूप में प्राप्त रु.2.57 करोड़ शामिल हैं। डिज़ाइन कार्यालय का योगदान रु.12.06 करोड़ रहा। व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का कुल राजस्व रु.535.82 करोड़ रहा, जिसमें मैड्रिड प्रणाली के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण शुल्क के रूप में आईबी से प्राप्त रु.44.76 करोड़ सम्मिलित हैं। इसके साथ ही, कॉपीराइट्स से रु.3.64 करोड़ तथा भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री से रु.0.18 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस) और राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) ने रु.0.0027 करोड़ का राजस्व अर्जित किया।

पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2024–25 के लिए बौद्धिक संपदा (आईपी) प्रशासन के संबंध में प्राप्त राजस्व और व्यय का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

**सारणी : बौद्धिक संपदा (आईपी) के संबंध में प्राप्त राजस्व और किए गए व्यय का विवरण**

**राजस्व विवरण (रु. लाख में)**

| वर्ष | 2020–21 | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 |
|---|---|---|---|---|---|
| पेटेंट | 62384 | 66749.31 | 72910.76 | 91397 | 89775.14 |
| डिज़ाइन | 655 | 769.12 | 852.8 | 970.63 | 1206.05 |
| व्यापार चिह्न रजिस्ट्री | 39671 | 41776.58 | 44465.09 | 42546.47 | 53582.19 |
| प्रतिलिप्यधिकार | 248.81 | 323.85 | 241.07 | 345 | 364.76 |
| भौगोलिक उपदर्शन | 5 | 8.35 | 13.68 | 11.9 | 18.57 |
| एससीआईएलडी | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
| पीआईएस / आरजीएनआईआईपीएम | 12.35 | 20.48 | 20.66 | 12 | 0.27 |
| **कुल** | **102976.41** | **109647.79** | **118504.46** | **135283.1** | **144947.28*** |

* मिलान के बाद आंकड़े अलग–अलग हो सकते हैं।

**सारणी : पेटेंट नियम के नियम 7(4क) के तहत परीक्षण हेतु अनुरोध की फीस वापसी का विवरण:**

| वित्त वर्ष | 2020–21 | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 |
|---|---|---|---|---|---|
| **वापस की गई राशि (रु. लाख में)** | 145.61 | 182.93 | 23.542 | 63.48 | 32.53 |

**सारणी : सीजीपीडीटीएम को आबंटित बजट से व्यय की तुलना**

| वित्त वर्ष | 2020–21 | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 |
|---|---|---|---|---|---|
| **सीजीपीडीटीएम** | 20157.68 | 20407.35 | 25205.09 | 27676.49 | 29567.9 |

## 10. निष्कर्ष

वित्तीय वर्ष 2024–25 भारत के बौद्धिक संपदा अधिकार परिदृश्य में महत्वपूर्ण उपलब्धियों और सतत विकास की एक और अवधि को चिह्नित करता है। सभी श्रेणियों में आईपीआर फाइलिंग में निरंतर वृद्धि, कार्य–नीति सुधारों, तकनीकी उन्नयन तथा विस्तारित आउटरीच पहलों के साथ मिलकर, नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। सुदृढ़ राजस्व सृजन के साथ–साथ फाइलिंग, परीक्षण, अनुदान एवं पंजीकरण में प्रदर्शित सकारात्मक प्रवृत्तियाँ एक गतिशील और तेजी से दक्ष होते आईपी प्रशासन को उजागर करती हैं। ये प्रयास सामूहिक रूप से बौद्धिक संपदा के एक उभरते हुए केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करते हैं, तथा इसकी ज्ञान अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

अध्याय–II

# जन सेवा प्रदान–दक्षता और पारदर्शिता

**परिचयः**

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने देश में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिए कई पहल की हैं। इन प्रयासों में बौद्धिक संपदा कानूनों में संशोधन लागू करना, बौद्धिक संपदा (आईपी) दाखिल करने की प्रक्रिया और प्रसंस्करण प्रणालियों को सुव्यवस्थित करना, उन्नत तकनीकों का लाभ उठाना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, कुशल और कागज़–रहित सेवा वितरण तंत्र अपनाना और बौद्धिक संपदा के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना शामिल है। निम्नलिखित परिच्छेद वर्ष के दौरान की गई प्रमुख पहलों का सारांश प्रस्तुत करते हैंः

1. **पेटेंटः**

क) पेटेंट नियम, 2003 को पेटेंट प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाने, डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने और सेवा वितरण में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए 2016, 2019, 2020, 2021 और 2024 में कई बार संशोधित किया गया है। इन सुधारों में परीक्षण की समयसीमा में कमी, सरल अनुपालन आवश्यकताएँ, ऑनलाइन फाइलिंग के लिए शुल्क में रियायत और त्वरित परीक्षण के प्रावधान शामिल हैं, जिससे भारत का पेटेंट पारिस्थितिकी तंत्र काफ़ी सुदृढ़ हुआ है और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिला है।

ख) वर्ष के दौरान, कार्यालय ने मार्च 2024 में अधिसूचित संशोधनों को लागू किया, और पेटेंट नियम, 2003 में कई परिवर्तनकारी प्रावधान प्रस्तुत किए। पहली बार, आविष्कारकर्ता का प्रमाणपत्र के प्रावधानों को शामिल किया गया और वर्ष के दौरान लगभग 850 ऐसे प्रमाणपत्र जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, प्रमुख संशोधन, जैसे कि अनुदान–पूर्व विरोध केवल ऑनलाइन माध्यम से दाखिल करने की आवश्यकता, रियायती अवधि का लाभ उठाने के लिए फॉर्म–31 की शुरुआत, और अधिकांश प्रक्रियात्मक परिवर्तनों का सफल ऑनलाइन कार्यान्वयन, एक अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक–केंद्रित पेटेंट प्रशासन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किए गए हैं।

ग) कार्यालय सभी हितधारकों को समय पर और उच्च–गुणवत्ता वाली सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जाँच क्षमता को सुदृढ़ करने और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, पेटेंट और डिज़ाइन के 550 नए परीक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, जिनमें से 407 परीक्षक, 16–सप्ताह के प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जनवरी 2025 के दूसरे और तीसरे सप्ताह में आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर और डॉ. एमसीआर एचआरडी संस्थान, हैदराबाद में शामिल हुए।

2. **व्यापार चिह्नः**

क) कार्यालय ने हितधारकों की सुविधा बढ़ाने, पारदर्शिता में सुधार लाने और परिचालन दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से कई आईटी–संचालित पहल की हैं। प्रमुख पहलों में क्लाउड माइग्रेशन, एआई/एमएल–आधारित खोज सुविधाओं की शुरुआत, गतिशील सुनवाई बोर्ड, स्वचालित दैनिक अनुस्मारक और अधिसूचनाएं, एपीआई एकीकरण, और अन्य प्रौद्योगिकी–सक्षम उपाय शामिल हैं, जिन्होंने कार्यालय के कामकाज को काफी आधुनिक बना दिया है।

ख) कार्यालय हितधारकों को समय पर और उच्च–गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मानव संसाधन क्षमता को और सुदृढ़ बनाने और सेवाओं की कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए 200 अतिरिक्त पदों को स्वीकृत किया गया है।

3. **आईपी कार्यालयों का आधुनिकीकरण और फाइलिंग में आसानी, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ानाः**

क) हितधारकों की सुविधा बढ़ाने, पारदर्शिता में सुधार लाने और कार्यालय के कामकाज में दक्षता बढ़ाने के

लिए व्यापार चिह्न रजिस्ट्री द्वारा कई आईटी–संचालित पहल शुरू की गई हैं। इन पहलों में शामिल हैं:

- व्यापार चिह्न आवेदनों और डेटा का क्लाउड माइग्रेशन: बेहतर आवेदन प्रसंस्करण गति, सुरक्षा और आपदा पुनर्प्राप्ति।
- एआई–आधारित व्यापार चिह्न खोज: बेहतर परीक्षण और सार्वजनिक खोज के लिए, विशेष रूप से आलंकारिक चिह्नों के लिए, एआई/एमएल का उपयोग करके उन्नत अर्थगत और ध्वन्यात्मक खोज। परीक्षण मॉड्यूल के साथ एकीकरण ने परीक्षण की दक्षता और सटीकता को बढ़ाया है।
- गतिशील सुनवाई बोर्ड: स्वचालित वाद–सूची, आभासी सुनवाई, वास्तविक समय अद्यतन, और अधिकारियों को आवंटन।
- स्वचालित अनुस्मारक: प्रणाली द्वारा उत्पन्न ईमेल आवेदकों/एजेंटों को परीक्षण रिपोर्ट का उत्तर देने की याद दिलाते हैं।
- एपीआई एकीकरण: जीईएम (GeM) और सैन्य प्रणालियों के लिए ऑनलाइन सत्यापन हेतु संशोधन किए गए हैं।
- अन्य पहल: आंतरिक मॉड्यूल में सुधार, सुनवाई नोटिस और निर्णयों का स्वचालन, अधिकारी उपलब्धता अंकन

ख) आवेदकों के लिए समग्र सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने और पंजीकरण प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए कॉपीराइट पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, कुशल और सुरक्षित बनाया गया है।

ग) **सार्वजनिक रूप से सुलभ आईपी डैशबोर्ड पहुंच और सुविधाएँ:**

बौद्धिक संपदा आवेदनों की विभिन्न श्रेणियों जिसमें पेटेंट, डिज़ाइन, व्यापार चिह्न, कॉपीराइट और भौगोलिक उपदर्शन शामिल हैं, उन पर वास्तविक समय में व्यापक डेटा प्रदान करने के लिए एक सार्वजनिक रूप से सुलभ आईपी डैशबोर्ड प्रारम्भ किया गया है। डैशबोर्ड पर आधिकारिक वेबसाइट ipindia.gov.in@dashboard के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। उपयोगकर्ता की सुविधा के लिए वेबसाइट के होमपेज पर डैशबोर्ड का एक त्वरित–पहुंच लिंक भी उपलब्ध है।

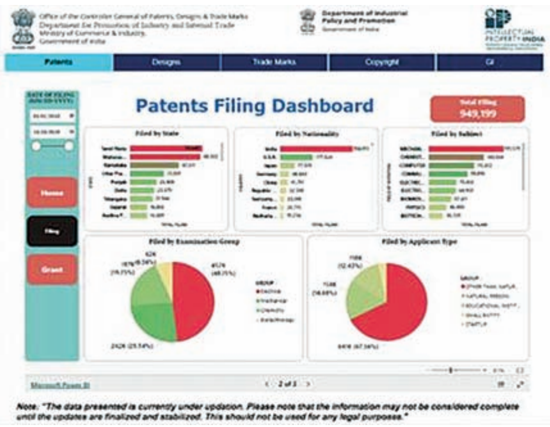


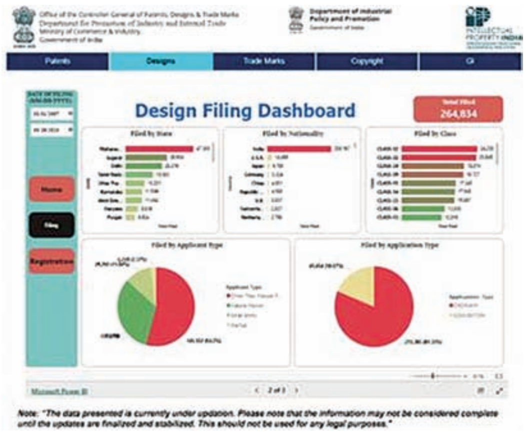

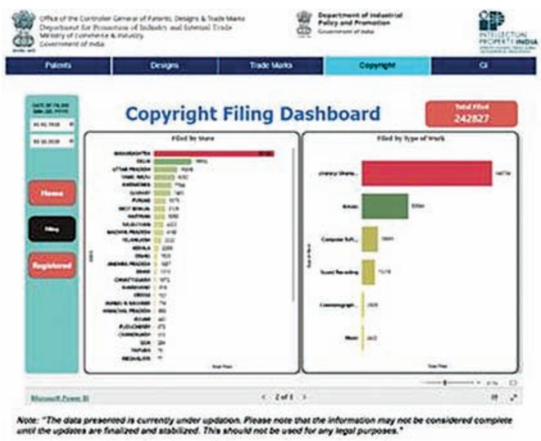

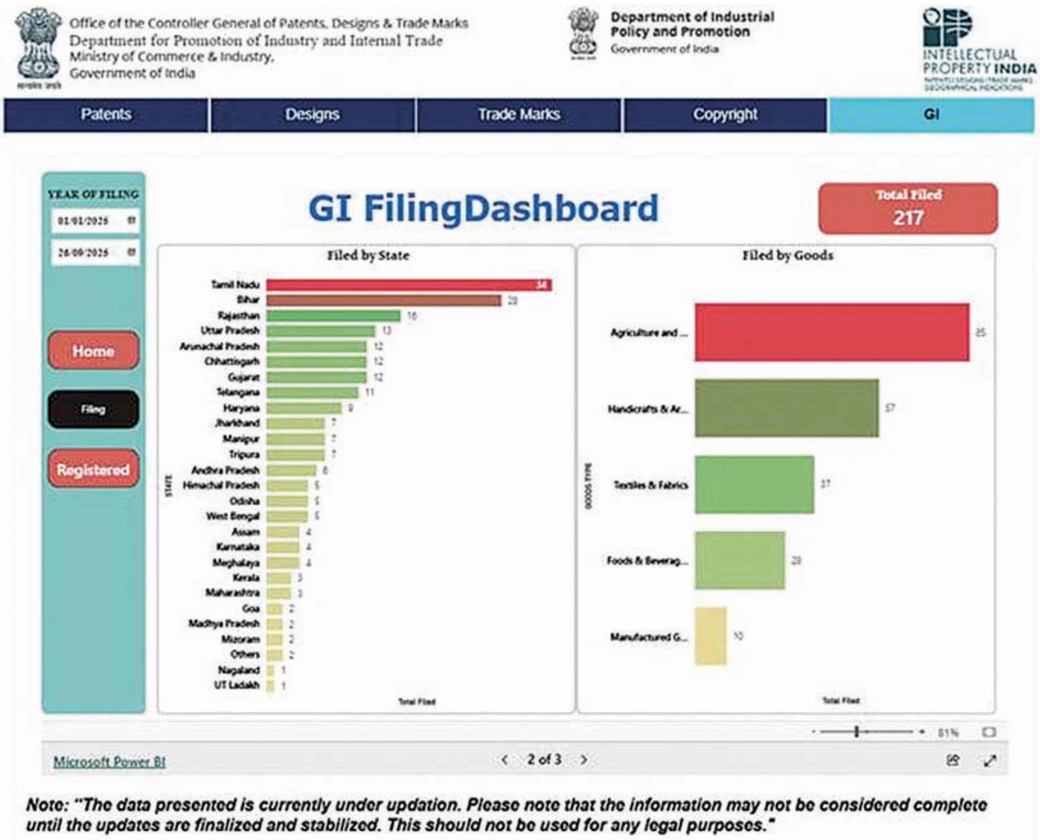


घ) **एआई–संचालित व्यापार चिह्न खोज प्रौद्योगिकी:** कृत्रिम बुद्धि (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) आधारित व्यापार चिह्न खोज प्रौद्योगिकी को व्यापार चिह्न आवेदनों की अधिक कुशल और सटीक परीक्षण और तेजी से निपटान के लिए प्रारम्भ किया गया है।

ङ) **आईपी सारथी चैटबॉट:** आईपी पंजीकरण प्रक्रियाओं में उपयोगकर्ताओं को तत्काल सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक डिजिटल सहायक डिज़ाइन किया गया है। भारतीय छोटे व्यवसाय इस चैटबॉट पर प्रश्नों के उत्तर पूछकर आईपीआर से संबंधित तत्काल सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

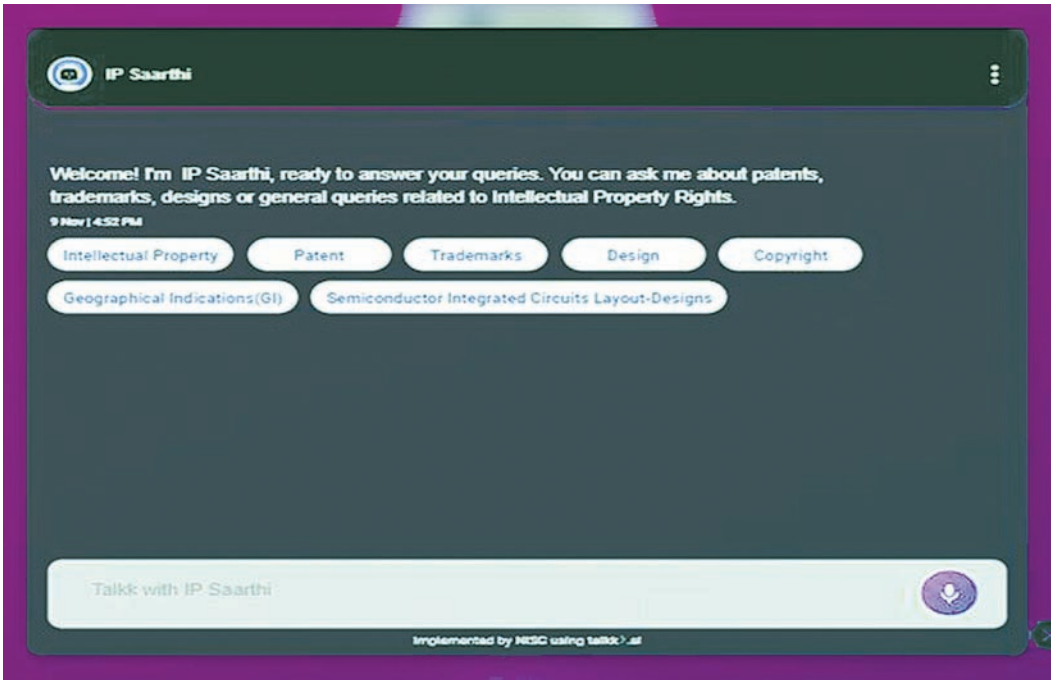

छ) **"वायपो आईपी डायग्नोस्टिक्स – भारतीय अनुकूलन"**: एक स्व–मूल्यांकन उपकरण, छोटे व्यवसायों को अपनी बौद्धिक संपदा (आईपी) परिसंपत्तियों का स्व–मूल्यांकन करने में सक्षम करने के लिए बनाया गया है। यह भारतीय आईपी कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुरूप मार्गदर्शन प्रदान करता है और स्थानीय उदाहरणों से समृद्ध है। लक्षित प्रश्नों के उत्तर देकर, भारतीय छोटे व्यवसाय ऐसी अनुकूलित रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं जो इस बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं कि भारत की आईपी प्रणाली उनके रणनीतिक व्यावसायिक उद्देश्यों का समर्थन कैसे कर सकती है। व्यापक कवरेज के लिए, यह उपकरण कई भाषाओं, अंग्रेजी, बंगाली, हिंदी, तमिल और उर्दू में उपलब्ध कराया गया है।

4. आईपी जागरूकता

क) 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के पावन अवसर पर, कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (एनआईपीएएम) नामक एक मिशन तैयार किया, जिसका उद्घाटन माननीय सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने 8 दिसंबर, 2021 को किया। इसका उद्देश्य 15 अगस्त, 2022 तक कम से कम 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूक करना था। इस मिशन को जारी रखा गया है और नए सिरे से इसे और सुदृढ़ किया गया है। इन वर्षों के दौरान, सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 98,580 छात्रों और शिक्षकों को इस मिशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया है।

ख) आरजीएनआईआईपीएम नियमित रूप से आईपीओ अधिकारियों, आईपी व्यावसायिकों, आईपी प्रबंधकों आदि के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और छात्रों, शिक्षकों, एमएसएमई, स्टार्टअप आदि सहित आम जनता के लिए या तो अलग से या विधि विश्वविद्यालयों और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के सहयोग से बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

## 5. जनसुनवाई और फीडबैक तंत्र:

आईपी कार्यालय में एक मज़बूत शिकायत निवारण तंत्र है, जिसे शिकायतों और हितधारकों की चिंताओं का त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करने के लिए और भी सुदृढ़ बनाया गया है। समस्याओं का समय पर समाधान हो, इसके लिए हितधारकों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सीधी बातचीत को सुगम बनाने के लिए एक दैनिक ओपन हाउस कॉन्फ्रेंस (जन सुनवाई) शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, बौद्धिक संपदा के सभी प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित प्रश्नों और शिकायतों के समाधान हेतु एकल–खिड़की प्लेटफ़ॉर्म के रूप में एक ओपन हाउस आईटी हेल्पडेस्क स्थापित किया गया है। इस तंत्र ने 95% से अधिक की प्रभावशाली निपटान दर हासिल की है, जो कुशल और उत्तरदायी सेवा वितरण के प्रति कार्यालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

## 6. अंतरराष्ट्रीय समझौते:

सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के प्रयास के साथ, महानियंत्रक कार्यालय द्वारा विदेश के आईपी कार्यालयों के साथ द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग के दायरे में विभिन्न पहल की गईं। कार्यालय ने विभिन्न क्षेत्राधिकार में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी साझा करने के लिए विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय गतिविधियाँ आयोजित कीं। इसके परिणामस्वरूप अन्य देशों द्वारा अपनाई जाने वाली आईपी प्रणालियों की बेहतर समझ विकसित हुई। बदले में, इस तरह की अंतरराष्ट्रीय सहयोग गतिविधियों के परिणामस्वरूप भारत में आईपीआर प्रणाली के भीतर मौजूद मतभेदों और विशिष्टताओं की बेहतर सराहना हुई, जबकि ट्रिप्स समझौते के तहत उपलब्ध लचीलेपन का अधिकतम संभव उपयोग हो सका। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, विदेशी आईपी कार्यालयों के साथ ऐसी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गई और इसका विवरण अध्याय XII (अंतरराष्ट्रीय सहयोग) में मौजूद है।

## 7. सूचना का अधिकारः

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। बौद्धिक संपदा कार्यालयों के कामकाज में अत्यधिक पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए, जनता और हितधारकों को सक्रिय रूप से जानकारी प्रदान करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विभिन्न गतिविधियों के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, सूचना अधिकार अधिनियम के विधायी प्रयोजन और जनादेश के अनुरूप अधिनियम के तहत प्राप्त सभी आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई की गई।

## 8. राजभाषाः

कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न, भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसके समस्त अधीनस्थ कार्यालय राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों के तहत अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। महानियंत्रक कार्यालय की निगरानी एवं मार्गदर्शन में वर्ष 2024–25 के दौरान संघ की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कोलकाता द्वारा व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, कोलकाता कार्यालय को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

**व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, कोलकाता को प्रथम पुरस्कार स्वरूप प्राप्त शील्ड एवं प्रमाण–पत्र**

वर्ष 2024–25 के दौरान माननीय संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2025 को व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, मुंबई का राजभाषा निरीक्षण किया गया। माननीय संसदीय समिति ने कार्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रदर्शनी भी देखी एवं कार्यालयीन काम–काज में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश दिए।

**अध्याय–III**

# पेटेंट

## परिचय:

यह अध्याय पेटेंट अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 155 के तहत पेटेंट कार्यालयों द्वारा वर्ष 2024–25 के दौरान निष्पादित गतिविधियों के संबंध में 53वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। पेटेंट कार्यालय कोलकाता, नई दिल्ली, मुम्बई तथा चेन्नई में स्थित है, जिनका पेटेंट प्रशासन के लिए देश में विशिष्ट क्षेत्राधिकार है। हालांकि, सभी चार पेटेंट कार्यालय आभासी एकल कार्यालय के रूप में कार्य करते हैं। पेटेंट कार्यालय, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) के अधीक्षण व प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन देश में हुए आविष्कारों के संरक्षण से संबंधित पेटेंट अधिनियम 1970 (यथा शांशोधित) के प्रावधानों को लागू करता है। निम्न प्रदत्त पैराग्राफ पेटेंट विधान के तहत यथाप्रशासित पेटेंट कार्यालय की प्रमुख गतिविधियों का सार प्रस्तुत करते हैं।

## 1. पेटेंट आवेदन:

2024–25 में दाखिल पेटेंट आवेदनों की संख्या **110375** रही जो 2023–24 की फाइलिंग की संख्या **92168** में 19.75% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष के दौरान, आविष्कार के लगभग सभी क्षेत्रों में मध्यम से उच्च विकास देखा गया है विशेष रूप से कंप्यूटर विज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्स, यांत्रिकी अभियांत्रिकी, रसायन, जैव–चिकित्सा और संचार के क्षेत्र में। विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित, विगत पाँच वर्षों के आवेदनों की प्रवृत्ति के विस्तृत आँकड़े **परिशिष्ट–ङ** और **ङ1** में दर्शाए गए हैं।

### 1.1 भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन:

कुल दाखिल 110375 आवेदनों में से, भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या **68201** रही जो विगत वर्ष के आवेदनों की संख्या 51574 से लगभग **32.23%** की वृद्धि दर्शाता है। कुल दाखिल आवेदनों में से घरेलू आवेदन पिछले वर्ष के 55.96% की तुलना में **61.79%** रहे हैं। इस प्रकार, विगत वर्षों की वृद्धि की निरंतरता में, इस वर्ष भी, भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल किए गए आवेदनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वर्ष के दौरान विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या **42174** रही जो 2023–24 के दौरान दाखिल आवेदनों की संख्या 40594 की तुलना में जो **3.89%** की वृद्धि दर्शाता है।

### 1.2 भारतीय आवेदकों द्वारा राज्यवार दाखिल पेटेंट आवेदन:

2024–25 के दौरान, भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों में से, तमिलनाडु प्रथम स्थान पर रहा जबकि कर्नाटक और महाराष्ट्र क्रमशः द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे। इस वर्ष कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और गुजरात जैसे राज्यों के साथ–साथ दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों ने भी अपने पिछले साल दाखिल आवेदनों की संख्या में वृद्धि प्रदर्शित की, जिससे भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल समग्र पेटेंट आवेदनों में उनका योगदान अत्यधिक रहा।

आवेदन दाखिल करने वाले शीर्ष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (आवेदनों की संख्या कोष्ठक में दी गयी है) तमिलनाडु (15440), कर्नाटक (8371), महाराष्ट्र (7893), उत्तर प्रदेश (5703), पंजाब (4461), तेलंगाना (4293), आंध्र प्रदेश (3582), गुजरात (2743), दिल्ली (2520), राजस्थान (2003), ओड़ीसा (1656) हरियाणा (1521), पश्चिम बंगाल (1415), उत्तराखंड (1359), मध्य प्रदेश (971), केरल (827), छत्तीसगढ़ (792) एवं झारखंड (757) हैं। राज्य/ केंद्र शासित क्षेत्र के अनुसार विवरण **परिशिष्ट ख** में प्रदर्शित किया गया है।

चित्र: राज्यवार दाखिल किए गए पेटेंट आवेदनों की संख्या

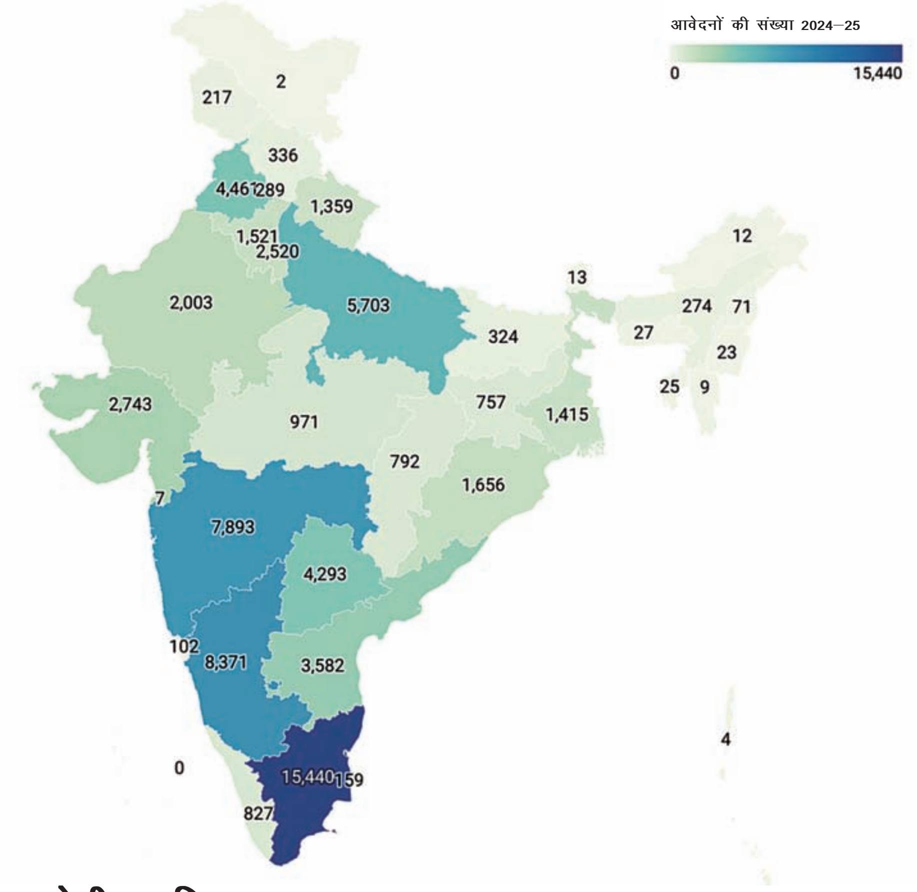


## 1.3 आवेदनों का श्रेणीवार वितरण:

विगत पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों जैसे प्रकृत व्यक्ति (एनपी), स्टार्टअप (एसयू), लघु अस्तित्व (एसई), शैक्षणिक संस्थान (ईआई) तथा अन्य प्रकृत व्यक्ति (ओएनपी) द्वारा दाखिल आवेदनों का विवरण निम्नवत है। ध्यातव्य है कि लगभग सभी श्रेणियों में दाखिल आवेदनों में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है।

**सारणी: पेटेंट आवेदनों की श्रेणीवार प्रवृत्ति**

| वर्ष | प्रकृत व्यक्ति (एनपी) | | स्टार्टअप (एसयू) | | लघु अस्तित्व (एसई) | | शैक्षणिक संस्थान (ईआई) | | प्रकृत व्यक्ति के सिवाय अन्य | | कुल | | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | भारतीय | विदेशी | भारतीय | विदेशी | भारतीय | विदेशी | भारतीय | विदेशी | भारतीय | विदेशी | | | |
| 2020–21 | 10844 | 1053 | 1598 | 13 | 744 | 53 | 0 | 0 | 11150 | 33048 | 24326 | 34167 | 58503 |
| 2021–22 | 12451 | 1324 | 1482 | 19 | 985 | 384 | 7405 | 96 | 7185 | 35109 | 29508 | 36932 | 66440 |
| 2022–23 | 14599 | 1261 | 2016 | 25 | 1329 | 429 | 19155 | 275 | 6202 | 37520 | 43301 | 39510 | 82811 |
| 2023–24 | 14431 | 1185 | 2546 | 25 | 3421 | 128 | 23306 | 237 | 7870 | 39019 | 51574 | 40594 | 92168 |
| **2024–25** | **17170** | **1159** | **2680** | **24** | **2575** | **172** | **37681** | **213** | **8095** | **40606** | **68201** | **42174** | **110375** |

**सारणी: सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष 5 भारतीय आवेदक**

| क्र. सं. | कंपनी का नाम | दाखिल आवेदन |
|---|---|---|
| 1 | लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी | 884 |
| 2 | सविथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल अँड टेक्निकल साइंसेस | 668 |
| 3 | सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड | 651 |
| 4 | जैन (मानद विश्वविद्यालय) | **612** |
| 5 | गूगल एलएलसी | 467 |

**सारणी: वैज्ञानिक अनुसंधान व विकास संस्थानों से पेटेंट हेतु शीर्ष 10 भारतीय आवेदक**

| क्र. सं. | वैज्ञानिक अनुसंधान व विकास संस्थान का नाम | दाखिल आवेदन |
|---|---|---|
| 1 | सविथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस | 2038 |
| 2 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (समेकित) | 1740 |
| 3 | सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलोजी (मानद विश्वविद्यालय) | 645 |
| 4 | वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी | 629 |
| 5 | शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग – टेक्नॉलॉजी (मानद विश्वविद्यालय) | 370 |
| 6 | एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलोजी | 291 |
| 7 | कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलोजी (मानद विश्वविद्यालय) | 288 |
| 8 | चेन्नई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी | 262 |
| 9 | माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलोजी लाइसेंसिंग एलएलसी | 237 |
| 10 | डॉ डी वाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, पिंपरी, पुणे | 227 |

इस वर्ष सविथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस शीर्ष पर रहा जिसके बाद क्रमशः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (समेकित), सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलोजी (मानद विश्वविद्यालय) और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी का स्थान रहा।

**सारणीः शैक्षिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों से पेटेंट हेतु शीर्ष 10 भारतीय आवेदकः**

| क्रम सं. | संस्थानों/विश्वविद्यालयों के नाम | दाखिल आवेदन |
|---|---|---|
| 1 | लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी | 2241 |
| 2 | सविथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस (एसआईएमएटीएस) | 2038 |
| 3 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (समेकित) | 1740 |
| 4 | जैन (मानद विश्वविद्यालय) | 1504 |
| 5 | शिक्षा व अनुसंधान (मानद विश्वविद्यालय) | 995 |
| 6 | संस्कृति विश्वविद्यालय | 703 |
| 7 | सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलोजी | 645 |
| 8 | वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (वीआईटी) | 629 |
| 9 | प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी, बंगलोर | 625 |
| 10 | ग्राफिक एरा (मानद विश्वविद्यालय) | 592 |

इस श्रेणी में लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा। जबकि सविथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस (एसआईएमएटीएस) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (समेकित) क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रहे जबकि जैन (मानद विश्वविद्यालय) और शिक्षा व अनुसंधान (मानद विश्वविद्यालय) ने क्रमशः चौथा व पांचवा स्थान प्राप्त किया।

## 2. विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनः

### 2.1 कन्वेंशन आवेदनः

विगत वर्ष के 3508 की तुलना में इस वर्ष के दौरान पेरिस कन्वेंशन के तहत प्रायिकता दावा करते हुए दाखिल आवेदनों की कुल संख्या **4627** रही। इस वर्ष के दौरान दाखिल किए गए कन्वेंशन आवेदनों की संख्या में लगभग **31.89%** की वृद्धि देखी गई है। वर्ष के दौरान विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन **4402** थे जो पिछले वर्ष के 3360 से **31.01%** अधिक है।

**चित्र : विगत 10 वर्षों के दौरान कन्वेंशन आवेदनों की प्रवृत्ति**

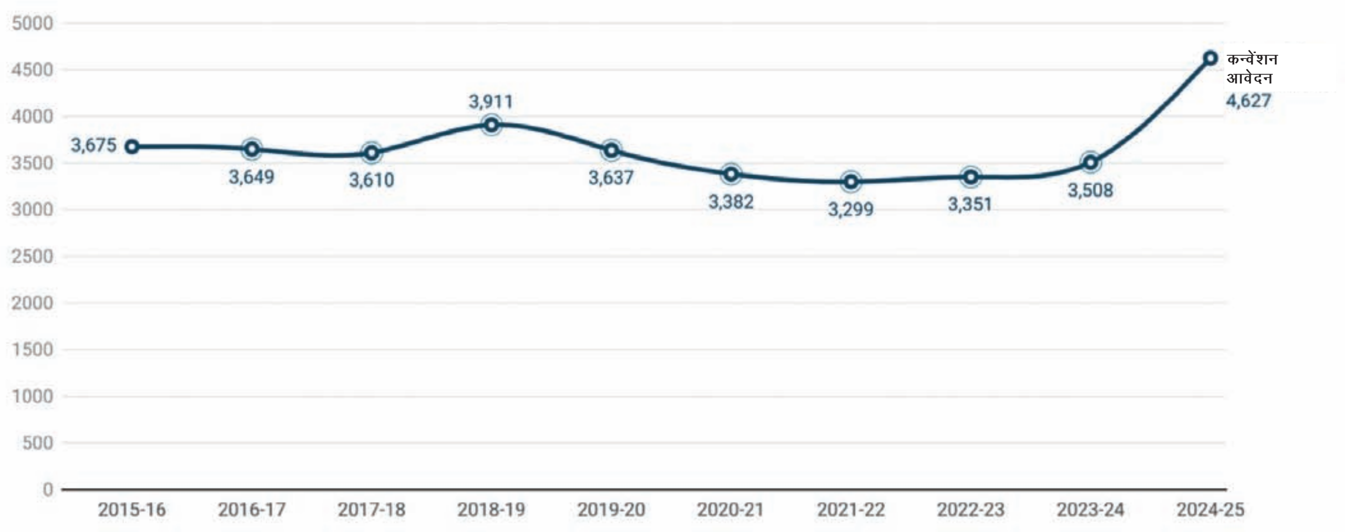

## 2.2 पी.सी.टी. राष्ट्रीय फेज आवेदन:

विदेश से प्राप्त आवेदनों में से अधिकांश पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) राष्ट्रीय फेज माध्यम से दाखिल किए गए। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान दाखिल ऐसे आवेदनों की संख्या **31940** रही जो विगत वर्ष की संख्या 32187 की तुलना में लगभग 0.76% की कमी दर्शाता है। आवेदन दाखिल करने वाला शीर्ष देश संयुक्त राज्य अमरीका (10,620) रहा। देशानुसार विवरण **परिशिष्ट ख1** में प्रदर्शित किया गया है।

**चित्र : पी.सी.टी. राष्ट्रीय फेज आवेदनों के शीर्ष आवेदक (देशानुसार)**

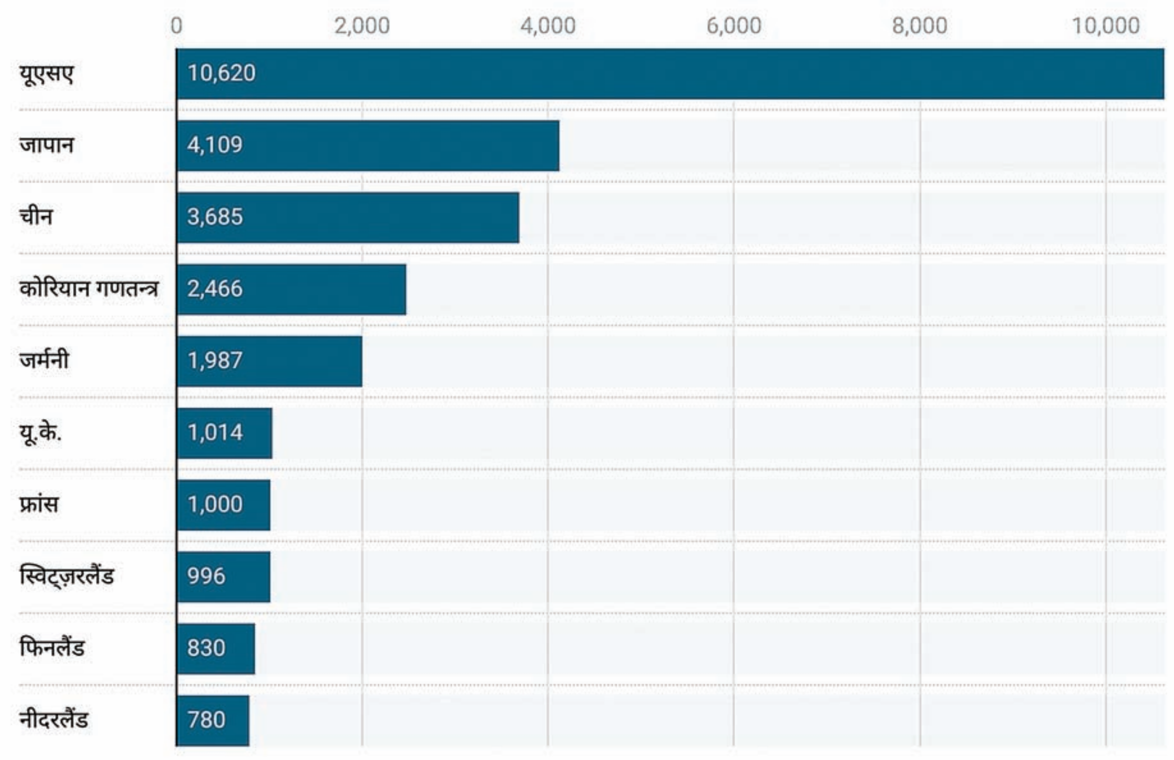


**चित्र : विगत 5 वर्षों के दौरान पी.सी.टी. राष्ट्रीय आवेदनों की प्रवृत्ति**

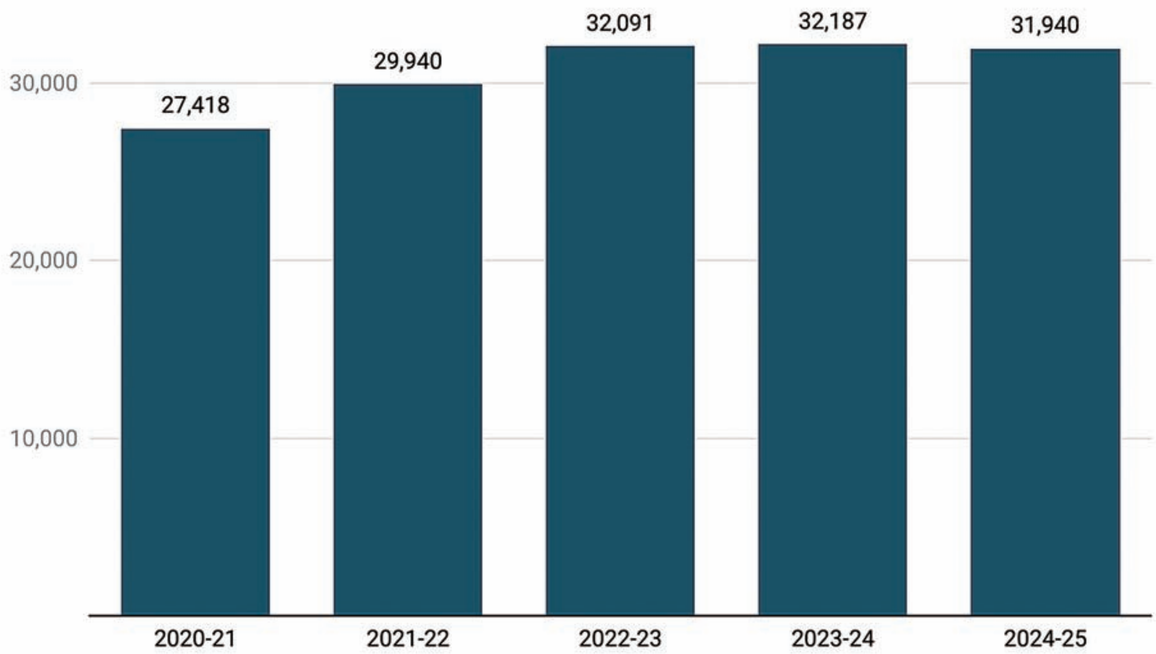

## 2.3 शीर्ष 10 विदेशी प्रवासी आवेदक:

निम्नलिखित तालिका उन शीर्ष 10 विदेशी प्रवासी आवेदकों की सूची प्रदान करती है जिन्होंने 2024–25 के दौरान भारत में पेटेंट आवेदन दाखिल किए हैं। यह देखा गया है कि क्वालकम इंकॉरपोरेटेड इस वर्ष तीन हज़ार के करीब आवेदनों के साथ इस सूची में अग्रणी रहा।

**सारणी: शीर्ष 10 विदेशी प्रवासी आवेदक**

| क्र.सं | आवेदक का नाम | आवेदनों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | क्वालकम इंकॉरपोरेटेड | 2949 |
| 2 | नोकिया टेक्नोलॉजीज़ ओ.वाई | 1582 |
| 3 | सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड | 1556 |
| 4 | बीजिंग शाओमि मोबाइल सॉफ्टवेयर कं, लिमिटेड | 700 |
| 5 | एलजी एनर्जी सॉल्यूशन, लिमिटेड | 675 |
| 6 | गूगल एलएलसी | 626 |
| 7 | हुआवि टेक्नोलॉजी क. लि | 521 |
| 8 | एप्पल इंक. | 409 |
| 9 | मर्सिडीज– बेंज़ ग्रुप एजी | 391 |
| 10 | इंटरडिजिटल पेटेंट होल्डिंग्स, इंक | 349 |

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2024–25 के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त पेटेंट आवेदनों का विवरण **परिशिष्ट–ख** (भारत में उद्गम राज्य के अनुसार वर्गीकृत) एवं **परिशिष्ट–ख1** (उद्गम देश के अनुसार वर्गीकृत) में दर्शाया गया है।

2015–16 से 2024–25 की अवधि के दौरान विभिन्न माध्यमों से भारतीय प्रवासियों एवं अप्रवासियों से प्राप्त पेटेंट आवेदनों की संख्या **परिशिष्ट–ग** में दर्शायी गई है।

विगत पाँच वर्ष के दौरान रसायन, विद्युत, यांत्रिक, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य, कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स, आदि पर विषयवार दाखिल आवेदनों का विवरण **परिशिष्ट–ङ** तथा **ङ1** में प्रदत्त सारणी द्वारा दिखाया गया है।

## 3. परीक्षित आवेदनों की कुल संख्या:

कार्यालय ने विगत वर्ष के 18438 परीक्षित आवेदनों की तुलना में, इस वर्ष के दौरान **15726** आवेदनों का परीक्षण किया। यह वर्ष 2024–25 में दाखिल परीक्षण हेतु अनुरोध (आरक्यू) की संख्या **90971** के अनुरूप है।

## 4. परीक्षण हेतु अनुरोध (आरक्यू) का कुल निपटान:

विगत वर्ष के 126003 की तुलना में वर्ष के दौरान **40606** परीक्षण हेतु अनुरोध (आरक्यू) का निष्पादन किया गया, जो निष्पादन में **67.77%** की कमी दर्शाता है। निष्पादन में अनुदानित, अस्वीकृत, धारा 21(1) के तहत परित्यक्त व आहरित आवेदन शामिल हैं।

## 5. अनुदानित तथा प्रवृत्त पेटेंट:

वर्ष के दौरान अनुदानित पेटेंट की कुल संख्या **33504** रही, जिनमें से **10682** भारतीय आवेदकों को अनुदानित किए गए। इस वर्ष के दौरान अनुदानित पेटेंट, 2023–24 के दौरान अनुदानित पेटेंट (103057) से **67.49%** कम रहे।

1 अप्रैल, 2025 तक प्रवृत्त पेटेंट की संख्या **230480** रही जिनमें से **50848** पेटेंट भारतीय पेटेंटग्राहियों के नाम थे।

वर्ष 2015–16 से वर्ष 2024–25 की अवधि के दौरान दाखिल आवेदनों की संख्या, परीक्षण हेतु प्राप्त अनुरोधों की संख्या, परित्यक्त हुआ सा मान लिए गए आवेदन तथा पेटेंट अनुदान प्राप्त करने वाले आवेदन एवं प्रवृत्त पेटेंट की संख्या **परिशिष्ट–घ** में प्रदर्शित की गई है।

वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक के विगत पाँच वर्षों के दौरान आविष्कार के विभिन्न क्षेत्रों के तहत अनुदानित पेटेंट की संख्या **परिशिष्ट–च** एवं **च1** में प्रदर्शित की गई है।

## 6. शीघ्र परीक्षण स्थिति:

शीघ्र परीक्षण की सुविधा प्रारम्भ में स्टार्टअप और उन पेटेंट आवेदनों के लिए प्रदान की गई थी, जहां आवेदकों ने अपने संबंधित पीसीटी अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के लिए आईएसए/आईपीईए के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय का चयन किया है। पेटेंट नियमों में संशोधन करके आवेदकों की 8 और श्रेणियों को 17 सितंबर, 2019 से इसमें शामिल कर लिया गया है। आवेदकों की नई श्रेणियों में लघु, मध्यम उद्यम, महिला आवेदक, सरकारी विभाग, केंद्रीय, प्रांतीय अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थान है, जो सरकार के स्वामित्व में है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित है, सरकारी कंपनी, सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा सारवान रूप से वित्तपोषित संस्थान तथा पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाइवे (पीपीएच) के अधीन दाखिल आवेदन शामिल हैं।

शीघ्र परीक्षण हेतु अनुरोधों की फाइलिंग में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, जिसका कारण है कि इस श्रेणी के तहत आवेदनों का परीक्षण और संसाधन अतिशीघ्र किया जाता है जिससे अधिकांश मामलों में अनुदान/अंतिम निपटान, सामान्य परीक्षण मार्ग में अपेक्षित कुछ वर्षों की अवधि की तुलना में शीघ्र परीक्षण हेतु अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष के औसत समय के भीतर हो जाता है।

शीघ्र परीक्षण हेतु प्राप्त अनुरोध, परीक्षित व निपटान का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है जिसमें नई श्रेणियों को संचित रूप से "अन्य" के रूप में नामित किया गया है।

| वर्ष | शीघ्र परीक्षण हेतु प्राप्त अनुरोध | | | | अनुदानित पेटेंट | | | | अस्वीकृत | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्टार्ट अप | आईएसआर हेतु आवेदक | अन्य | कुल | स्टार्ट अप | आईएसआर हेतु आवेदक | अन्य | कुल | स्टार्ट अप | आईएसआर हेतु आवेदक | अन्य | कुल |
| 2020-21 | 433 | 331 | 802 | 1566 | 252 | 212 | 283 | 747 | 57 | 48 | 24 | 129 |
| 2021-22 | 548 | 411 | 1554 | 2513 | 49 | 65 | 143 | 257 | 4 | 3 | 14 | 21 |
| 2022-23 | 713 | 386 | 2471 | 3570 | 468 | 335 | 1283 | 2086 | 54 | 37 | 141 | 232 |
| 2023-24 | 806 | 401 | 3923 | 5130 | 536 | 350 | 2171 | 3057 | 60 | 33 | 164 | 257 |
| **2024-25** | **1026** | **630** | **5498** | **7154** | **546** | **261** | **2542** | **3349** | **79** | **23** | **267** | **369** |

## 7. भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल पीसीटी अंतरराष्ट्रीय आवेदन:

विगत पाँच वर्षों के दौरान प्राप्तकर्ता कार्यालय (आरओ/आईएन)के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय में भारतीय आवेदकों द्वारा पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) के तहत दाखिल अंतरराष्ट्रीय आवेदनों की कुल संख्या निम्नवत है (इस संख्या में वे अंतरराष्ट्रीय आवेदन शामिल नहीं है जो भारतीय आवेदकों द्वारा सीधे वाइपो के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में दाखिल किए गए हैं):

चित्र : विगत 5 वर्षों के दौरान अंतरराष्ट्रीय आवेदनों की प्रवृत्ति

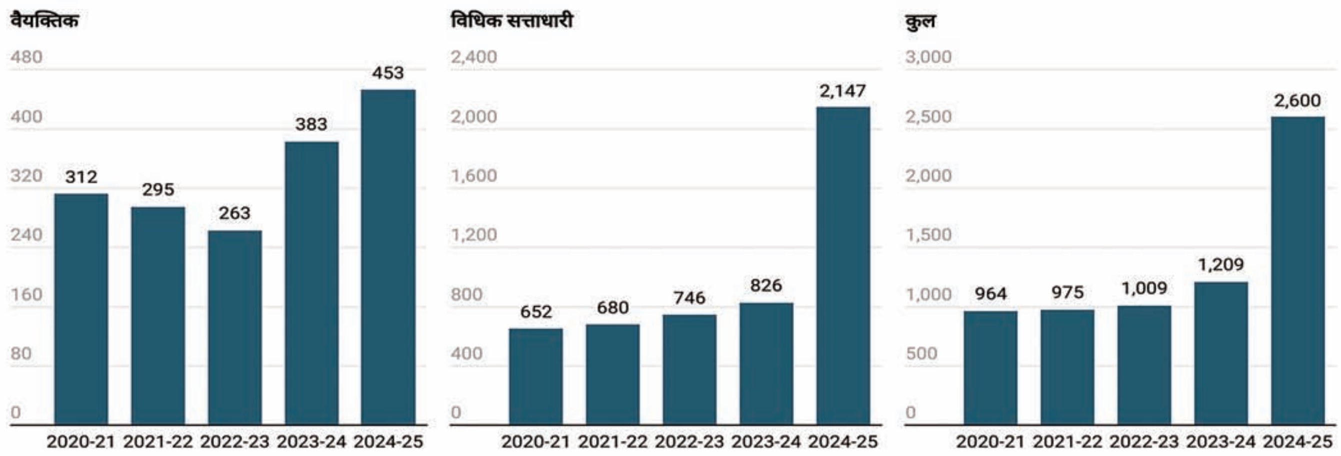


सारणी: विगत 5 वर्षों के दौरान अंतरराष्ट्रीय आवेदनों की प्रवृत्ति

| वर्ष | वैयक्तिक | विधिक सत्ताधारी | कुल |
|---|---|---|---|
| 2020–21 | 312 | 652 | 964 |
| 2021–22 | 295 | 680 | 975 |
| 2022–23 | 263 | 746 | 1009 |
| 2023–24 | 383 | 826 | 1209 |
| **2024–25** | **453** | **2147** | **2600** |

2024–25 के दौरान पीसीटी अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने वाले प्रमुख भारतीय योगदानकर्ता जियो प्लेटफ़ोर्म्स लिमिटेड, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, मद्रास और ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड रहे।

## 8. पेटेंट अधिनियम व नियमों के तहत विविध कार्यवाहियाँ:

8.1 परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आविष्कार: वर्ष के दौरान, पेटेंट अधिनियम की धारा 4 के तहत **181** आवेदन परमाणु ऊर्जा विभाग को प्रेषित किए गए जिनमें से **19** आवेदन परमाणु ऊर्जा से संबद्ध पाए गए, जबकि **139** आवेदन सामान्य शासकीय कार्यवाही के तहत प्रक्रियागत करने के लिए अनुमत्त हुए। वर्ष के अंत तक शेष आवेदन परमाणु ऊर्जा विभाग के समक्ष विचारार्थ लंबित रहे।

8.2 धारा 11(क) के तहत पेटेंट आवेदनों का प्रकाशन: वर्ष 2024–25 के दौरान, पेटेंट अधिनियम की धारा 11क के तहत **159419** आवेदन प्रकाशित किए गए, जिनमें **46969** ऐसे आवेदन शामिल हैं जिनके लिए शीघ्र प्रकाशन हेतु अनुरोध प्राप्त किए गए थे। विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रकाशित पेटेंट आवेदनों की संख्या संबंधी वर्षानुसार विवरण निम्नवत है:

| वर्ष | 2020–21 | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 |
|---|---|---|---|---|---|
| धारा 11क के तहत प्रकाशन | 42462 | 55362 | 69208 | 77153 | 112450 |
| शीघ्र प्रकाशन | 10302 | 14251 | 25536 | 30989 | 46969 |
| **कुल** | 52764 | 69613 | 94744 | 108142 | **159419** |

**8.3 अनुदानपूर्व आपत्ति (धारा 25(1) के तहत):** वर्ष के दौरान अनुदानपूर्व आपत्ति के रूप में **239** आवेदन प्राप्त हुए एवं **711** अनुदानपूर्व आपत्तियों का निष्पादन वर्ष 2024–25 के दौरान कर दिया गया।

**8.4 अनुदानोत्तर आपत्ति (धारा 25(2) के तहत) :** वर्ष 2024–25 के दौरान **101** अनुदानोत्तर आपत्तियाँ दाखिल की गईं। वर्ष के दौरान **44** अनुदानोत्तर आपत्तियों का निष्पादन कर दिया गया।

**8.5 गोपनीयता निदेश (धारा 35 के तहत):** वर्ष के दौरान **276** पेटेंट आवेदन भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को उन आविष्कारों के रक्षा उद्देश्य से संबद्ध होने विषयक विचार देने हेतु प्रेषित किए गए। वर्ष के दौरान **288** आवेदनों को सामान्य कार्यवाही हेतु अनुमत्त किया गया। कोई भी आवेदन को डीआरडीओ द्वारा आगे बढ़ने के लिए अस्वीकृत नहीं किया गया, जबकि शेष आवेदन वर्ष के अंत तक डीआरडीओ के विचारार्थ प्रक्रियाधीन थे।

**8.6 देश से बाहर आवेदन करने की अनुमति (धारा 39 के तहत):** वर्ष के दौरान **9980** ऐसे आवेदन प्राप्त हुए जिनमें फॉर्म 25 पर भारत के बाहर पेंटेट दाखिल करने की अनुमति मांगी गई थी जबकि **9826** आवेदनों के संबंध में अनुमति प्रदान की गई।

**8.7 व्यपगत पेटेंट का प्रत्यावर्तन (धारा 60 के तहत):** 2024–25 के दौरान पेटेंट के प्रत्यावर्तन के लिए **558** आवेदन प्राप्त हुए और **435** पेटेंट प्रत्यावर्तित किए गए।

**8.8 समनुदेशन, मोर्गेज, लाइसेंस आदि (धारा 68 तथा 69 के तहत):** इस धारा के तहत दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए **3826** मामले प्राप्त हुए तथा वर्ष के दौरान **1925** आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया।

**8.9 जारी पेटेंट (धारा 146 के तहत):** प्रतिवेदन वर्ष के दौरान फॉर्म–27 पर जारी पेटेंट के **11056** कथन प्राप्त किए गए और **3663** पेटेंट को जारी पेटेंट के रूप में दर्शाया गया। विगत पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त सूचना का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है:

| | 2020–21 | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रवृत्त पेटेंट | 98839 | 115916 | 137333 | 223245 | **230480** |
| प्राप्त फॉर्म–27 | 58633 | 55014 | 4781 | 94097 | **11056** |
| जारी रहने के रूप में प्रदर्शित | 13924 | 9616 | 560 | 22618 | **3663** |

**8.10 अनिवार्य लाइसेंस (धारा 84, 92 तथा 92क के तहत):** वर्ष 2024–25 के दौरान अनिवार्य लाइसेंस के अनुदान हेतु कोई भी आवेदन प्राप्त **नहीं** हुआ।

**8.11 सूचना (धारा 153 के तहत):** वर्ष के दौरान, पेटेंट नियम, 2003 (यथा संशोधित) के नियम 134 में यथा प्रदत्त इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत पेटेंट संबंधी सूचना की आपूर्ति के लिए पेटेंट कार्यालय को **53** अनुरोध प्राप्त हुए।

**8.12 पेटेंट एजेंट का पंजीकरण:** वर्ष के दौरान **203** नए पेटेंट एजेंट का पंजीकरण किया गया। 31 मार्च 2025 तक पंजीकृत पेटेंट एजेंट की कुल संख्या **6042** रही।

## 9. पेटेंट एजेंट परीक्षा 2024 – 2025:

पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 126 (1)(ग)(ii) के प्रावधानों के अनुसार उक्त परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। पंजीकरण, शुल्क भुगतान और ई–प्रवेश पत्र जारी करने जैसी प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर दी गईं ताकि न्यूनतम शारीरिक संपर्क की आवश्यकता हो। ऑफ़लाइन मोड में परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। दृष्टिबाधित/शारीरिक रूप से विकलांग (दिव्यांग) उम्मीदवारों को उनके अनुरोध के अनुसार उचित रूप से पाठक/लेखक या अतिरिक्त लेखन समय प्रदान किया गया। विवरण इस प्रकार है –

**9.1 पेटेंट एजेंट परीक्षा 2024** दिनांक 07/01/2024 को अहमदाबाद, बंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोचीन, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रांची, और विशाखापत्तनम जैसे 14 स्थानों पर संचालित किया गया। पत्र 1 के लिए कुल 1528 उम्मीदवार उपस्थित हुए, जबकि पत्र 2 के लिए 1491 उम्मीदवार उपस्थित हुए। इनमें से 343 उम्मीदवार मौखिक परीक्षा चरण के लिए सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए। मौखिक परीक्षाएं चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई स्थित पेटेंट कार्यालयों के साथ–साथ व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, अहमदाबाद और आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में दिनांक 10/02/2024 और 11/02/2024 को आयोजित की गईं। मौखिक परीक्षा में उपस्थित 343 उम्मीदवारों में से 223 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जिनमें 117 उम्मीदवार पुरुष और 106 उम्मीदवार महिलाएं थीं।

वर्ष 2023–24 में कुल 752 सफल उम्मीदवारों में से 696 उम्मीदवारों ने पेटेंट एजेंट के रजिस्टर में पंजीकरण कराया है।

**9.2 पेटेंट एजेंट परीक्षा 2025** दिनांक 05/01/2025 को अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, और थिरुअनंतपुरम जैसे 13 स्थानों पर संचालित किया गया। पत्र 1 के लिए कुल 2274 उम्मीदवार उपस्थित हुए, जबकि 2192 उम्मीदवार पत्र 2 के लिए उपस्थित हुए। इनमें से 443 उम्मीदवार पत्र 1 और पत्र 2 में पचास अंक की न्यूनतम आंकड़ा प्राप्त कर मौखिक परीक्षा चरण के लिए उत्तीर्ण हुए। मौखिक परीक्षाएं चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई स्थित पेटेंट कार्यालयों के साथ–साथ व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, अहमदाबाद और आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में दिनांक 28/02/2025 और 01/03/2025 को आयोजित की गईं। कुल उपस्थित 443 उम्मीदवारों में से 260 उम्मीदवार पेटेंट एजेंट के रूप में पंजीकरण करने के लिए उत्तीर्ण हुए।

## 10. राजस्वः

पेटेंट कार्यालय ने अधिनियम और नियमों के तहत विभिन्न कार्यवाहियों के लिए शुल्क के माध्यम से लगभग रु.897.75 करोड़ का राजस्व अर्जित किया।

## 11. सामान्य सूचनाः

पेटेंट कार्यालय, कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली एवं चेन्नई के वैज्ञानिक तथा तकनीकी पुस्तकालय जनता को परामर्श तथा संदर्भ कार्य के लिए सुविधा प्रदान करते रहे। इन सुविधाओं का विभिन्न अनुसंधान व औद्योगिक संस्थानों के आविष्कारक तथा अन्य जनता के साथ–साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनुसंधानरत विद्वानों ने उपयोग किया।

वर्तमान में पेटेंट कार्यालय, सीडी–रोम्स, पुस्तकों और जर्नल के अतिरिक्त वैज्ञानिक और तकनीकी ई–जर्नल प्राप्त करता है। भारत और विदेश के पेटेंट कार्यालयों के पेटेंट विनिर्देश और अन्य प्रकाशनों के माध्यम से खोज संचालित करने हेतु हजारों लोग पेटेंट कार्यालय के पुस्तकालयों में आते हैं।

पेटेंट कार्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट www.ipindia.nic.in पर प्रदत्त निःशुल्क ऑनलाइन इंटरनेट खोज सुविधा का हितधारकों और सर्वसाधारण ने भी व्यापक लाभ उठाया।

## 12. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचनाः

वर्ष के दौरान, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध कराने के लिए **136** अनुरोध प्राप्त किए गए तथा अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार समय सीमा के भीतर उनका निष्पादन कर दिया गया।

## परीक्षक, एकस्व का विषयवार वितरण

| क्रम सं. | विषय | परीक्षकों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | जैव रसायन | 19 |
| 2 | जैव प्रौद्योगिकी | 36 |
| 3 | जैव चिकित्सा अभियांत्रिकी | 47 |
| 4 | रसायन | 96 |
| 5 | सिविल अभियांत्रिकी | 7 |
| 6 | कम्प्यूटर एवं आई टी अभियांत्रिकी | 88 |
| 7 | वैद्युतिक व इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी | 181 |
| 8 | खाद्य प्रौद्योगिकी | 7 |
| 9 | यांत्रिकी अभियांत्रिकी | 87 |
| 10 | धातुकर्म अभियांत्रिकी | 7 |
| 11 | भौतिकी | 32 |
| 12 | पॉलीमर | 11 |
| 13 | वस्त्र | 8 |
| | **कुल** | **626** |

परिशिष्ट –ख

## उद्गम राज्य के अनुसार वर्ष 2023–24 की तुलना में 2024–25 में दाखिल किए गए पेटेंट आवेदन

| राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश | साधारण आवेदन | | कन्वेंशन आवेदन | | राष्ट्रीय फेज आवेदन | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024–25 | 2023–24 | 2024–25 | 2023–24 | 2024–25 | 2023–24 |
| अंडमान – निकोबार | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| आंध्र प्रदेश | 3579 | 2131 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| अरुणाचल प्रदेश | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| असम | 274 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिहार | 324 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| चंडीगढ़ | 289 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| छत्तीसगढ़ | 792 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दादरा और नागर हवेली और दमन – दीव | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दिल्ली | 2480 | 1965 | 2 | 5 | 38 | 32 |
| गोवा | 46 | 45 | 56 | 1 | 0 | 0 |
| गुजरात | 2732 | 2702 | 1 | 3 | 10 | 13 |
| हरियाणा | 1512 | 1007 | 5 | 0 | 4 | 7 |
| हिमाचल प्रदेश | 334 | 259 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| जम्मू और कश्मीर | 217 | 130 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| झारखंड | 756 | 574 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| कर्नाटक | 8319 | 6025 | 33 | 39 | 19 | 22 |
| केरल | 825 | 637 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| लद्दाख | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मध्य प्रदेश | 969 | 726 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| महाराष्ट्र | 7806 | 7138 | 43 | 68 | 44 | 45 |
| मणिपुर | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मेघालय | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मिजोरम | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| नागालैंड | 71 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| उड़ीसा | 1656 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पुडुचेरी | 159 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पंजाब | 4460 | 4603 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| राजस्थान | 2002 | 1457 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| सिक्किम | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| तमिलनाडु | 15347 | 9507 | 72 | 21 | 21 | 37 |
| तेलगांना | 4288 | 2795 | 1 | 5 | 4 | 7 |
| त्रिपुरा | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 5695 | 5774 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| उत्तराखंड | 1357 | 1085 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| पश्चिम बंगाल | 1411 | 866 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| **कुल** | **67822** | **51241** | **225** | **148** | **154** | **185** |

**परिशिष्ट – ख 1**

## वर्ष 2023–24 की तुलना में 2024–25 में दाखिल उद्गम देश के अनुसार वर्गीकृत पेटेंट आवेदन

### राष्ट्रमंडल देश

| राष्ट्रमंडल देश | साधारण आवेदन | | कन्वेंशन आवेदन | | राष्ट्रीय फेज आवेदन | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024–25 | 2023–24 | 2024–25 | 2023–24 | 2024–25 | 2023–24 |
| ऑस्ट्रेलिया | 9 | 7 | 6 | 10 | 245 | 286 |
| कनाडा | 20 | 15 | 10 | 16 | 316 | 342 |
| फ़िजी | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| आयरलैंड | 125 | 93 | 42 | 29 | 119 | 136 |
| न्यूजीलैंड | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 47 |
| पापुआ न्यू गिनी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समोआ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| श्रीलंका | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| यू.के. | 84 | 110 | 59 | 62 | 1014 | 1070 |
| **कुल** | **239** | **227** | **117** | **118** | **1746** | **1889** |

### उत्तर व दक्षिण अमरीका

| राष्ट्रमंडल देश | साधारण आवेदन | | कन्वेंशन आवेदन | | राष्ट्रीय फेज आवेदन | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024–25 | 2023–24 | 2024–25 | 2023–24 | 2024–25 | 2023–24 |
| अर्जेन्टीना | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| बहामास | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| बारबाडोस | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| बरमूडा | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| ब्राजील | 0 | 2 | 19 | 20 | 50 | 70 |
| केमन आइलैंड | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 19 |
| चिली | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| कोलंबिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| कोस्टा रीका | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| क्यूबा | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| मैक्सिको | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18 |
| पनामा | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| पेरु | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सेंट किट्स एंड नेविस | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| उरुग्वे | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| यू.एस.ए. | 2081 | 1980 | 675 | 651 | 10620 | 11276 |
| वर्जिन आइलैंड्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| उत्तर और दक्षिण अमेरिका के अन्य देश | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| **कुल** | **2086** | **1994** | **697** | **675** | **10733** | **11436** |

परिशिष्ट – ख1 (जारी)

## यूरोप

| राष्ट्रमंडल देश | साधारण आवेदन | | कन्वेंशन आवेदन | | राष्ट्रीय फेज आवेदन | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024–25 | 2023–24 | 2024–25 | 2023–24 | 2024–25 | 2023–24 |
| ऑस्ट्रीया | 4 | 5 | 10 | 18 | 268 | 268 |
| बेलारूस | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| बेल्जियम | 27 | 11 | 6 | 5 | 295 | 250 |
| ब्रिटिश आइल्स | 0 | | 0 | | 0 | |
| बुल्गारिया | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| चैनल आइलेंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| साइप्रस | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| चेक गणराज्य | 4 | 0 | 3 | 6 | 18 | 29 |
| डेनमार्क | 22 | 36 | 14 | 14 | 313 | 318 |
| इस्टोनिया | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| फ़िनलैंड | 679 | 312 | 427 | 44 | 830 | 367 |
| फ्रांस | 201 | 125 | 131 | 122 | 1000 | 929 |
| जर्मनी | 622 | 575 | 410 | 374 | 1987 | 2086 |
| जिब्राल्टर | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ग्रीस | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| हॉलैंड | | 0 | | 0 | | 0 |
| हंगरी | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 |
| आइस लैंड | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| इटली | 6 | 5 | 90 | 71 | 521 | 569 |
| लातविया | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| लिक्टन्स्टान | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 |
| लग्जमबर्ग | 1 | 7 | 12 | 24 | 120 | 118 |
| माल्टा | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| मोनाको | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| नीदरलैंड्स | 143 | 181 | 28 | 26 | 780 | 744 |
| नार्वे | 1 | 5 | 0 | 0 | 85 | 93 |
| पोलैंड | 2 | 1 | 3 | 1 | 49 | 38 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पुर्तगाल | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | 13 |
| रोमानिया | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| रूस | 1 | 1 | 13 | 12 | 72 | 90 |
| सैन मैरिनो | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| स्लोवाकिया | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| स्लोवेनिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| स्पेन | 1 | 4 | 23 | 36 | 205 | 188 |
| स्वीडन | 53 | 34 | 18 | 15 | 551 | 835 |
| स्विट्जरलैंड | 171 | 158 | 134 | 124 | 996 | 1285 |
| तुर्कीए | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 | 37 |
| यूक्रेन | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| अन्य यूरोपीय देश और यूरोपीय संघ | 5 | 0 | 11 | 1 | 17 | 16 |
| **कुल** | **1946** | **1464** | **1342** | **900** | **8261** | **8367** |

परिशिष्ट–ख1 जारी

**अफ्रीका**

| राष्ट्रमंडल देश | साधारण आवेदन | | कन्वेंशन आवेदन | | राष्ट्रीय फेज आवेदन | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024–25 | 2023–24 | 2024–25 | 2023–24 | 2024–25 | 2023–24 |
| इजिप्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| कीनिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मॉरिशस | 13 | 21 | 2 | 2 | 17 | 9 |
| मोरक्को | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| नामीबिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दक्षिण अफ्रीका | 1 | 4 | 2 | 1 | 33 | 25 |
| सेशल्स | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| स्वाजीलैंड | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ज़ाम्बिया | 1 | | 0 | | 0 | |
| अन्य अफ्रीकी देश | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| **कुल** | **18** | **37** | **10** | **4** | **60** | **49** |

## एशिया

| राष्ट्रमंडल देश | साधारण आवेदन | | कन्वेंशन आवेदन | | राष्ट्रीय फेज आवेदन | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024–25 | 2023–24 | 2024–25 | 2023–24 | 2024–25 | 2023–24 |
| बहरीन | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| चीन | 29 | 32 | 566 | 290 | 3685 | 3490 |
| चाइनीज़ ताइपे | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| हाँग–काँग(चीन) | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | 9 |
| इंडोनेशिया | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ईरान | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| इजराइल | 52 | 26 | 15 | 9 | 351 | 347 |
| जापान | 232 | 139 | 1074 | 828 | 4109 | 3797 |
| जॉर्डन | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| कजाखिस्तान | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| कुवैत | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मलेशिया | 10 | 2 | 5 | 4 | 20 | 20 |
| नेपाल | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ओमान | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| पाकिस्तान | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| फिलीपींस | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| कोरिया गणराज्य | 976 | 921 | 356 | 286 | 2466 | 2268 |
| सउदी अरब | 32 | 23 | 0 | 0 | 32 | 13 |
| सिंगापुर | 134 | 214 | 15 | 14 | 224 | 225 |
| ताइवान | 127 | 70 | 195 | 220 | 18 | 29 |
| थाइलैंड | 4 | 1 | 2 | 2 | 17 | 19 |
| यू.ए.ई | 52 | 35 | 0 | 0 | 24 | 23 |
| उज्बेकिस्तान | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वियतनाम | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| अन्य एशियाई देश | 11 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| **कुल** | **1697** | **1510** | **2234** | **1663** | **10985** | **10261** |
| **कुल योग** | **73808** | **56473** | **4627** | **3508** | **31940** | **32187** |

## पिछले 10 वर्षों में प्रवासी और भारत में रहने वाले द्वारा विभिन्न माध्यमों से दाखिल आवेदन

| आवेदक | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 | 2020–21 | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भारत में रहने वाले | 13066 | 13219 | 15550 | 17005 | 20843 | 24326 | 29508 | 43301 | 51574 | 68201 |
| प्रवासी | | | | | | | | | | |
| साधारण | 1915 | 2084 | 2290 | 2777 | 3156 | 3565 | 3955 | 4327 | 5232 | 5986 |
| कन्वेंशन | 3675 | 3649 | 3610 | 3911 | 3637 | 3382 | 3212 | 3258 | 3360 | 4402 |
| पीसीटी के तहत राष्ट्रीय फेज आवेदन | 28248 | 26492 | 26404 | 26966 | 28832 | 27230 | 29765 | 31925 | 32002 | 31786 |
| कुल योग | 46904 | 45444 | 47854 | 50659 | 56468 | 58503 | 66440 | 82811 | 92168 | 110375 |

## वर्ष 2015–16 से 2024–25 तक की अवधि के दौरान पेटेंट संबंधी विविध सूचना

| वर्ष | दाखिल आवेदनों की संख्या | परीक्षण हेतु अनुरोधों की नहीं संख्या | पूर्ण विनिर्देश दाखिल करने के कारण परित्यक्त मान लिए गए आवेदनों की संख्या धारा 9 (1) | धारा 21 (1) के तहत अननुपालन के कारण परित्यक्त समझे गए आवेदनों की कुल संख्या | अनुदत्त पेटेंट की संख्या | | प्रवृत्त पेटेंट की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | भारतीय पेटेंटी | विदेशी पेटेंटी | भारतीय पेटेंटी | विदेशी पेटेंटी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2015–16 | 46904 | 35960 | 1226 | 12782 | 918 | 5408 | 7306 | 37218 |
| 2016–17 | 45444 | 38578 | 4357 | 10408 | 1315 | 8532 | 7660 | 41105 |
| 2017–18 | 47854 | 37208 | 184 | 24992 | 1937 | 11108 | 8830 | 47934 |
| 2018–19 | 50659 | 38665 | 3779 | 30458 | 2511 | 12772 | 9787 | 54899 |
| 2019–20 | 56267 | 42007 | 3761 | 23291 | 4003 | 20933 | 12181 | 69098 |
| 2020–21 | 58503 | 42196 | 295 | 17944 | 5629 | 22756 | 15687 | 83211 |
| 2021–22 | 66440 | 46230 | 0 | 1 | 6397 | 23676 | 19700 | 96216 |
| 2022–23 | 82811 | 48373 | 0 | 19303 | 9239 | 24895 | 26165 | 111168 |
| 2023–24 | 92168 | 56905 | 4393 | 4305 | 25082 | 77975 | 47335 | 175910 |
| 2024–25 | 110375 | 90971 | 755 | 0 | 10682 | 22822 | 50848 | 179632 |

परिशिष्ट–ङ

## आविष्कार के प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत 2020–21 से 2024–25 तक दाखिल पेटेंट आवेदनों की संख्या

| आविष्कार का क्षेत्र / वर्ष | रसायन | औषध | पॉलीमर व विज्ञान प्रौद्योगिकी | कंप्यूटर विज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्स | संचार | वैद्युतिक | भौतिकी | जैव चिकित्सा | यांत्रिकी अभियंत्रणा | अन्य क्षेत्र (परिशिष्ट–ङ1 देखें) | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020–21 | 8809 | 80 | 1508 | 11930 | 6660 | 3743 | 2842 | 4911 | 10540 | 7480 | 58503 |
| 2021–22 | 5173 | 5179 | 858 | 15575 | 7314 | 4286 | 3007 | 5288 | 11969 | 7791 | 66440 |
| 2022–23 | 11715′ | 0 | 1739 | 20355 | 8373 | 5666 | 3901 | 6963 | 14582 | 9517 | 82811 |
| 2023–24 | 13093′ | 0 | 1990 | 25826 | 7864 | 6596 | 4305 | 7376 | 14811 | 10307 | 92168 |
| **2024–25** | **14957** | **0** | **2636** | **29494** | **10120** | **7213** | **4651** | **10316** | **18874** | **12114** | **110375** |

* रासायनिक आवेदनों में फार्मास्युटिकल आवेदन शामिल हैं

परिशिष्ट–ङ 1

## आविष्कार के अन्य विविध क्षेत्रों के अंतर्गत 2020–21 से 2024–25 तक दाखिल पेटेंट आवेदनों की संख्या

| आविष्कार का क्षेत्र / वर्ष | जैव–प्रौद्योगिकी | जैव–रसायन | खाद्य | माइक्रो–बायोलॉजी | धातुकर्म व सामग्री | वस्त्र | सिविल | सामान्य अभियंत्रणा | एग्रो–केमिकल्स | कृषि विज्ञान अभियंत्रणा | पारंपरिक ज्ञान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020–21 | 3368 | 820 | 617 | 0 | 870 | 900 | 827 | 31 | 3 | 11 | 6 0 |
| 2021–22 | 3530 | 906 | 690 | 1 | 1004 | 793 | 866 | 0 | 1 | 0 | 0 0 |
| 2022–23 | 3758 | 1697 | 833 | 0 | 1053 | 884 | 1292 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 2023–24 | 3883 | 1787 | 854 | 0 | 1161 | 807 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 0 572 |
| **2024–25** | **4263** | **2149** | **1217** | **0** | **1558** | **1116** | **1489** | **0** | **0** | **0** | **0 322** |

**परिशिष्ट–च**

आविष्कार के प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक अनुदानित पेटेंट की संख्या

| आविष्कार का क्षेत्र / वर्ष | रसायन | औषध | पॉलीमर व विज्ञान प्रौद्योगिकी | कंप्यूटर विज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्स | संचार | वैद्युतिक | भौतिकी | जैव चिकित्सा | यांत्रिकी अभियंत्रणा | अन्य क्षेत्र (परिशिष्ट–च1 देखें) | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020–21 | 6074 | 1264 | 1745 | 2049 | 2857 | 2637 | 1396 | 703 | 6348 | 3312 | 28385 |
| 2021–22 | 4279 | 3317 | 893 | 2459 | 3238 | 3084 | 1609 | 982 | 6832 | 3380 | 30073 |
| 2022–23 | 6958* | 0 | 1237 | 3718 | 3795 | 3489 | 1971 | 1165 | 8663 | 3138 | 34134 |
| 2023–24 | 9860* | 0 | 1981 | 18697 | 9913 | 8920 | 6171 | 5697 | 31249 | 10569 | 103057 |
| **2024–25** | **3563*** | **0** | **791** | **10058** | **6723** | **2606** | **1427** | **2701** | **3426** | **2211** | **33504** |

* रासायनिक आवेदनों में फार्मास्युटिकल आवेदन शामिल हैं

**परिशिष्ट–च 1**

**आविष्कार के अन्य विविध क्षेत्रों के अंतर्गत 2017–18 से 2021–22 तक अनुदानित पेटेंट की संख्या**

| आविष्कार का क्षेत्र / वर्ष | जैव–प्रौद्योगिकी | जैव–रसायन | खाद्य | माइक्रो–बायोलॉजी | धातुकर्म व सामग्री | वस्त्र | सिविल | सामान्य अभियंत्रणा | एग्रो–केमिकल्स | कृषि विज्ञान अभियंत्रणा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020–21 | 574 | 236 | 169 | 151 | 634 | 443 | 412 | 378 | 236 | 79 |
| 2021–22 | 611 | 232 | 234 | 140 | 571 | 430 | 464 | 420 | 170 | 108 |
| 2022–23 | 903 | 244 | 293 | 0 | 698 | 498 | 502 | 0 | 0 | 0 |
| 2023–24 | 2379 | 745 | 378 | 0 | 2982 | 2024 | 2061 | 0 | 0 | 0 |
| **2024–25** | **678** | **286** | **90** | **0** | **766** | **248** | **141** | **0** | **0** | **0** |

# अध्याय–IV

## पेटेंट सहयोग संधि

### परिचय

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रशासित पेटेंट सहयोग संधि सदस्य देशों के आवेदकों को 158 देशों में पेटेंट अनुदान हेतु एकल अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रणाली कई लाभ प्रदान करती है जिसमें प्रत्येक देश में राष्ट्रीय चरण में प्रवेश करने से पूर्व अंतरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट (आईएसआर) और वैकल्पिक रूप से अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण रिपोर्ट (आईपीईआर) प्रदान करना शामिल है। ये रिपोर्ट उच्च अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार विश्व के पेटेंट कार्यालयों में से एक कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसे विशेष रूप से वायपो द्वारा अंतरराष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण के लिए नियुक्त किया गया है। भारतीय पेटेंट कार्यालय पीसीटी के तहत अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) और अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण (आईपीईए) दोनों के रूप में कार्य करता है।

### 1. पीसीटी के तहत प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालयः

प्रवासी या भारत का नागरिक पीसीटी के तहत भारतीय पेटेंट कार्यालय के माध्यम से प्राप्तकर्ता कार्यालय (आरओ/आईएन) अथवा वायपो के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो के माध्यम से प्राप्तकर्ता कार्यालय (आरओ/आईबी) के रूप में अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल कर सकता है।

**चित्रः आरओ/आईएन और आरओ/आईबी के माध्यम से भारत के नागरिकों / प्रवासियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने की प्रवृत्तिः**

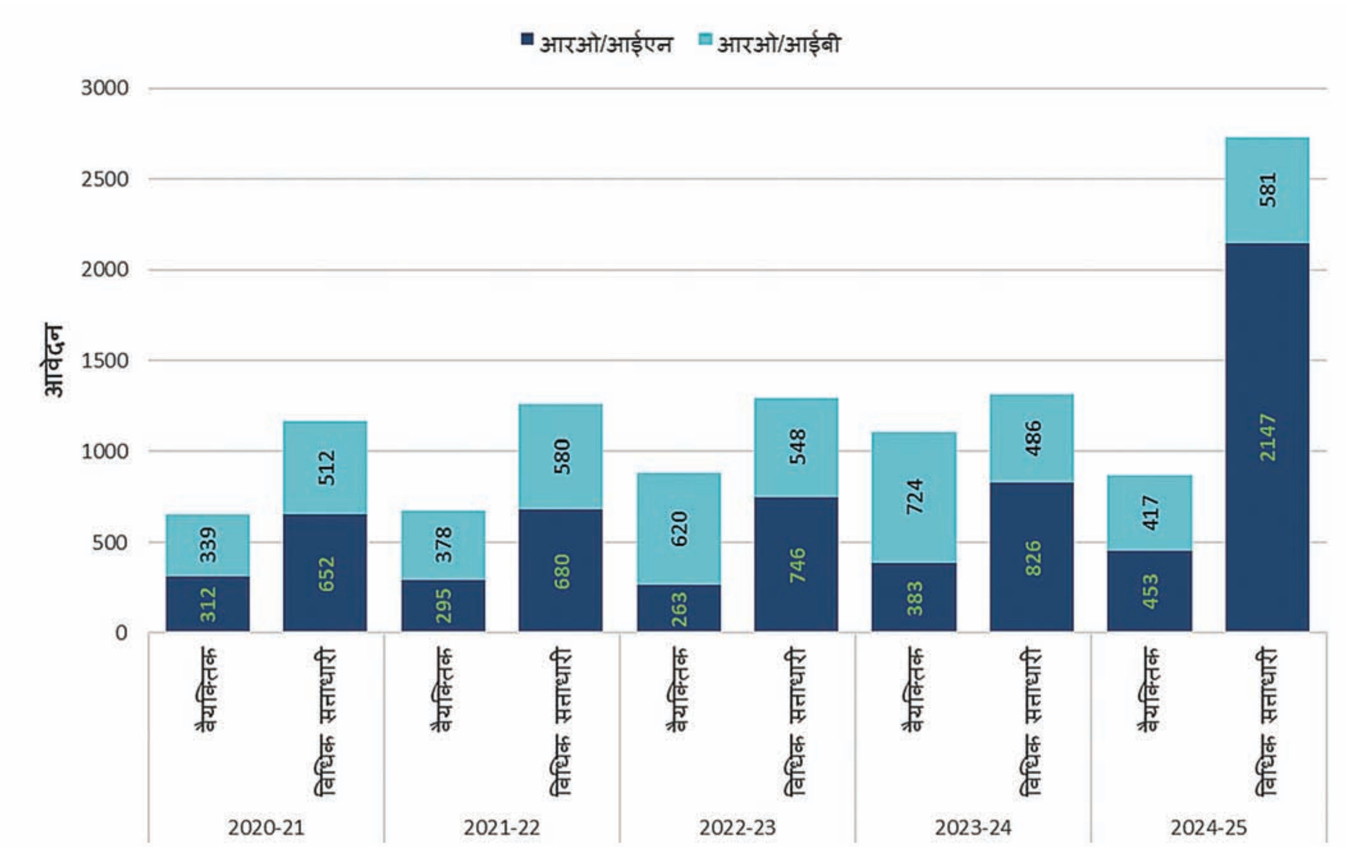

सारणी: आरओ/आईएन और आरओ/आईबी के माध्यम से भारत के नागरिकों / प्रवासियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने की प्रवृत्ति:

| वर्ष | आरओ/आईएन आवेदक का प्रकार | | कुल | आरओ/आईबी आवेदक का प्रकार | | कुल | कुल योग (आरओ/आईएन व आरओ/आईबी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वैयक्तिक | विधिक सत्ताधारी | | वैयक्तिक | विधिक सत्ताधारी | | |
| 2020–21 | 312 | 652 | 964 | 339 | 512 | 851 | 1815 |
| 2021–22 | 295 | 680 | 975 | 378 | 580 | 958 | 1933 |
| 2022–23 | 263 | 746 | 1009 | 620 | 548 | 1168 | 2177 |
| 2023–24 | 383 | 826 | 1209 | 724 | 486 | 1210 | 2419 |
| 2024–25 | 453 | 2147 | 2600 | 417 | 581 | 998 | 3598 |

## 1.2 ईपीसीटी के माध्यम से दाखिल आवेदन:

आरओ/आईएन दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में पेटेंट कार्यालयों के काउंटरों पर कागज पर या वायपो द्वारा प्रस्तावित ईपीसीटी फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने की सुविधा प्रदान करता है। आरओ/आईबी के माध्यम से फाइलिंग कागज पर या ईपीसीटी का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी की जा सकती है।

**चित्र : इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईपीसीटी के माध्यम से आरओ/आईएन में दाखिल अंतरराष्ट्रीय आवेदन:**

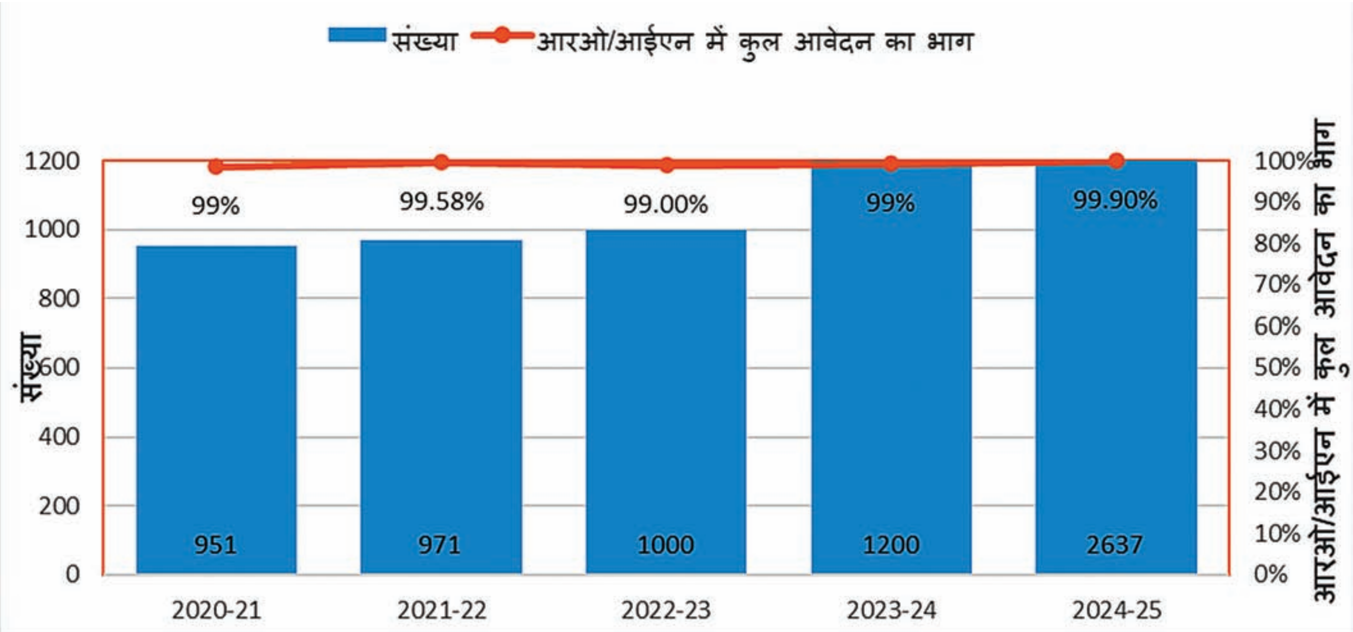


सारणी: इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईपीसीटी के माध्यम से आरओ/आईएन में दाखिल अंतरराष्ट्रीय आवेदन:

| वर्ष | संख्या | आरओ/आईएन में कुल दाखिल का प्रतिशत |
|---|---|---|
| 2020–21 | 951 | 98.6% |
| 2021–22 | 971 | 99.58% |
| 2022–23 | 1000 | 99% |
| 2023–24 | 1200 | 99.26% |
| 2024–25 | 2637 | 99.9% |

## 1.3 इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही व समयबद्धता:

आरओ/आईएन अंतरराष्ट्रीय आवेदनों पर आगे की कार्यवाही के लिए ईपीसीटी का उपयोग करता है और ईपीसीटी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड प्रतियां और खोज प्रतियां प्रेषित करता है। अप्रैल 2017 से इन कार्यों को आईपीओ दिल्ली में केंद्रीकृत किया गया है। ईसर्च प्रतियां आरओ/आईएन द्वारा 8 में से 7 आईएसए को प्रेषित की जाती हैं जिन्हें भारतीय आवेदकों के लिए सक्षम घोषित किया गया है। आरओ/आईएन में दाखिल अंतरराष्ट्रीय आवेदनों की रिकॉर्ड प्रतियां निर्धारित समय सीमा के भीतर वायपो के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में भेजी गई हैं।

**चित्र: 2024–25 में भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल 10 शीर्ष पीसीटी आवेदन (आरओ/आईएन)**

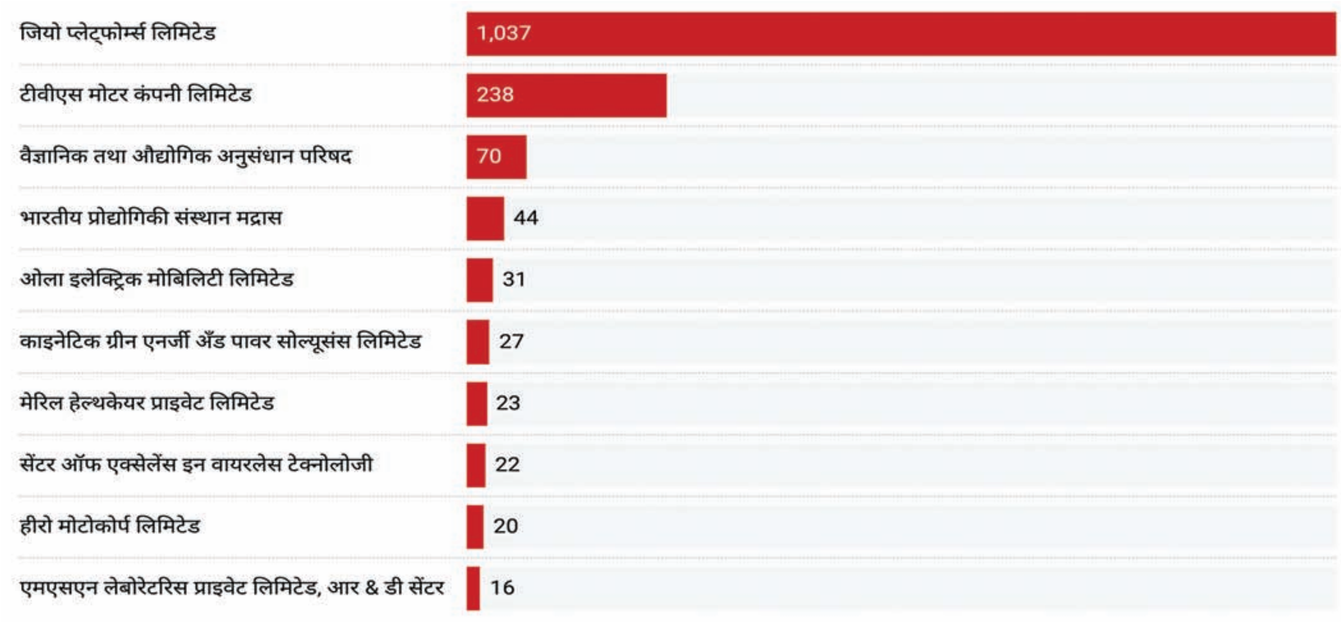


**सारणी : 2024–25 में भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल 10 शीर्ष पीसीटी आवेदन (आरओ/आईएन)**

| क्र. सं. | आवेदक का नाम | कुल फाइलिंग |
|---|---|---|
| 1 | जियो प्लेट्फोर्म्स लिमिटेड | 1037 |
| 2 | टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड | 238 |
| 3 | वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद | 70 |
| 4 | भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान मद्रास | 44 |
| 5 | ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड | 31 |
| 6 | काइनेटिक ग्रीन एनर्जी अँड पावर सोल्यूसंस लिमिटेड | 27 |
| 7 | मेरिल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड | 23 |
| 8 | सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन वायरलेस टेक्नोलोजी | 22 |
| 9 | हीरो मोटोकोर्प लिमिटेड | 20 |
| 10 | एमएसएन लेबोरेटरिस प्राइवेट लिमिटेड, आर – डी सेंटर | 16 |

2. पीसीटी के तहत अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) व अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण (आईपीईए) के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालयः

भारतीय पेटेंट कार्यालय को वायपो द्वारा पीसीटी के तहत अंतरराष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण के रूप में कार्य करने हेतु मान्यता प्रदान की गई है और इसने 15 अक्टूबर 2013 से कार्य करना प्रारंभ किया है। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, भारत, ईरान और जापान के नागरिकों/निवासियों द्वारा दाखिल अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के लिए आईपीओ सक्षम आईएसए/आईपीईए था।

**सारणीः वर्ष के दौरान आईएसए /आईएन में खोज प्रतियों (दाखिल, निष्पादित, आहरित एवं लंबित) संबंधी वर्ष–वार विवरण**

| वर्ष | दाखिल | निष्पादित | आहरित | वर्ष के दौरान लंबित |
|---|---|---|---|---|
| 2016–17 | 940 | 983 | 0 | 175 |
| 2017–18 | 1213 | 1156 | 1 | 231 |
| 2018–19 | 1738 | 1639 | 3 | 327 |
| 2019–20 | 1654 | 1640 | 2 | 339 |
| 2020–21 | 1780 | 1793 | 1 | 325 |
| 2021–22 | 2016 | 1959 | 1 | 381 |
| 2022–23 | 1933 | 1973 | 7 | 334 |
| 2023–24 | 2077 | 1987 | 0 | 272 |
| **2024–25** | **3303** | **3184** | **14** | **1** |

**सारणीः वर्ष के दौरान आईपीईए/आईएन में प्राप्त मांगों (दाखिल, निष्पादित, आहरित एवं लंबित) संबंधी वर्ष–वार विवरण**

| वर्ष | दाखिल | निष्पादित | आहरित | वर्ष के दौरान लंबित |
|---|---|---|---|---|
| 2016–17 | 30 | 28 | 1 | 20 |
| 2017–18 | 49 | 29 | 0 | 40 |
| 2018–19 | 61 | 54 | 1 | 46 |
| 2019–20 | 65 | 87 | 1 | 23 |
| 2020–21 | 79 | 69 | 5 | 28 |
| 2021–22 | 58 | 58 | 4 | 24 |
| 2022–23 | 58 | 56 | 4 | 22 |
| 2023–24 | 66 | 57 | 2 | 34 |
| **2024–25** | **111** | **59** | **4** | **42** |

### ग) आईएसए/आईपीईए में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालीः

भारतीय पेटेंट कार्यालय (आईपीओ) ने पीसीटी के तहत अंतरराष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार आईएसए/आईपीईए के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की है। आईएसए/आईपीईए का गुणवत्ता सेल में विभिन्न

विषय के विशेषज्ञ परीक्षक व नियंत्रक शामिल होते हैं, रिपोर्ट की स्थापना व आवेदक तथा वायपो को इसकी रिपोर्ट प्रेषित करने से पूर्व, रिपोर्ट की गुणवत्ता की जाँच करते हैं।

### घ) समयबद्धता:

यदि आवेदकों द्वारा ईमेल उपलब्ध कराया गया है तो आईपीओ ईमेल द्वारा अंतरराष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण रिपोर्ट प्रेषित करता है और वायपो के साथ स्थापित सुरक्षित ट्रांसमिशन चैनल पीसीटी के ई–आईडी माध्यम से वायपो को रिपोर्ट प्रसारित करता है। आवेदकों को रिपोर्ट की सूचना इसकी स्थापना की तारीख पर तुरंत ही प्रेषित की जाती है। सभी रिपोर्ट आईएसए में विहित समय के भीतर ही स्थापित की जाती है।

### ङ) खोज रणनीतियों का प्रकाशन:

आईपीओ ने विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के पेटेंट्सस्कोप सर्च पोर्टल पर प्रकाशन हेतु उन अंतरराष्ट्रीय आवेदनों की खोज रणनीतियों को साझा करना प्रारंभ किया है जिनके लिए 1 जनवरी, 2018 से रिपोर्ट स्थापित की गई है। भारत इस सेवा को प्रारंभ करने वाले 23 प्राधिकरणों में से सातवां अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरण है। पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में यह आईपीओ द्वारा महत्वपूर्ण कदम है जो आईपीओ द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रति आवेदकों में विश्वास भरता है। पूर्ण खोज रणनीतियाँ आवेदक के साथ–साथ अन्य कार्यालयों के परीक्षकों के लिए भी उपयोगी हैं ताकि उद्धरणों को खोजने के लिए आईएसए के परीक्षक द्वारा किए गए प्रयास के स्तर का मूल्यांकन किया जा सके।

### च) आईपीओ को आईएसए /आईपीईए के रूप में चयन करने वाले आवेदक:

पीसीटी अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के आवेदक जो भारत, ईरान और जापान के नागरिक/प्रवासी हैं, भारतीय पेटेंट कार्यालय को आईएसए/आईपीईए के रूप में चुन सकते हैं। आईएसए/आईपीईए के रूप में आईपीओ का चयन करने वाले आवेदकों में वैयक्तिक आविष्कारक, स्टार्ट अप, प्रमुख अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय, भारतीय बहु–राष्ट्रीय समूह, विदेशी बहु–राष्ट्रीय फर्मों की भारतीय इकाइयाँ और भारतीय आविष्कारक या भारतीय कंपनियों के साथ सह आवेदक के रूप में विदेशी कंपनियाँ शामिल हैं।

**चित्र : 2024–25 के दौरान आईएसए के रूप में आईपीओ का चयन करने वाले शीर्ष आवेदक**

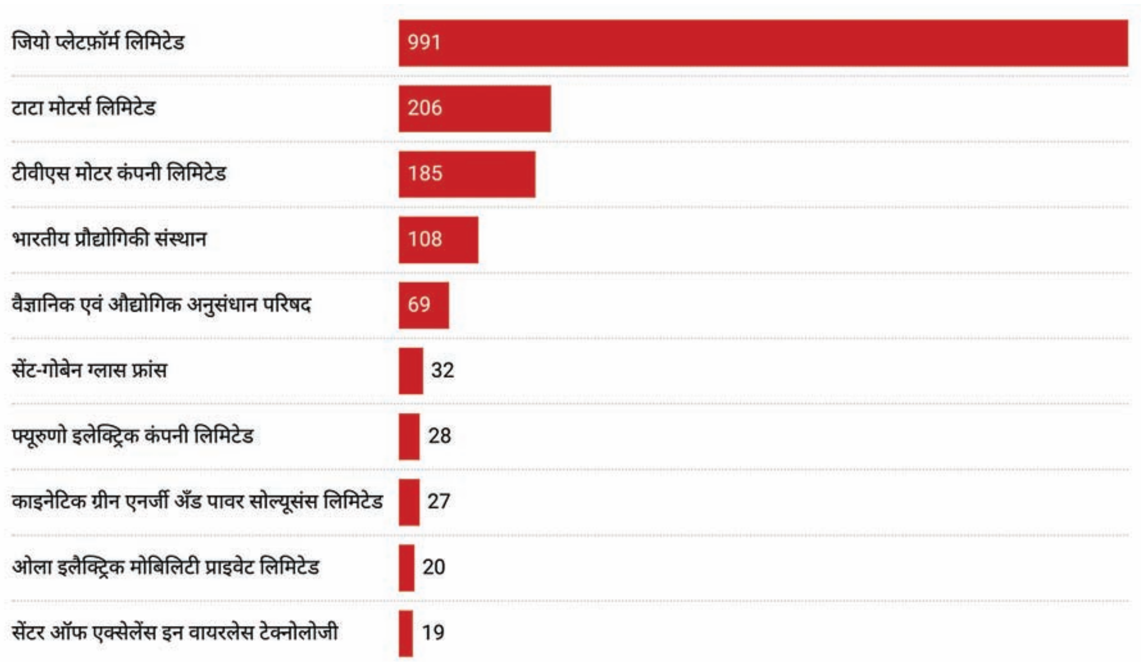

**सारणीः 2024–25 के दौरान आईएसए के रूप में आईपीओ का चयन करने वाले शीर्ष आवेदक**

| क्र. सं. | आवेदक का नाम | कुल आवेदन |
|---|---|---|
| 1 | जियो प्लेटफ़ॉर्म लिमिटेड | 991 |
| 2 | टाटा मोटर्स लिमिटेड | 206 |
| 3 | टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड | 185 |
| 4 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान | 108 |
| 5 | वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद | 69 |
| 6 | सेंट–गोबेन ग्लास फ्रांस | 32 |
| 7 | फ्यूरुणो इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड | 28 |
| 8 | काइनेटिक ग्रीन एनर्जी अँड पावर सोल्यूसंस लिमिटेड | 27 |
| 9 | ओला इलैक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड | 20 |
| 10 | सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन वायरलेस टेक्नोलोजी | 19 |

# डिजाइन

## परिचय :

भारत में औद्योगिक डिजाइन का पंजीकरण और संरक्षण डिजाइन अधिनियम 2000 तथा तत्संबंधी डिजाइन नियम 2001 द्वारा प्रशासित होता है जो 1911 के अधिनियम को निरस्त करते हुए 11 मई 2001 से लागू हुआ। डिजाइन नियम 2001 को डिजाइन (संशोधन) नियम 2008, डिजाइन (संशोधन) नियम 2014 तथा डिजाइन (संशोधन) नियम 2021 द्वारा संशोधित किया गया। औद्योगिक डिजाइन नए आकार की नई मूल विशेषताओं के निर्माण, आकृति, सतह विन्यास, सतह अलंकरण, किसी वस्तु पर पंक्तियों अथवा रंगों की संरचना जो निर्मित होने के उपरांत केवल आँखों से परखी जा सके, उसे मान्यता प्रदान करता है।

डिजाइन नियमों में नवीनतम संशोधन 25 जनवरी, 2021 से लागू हुआ, जिसमें 'स्टार्टअप' के रुप में मान्यता प्राप्त एक नई श्रेणी सम्मिलित की गई है, जो भारतीय कंपनी के मामले में स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त हो एवं विदेशी आवेदक के मामले में, आवेदक को स्टार्टअप इंडिया पहल के अनुसार टर्नोवर और निगमन या पंजीकरण की अवधि के मानदंडों को पूरा करने के साथ–साथ इस आशय का घोषणा भी प्रस्तुत करनी होगी। यह नवीनतम श्रेणी 'प्रकृत व्यक्ति' (व्यक्तियों), लघु इकाई (इकाईयों) एवं 'अन्य, अकेले या प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) और / या स्टार्टअप और या लघु इकाई (इकाईयों)' के साथ पहले से मौजूद श्रेणियों के अतिरिक्त है। लघु इकाई (इकाईयों) या स्टार्टअप के लिए शुल्क को भी संशोधित कर प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के शुल्क के समान कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, नियम 10 के उपनियम (1) को भी प्रतिस्थापित किया गया है तथा डिजाइन के पंजीकरण और नियमों के प्रयोजन के लिए वस्तुओं को "विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वायपो) द्वारा प्रकाशित औद्योगिक डिजाइन हेतु अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणाली (लोकार्नो प्रणाली) के 'वर्तमान संस्करण' के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा।

## 1. दाखिल एवं पंजीकृत डिजाइन आवेदन

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, डिजाइन पंजीकरण हेतु दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या **43005** रही एवं **30349** डिजाइन पंजीकृत किए गए। डिजाइन आवेदन दाखिल करने एवं उनके पंजीकरण की प्रवृत्ति नीचे प्रदर्शित की गई है:

**चित्र: डिज़ाइन आवेदन दाखिल करने और उसके पंजीकरण की प्रवृत्ति**

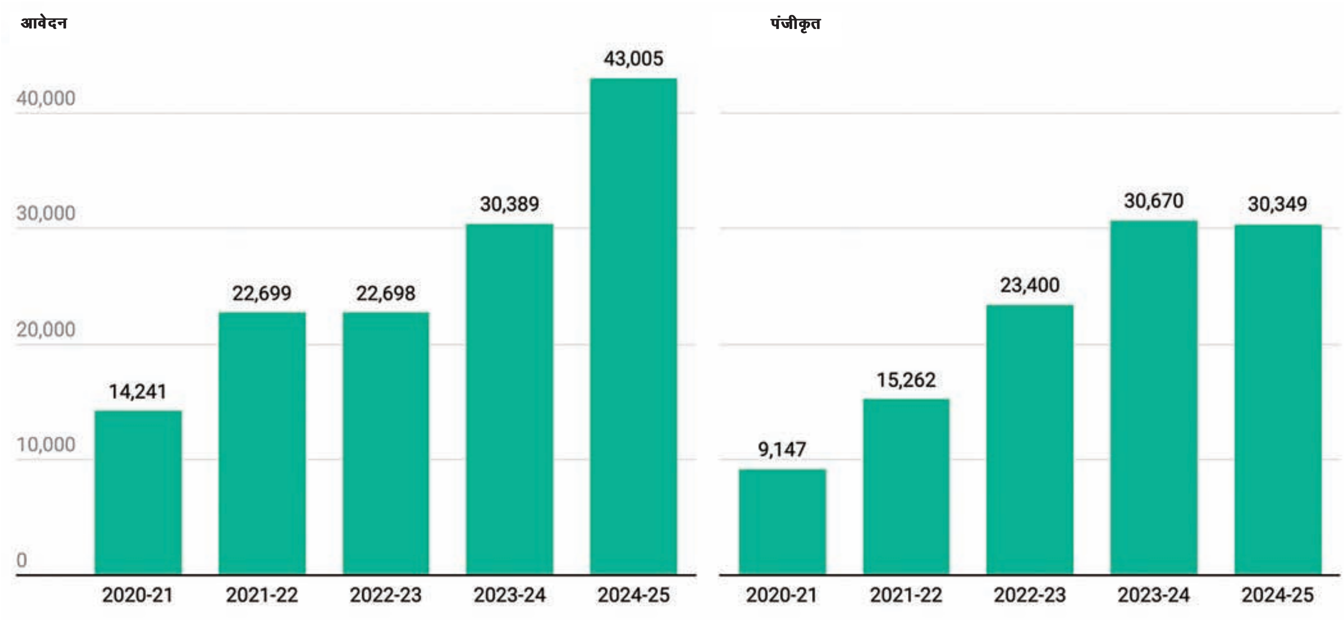

## 1.1 भारत एवं विदेशों से उद्‌गमित आवेदन:

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान भारत से उद्‌गमित आवेदनों की संख्या **38808** थी जबकि **4197** डिजाइन आवेदन विदेशों से प्राप्त हुए। कुल दाखिल आवेदनों में से भारत से प्राप्त आवेदन 90% रहे। डिजाइन आवेदन दाखिल करने एवं आवेदन के उद्‌गम के आधार पर इसके पंजीकरण की प्रवृत्ति को ग्राफ द्वारा नीचे दर्शाया गया है।

**चित्र: उद्‌गम के अनुसार दाखिल डिज़ाइन आवेदन**

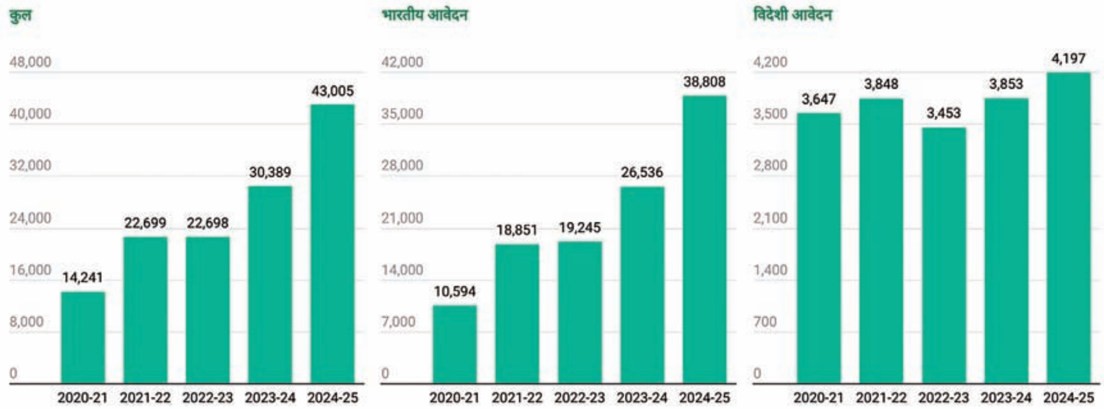


## 1.2 भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन –

वर्ष के दौरान भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की कुल संख्या **38808** रही, जिनमें से **8914** आवेदनों के साथ महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा। **5024** आवेदनों के साथ तमिलनाडु ने दूसरा स्थान प्राप्त किया जबकि **3540** आवेदनों के साथ दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दाखिल आवेदन की ग्राफिक प्रस्तुति नीचे दर्शायी गई है।

**चित्र : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल डिज़ाइन आवेदन**

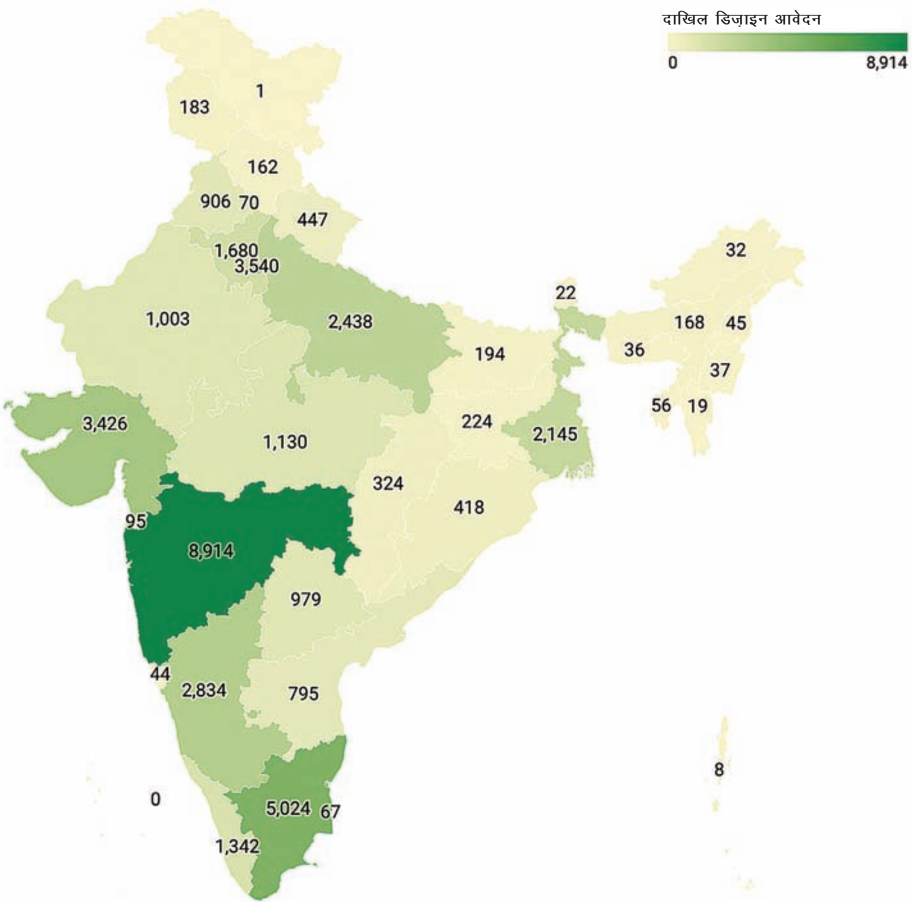

### शीर्ष पाँच भारतीय आवेदक

भारतीय आवेदक सब्यसाची कलकत्ता एलएलपी **(1482)**, यूफोरिक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड **(908)**, पृथ्वीश इनोवेशन एलएलपी **(505)** प्राभी एक्टस इनोवेशन (opc) प्राइवेट लिमिटेड **(298)**, मेसर्स कैंपस एक्टिवियर लिमिटेड **(267)** आदि अग्रणी रहे।

**चित्र : शीर्ष पाँच भारतीय आवेदक**

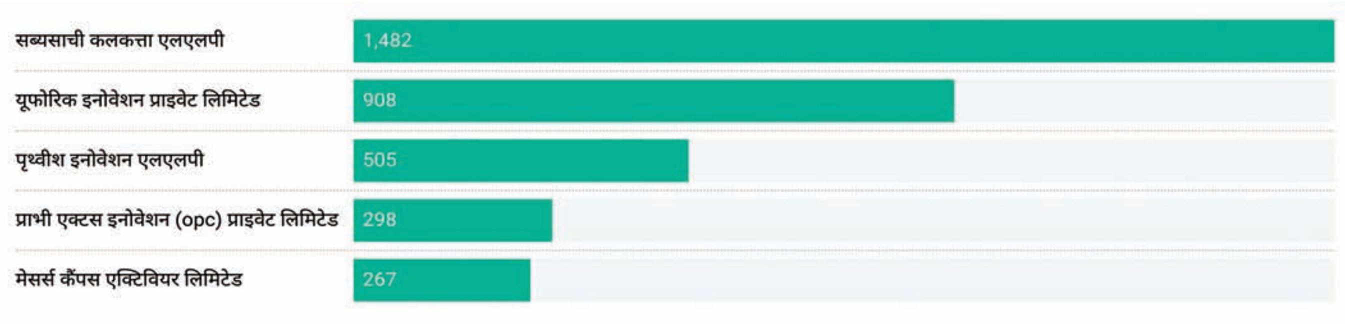


## 1.3 विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन:

विदेशों से उद्गमित **4197** आवेदनों के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका अधिकतम आवेदनों **(986)** के साथ अग्रणी रहा, जिसके बाद क्रमशः चीन **(328)**, कोरिया गणराज्य **(318)**, जर्मनी **(306)**, जापान **(300)**, स्विट्जरलैंड **(283)**, नीदरलैंड **(267)**, यूके **(264)**, इटली **(183)** और फ्रांस **(157)** का स्थान है। डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 44 के अंतर्गत पारस्परिक व्यवस्था के तहत **3360** आवेदनों ने प्रायिकता का दावा किया। शीर्ष 20 देशों / विदेशी उद्गम क्षेत्रों से प्राप्त हुए आवेदनों का ग्राफिक विवरण नीचे दर्शाया गया है:

**चित्र : विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल शीर्ष 20 देश/क्षेत्रवार आवेदन**

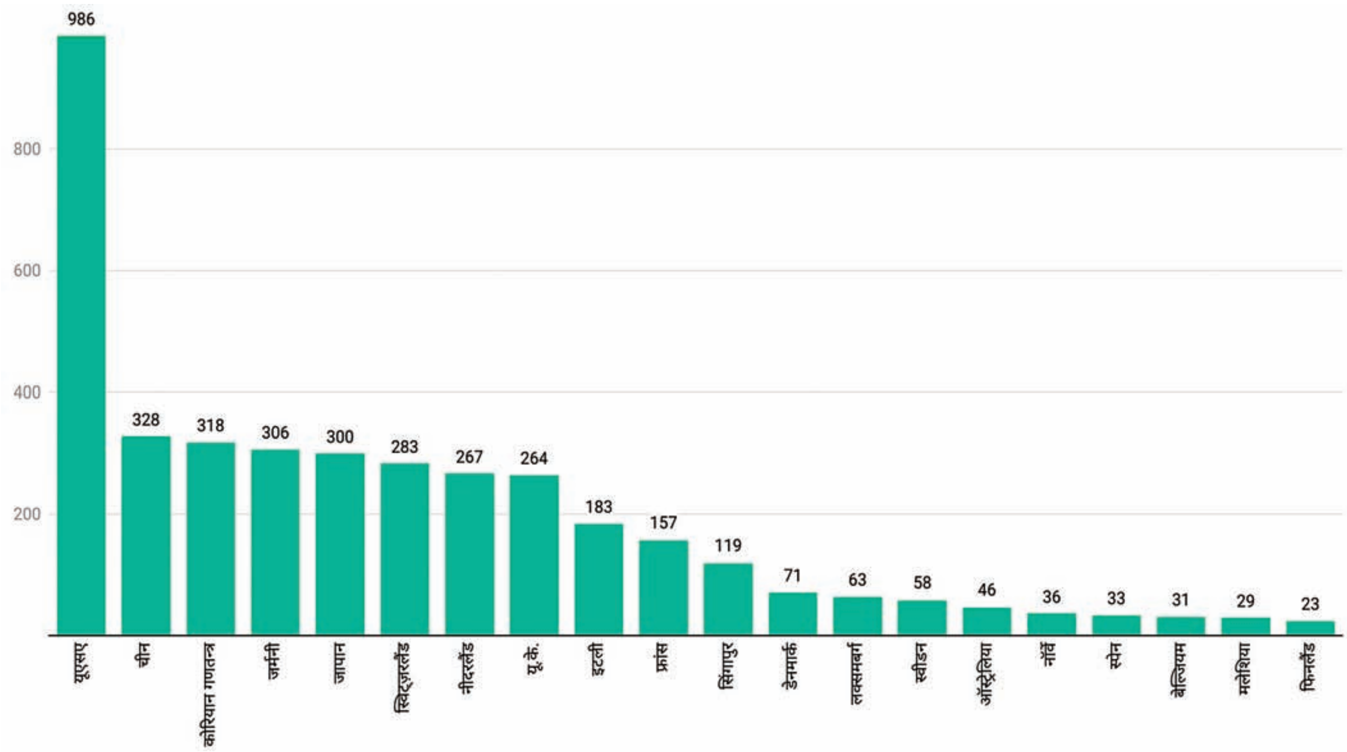

**शीर्ष पांच विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल किए गए आवेदन**

डिजाइन आवेदन दाखिल करने वाले अग्रणी विदेशी आवेदकों में कोनिनक्लिजके फिलिप्स एनवी **(160)**, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड **(156)**, टेट्रा लवल होल्डिंग्स – फ़िनान्स एसए **(66)**, युनिलीवर ग्लोबल आईपी लिमिटेड **(57)**, सन मोबिलिट पीओई लिमिटेड **(55)** आदि शामिल थे।

**चित्र : शीर्ष पाँच विदेशी आवेदक**

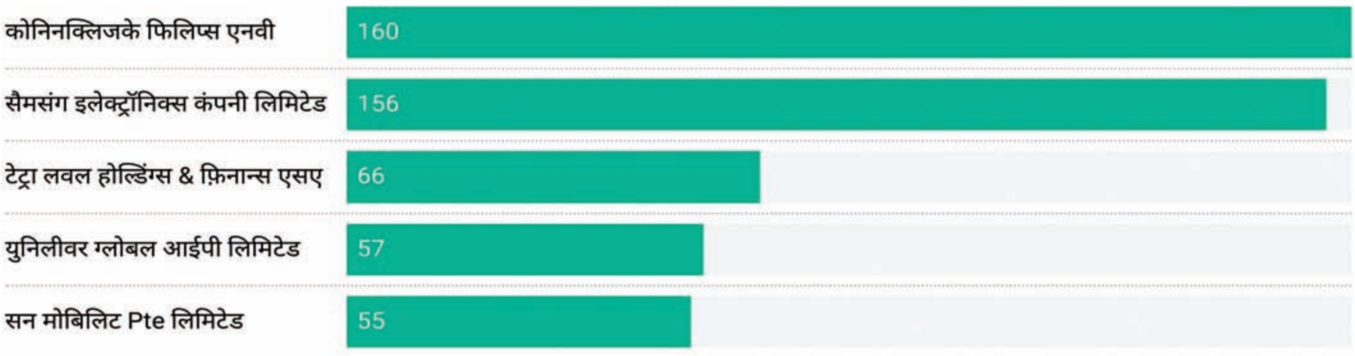


## 1.4 वर्गीकरण के अनुसार पंजीकृत डिजाइन आवेदन

भारत से उद्‌गमित आवेदनों में से 4839 आवेदन वर्ग 24 (चिकित्सा और प्रयोगशाला उपकरण) के अंतर्गत दाखिल किए गए जिसके बाद वर्ग 02 (वस्त्र वस्तु व बिसाती वस्तु) के अंतर्गत 3756, वर्ग 14 (रिकॉर्डिंग, संचार या संचार प्राप्ति उपकरण) के अंतर्गत 3414, वर्ग 15 (मशीनें) के अंतर्गत 3411, वर्ग 12 (यातायात या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत 2934, जिसके बाद वर्ग 10 (घड़ियां और घड़ियाँ और अन्य मापने वाले उपकरण, जाँच और सिग्नलिंग उपकरण) के अंतर्गत 2644, वर्ग 11 (सजावट की वस्तुएँ) के अंतर्गत 1953, वर्ग 23 (द्रव वितरण उपकरण आदि) के अंतर्गत 1899, आदि आवेदन दाखिल हुए। दूसरी तरफ, प्रतिवेदन वर्ष के दौरान विदेशों से उद्‌गमित आवेदनों की वर्गानुसार प्रवृत्ति के अनुसार वर्ग 14 (रिकॉर्डिंग, संचार या संचार प्राप्ति उपकरण) के अंतर्गत 459, वर्ग 24 (चिकित्सा और प्रयोगशाला उपकरण) के अंतर्गत 382, वर्ग 09 (माल के परिवहन या हैंडलिंग के लिए पैकेजिंग और कंटेनर) के अंतर्गत 366, वर्ग 23 (द्रव वितरण उपकरण आदि) के अंतर्गत 348, वर्ग 12 (यातायात या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत 309, तथा वर्ग 13 (विद्युत उत्पादन, वितरण या रूपांतरण हेतु उपकरण) के अंतर्गत 297 आवेदन दाखिल किए गए। शेष आवेदन अन्य वर्गों में दाखिल किए गए। भारतीय और विदेशी आवेदकों की ओर से दाखिल आवेदनों की वर्गानुसार प्रवृत्ति नीचे प्रदर्शित की गई है:

चित्र : वर्गानुसार दाखिल आवेदन

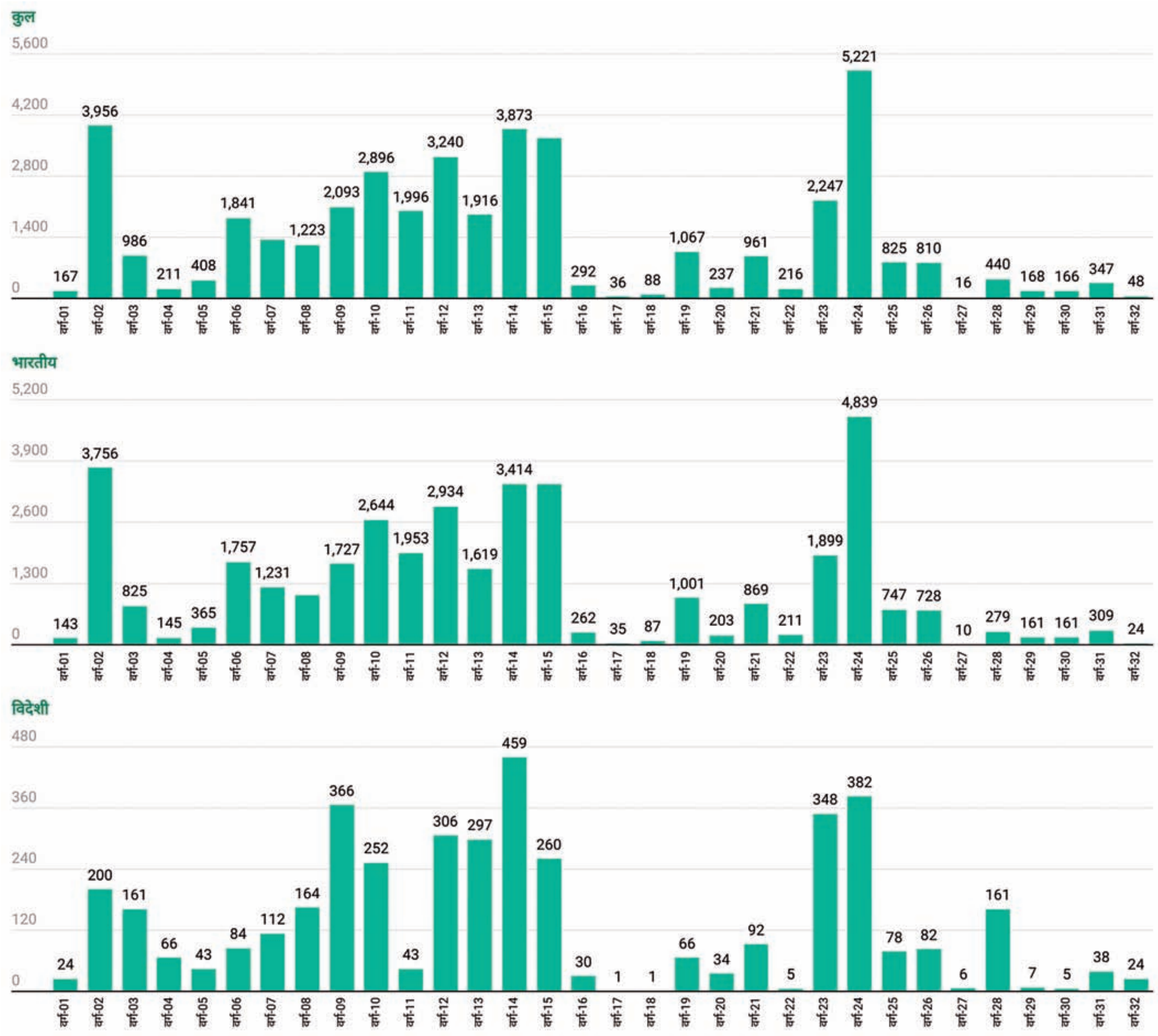


शीर्ष 5 भारतीय और विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल डिजाइन आवेदनों की ग्राफिक प्रस्तुति नीचे प्रदर्शित है:

चित्र : भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल वर्गानुसार डिजाइन आवेदन (शीर्ष 5 वर्ग)

चित्र : विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल वर्गानुसार डिजाइन आवेदन (शीर्ष 5 वर्ग)

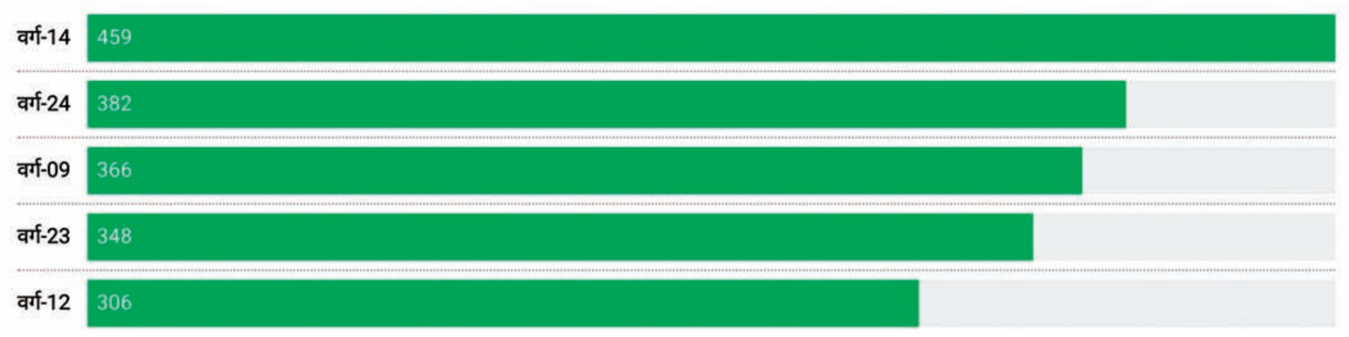


## 2. पंजीकृत डिजाइन आवेदन:

### 2.1. भारतीय और विदेशी उद्गम के डिजाइन पंजीकरण:

कुल पंजीकृत **30349** डिजाइन में से, **27299** पंजीकृत डिजाइन भारत से उद्गमित थे जबकि **3050** विदेशों से उद्गमित हुए। भारत व विदेशों से उद्गमित पंजीकरणों की प्रवृत्ति नीचे दर्शाई गयी है:

चित्र : डिजाइन पंजीकरण की प्रवृत्ति

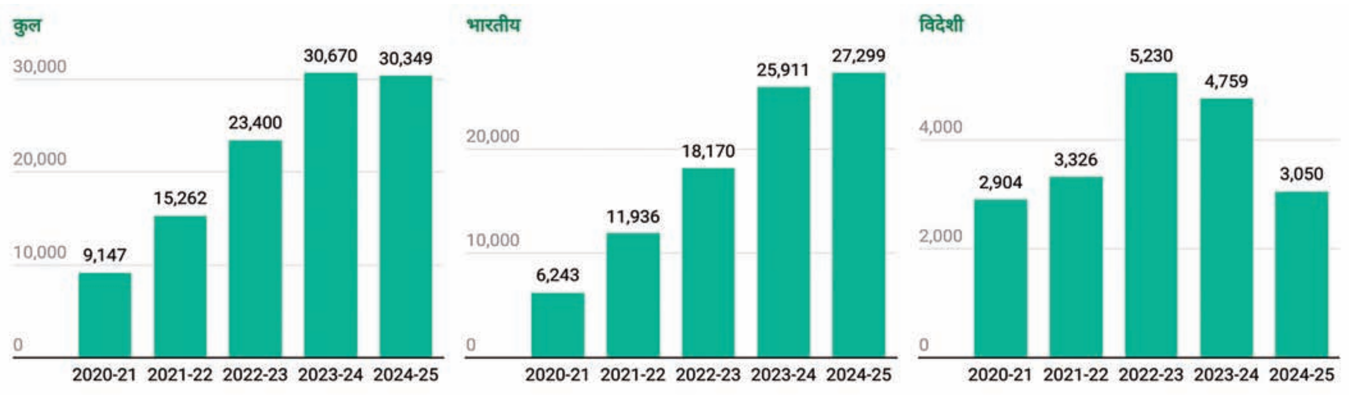


### 2.2. भारतीय उद्गम के डिजाइन पंजीकरण:

वर्ष के दौरान, भारतीय आवेदकों द्वारा पंजीकृत **27299** आवेदनों में से, **6268** पंजीकरण के साथ महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा। तमिलनाडु ने **3089** पंजीकरण के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया जबकि **2454** पंजीकरण के साथ दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से उद्गगमित आवेदनों का ग्राफिक वर्णन नीचे दर्शाया गया है।

चित्र : राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार पंजीकृत डिज़ाइन

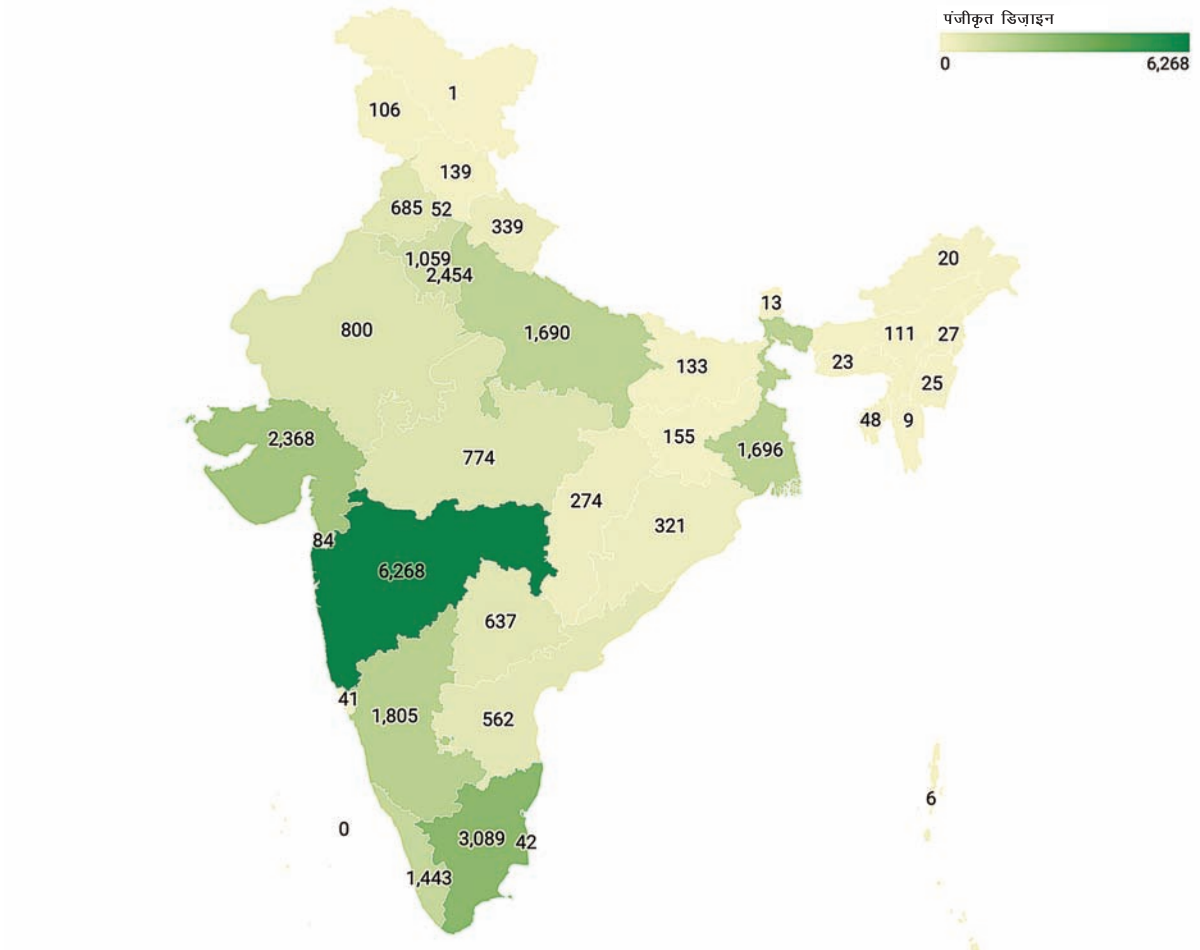


साथ ही, डिजाइन पंजीकरण वाले प्रमुख भारतीय आवेदक के नाम हैं– सब्यसाची कलकत्ता एलएलपी **(1246)**, यूफोरिक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड **(1158)**, पृथ्वीश इनोवेशन एलएलपी **(339)**, मेसर्स कैंपस एक्टिवियर लिमिटेड **(322)**, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड **(269)**, अपाला **(188)**, गोदरेज – बोएस एमएफ़जी कंपनी लिमिटेड **(177)**, आदि।

चित्र : शीर्ष पाँच (5) भारतीय पंजीकृत स्वत्वधारी

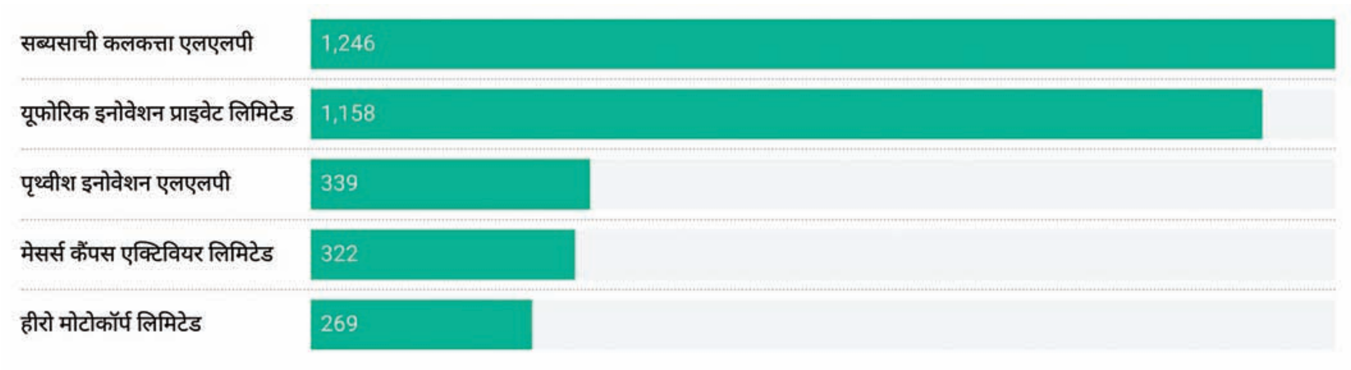


## 2.3. विदेशी उद्गम द्वारा डिजाइन पंजीकरण:

विदेशों से उद्गमित **3050** आवेदनों में से यू.एस.ए. अधिकतम आवेदनों की संख्या **(747)** के साथ अग्रणी रहा जिसके बाद क्रमशः चीन **(268)**, कोरिया गणराज्य (256), जर्मनी (247), जापान **(240)**, स्विट्ज़रलैंड **(189)** और यूनाइटेड किंगडम **(173)** का स्थान रहा। डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 44 के अंतर्गत पारस्परिक व्यवस्था के तहत **2392**

आवेदनों ने प्रायिकता का दावा किया। शीर्ष 20 देशों/ क्षेत्रों से उद्गगमित पंजीकृत डिजाइन का ग्राफिक वर्णन नीचे दर्शाया गया है।

**चित्र : शीर्ष 20 देशों/ क्षेत्रों के अनुसार पंजीकृत डिज़ाइन**

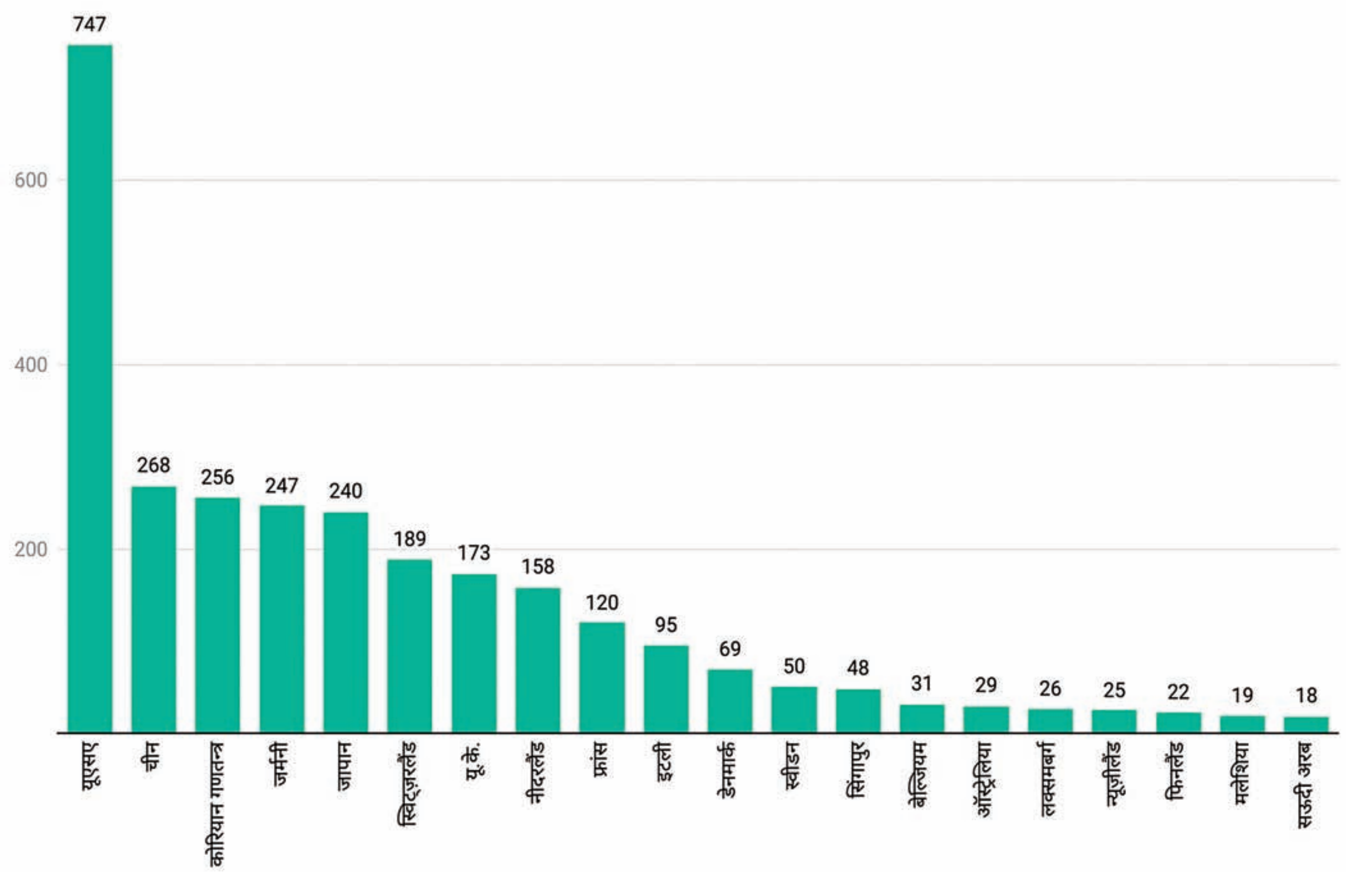


अग्रणी विदेशी आवेदक जिन्होंने डिजाइन आवेदन पंजीकृत किए वे थे – सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड **(132)**, कोहलर कंपनी **(74)**, कोनिङ्क्लिके फिलिप्स एन.वी. **(62)**, वेरसुनी होल्डिंग बीवी **(59)**, स्केचर्स यूएसए इंक ली **(48)**, एप्पल इंक **(43)**, और लिगो ए/एस **(42)** आदि।

**चित्र : शीर्ष पाँच (5) विदेशी पंजीकृत स्वत्वधारी**

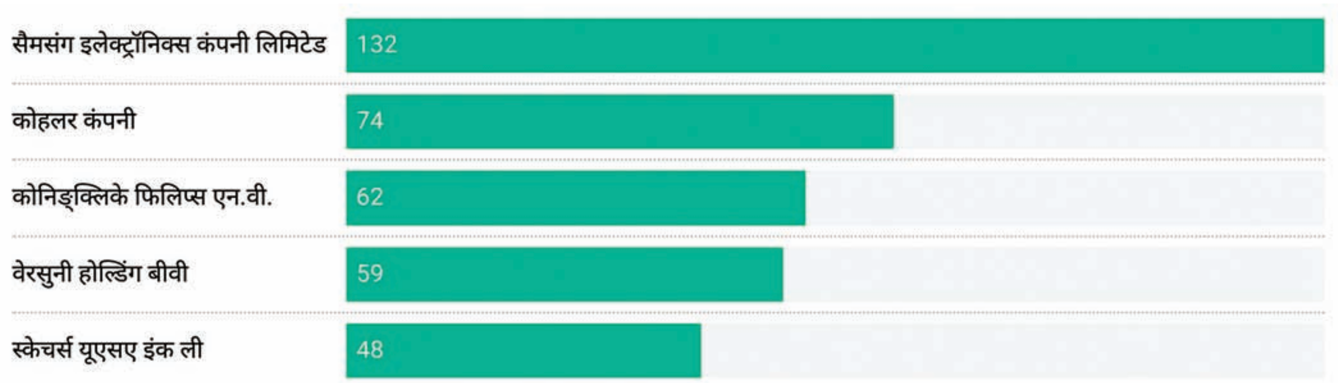

## 2.4 वर्गीकरण के अनुसार पंजीकृत डिजाइन आवेदन:

भारतीय उद्‌गम की कंपनियों के पंजीकृत डिजाइनों का वर्गवार वितरण – वर्ग 24 (चिकित्सा और प्रयोगशाला उपकरण) के अंतर्गत **3549**, वर्ग 02 (वस्त्र एवं बिसाती की वस्तुएं) के अंतर्गत **3374**, वर्ग 15 (मशीनें) के अंतर्गत **2305**, वर्ग 14 (रिकॉर्डिंग, संचार या सूचना पुनर्प्राप्ति उपकरण) के अंतर्गत **2249**, वर्ग 12 (परिवहन या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत **2121**, वर्ग 10 (घड़ियां और अन्य मापन उपकरण, जांच और संकेत उपकरण) के अंतर्गत **1926**, वर्ग 11 (सजावट की वस्तुएं) के अंतर्गत **1460**, वर्ग 23 (द्रव वितरण उपकरण) के अंतर्गत **1365**, वर्ग 06 (फर्नीशिंग) के अंतर्गत **1161 ।** जबकि, विदेशी आवेदनों के संबंध में पंजीकृत डिजाइनों के वितरण में वर्ग 14 (रिकॉर्डिंग, संचार या सूचना पुनर्प्राप्ति उपकरण) के अंतर्गत **318**, वर्ग 12 (परिवहन या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत **304**, वर्ग 24 (चिकित्सा और प्रयोगशाला उपकरण) के अंतर्गत **302**, वर्ग 23 (द्रव वितरण उपकरण) के अंतर्गत **257**, वर्ग 09 (माल के परिवहन या हैंडलिंग के लिए पैकेज और कंटेनर) के अंतर्गत **251**, वर्ग 13 (विद्युत उत्पादन, वितरण या ट्रांसफॉरमेशन के उपकरण) के अंतर्गत **207** आदि शामिल हैं। शेष आवेदन अन्य वर्गों में पंजीकृत किए गए। भारतीय और विदेशी आवेदनों के लिए विस्तृत वर्गवार पंजीकरण नीचे प्रस्तुत किया गया है:

**चित्र : वर्गानुसार पंजीकृत डिजाइन**

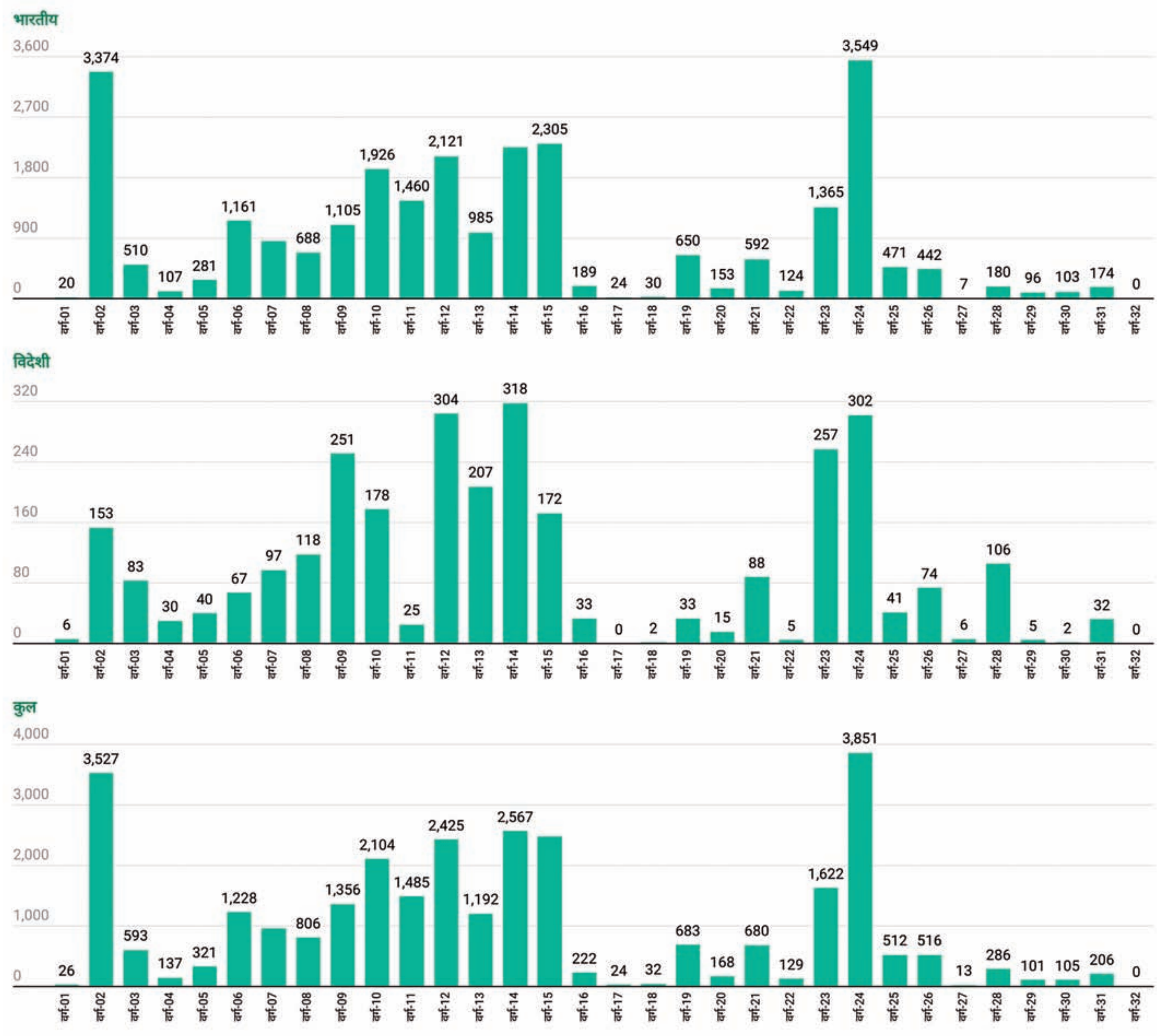

शीर्ष 5 भारतीय और विदेशी आवेदकों द्वारा पंजीकृत डिजाइन आवेदनों की ग्राफिक प्रस्तुति नीचे प्रदर्शित है:

**चित्र : भारतीय आवेदकों द्वारा वर्गानुसार पंजीकृत डिजाइन आवेदन (शीर्ष 5 वर्ग)**

**चित्र : विदेशी आवेदकों द्वारा पंजीकृत वर्गानुसार डिजाइन आवेदन (शीर्ष 5 वर्ग)**

## 3. डिजाइन आवेदनों का परीक्षण

प्रतिवेदन अवधि के दौरान, डिजाइन के पंजीकरण हेतु कुल **38009** आवेदनों का परीक्षण किया गया जिनमें से **16252** आवेदनों की प्रथम परीक्षण रिपोर्ट (एफ़ईआर) भेजने की आवश्यकता थी। वर्ष के दौरान पंजीकृत डिजाइन की संख्या **30349** रही। पंजीकरण के अलावा, **604** आवेदनों को अस्वीकृत किया गया तथा **970** आवेदन परित्यक्त किए गए।

## 4. प्रतिलिप्यधिकार विस्तार (धारा 11(2) और धारा 12 के तहत):

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, पंजीकृत डिजाइन में प्रतिलिप्यधिकार विस्तार के लिए **2965** आवेदन प्राप्त किए गए। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान **1741** पंजीकृत डिजाइन का आगामी 5 वर्षों के लिए नवीकरण किया गया। हालांकि, शेष मामलों पर कार्यवाही प्रारंभ की गई है। वर्ष के दौरान, डिजाइन के प्रत्यावर्तन के लिए **101** आवेदन दाखिल किए गए जिनमें से **47** आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया। शेष आवेदनों पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

## 5. विविध कार्यवाहियाँ:

क. **डिजाइन का निरस्तीकरण (धारा 19 के तहत):** प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, पंजीकृत डिजाइन के निरस्तीकरण के लिए **163** आवेदन दाखिल हुए। डिजाइन नियम 29 के तहत निरस्तीकरण हेतु प्राप्त सभी आवेदनों पर कार्यवाही की गई। 10 आवेदनों का निष्पादन किया गया है।

ख. **पंजीकृत डिजाइन का निरीक्षण (धारा 17 (1)** – नियम 38) के तहत: पंजीकृत डिजाइन आवेदनों के निरीक्षण हेतु **6** याचिकाएँ प्राप्त हुईं।

ग. **नाम और पते आदि में परिवर्तन (नियम 31 के तहत):** वर्ष के दौरान नाम, पते एवं सेवार्थ पते में परिवर्तन हेतु **2193** अनुरोध प्राप्त हुए, जिनमें से **1027** मामलों का निपटान कर आदेश जारी किया गया। शेष मामलों पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

घ. **डिजाइन रजिस्टर में सेवा के लिए दो पतों की प्रविष्टि हेतु अनुरोध (धारा 10 के तहत):** वर्ष के दौरान डिजाइन रजिस्टर में दो सेवार्थ पते की प्रविष्टि हेतु **642** अनुरोध प्राप्त हुए, जिनमें से 534 मामलों का निपटान किया गया। शेष मामलों में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

ङ. **धारा 30 के तहत समनुदेशन और अधिकार का हस्तांतरण:** प्रतिवेदन वर्ष के दौरान धारा 30 के तहत **1446** आवेदन दाखिल हुए, **688** मामलों का निपटान किया गया व आदेश जारी किए गए। शेष मामलों पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 31 के अंतर्गत 10 आवेदन प्राप्त हुए और कार्रवाई शुरू की गई।

च. **खोज सूचना (धारा 18 के तहत):** प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, धारा 18 के तहत **264** मामले दाखिल हुए व सभी का निपटान कर दिया गया।

छ. **लिपिकीय त्रुटि का परिमार्जन (धारा 29 के तहत):** प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, लिपिकीय त्रुटि के परिमार्जन हेतु **35** अनुरोध प्राप्त हुए और वर्ष के दौरान सभी का निपटान कर दिया गया।

ज. **नियम 41 तथा धारा 17 (2) के तहत सत्यापित प्रतियां:** वर्ष के दौरान, **522** अनुरोध दाखिल किए गए जिनमें से **484** आवेदनों का निपटान कर दिया गया। शेष मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

झ. **स्टार्ट–अप इंटेलेक्चुयल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन (एसआईपीपी) – सुविधाप्रदाता (फेसीलीटेटर):** प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, डिजाइन आवेदनों को दाखिल करने और/या पंजीकरण के लिए सुविधाप्रदाता शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए सुविधाकर्ताओं द्वारा **1836** दावे किए गए; जिनमें से **1322** दावों का निपटान किया गया और शेष आवेदनों पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

## 6. प्रवृत्त डिजाइन:

प्रतिवेदन वर्ष के अंत तक प्रवृत्त पंजीकृत डिजाइन की संख्या **167747** रही।

## 7. राजस्व:

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, डिजाइन अधिनियम, 2000 और उसके अंतर्गत बनाए गए डिजाइन नियम, 2001 के तहत डिजाइन आवेदनों और अन्य कार्यवाहियों के संबंध में फीस के लिए कुल 12,06,05,680 रुपये **(केवल बारह करोड़ छह लाख पांच हजार छह सौ अस्सी रुपये)** का राजस्व अर्जित किया गया। विभिन्न प्रावधानों के तहत अर्जित राजस्व का विवरण निम्नवत है:

| 2024–25 के दौरान डिजाइन कार्यवाही से अर्जित राजस्व | | | |
|---|---|---|---|
| **प्रलेखों का विवरण** | **संख्या** | **शुल्क (रु.)** | **राशि (रु.)** |
| डिजाइन अधिनियम, 2000 धारा 5 एवं 44 के तहत डिजाइन पंजीकरण हेतु आवेदन (दिल्ली, मुंबई एवं चेन्नई पेटेंट कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों सहित) | 43005 | 1000, 4000 | 8,87,16,000 |
| धारा 11(2) के तहत प्रतिलिप्यधिकार के विस्तार हेतु आवेदन | 2965 | 2000, 8000 | 2,17,58,000 |
| धारा 12(2) के तहत व्यपगत डिजाइन का प्रत्यावर्तन | 101 | 1000, 4000 | 3,41,000 |
| धारा 30 व 31 के तहत समनुदेशन | 362 | 500, 200<br>2000, 800 | 13,28,000 |
| धारा 19 के तहत डिजाइन का निरस्तीकरण | 163 | 1500, 6000 | 5,10,000 |
| धारा 26 और 17(2) के तहत सत्यापित प्रति | 522 | 500, 2000 | 12,47,500 |
| डिजाइन अधिनियम, 2000 व डिजाइन नियम 2001 के तहत अन्य विविध शुल्क; दिल्ली, मुंबई एवं चेन्नई पेटेंट कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों सहित) | | प्रथम अनुसूची के अनुसार | 67,05,180 |
| **कुल योग** | | | **12,06,05,680** |

डिजाइन के संबंध में कार्यालय के अनुसार ब्यौरा और तुलनात्मक राजस्व सृजन निम्नानुसार है:

**चित्र : कार्यालय के अनुसार राजस्व**

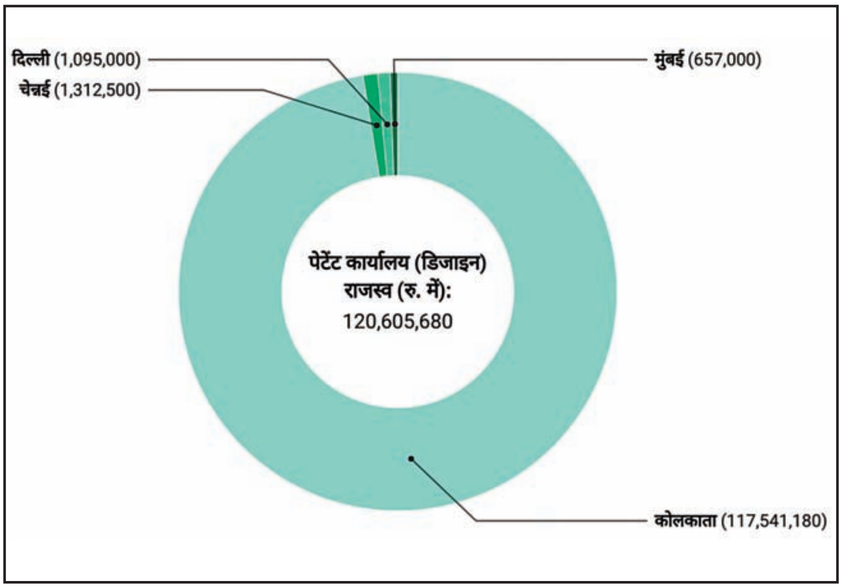


**सारणी : कार्यालय के अनुसार राजस्व**

| पेटेंट कार्यालय | राजस्व (रु. में) |
|---|---|
| कोलकाता | 11,75,41,180 |
| दिल्ली | 10,95,000 |
| मुंबई | 6,57,000 |
| चेन्नई | 13,12,500 |
| कुल | 12,06,05,680 |

**चित्र : राजस्व सृजन की प्रवृत्ति**

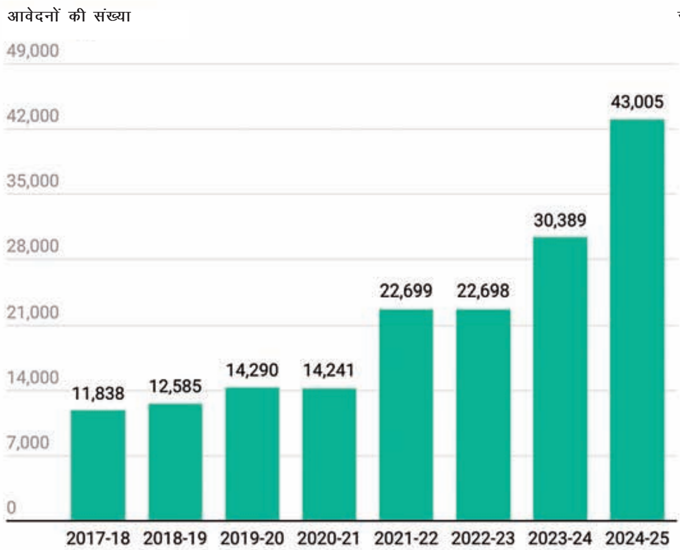


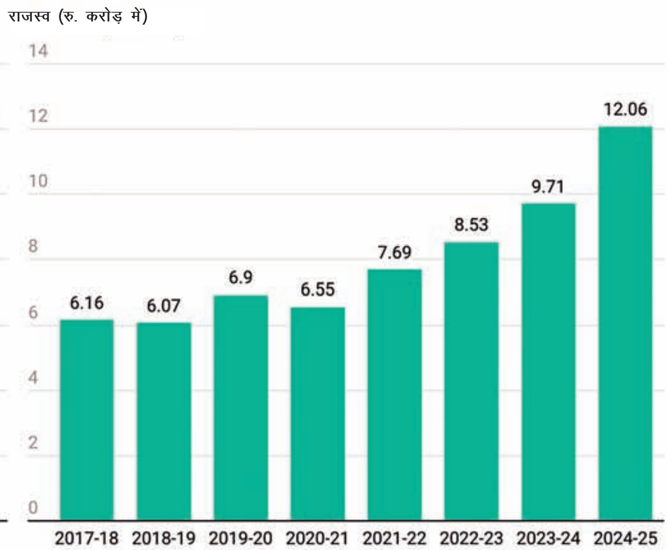

# अतिरिक्त आंकड़े

## दाखिल और पंजीकृत आवेदनों की प्रवृत्ति

| वर्ष | दाखिल | पंजीकृत |
|---|---|---|
| 2017–2018 | 11838 | 10012 |
| 2018–2019 | 12585 | 9483 |
| 2019–2020 | 14290 | 12256 |
| 2020–2021 | 14241 | 9147 |
| 2021–2022 | 22699 | 15262 |
| 2022–2023 | 22698 | 23400 |
| 2023–2024 | 30389 | 30670 |
| **2024–2025** | **43005** | **30349** |

## उद्गम के अनुसार दाखिल और पंजीकृत आवेदनों की प्रवृत्ति

| वर्ष | दाखिल | | पंजीकृत | |
|---|---|---|---|---|
| | भारतीय | विदेशी | भारतीय | विदेशी |
| 2017–2018 | 8224 | 3614 | 6432 | 3580 |
| 2018–2019 | 8864 | 3721 | 6587 | 2896 |
| 2019–2020 | 9706 | 4584 | 8447 | 3809 |
| 2020–2021 | 10594 | 3647 | 6243 | 2904 |
| 2021–2022 | 18851 | 3848 | 11936 | 3326 |
| 2022–2023 | 19245 | 3453 | 18170 | 5230 |
| 2023–2024 | 26536 | 3853 | 25911 | 4759 |
| 2024–2025 | 38808 | 4197 | 27299 | 3050 |

## दाखिल डिजाइन आवेदन – राज्य/ केंद्र शासित क्षेत्रों के अनुसार

| राज्य/ केंद्र शासित क्षेत्र | आवेदनों की संख्या |
|---|---|
| अंडमान और निकोबार | 8 |
| आंध्र प्रदेश | 795 |
| अरुणाचल प्रदेश | 32 |
| असम | 168 |
| बिहार | 194 |
| चंडीगढ़ | 70 |
| छत्तीसगढ़ | 324 |
| दादर और नागर हवेली | 95 |
| दमन और दीउ | 0 |

| | |
|---|---|
| दिल्ली | 3540 |
| गोवा | 44 |
| गुजरात | 3426 |
| हरियाणा | 1680 |
| हिमाचल प्रदेश | 162 |
| जम्मू और कश्मीर | 183 |
| झारखंड | 224 |
| कर्नाटक | 2834 |
| केरल | 1342 |
| लद्दाख | 1 |
| मध्य प्रदेश | 1130 |
| महाराष्ट्र | 8914 |
| मणिपुर | 37 |
| मेघालय | 36 |
| मिज़ोरम | 19 |
| नागालैंड | 45 |
| ओडिसा | 418 |
| पुद्दुचेरी | 67 |
| पंजाब | 906 |
| राजस्थान | 1003 |
| सिक्किम | 22 |
| तमिल नाडु | 5024 |
| तेलंगाना | 979 |
| त्रिपुरा | 56 |
| उत्तर प्रदेश | 2438 |
| उत्तराखंड | 447 |
| पश्चिम बंगाल | 2145 |
| **कुल** | **38808** |

**दाखिल विदेशी डिजाइन आवेदन – देश / क्षेत्र के अनुसार**

| देश / क्षेत्र | आवेदनों की संख्या |
|---|---|
| एंडोरा | 1 |
| ऑस्ट्रेलिया | 46 |
| ऑस्ट्रिया | 19 |
| बहरीन | 1 |
| बंगलादेश | 1 |

| | |
|---|---|
| बेल्जियम | 31 |
| ब्राज़ील | 8 |
| बुल्गारिया | 1 |
| कनाडा | 8 |
| केमन द्वीप | 1 |
| चीन | 328 |
| क्रोएशिया | 1 |
| साइप्रस | 1 |
| कोरिया लोकतांत्रिक गणराज्य | 1 |
| डेनमार्क | 71 |
| ईपीओ | 1 |
| इथियोपिया | 1 |
| फिनलैंड | 23 |
| फ्रांस | 157 |
| जर्मनी | 306 |
| घाना | 1 |
| हौंगकौंग | 6 |
| हंगरी | 3 |
| भारत | 38808 |
| इंडोनेशिया | 12 |
| इराक | 2 |
| आयरलैंड | 17 |
| इजराएल | 13 |
| इटली | 183 |
| जापान | 300 |
| जॉर्डन | 1 |
| कीनिया | 3 |
| कुवैत | 2 |
| किर्गीज़ गणराज्य | 2 |
| लिषेश्टिन | 10 |
| लग्जंबर्ग | 63 |
| मलेशिया | 29 |
| मालदीव | 1 |
| नेपाल | 2 |
| नीदरलैंड | 267 |

| | |
|---|---|
| न्यूजीलैंड | 22 |
| नॉर्वे | 36 |
| ओमान | 4 |
| पाकिस्तान | 2 |
| पापुआ न्यू गिनी | 1 |
| पेरु | 3 |
| फिलीपींस | 3 |
| पोलैंड | 13 |
| क़तर | 7 |
| कोरिया गणराज्य | 318 |
| रोमानिया | 1 |
| रूस | 2 |
| सऊदी अरब | 20 |
| सिंगापुर | 119 |
| स्लोवाकिया | 3 |
| स्लोवेनिया | 8 |
| दक्षिण अफ्रीका | 2 |
| स्पेन | 33 |
| श्री लंका | 1 |
| स्वीडन | 58 |
| स्विट्जरलैंड | 283 |
| सीरिया | 2 |
| ताइवान | 13 |
| थाइलैंड | 20 |
| तुरकिए | 1 |
| यूएई | 18 |
| यूके | 264 |
| यूएसए | 986 |
| यूक्रेन | 2 |
| उज्बेकिस्तान | 16 |
| वियतनाम | 10 |
| यमन | 2 |
| **कुल** | **43005** |

डिजाइन का पंजीकरण – राज्य/ केंद्र शासित क्षेत्रों के अनुसार

| राज्य/ केंद्र शासित क्षेत्र | आवेदनों की संख्या |
|---|---|
| अंडमान और निकोबार | 6 |
| आंध्र प्रदेश | 562 |
| अरुणाचल प्रदेश | 20 |
| असम | 111 |
| बिहार | 133 |
| चंडीगढ़ | 52 |
| छत्तीसगढ़ | 274 |
| दादर और नागर हवेली तथा दमन दीउ | 84 |
| दिल्ली | 2454 |
| गोवा | 41 |
| गुजरात | 2368 |
| हरियाणा | 1059 |
| हिमाचल प्रदेश | 139 |
| जम्मू और कश्मीर | 106 |
| झारखंड | 155 |
| कर्नाटक | 1805 |
| केरल | 1443 |
| लद्दाख | 1 |
| मध्य प्रदेश | 774 |
| महाराष्ट्र | 6268 |
| मणिपुर | 25 |
| मेघालय | 23 |
| मिज़ोरम | 9 |
| नागालैंड | 27 |
| ओडिसा | 321 |
| पुद्दुचेरी | 42 |
| पंजाब | 685 |
| राजस्थान | 800 |
| सिक्किम | 13 |
| तमिल नाडु | 3089 |
| तेलंगाना | 637 |
| त्रिपुरा | 48 |
| उत्तर प्रदेश | 1690 |
| उत्तराखंड | 339 |
| पश्चिम बंगाल | 1696 |
| **कुल** | **27299** |

## डिजाइन का पंजीकरण – देश / क्षेत्र के अनुसार

| देश / क्षेत्र | आवेदनों की संख्या |
|---|---|
| अफगानिस्तान | 1 |
| ऑस्ट्रेलिया | 29 |
| ऑस्ट्रिया | 15 |
| बहरीन | 1 |
| बंगलादेश | 2 |
| बेल्जियम | 31 |
| ब्राज़ील | 6 |
| बुल्गारिया | 1 |
| कनाडा | 6 |
| केमन द्वीप | 1 |
| चीन | 268 |
| साइप्रस | 1 |
| चेक गणराज्य | 1 |
| डेनमार्क | 69 |
| इथियोपिया | 1 |
| फिनलैंड | 22 |
| फ्रांस | 120 |
| जर्मनी | 247 |
| हौंगकौंग | 3 |
| हंगरी | 2 |
| भारत | 27299 |
| इंडोनेशिया | 11 |
| इराक | 2 |
| आयरलैंड | 14 |
| इजराएल | 8 |
| इटली | 95 |
| जापान | 240 |
| जॉर्डन | 1 |
| कीनिया | 2 |
| किर्गीज़ गणराज्य | 1 |
| लिषेश्टिन | 4 |
| लग्जंबर्ग | 26 |
| मलेशिया | 19 |
| मालदीव | 1 |
| नेपाल | 1 |

| | |
|---|---|
| नीदरलैंड | 158 |
| न्यूजीलैंड | 25 |
| नॉर्वे | 11 |
| ओमान | 5 |
| पाकिस्तान | 2 |
| पनामा | 1 |
| पापुआ न्यू गिनी | 1 |
| पेरु | 2 |
| फिलीपींस | 3 |
| पोलैंड | 6 |
| पुर्तगाल | 1 |
| पुर्तो रिको | 1 |
| कतर | 256 |
| कोरिया गणराज्य | 1 |
| रोमानिया | 8 |
| रूस | 1 |
| सऊदी अरब | 18 |
| सिंगापुर | 48 |
| स्लोवेनिया | 8 |
| दक्षिण अफ्रीका | 3 |
| स्पेन | 8 |
| श्रीलंका | 2 |
| स्वीडन | 50 |
| स्विट्जरलैंड | 189 |
| सीरिया | 2 |
| ताइवान | 18 |
| थाइलैंड | 11 |
| तुरकिए | 4 |
| यूएई | 11 |
| यूके | 173 |
| यूएसए | 747 |
| यूक्रेन | 1 |
| उज्बेकिस्तान | 16 |
| वियतनाम | 6 |
| यमन | 2 |
| **कुल** | **30349** |

## परिचय

यह अध्याय इस प्रतिवेदन वर्ष में व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 149 के तहत व्यापार चिह्न रजिस्ट्री द्वारा की गई गतिविधियों के बारे में 64वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

व्यापार चिह्न अधिनियम लागू होने का उद्देश्य देश में वाणिज्य वस्तुओं पर धोखाधड़ी वाले चिह्नों के उपयोग को रोकने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के लिए व्यापार चिह्न का पंजीकरण और उन्हें बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है। व्यापार चिह्न पंजीकृत स्वत्वधारी को वैधानिक अधिकार प्रदान करता है, जो उसे व्यापार चिह्न के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। यह उन सामान्य विधिक अधिकार के अतिरिक्त है जहां पासिंग ऑफ के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है।

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 तथा व्यापार चिह्न नियम, 2002 दिनांक 15 सितंबर, 2003 को लागू हुए। व्यापार चिह्न नियम, 2002 को 6 मार्च, 2017 से व्यापार चिह्न नियम, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का मुख्यालय मुंबई में है तथा इसकी शाखाएं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में स्थित हैं।

देश में सामान्य रूप से बौद्धिक संपदा अधिकार और विशेष रूप से व्यापार चिह्न के बारे में बढ़ती जागरूकता के कारण व्यापार चिह्न रजिस्ट्री (टीएमआर) के कार्य और जिम्मेदारियां उत्तरोत्तर बढ़ रही हैं। व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के तहत सेवा चिह्नों, प्रसिद्ध चिह्नों, सामूहिक चिह्नों, बहु–वर्ग दाखिल करने के प्रावधान आदि की सुरक्षा की शुरूआत और भारत के मैड्रिड प्रोटोकॉल में शामिल होने के बाद व्यापार चिह्न के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के प्रावधान के साथ यह भूमिका और विस्तारित हो गई है।

### 1. 2024–25 के दौरान गतिविधियों की प्रवृत्ति :

वर्ष 2024–25 के दौरान व्यापार चिह्न रजिस्ट्री द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियाँ निम्नलिखित सारणी में प्रदान की गई हैं। आवेदन दाखिल करने की प्रवृत्ति से पता चलता है कि इस वर्ष के दौरान दाखिल आवेदनों की संख्या वर्ष 2023–24 में 476089 से बढ़कर 552190 हो गई है। इसी अवधि के दौरान 382834 व्यापार चिह्न पंजीकरण हुए हैं। दाखिल, परीक्षित और पंजीकृत आवेदनों की संख्या के संबंध में गतिविधियों का विवरण **परिशिष्ट I** में दिया गया है।

**सारणी**

| क्र.सं. | गतिविधियाँ | 2020–21 | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पंजीकरण के लिए दाखिल आवेदनों की संख्या | 431213 | 447805 | 466580 | 476089 | 552190 |
| 2. | व्यापार चिह्न जर्नल में विज्ञापित आवेदनों की संख्या | 339356 | 310196 | 237203 | 569861 | 210629 |
| 3. | पंजीकृत व्यापार चिह्नों की संख्या | 255976 | 261408 | 231977 | 279717 | 382834 |
| 4 | पंजीकरण के अलावा अन्य तरीके से निपटाए गए परीक्षण के बाद के आवेदनों की संख्या (अर्थात अस्वीकृति, परित्याग और वापसी) | 38978 | 57470 | 60177 | 154035 | 88885 |
| 5 | नवीनीकृत किए गए पंजीकरणों की संख्या | 73100 | 69968 | 90295 | 82648 | 96636 |
| 6. | पंजीकृत व्यापार चिह्न (समनुदेशन सहित) में पंजीकरण के बाद किए गए परिवर्तनों की प्रविष्टि हेतु निष्पादित अनुरोधों की संख्या | 29214 | 22957 | 13079 | 37771 | 10607 |
| 7. | कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 45(1) के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्र | 9032 | 5437 | 5197 | 11763 | 6381 |

## 2. व्यापार चिह्न आवेदन दाखिल करने की प्रवृत्तिः

भारत में व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए दाखिल आवेदनों की प्रवृत्ति में 2024–25 के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। व्यापार चिह्न रजिस्ट्री को प्राप्त आवेदनों की संख्या 2023–24 में 476089 से बढ़कर 2024–25 में 552190 हो गई है। वहीं, विदेशी आवेदकों के आवेदनों की संख्या 2023–24 में 12981 से बढ़ कर 2024–25 में 13058 हो गई है।

इसके अलावा, वर्ष 2024–25 के दौरान, मैड्रिड प्रणाली के तहत विदेशी आवेदकों के 13766 अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण व्यापार चिह्न के संरक्षण हेतु भारत को नामित किए गए थे। इन अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों का परीक्षण किया गया और इन पर राष्ट्रीय आवेदनों के रूप में आगे की कार्यवाही की गयी।

**चित्र : 2020–21 से 2024–25 तक दाखिल आवेदनों की प्रवृत्ति**

**सारणी : 2020–21 से 2024–25 तक दाखिल आवेदनों की प्रवृत्ति**

| वर्ष | भारतीय आवेदक | विदेशी आवेदक | कुल |
|---|---|---|---|
| 2020–21 | 418594 | 12619 | 431213 |
| 2021–22 | 434084 | 13721 | 447805 |
| 2022–23 | 453325 | 13255 | 466580 |
| 2023–24 | 463108 | 12981 | 476089 |
| 2024–25 | 538441 | 13749 | 552190 |

## 3. भारतीयों द्वारा दाखिल व्यापार चिह्न आवेदन (राज्यवार):

वर्ष के दौरान भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल कुल 538441 आवेदनों में से, महाराष्ट्र 98329 आवेदनों के साथ पहले स्थान पर रहा। 66314 आवेदनों के साथ दिल्ली दूसरे स्थान पर है, जबकि 61511 आवेदनों के साथ गुजरात तीसरे स्थान पर है। विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की संख्या उनके ग्राफीय वर्णन के साथ नीचे दर्शाई गई हैः

चित्र : भारत के राज्य द्वारा दाखिल व्यापार चिह्न आवेदनों की संख्या (राज्यवार)

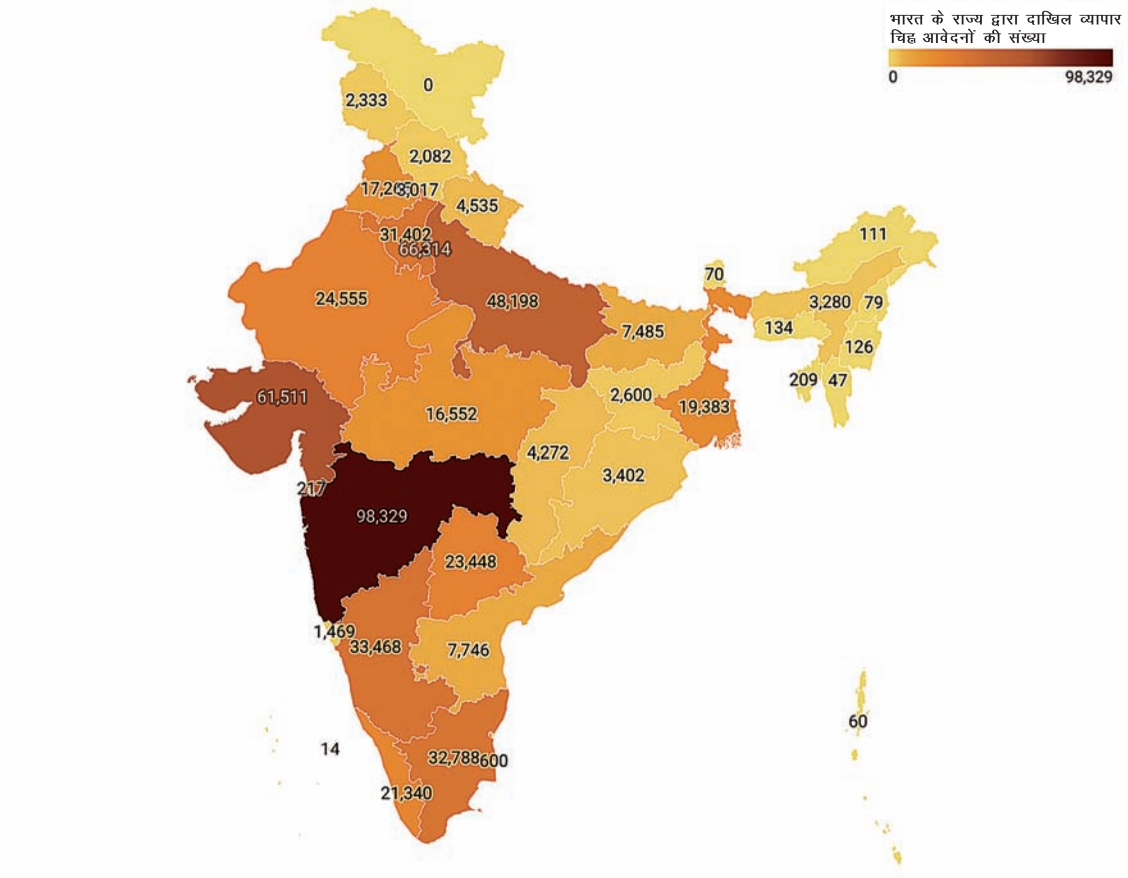


सारणी : भारत के राज्य द्वारा दाखिल व्यापार चिह्न आवेदनों की संख्या (राज्यवार)

| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | दाखिल आवेदनों की संख्या (2024–25) |
|---|---|
| अंडमान और निकोबार | 60 |
| आंध्र प्रदेश | 7746 |
| अरुणाचल प्रदेश | 111 |
| असम | 3280 |
| बिहार | 7485 |
| चंडीगढ़ | 3017 |
| छत्तीसगढ़ | 4272 |
| दादरा व नागर हवेली | 101 |
| दमन व दीव | 116 |
| दिल्ली | 66314 |
| गोवा | 1469 |
| गुजरात | 61511 |
| हरियाणा | 31402 |
| हिमाचल प्रदेश | 2082 |
| जम्मू व कश्मीर | 2333 |
| झारखंड | 2600 |

| | |
|---|---|
| कर्नाटक | 33468 |
| केरल | 21340 |
| लक्षद्वीप | 14 |
| मध्य प्रदेश | 16552 |
| महाराष्ट्र | 98329 |
| मणिपुर | 126 |
| मेघालय | 134 |
| मिजोरम | 47 |
| नागालैंड | 79 |
| ओडिशा | 3402 |
| पुदुचेरी | 600 |
| पंजाब | 17265 |
| राजस्थान | 24555 |
| सिक्किम | 70 |
| तमिलनाडु | 32788 |
| तेलंगाना | 23448 |
| त्रिपुरा | 209 |
| उत्तर प्रदेश | 48198 |
| उत्तराखंड | 4535 |
| पश्चिम बंगाल | 19383 |

## 4. विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन :

वर्ष 2024–25 के दौरान विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या 13749 थी। शीर्ष 20 विदेशी देशों द्वारा दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या निम्नलिखित तालिका में प्रदान की गई है और साथ ही नीचे ग्राफिक रूप से दर्शाई गई है:

**चित्र : आवेदन दाखिल करने के लिए शीर्ष 20 विदेशी देश**

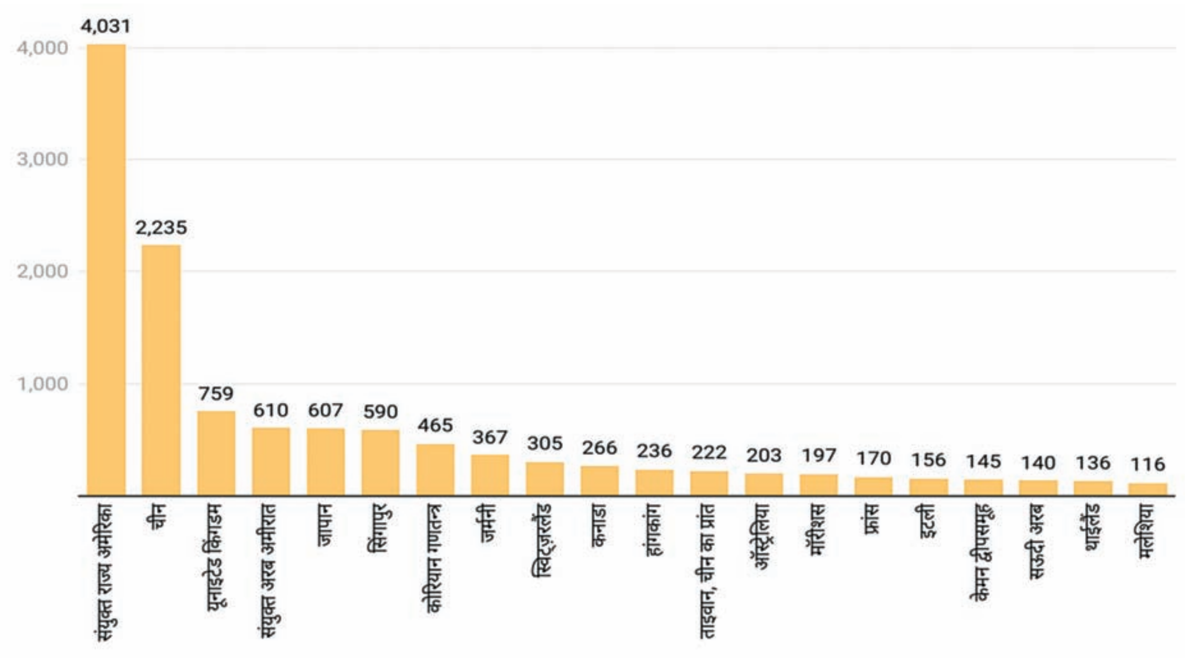

**सारणी : आवेदन दाखिल करने के लिए शीर्ष 20 विदेशी देश**

| देश का नाम | दाखिल आवेदनों की संख्या (2024–25) |
|---|---|
| संयुक्त राज्य अमेरिका | 4031 |
| चीन | 2235 |
| यूनाइटेड किंगडम | 759 |
| संयुक्त अरब अमीरात | 610 |
| जापान | 607 |
| सिंगापुर | 590 |
| कोरियान गणतन्त्र | 465 |
| जर्मनी | 367 |
| स्विट्ज़रलैंड | 305 |
| कनाडा | 266 |
| हांगकांग | 236 |
| ताइवान, चीन का प्रांत | 222 |
| ऑस्ट्रेलिया | 203 |
| मॉरीशस | 197 |
| फ्रांस | 170 |
| इटली | 156 |
| केमन द्वीपसमूह | 145 |
| सऊदी अरब | 140 |
| थाईलैंड | 136 |
| मलेशिया | 116 |
| अन्य | 1793 |

**दाखिल किए गए आवेदनों की वर्गवार प्रवृत्ति :**

नीचे दी गई तालिका वर्ष 2024–25 के दौरान दाखिल व्यापार चिह्न आवेदनों की वर्ग–वार प्रवृत्ति का विवरण प्रदान करती है। पिछले वर्ष की तरह, इस वर्ष भी, प्राप्त आवेदनों की सबसे बड़ी संख्या वर्ग 5 (फार्मास्यूटिकल्स, पशु चिकित्सा और स्वच्छता पदार्थ, आदि) में वस्तुओं के संबंध में थी।

**सारणी: जिन वर्गों में आवेदन दाखिल किए गए थे उनका विवरण % भाग के साथ नीचे दिया गया है:**

| वर्ग | वस्तुओं / सेवाओं का विवरण | आवेदनों की संख्या | % भाग |
|---|---|---|---|
| 1 | उद्योग, विज्ञान, फोटोग्राफी, कृषि, बागवानी और वानिकी में प्रयुक्त रसायन; अप्रसंस्कृत कृत्रिम रेजिन, अप्रसंस्कृत प्लास्टिक; खाद; अग्निशमन यौगिक; टेम्परिंग और सोल्डरिंग तैयारियाँ; खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु रासायनिक पदार्थ; टैनिंग पदार्थ; चिपकाने वाले पदार्थ | 10097 | 1.83 |
| 2 | पेंट, वार्निश एवं रोगन; जंग तथा लकड़ी के क्षरण के विरुद्ध परिरक्षक; रंग एवं रंगद्रव्य; कच्चे प्राकृतिक रेज़िन; साथ ही चित्रकारों, सज्जाकारों, मुद्रकों एवं कलाकारों के उपयोगार्थ पन्नी तथा पाउडर के रूप में धातुएँ। | 2515 | 0.46 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | कपड़े धोने के लिए विरंजन सामग्री और अन्य पदार्थ; सफाई; पॉलिश; सफाई और घर्षण सामग्री; साबुन; सुगंध, आवश्यक तेल, सौंदर्य प्रसाधन, हेयर लोशन, दंतमंजन | 29342 | 5.31 |
| 4 | औद्योगिक तेल और ग्रीस; स्नेहक; धूल सोखने वाले, गीले और बांधने वाले यौगिक; ईंधन (मोटर स्पिरिट सहित) और प्रकाशक; मोमबत्तियाँ, बत्तियाँ | 2691 | 0.49 |
| 5 | औषधि, पशुचिकित्सा और स्वच्छता संबंधी तैयारियां; चिकित्सीय उपयोग के लिए अनुकूलित आहार संबंधी पदार्थ, शिशुओं के लिए भोजन; प्लास्टर, ड्रेसिंग के लिए सामग्री; दांतों को रोकने के लिए सामग्री, दंत मोम; कीटाणुनाशक; कीटों को नष्ट करने के लिए तैयारी; कवकनाशी, खरपतवारनाशी | 82469 | 14.92 |
| 6 | सामान्य धातुएं और उनकी मिश्रधातुएं; धातु निर्माण सामग्री; धातु से बने परिवहन योग्य भवन; रेल की पटरियों के लिए धातु की सामग्री; सामान्य धातु के गैर–विद्युत केबल और तार; लोहा, धातु के हार्डवेयर की छोटी वस्तुएं; धातु के पाइप और ट्यूब; तिजोरियां; सामान्य धातु के सामान जो अन्य वर्गों में शामिल नहीं हैं; अयस्क | 7081 | 1.28 |
| 7 | मशीनें और मशीन उपकरण; मोटर और इंजन (भूमि वाहनों को छोड़कर); मशीन | 9764 | 1.77 |
| | युग्मन और संचरण घटक (भूमि वाहनों को छोड़कर); हस्तचालित के अलावा | | |
| | अन्य कृषि उपकरण; अंडों के लिए इनक्यूबेटर | | |
| 8 | हाथ के औज़ार और उपकरण (हाथ से चलने वाले); कटलरी; साइड आर्म्स; रेज़र | 2041 | 0.37 |
| 9 | वैज्ञानिक, समुद्री, सर्वेक्षण, विद्युत, फोटोग्राफिक, सिनेमैटोग्राफिक, ऑप्टिकल, वजन, माप, सिग्नलिंग, जांच (पर्यवेक्षण), जीवन रक्षक और शिक्षण उपकरण और यंत्र; ध्वनि या छवियों की रिकॉर्डिंग, संचरण या पुनरुत्पादन के लिए उपकरण; चुंबकीय डेटा वाहक, रिकॉर्डिंग डिस्क; सिक्का संचालित उपकरणों के लिए स्वचालित वेंडिंग मशीन और तंत्र; कैश रजिस्टर, गणना मशीनें, डेटा प्रसंस्करण उपकरण और कंप्यूटर; अग्निशामक उपकरण | 26868 | 4.86 |
| 10 | शल्य चिकित्सा, चिकित्सा, दंत चिकित्सा और पशु चिकित्सा उपकरण और यंत्र, कृत्रिम अंग, आंखें और दांत; आर्थोपेडिक वस्तुएं; घाव या चीरे को बंद करने का टांका सामग्री | 6455 | 1.17 |
| 11 | प्रकाश, ताप, भाप उत्पादन, पकाने, प्रशीतन, सुखाने, वेंटिलेशन, जल आपूर्ति तथा | 11426 | 2.07 |
| | स्वच्छता संबंधी उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त यंत्र। | | |
| 12 | वाहन; भूमि, वायु या जल पर संचलन के लिए उपकरण | 5982 | 1.08 |
| 13 | आग्नेयास्त्र; गोला–बारूद और प्रक्षेप्य; विस्फोटक; आतिशबाजी सामग्री | 459 | 0.08 |
| 14 | बहुमूल्य धातुएं और उनकी मिश्रधातुएं तथा बहुमूल्य धातुओं से बनी या उनसे लेपित वस्तुएं, जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं हैं; आभूषण, बहुमूल्य पत्थर; घड़ीसाज़ और अन्य कालमापी उपकरण | 9219 | 1.67 |
| 15 | संगीत वाद्ययंत्र | 420 | 0.08 |
| 16 | कागज, कार्डबोर्ड और इन सामग्रियों से बने सामान, जो अन्य वर्गों में शामिल नहीं हैं; मुद्रित सामग्री; पुस्तक जिल्दसाज़ी सामग्री; फोटोग्राफ; स्टेशनरी; स्टेशनरी या घरेलू प्रयोजनों के लिए चिपकाने वाले पदार्थ; कलाकारों की सामग्री; पेंट ब्रश; टाइपराइटर और कार्यालय की आवश्यक सामग्री (फर्नीचर को छोड़कर); निर्देशात्मक और शिक्षण सामग्री सामग्री (उपकरणों को छोड़कर); पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक सामग्री (अन्य कक्षाओं में शामिल नहीं); ताश के पत्ते; प्रिंटर का प्रकार; मुद्रण ब्लॉक | 9098 | 1.65 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | रबर, गुट्टा पर्चा, गोंद, एस्बेस्टस, अभ्रक और इन सामग्रियों से बने सामान जो अन्य वर्गों में शामिल नहीं हैं; विनिर्माण में उपयोग के लिए निकाले गए प्लास्टिक; पैकिंग, रोकने और इन्सुलेट सामग्री; लचीले पाइप, जो धातु के नहीं हैं | 4459 | 0.81 |
| 18 | चमड़ा और चमड़े की नकल, तथा इन सामग्रियों से बनी वस्तुएं जो अन्य वर्गों में शामिल नहीं हैं; पशुओं की खालें, चमड़े, ट्रंक और यात्रा बैग; छाते, छत्रियां और चलने की छड़ियां; चाबुक, हार्नेस और काठी | 5424 | 0.98 |
| 19 | निर्माण सामग्री, (गैर–धात्विक), भवन निर्माण के लिए गैर–धात्विक कठोर पाइप; डामर, पिच और बिटुमेन; गैर–धात्विक परिवहन योग्य भवन; स्मारक, जो धातु के नहीं हों। | 7335 | 1.33 |
| 20 | फर्नीचर, दर्पण, चित्र फ़्रेम; लकड़ी, कॉर्क, सरकंडा, बेंत, विकर, सींग, हड्डी, हाथी दांत, व्हेलबोन, शंख, एम्बर, मोती, कनसीपी और इन सभी सामग्रियों के विकल्प, या प्लास्टिक से बने सामान ( जो अन्य वर्गों में शामिल नहीं हैं) | 8488 | 1.54 |
| 21 | घरेलू या रसोई के बर्तन और कंटेनर (जो कीमती धातु से बने या उससे लेपित नहीं हों); कंघी और स्पंज; ब्रश (पेंट ब्रश को छोड़कर); ब्रश बनाने की सामग्री; सफाई के प्रयोजनों के लिए वस्तुएं; स्टीलवूल; बिना काम किया हुआ या अर्ध–काम किया हुआ कांच (भवन निर्माण में प्रयुक्त कांच को छोड़कर); कांच के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के बर्तन जो अन्य वर्गों में शामिल नहीं हैं | 10261 | 1.86 |
| 22 | रस्सियाँ, डोरी, जाल, तंबू, शामियाना, तिरपाल, पाल, बोरे और थैले ( जो अन्य वर्गों में शामिल नहीं हैं) गद्दी और भराई सामग्री (रबर या प्लास्टिक को छोड़कर); कच्चा रेशेदार कपड़ा सामग्री | 1213 | 0.22 |
| 23 | वस्त्र उपयोग के लिए सूत और धागे | 741 | 0.13 |
| 24 | वस्त्र और वस्त्र संबंधी सामान, जो अन्य श्रेणियों में शामिल नहीं हैं; बिस्तर और मेज के कवर | 5990 | 1.08 |
| 25 | कपड़े, जूते, टोपी | 38431 | 6.95 |
| 26 | लेस और कढ़ाई, रिबन और चोटी बटन, हुक और आइज़, पिन और सुइयां; कृत्रिम फूल आदि। | 1540 | 0.28 |
| 27 | कालीन, गलीचे, चटाई और मैटिंग, लिनोलियम और पहले से बने फर्श को ढकने के लिए अन्य सामग्री; दीवार पर टांगने वाली सामग्री (गैर–वस्त्र) आदि। | 1402 | 0.25 |
| 28 | खेल और क्रीड़ा सामग्री, जिमनास्टिक जो अन्य वर्गों में शामिल नहीं हैं; क्रिसमस वृक्षों की सजावट आदि। | 5841 | 1.06 |
| 29 | मांस, मछली, मुर्गी ; मांस के अर्क; संरक्षित, सूखे और पके हुए फल और सब्जियां; जेली, जैम, फल सॉस; अंडे, दूध और दूध उत्पाद; खाद्य तेल और वसा आदि। | 15630 | 2.83 |
| 30 | कॉफी, चाय, कोको, चीनी, चावल, टैपिओका, साबूदाना, कृत्रिम कॉफी; आटा और अनाज से बनी चीजें, ब्रेड, पेस्ट्री और कन्फेक्शनरी, बर्फ; शहद, गुड़; खमीर, बेकिंग पाउडर; नमक, सरसों; सिरका, सॉस, (मसाले); मसाले; बर्फ, आदि। | 30204 | 5.47 |
| 31 | कृषि, बागवानी और वानिकी उत्पाद और अनाज जो अन्य वर्गों में शामिल नहीं हैं; जीवित पशु; ताजे फल और सब्जियां; बीज, प्राकृतिक पौधे और फूल; पशुओं के लिए खाद्य पदार्थ, माल्ट आदि। | 9079 | 1.64 |
| 32 | बियर, खनिज और वातित जल, और अन्य गैर–अल्कोहल पेय; फलों के पेय और फलों के रस; पेय पदार्थ बनाने के लिए सिरप और अन्य तैयारियाँ | 9373 | 1.7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33 | मादक पेय (बीयर को छोड़कर) | 3014 | 0.55 |
| 34 | तंबाकू, धूम्रपान करने वालों के सामान, माचिस | 2825 | 0.51 |
| 35 | विज्ञापन, व्यवसाय प्रबंधन, व्यवसाय प्रशासन, कार्यालय कार्य | 57852 | 10.47 |
| 36 | बीमा, वित्तीय मामले, मौद्रिक मामले, रियल एस्टेट मामले | 11446 | 2.07 |
| 37 | भवन निर्माण मरम्मत स्थापना सेवाएँ | 9534 | 1.73 |
| 38 | दूरसंचार | 4162 | 0.75 |
| 39 | माल यात्रा के परिवहन, पैकेजिंग और भंडारण की व्यवस्था | 6759 | 1.22 |
| 40 | सामग्री का ट्रीटमेंट | 2697 | 0.49 |
| 41 | शिक्षा; प्रशिक्षण, मनोरंजन प्रदान करना; खेल और सांस्कृतिक गतिविधियाँ | 26299 | 4.76 |
| 42 | वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाएँ और उनसे संबंधित अनुसंधान और डिज़ाइन, औद्योगिक विश्लेषण और अनुसंधान सेवाएँ; कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिजाइन और विकास | 18720 | 3.39 |
| 43 | खाद्य और पेय उपलब्ध कराने के लिए सेवाएँ; अस्थायी आवास | 20894 | 3.78 |
| 44 | चिकित्सा सेवाएं; पशु चिकित्सा सेवाएँ; मनुष्यों या जानवरों के लिए स्वच्छ और सौंदर्य देखभाल; कृषि, बागवानी और वन्य सेवाएँ | 11133 | 2.01 |
| 45 | कानूनी सेवाओं; संपत्ति और व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा सेवाएँ; व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरों द्वारा प्रदान की गई व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाएँ | 5976 | 1.08 |

*टिप्पणः बहु–वर्ग आवेदन दाखिल करने का प्रावधान है क्योंकि एक ही आवेदन में एक से अधिक वर्ग की वस्तुओं और सेवाओं का उल्लेख किया जा सकता है। वर्ग–वार आवेदन के संबंध में उपरोक्त जानकारी के उद्देश्य से, बहु–वर्गीय आवेदनों में प्रत्येक वर्ग पर अलग से विचार किया जाता है।*

**शाखानुसार आवेदनः**

वर्ष 2024–25 के दौरान, सबसे अधिक आवेदन रजिस्ट्री की दिल्ली शाखा (184871) में दाखिल किए गए, इसके बाद मुंबई (122494), चेन्नई (120778), अहमदाबाद (86534) और कोलकाता (37513) की शाखाओं में आवेदन दाखिल हुए।

**चित्र : शाखानुसार आवेदन**

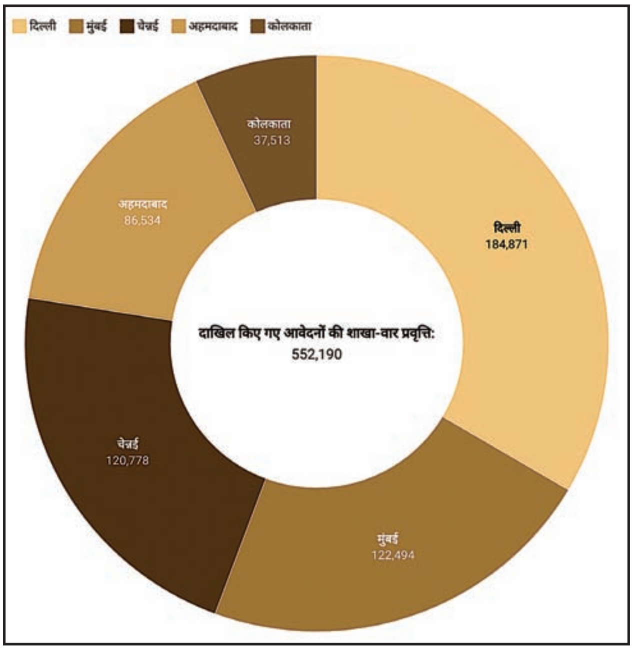

## 5. व्यापार चिह्न का पंजीकरण और अन्य गतिविधियाँ:

वर्ष 2024–25 के दौरान पंजीकृत व्यापार चिह्न की संख्या 382834 थी। 31 मार्च, 2025 तक पंजीकृत व्यापार चिह्न की कुल संख्या 3455496 थी।

**वर्ष के दौरान अन्य गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:**

96636 पंजीकृत व्यापार चिह्न का नवीनीकरण किया गया।

व्यापार चिह्न के संबंध में पंजीकरण के बाद परिवर्तन के लिए 45516 अनुरोध (अन्य व्यक्तियों को उनके असाइनमेंट सहित) प्राप्त हुए, और 10607 अनुरोधों का निष्पादन किया गया।

कानूनी कार्यवाही में उपयोग के लिए या विदेश में पंजीकरण प्राप्त करने के अनुरोध पर 19204 प्रमाण पत्र जारी किए गए।

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 45 (1) के तहत कलात्मक कार्य को कॉपीराइट के रूप में पंजीकृत करने के लिए 6381 प्रमाणपत्र जारी किए गए।

इस वर्ष रजिस्ट्री ने व्यापार चिह्न जर्नल में व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए 210629 आवेदन विज्ञापित किए, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 569861 आवेदन विज्ञापित किए गए थे। पिछले पांच वर्षों में व्यापार चिह्न जर्नल में प्रकाशित व्यापार चिह्न की प्रवृत्ति **परिशिष्ट II** में दिखाई गई है।

रजिस्ट्री ने व्यापार चिह्न अधिनियम और नियम के अधीन अर्ध–न्यायिक कार्यवाहियाँ भी संचालित की जिनमें मुख्यतः विरोध और परिशोधन की कार्यवाहियाँ थी। वर्ष 2024–25 के दौरान विरोध के कुल 82915 नोटिस और व्यापार चिह्न के पंजीकरण को रद्द करने या उसमें परिवर्तन करके व्यापार चिह्न रजिस्टर में सुधार के लिए 4790 आवेदन दाखिल किए गए और ऐसे 52665 मामलों का अंतिम रूप से निष्पादन कर दिया गया। दाखिल और निपटाए गए ऐसे मामलों का विवरण परिशिष्ट III में दिया गया है।

## 6. पंजीकृत व्यापार चिह्नों की संख्या का वर्गवार विवरण:

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2024–25 के दौरान पंजीकृत व्यापार चिह्न की संख्या का वर्गवार विवरण प्रदान करती है। यह देखा गया है कि वर्ग 5 के तहत सबसे अधिक 48984 व्यापार चिह्न पंजीकृत किए गए, जो कुल पंजीकरण का 12.80 % है, इसके बाद वर्ग 35 आता है जो 10.94% है।

**सारणी:**

| वर्ग | वस्तुओं / सेवाओं का विवरण | आवेदनों की संख्या | % भाग |
|---|---|---|---|
| 1 | उद्योग, विज्ञान, फोटोग्राफी, कृषि, बागवानी और वानिकी में प्रयुक्त रसायन; अप्रसंस्कृत कृत्रिम रेजिन, अप्रसंस्कृत प्लास्टिक; खाद; अग्निशमन यौगिक ; टेम्परिंग और सोल्डरिंग तैयारियाँ; खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु रासायनिक पदार्थ; टैनिंग पदार्थ; चिपकाने वाले पदार्थ | 6457 | 1.69 |
| 2 | पेंट, वार्निश एवं रोगन; जंग तथा लकड़ी के क्षरण के विरुद्ध परिरक्षक; रंग एवं रंगद्रव्य; कच्चे प्राकृतिक रेज़िन; साथ ही चित्रकारों, सज्जाकारों, मुद्रकों एवं कलाकारों के उपयोगार्थ पन्नी तथा पाउडर के रूप में धातुएँ। | 1916 | 0.50 |
| 3 | कपड़े धोने के लिए विरंजन सामग्री और अन्य पदार्थ; सफाई; पॉलिश; सफाई और घर्षण सामग्री; साबुन; सुगंध, आवश्यक तेल, सौंदर्य प्रसाधन, हेयर लोशन, दंतमंजन | 16706 | 4.36 |
| 4 | औद्योगिक तेल और ग्रीस; स्नेहक; धूल सोखने वाले, गीले और बांधने वाले यौगिक; ईंधन (मोटर स्पिरिट सहित) और प्रकाशक; मोमबत्तियाँ, बत्तियाँ | 1989 | 0.52 |
| 5 | औषधि, पशुचिकित्सा और स्वच्छता संबंधी तैयारियां; चिकित्सीय उपयोग के लिए अनुकूलित आहार संबंधी पदार्थ, शिशुओं के लिए भोजन; प्लास्टर, ड्रेसिंग के लिए सामग्री; | 48984 | 12.80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | दांतों को रोकने के लिए सामग्री, दंत मोम; कीटाणुनाशक; कीटों को नष्ट करने के लिए तैयारी; कवकनाशी, खरपतवारनाशी | | |
| 6 | सामान्य धातुएं और उनकी मिश्रधातुएं; धातु निर्माण सामग्री; धातु से बने परिवहन योग्य भवन; रेल की पटरियों के लिए धातु की सामग्री; सामान्य धातु के गैर–विद्युत केबल और तार; लोहा, धातु के हार्डवेयर की छोटी वस्तुएं; धातु के पाइप और ट्यूब; तिजोरियां; सामान्य धातु के सामान जो अन्य वर्गों में शामिल नहीं हैं; अयस्क आदि। | 5027 | 1.31 |
| 7 | मशीनें और मशीन उपकरण; मोटर और इंजन (भूमि वाहनों को छोड़कर); मशीन युग्मन और संचरण घटक (भूमि वाहनों को छोड़कर); हस्तचालित के अलावा अन्य कृषि उपकरण; अंडों के लिए इनक्यूबेटर | 6794 | 1.77 |
| 8 | हाथ के औज़ार और उपकरण (हाथ से चलने वाले); कटलरी; साइड आर्म्स; रेज़र | 1691 | 0.44 |
| 9 | वैज्ञानिक, समुद्री, सर्वेक्षण, विद्युत, फोटोग्राफिक, सिनेमैटोग्राफिक, ऑप्टिकल, वजन, माप, सिग्नलिंग, जांच (पर्यवेक्षण), जीवन रक्षक और शिक्षण उपकरण और यंत्र; ध्वनि या छवियों की रिकॉर्डिंग, संचरण या पुनरुत्पादन के लिए उपकरण; चुंबकीय डेटा वाहक, रिकॉर्डिंग डिस्क; सिक्का संचालित उपकरणों के लिए स्वचालित वेंडिंग मशीन और तंत्र; कैश रजिस्टर, गणना मशीनें, डेटा प्रसंस्करण उपकरण और कंप्यूटर; अग्निशामक उपकरण | 20681 | 5.40 |
| 10 | शल्य चिकित्सा, चिकित्सा, दंत चिकित्सा और पशु चिकित्सा उपकरण और यंत्र, कृत्रिम | 5029 | 1.31 |
| | अंग, आंखें और दांत; आर्थोपेडिक वस्तुएं; घाव या चीरे को बंद करने का टांका सामग्री | | |
| 11 | प्रकाश, ताप, भाप उत्पादन, पकाने, प्रशीतन, सुखाने, वेंटिलेशन, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता संबंधी उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त यंत्र। | 8230 | 2.15 |
| 12 | वाहन; भूमि, वायु या जल पर संचलन के लिए उपकरण | 4514 | 1.18 |
| 13 | आग्नेयास्त्र; गोला–बारूद और प्रक्षेप्य; विस्फोटक; आतिशबाजी सामग्री | 303 | 0.08 |
| 14 | बहुमूल्य धातुएं और उनकी मिश्रधातुएं तथा बहुमूल्य धातुओं से बनी या उनसे लेपित वस्तुएं, जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं हैं; आभूषण, बहुमूल्य पत्थर; घड़ीसाज़ और अन्य कालमापी उपकरण | 5860 | 1.53 |
| 15 | संगीत वाद्ययंत्र | 343 | 0.09 |
| 16 | कागज, कार्डबोर्ड और इन सामग्रियों से बने सामान, जो अन्य वर्गों में शामिल नहीं हैं; मुद्रित सामग्री; पुस्तक जिल्दसाज़ी सामग्री; फोटोग्राफ; स्टेशनरी; स्टेशनरी या घरेलू प्रयोजनों के लिए चिपकाने वाले पदार्थ; कलाकारों की सामग्री; पेंट ब्रश; टाइपराइटर और कार्यालय की आवश्यक सामग्री (फर्नीचर को छोड़कर); निर्देशात्मक और शिक्षण सामग्री सामग्री (उपकरणों को छोड़कर); पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक सामग्री (अन्य कक्षाओं में शामिल नहीं); ताश के पत्ते; प्रिंटर का प्रकार; मुद्रण ब्लॉक | 6883 | 1.80 |
| 17 | रबर, गुट्टा पर्चा, गोंद, एस्बेस्टस, अभ्रक और इन सामग्रियों से बने सामान जो अन्य वर्गों में शामिल नहीं हैं; विनिर्माण में उपयोग के लिए निकाले गए प्लास्टिक; पैकिंग, रोकने और इन्सुलेट सामग्री; लचीले पाइप, जो धातु के नहीं हैं | 3163 | 0.83 |
| 18 | चमड़ा और चमड़े की नकल, तथा इन सामग्रियों से बनी वस्तुएं जो अन्य वर्गों में शामिल नहीं हैं; पशुओं की खालें, चमड़े, ट्रंक और यात्रा बैग; छाते, छत्रियां और चलने की छड़ियां; चाबुक, हार्नेस और काठी | 4216 | 1.10 |
| 19 | निर्माण सामग्री, (गैर–धात्विक), भवन निर्माण के लिए गैर–धात्विक कठोर पाइप; डामर, पिच और बिटुमेन; गैर–धात्विक परिवहन योग्य भवन; स्मारक, जो धातु के नहीं हों। | 5337 | 1.39 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20 | फर्नीचर, दर्पण, चित्र फ़्रेम; लकड़ी, कॉर्क, सरकंडा, बेंत, विकर, सींग, हड्डी, हाथी दांत, व्हेलबोन, शंख, एम्बर, मोती, कनसीपी और इन सभी सामग्रियों के विकल्प, या प्लास्टिक से बने सामान ( जो अन्य वर्गों में शामिल नहीं हैं) | 6241 | 1.63 |
| 21 | घरेलू या रसोई के बर्तन और कंटेनर ( जो कीमती धातु से बने या उससे लेपित नहीं हों); कंघी और स्पंज; ब्रश (पेंट ब्रश को छोड़कर); ब्रश बनाने की सामग्री; सफाई के प्रयोजनों के लिए वस्तुएं; स्टीलवूल; बिना काम किया हुआ या अर्ध–काम किया हुआ कांच (भवन निर्माण में प्रयुक्त कांच को छोड़कर); कांच के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के बर्तन जो अन्य वर्गों में शामिल नहीं हैं | 7017 | 1.83 |
| 22 | रस्सियाँ, डोरी, जाल, तंबू, शामियाना, तिरपाल, पाल, बोरे और थैले (अन्य वर्गों में शामिल नहीं हैं) गद्दी और भराई सामग्री (रबर या प्लास्टिक को छोड़कर); कच्चा रेशेदार कपड़ा सामग्री | 926 | 0.24 |
| 23 | वस्त्र उपयोग के लिए सूत और धागे | 657 | 0.17 |
| 24 | वस्त्र और वस्त्र संबंधी सामान, जो अन्य श्रेणियों में शामिल नहीं हैं; बिस्तर और मेज के कवर | 4705 | 1.23 |
| 25 | कपड़े, जूते, टोपी | 27359 | 7.15 |
| 26 | लेस और कढ़ाई, रिबन और चोटी बटन, हुक और आइज़, पिन और सुइयां; कृत्रिम फूल आदि। | 1227 | 0.32 |
| 27 | कालीन, गलीचे, चटाई और मैटिंग, लिनोलियम और पहले से बने फर्श को ढकने के लिए अन्य सामग्री; दीवार पर टांगने वाली सामग्री (गैर–वस्त्र) आदि। | 1098 | 0.29 |
| 28 | खेल और क्रीड़ा सामग्री, जिमनास्टिक जो अन्य वर्गों में शामिल नहीं हैं; क्रिसमस वृक्षों की सजावट, आदि। | 4303 | 1.12 |
| 29 | मांस, मछली, मुर्गी ; मांस के अर्क; संरक्षित, सूखे और पके हुए फल और सब्जियां; जेली, जैम, फल सॉस; अंडे, दूध और दूध उत्पाद; खाद्य तेल और वसा आदि। | 9861 | 2.58 |
| 30 | कॉफी, चाय, कोको, चीनी, चावल, टैपिओका, साबूदाना, कृत्रिम कॉफी; आटा और अनाज से बनी चीजें, ब्रेड, पेस्ट्री और कन्फेक्शनरी, बर्फ; शहद, गुड़; खमीर, बेकिंग पाउडर; नमक, सरसों; सिरका, सॉस, (मसाले); मसाले; बर्फ, आदि। | 18013 | 4.71 |
| 31 | कृषि, बागवानी और वानिकी उत्पाद और अनाज जो अन्य वर्गों में शामिल नहीं हैं; जीवित पशु; ताजे फल और सब्जियां; बीज, प्राकृतिक पौधे और फूल; पशुओं के लिए खाद्य पदार्थ, माल्ट आदि। | 6386 | 1.67 |
| 32 | बियर, खनिज और वातित जल, और अन्य गैर–अल्कोहल पेय; फलों के पेय और फलों के रस; पेय पदार्थ बनाने के लिए सिरप और अन्य तैयारियाँ | 4974 | 1.30 |
| 33 | मादक पेय (बीयर को छोड़कर) | 2145 | 0.56 |
| 34 | तंबाकू, धूम्रपान करने वालों के सामान, माचिस | 1708 | 0.45 |
| 35 | विज्ञापन, व्यवसाय प्रबंधन, व्यवसाय प्रशासन, कार्यालय कार्य | 41864 | 10.94 |
| 36 | बीमा, वित्तीय मामले, मौद्रिक मामले, रियल एस्टेट मामले | 7790 | 2.03 |
| 37 | भवन निर्माण मरम्मत स्थापना सेवाएँ | 6380 | 1.67 |
| 38 | दूरसंचार | 3424 | 0.89 |
| 39 | माल यात्रा के परिवहन, पैकेजिंग और भंडारण की व्यवस्था | 4556 | 1.19 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40 | सामग्री का ट्रीटमेंट | 1836 | 0.48 |
| 41 | शिक्षा; प्रशिक्षण, मनोरंजन प्रदान करना; खेल और सांस्कृतिक गतिविधियाँ | 20035 | 5.23 |
| 42 | वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाएँ और उनसे संबंधित अनुसंधान और डिज़ाइन, औद्योगिक विश्लेषण और अनुसंधान सेवाएँ; कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिजाइन और विकास | 13865 | 3.62 |
| 43 | खाद्य और पेय उपलब्ध कराने के लिए सेवाएँ; अस्थायी आवास | 13847 | 3.62 |
| 44 | चिकित्सा सेवाएं; पशु चिकित्सा सेवाएँ; मनुष्यों या जानवरों के लिए स्वच्छ और सौंदर्य देखभाल; कृषि, बागवानी और वन्य सेवाएँ | 8296 | 2.17 |
| 45 | कानूनी सेवाओं; संपत्ति और व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा सेवाएँ; व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरों द्वारा प्रदान की गई व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाएँ | 4381 | 1.14 |
| 99 | बहुवर्गीय आवेदन | 5816 | 1.52 |

**टिप्पण:** बहुवर्ग आवेदन दाखिल करने का प्रावधान है (अर्थात एक से अधिक वर्ग की वस्तु तथा सेवाओं के लिए एकल आवेदन)व तदनुसार,सभी वर्गों की वस्तुओं व सेवाओं के लिए एकल पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। उपरोक्त जानकारी के उद्देश्य से, वर्गानुसार आवेदनों के संबंध में, बहु–वर्गीय आवेदनों में प्रत्येक वर्ग पर अलग से विचार किया जाता है।

**7. ट्रेड मार्क्स एजेंट परीक्षा 2025: व्यापार चिह्न नियम, 2017 के नियम 147–148 के अनुसार व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा 2025 आयोजित की गई थी।**

व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा (टीएई) 2025, 04/01/2025 को देश भर के 13 स्थानों पर आयोजित की गई थी, जिनमें अहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं।

पत्र–I के लिए कुल 408 उम्मीदवार और पत्र–II के लिए 393 उम्मीदवार उपस्थित हुए। इनमें से 105 उम्मीदवारों ने मौखिक परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त की। मौखिक परीक्षाएँ चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई स्थित व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के साथ–साथ अहमदाबाद स्थित व्यापार चिह्न रजिस्ट्री और आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में 28/02/2025 को आयोजित की गईं। मौखिक परीक्षा में शामिल हुए 105 उम्मीदवारों में से 69 उम्मीदवार उत्तीर्ण घोषित किए गए।

वर्ष 2024–2025 में व्यापार चिह्न एजेंट के रजिस्टर में कुल 107 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है।

**8. राजस्व**

वर्ष 2024–25 के दौरान, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री ने रु.535.82 करोड़ (मैड्रिड प्रणाली के तहत अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के लिए आईबी से शुल्क के रूप में प्राप्त रु.44.762 करोड़ सहित) का राजस्व अर्जित किया, जबकि पिछले वर्ष रु.467.3459 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ था।

परिशिष्ट I

## पिछले 5 वर्षों में व्यापार चिह्न आवेदनों की प्रवृत्ति

| विवरण | 2020–21 | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 |
|---|---|---|---|---|---|
| दाखिल | 431213 | 447805 | 466580 | 476089 | 552190 |
| परीक्षित | 463912 | 431520 | 395405 | 721944 | 156403 |
| पंजीकृत | 255976 | 261408 | 231977 | 279717 | 382834 |

परिशिष्ट II

## पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रकाशित व्यापार चिह्नों की संख्या

| क्र.सं. | वर्ष | जर्नल में प्रकाशित व्यापार चिह्न की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2020–21 | 339356 |
| 2 | 2021–22 | 310196 |
| 3 | 2022–23 | 237203 |
| 4 | 2023–24 | 569861 |
| 5 | 2024–25 | 210629 |

परिशिष्ट III

## 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक विभिन्न कार्यालयों में दाखिल विरोध आवेदन और उनके निष्पादन का विवरण

| व्यापार चिह्न कार्यालय | दाखिल विरोध | निष्पादित मामले |
|---|---|---|
| अहमदाबाद | 8428 | 3885 |
| चेन्नई | 13000 | 8435 |
| दिल्ली | 37452 | 26350 |
| कोलकाता | 4116 | 3744 |
| मुंबई | 18720 | 9676 |
| आईआर डिविजन | 1199 | 575 |

## पिछले पांच वर्षों के दौरान पंजीकृत व्यापार चिह्न

| क्रम सं. | वर्ष | पंजीकृत व्यापार चिह्नों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2020–21 | 255976 |
| 2 | 2021–22 | 261408 |
| 3 | 2022–23 | 231977 |
| 4 | 2023–24 | 279717 |
| 5 | 2024–25 | 382834 |

# अध्याय–VII

# चिह्नों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण हेतु मैड्रिड प्रणाली

## परिचय

मैड्रिड प्रणाली कई देशों में व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए एकल प्रक्रिया प्रदान करती है। यह दो संधियों द्वारा शासित होती है नामतः, 'द मैड्रिड एग्रीमेंट कंसर्निंग द इन्टरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स' (संक्षेप में इसे मैड्रिड समझौते के नाम से जाना जाता है) और 'प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू द मैड्रिड एग्रीमेंट' (संक्षेप में इसे मैड्रिड प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है)।

इन संधियों को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वायपो) के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो (आईबी) द्वारा प्रशासित किया जाता है।

## 1. मैड्रिड प्रोटोकॉल में भारत के शामिल होने की पृष्ठभूमिः

- 08 फरवरी, 2007 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'मार्क्स' के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण से संबंधित मैड्रिड प्रोटोकॉल में भारत को शामिल होने को अपनी मंजूरी दे दी।
- 21 सितंबर, 2010 को, ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 में संशोधन किया गया था, जिसमें 'मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के माध्यम से ट्रेडमार्क की सुरक्षा से संबंधित विशेष प्रावधान' अधिनियम में शामिल किए गए थे।
- ट्रेड मार्क्स (संशोधन) नियम, 2013 को लागू करने के लिए 14 जनवरी 2013 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।
- मैड्रिड प्रोटोकॉल के प्रावधान भारत में 08 जुलाई 2013 से लागू हुए।

मैड्रिड सिस्टम (विशेष रूप से मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत) के तहत 'मार्क्स' के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार वर्णित की गई हैः

### मेड्रिड प्रोटोकॉल के तहत अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण की प्रक्रिया

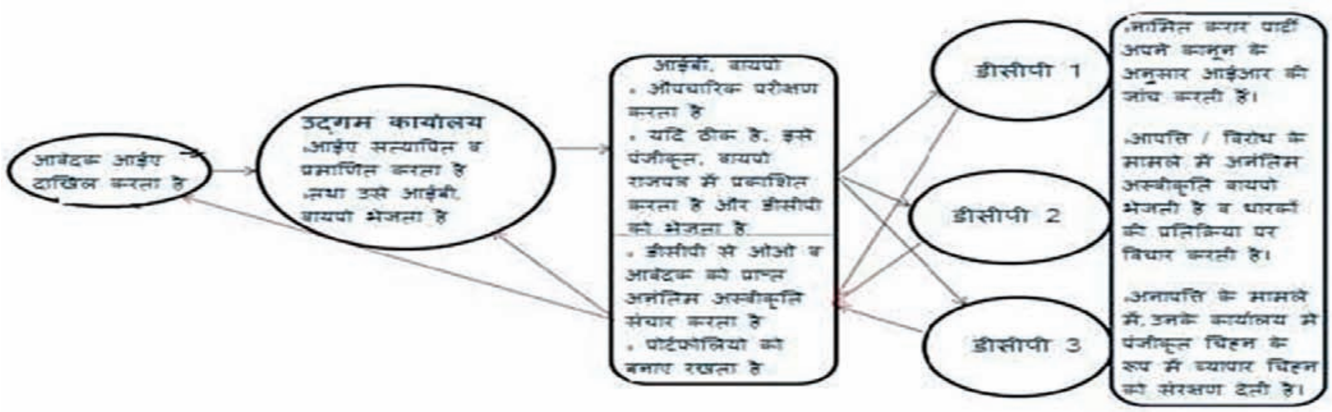

## 2. भारत में मैड्रिड प्रणाली का कार्यान्वयन: अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण विंग:

क) 'अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण विंग' मुंबई स्थित 'व्यापार चिह्न रजिस्ट्री' के प्रधान कार्यालय में स्थापित किया गया है। यह 'विंग' मुख्य रूप से भारतीय उद्यमियों से प्राप्त अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण किए जाने वाले आवेदनों के संबंध में मैड्रिड प्रणाली के तहत "उद्गम कार्यालय" (ऑफिस ऑफ ऑरिजिन) के रूप में और अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के संबंध में मैड्रिड प्रणाली के तहत "नामित करार पार्टी कार्यालय" (ऑफिस ऑफ द डेज़ीग्नेटिंग कोंट्रेक्टिंग पार्टी) के रूप में विदेशी आवेदक के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के संबंध में, जहां भारत को चिह्न के संरक्षण के लिए नामित किया गया है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है।

ख) उद्गम कार्यालय के रूप में, अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण विंग इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करता है:

ग) भारतीय उद्यमियों से फॉर्म एमएम 2 पर अंतरराष्ट्रीय आवेदन प्राप्त करना, ऐसे आवेदनों के संबंध में उनके साथ ऑनलाइन संवाद करना और टीएमआर की व्यापक ई–फाइलिंग सेवाओं के माध्यम से आवेदकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना। ऐसे अंतरराष्ट्रीय आवेदनों को सत्यापित और प्रमाणित करना और उन्हें वायपो को प्रेषित करना। अनियमितताओं के मामले में, यदि भारतीय कार्यालय द्वारा अग्रेषित अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के संबंध में वायपो द्वारा सूचित किया जाता है, तो संबंधित आवेदकों से संपर्क कर ज्ञात हुए अनियमितताओं के विषय में वायपो को उत्तर देना।

घ) यदि व्यापार चिह्न आवेदन या भारत में पंजीकरण जिसके आधार पर अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल किया गया था,समाप्त हो जाता है,तो वायपो को अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के प्रभाव को समाप्त करने के विषय में सूचित करना। साप्ताहिक आधार पर एफटीपी सर्वर के माध्यम से, भारत से किए जा रहे या होने वाले अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के साथ–साथ भारत को नामित किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के संबंध में वायपो के साथ सभी पत्राचार करना।

## 3. मैड्रिड प्रणाली के अंतर्गत व्यापार चिह्न का अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण – भारतीय आवेदन :

क) वर्ष 2024–25 के अंत तक, भारतीय व्यापार चिह्न कार्यालय में मैड्रिड सिस्टम के तहत व्यापार चिह्न के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण हेतु 3919 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 3592 आवेदन को सत्यापित, प्रमाणित और वायपो को प्रेषित किए गए और इन आवेदनों में से 2866 चिह्न का पंजीकरण वायपो के स्तर पर किया गया।

ख) भारतीय उद्यमियों के भारतीय कार्यालय द्वारा वायपो को प्राप्त और प्रेषित किए गए अंतरराष्ट्रीय आवेदनों की संख्या और पिछले 5 वर्षों में मैड्रिड सिस्टम के तहत वाईपो के द्वारा उनके पंजीकरण इस प्रकार हैं:

**चित्र : पिछले 5 वर्षों के दौरान प्राप्त भारतीय उद्यमियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार चिह्न आवेदनों की प्रवृत्ति**

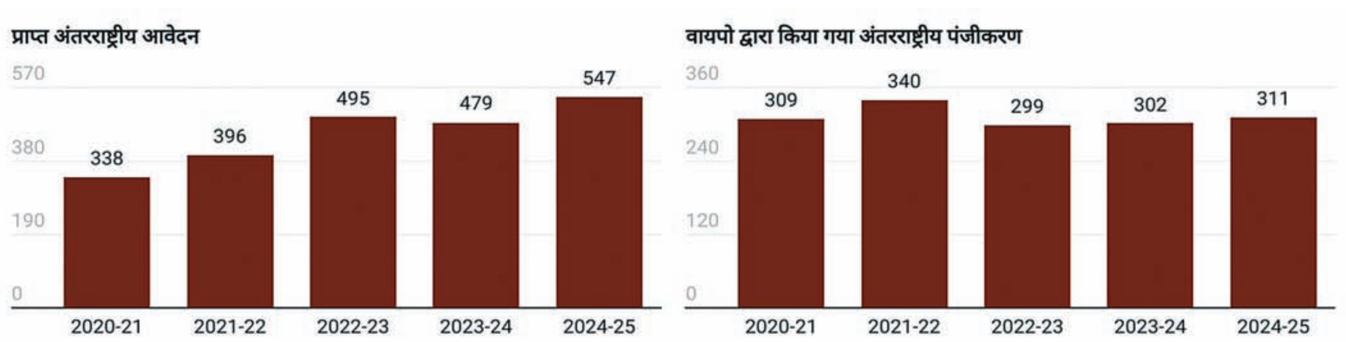

**सारणी : पिछले 5 वर्षों के दौरान प्राप्त भारतीय उद्यमियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार चिह्न आवेदनों की प्रवृत्ति**

| वर्ष | प्राप्त अंतरराष्ट्रीय आवेदन | वायपो द्वारा किया गया अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण |
|---|---|---|
| 2020–21 | 338 | 309 |
| 2021–22 | 396 | 340 |
| 2022–23 | 495 | 299 |
| 2023–24 | 479 | 302 |
| **2024–25** | **547** | **311** |

4. नामित करार पार्टी कार्यालय के रूप में, अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण विंग इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करता है:

क) वायपो द्वारा भारतीय कार्यालय को अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण का विवरण व्यापार चिह्न रजिस्ट्री डाटाबेस में स्थानांतरित करना, और राष्ट्रीय आवेदन के समान आईआरडीआई के रूप में प्रतिरूप रिकॉर्ड बनाना,

ख) अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के संबंध में वायपो अधिसूचनाओं के अनुसार टीएमआर रिकॉर्ड को अपडेट करना, जैसे धारक के नाम या पते में परिवर्तन करना, अस्वीकार करना, अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के तहत वस्तुओं/सेवाओं को प्रतिबंधित करना, अस्वीकार करना आदि,

ग) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों का परीक्षण करना व यदि अधिनियम के अनुसार भारत में चिह्न को संरक्षण नहीं प्रदान किया जा सकता है तो वायपो को अनंतिम अस्वीकृति की सूचना भेजना,

घ) हमारे राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, ऐसे अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण धारकों की ओर से प्रस्तुत अनंतिम अस्वीकृति के विरुद्ध प्रतिक्रिया पर ध्यान देना और यदि आवश्यक हो, तो कारण बताओ सुनवाई का समय निर्धारित करना। हमारे राष्ट्रीय व्यापार चिह्न जर्नल में स्वीकृत मामलों को प्रकाशित करना,

ङ) इस प्रकार प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय पदनाम के खिलाफ विरोध, यदि कोई हो तो उसे प्राप्त करना और वायपो को विरोध के आधार पर अनंतिम अस्वीकृति भेजना, अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण धारक की ओर से काउंटर स्टेटमेंट प्राप्त करना और कानून के अनुसार विरोध कार्यवाही का संचालन करना,

च) ऐसे अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के संबंध में रजिस्ट्रार के आदेशों के खिलाफ दाखिल अपील/रिट याचिकाओं के मामले में कार्यालय का प्रतिनिधित्व करना,

छ) अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के संबंध में वायपो को अंतिम/फाइनल (साथ ही आगे के निर्णय, यदि कोई हो) के विषय में सूचित करना।

5. **वर्ष 2024–25 के दौरान गतिविधियाँ– अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण:**

क) वायपो ने भारत में ट्रेडमार्क की सुरक्षा के लिए 13776 अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के लिए भारतीय कार्यालय को सूचित किया था,

ख) इन सभी अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों का एक मिरर रिकॉर्ड आईआरडीआई के रूप में बनाया गया था और 13730 आईआरडीआई की जांच की गई थी,

ग) 3579 मामलों के संबंध में, जांच के आधार पर अनंतिम अस्वीकृतियाँ डब्ल्यूआईपीओ को सूचित की गईं।व्यापार चिह्न जर्नल में प्रकाशन के अनुसरण में प्राप्त तृतीय–पक्ष विरोधों के आधार पर 994 अनंतिम अस्वीकृतियाँ डब्ल्यूआईपीओ को सूचित की गईं।

घ) 575 विरोधों का अंतिम रूप से निपटारा किया गया।

ङ) व्यापार चिह्न अधिनियम के तहत सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद 6921 अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के मामले में संरक्षण वायपो को भेजा गया था। व्यापार चिह्न अधिनियम के तहत प्रक्रिया पूरी करते हुए 6921 में से 2796 अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के संबंध में, आवेदकों को इस कार्यालय से संपर्क करने की भी आवश्यकता नहीं हुई और ऐसे अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के तहत चिह्न को भारत में सुरक्षा प्रदान की गई।

च) 3145 अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों को भारत में मार्क की सुरक्षा देने से इनकार कर दिया गया।

छ) वायपो द्वारा अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों की संख्या और सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद पिछले 5 वर्षों के भीतर वायपो को भेजे गए ऐसे अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के तहत मार्क्स की सुरक्षा का विवरण इस प्रकार हैः

**चित्र : पिछले 5 वर्षों के दौरान वायपो द्वारा अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय व्यापार चिह्न पंजीकरण की प्रवृत्ति**

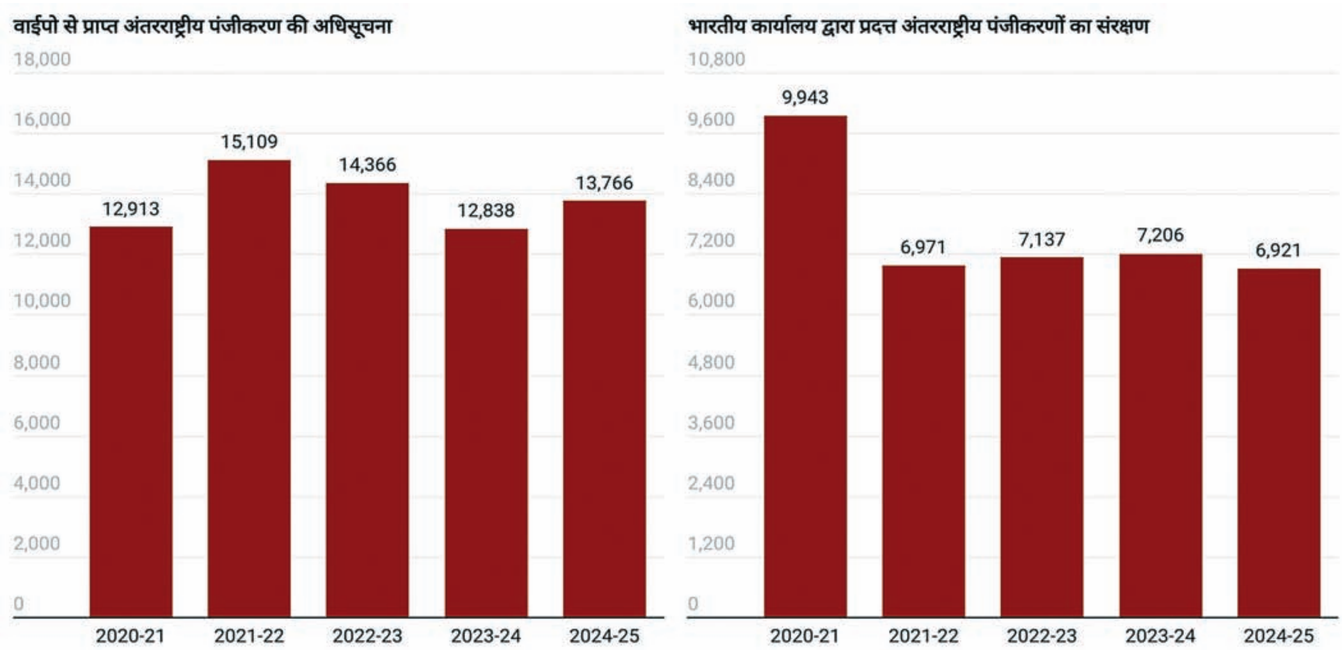


**सारणी : पिछले 5 वर्षों के दौरान वायपो द्वारा अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय व्यापार चिह्न पंजीकरण की प्रवृत्ति**

| वर्ष | वाईपो से प्राप्त अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण की अधिसूचना | भारतीय कार्यालय द्वारा प्रदत्त अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों का संरक्षण |
|---|---|---|
| 2020–21 | 12913 | 9943 |
| 2021–22 | 15109 | 6971 |
| 2022–23 | 14366 | 7137 |
| 2023–24 | 12838 | 7206 |
| **2024–25** | **13766** | **6921** |

## 6. राजस्वः

भारतीय कार्यालय को वायपो से मैड्रिड प्रणाली के तहत अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों के संबंध में राजस्व प्राप्त होता है, जहाँ ऐसे अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के नवीकरण के साथ–साथ भारत में चिह्न का संरक्षण मांगा गया है। वर्ष 2024–25 के दौरान, भारतीय कार्यालय ने चिह्नों के संरक्षण के लिए भारत को नामित करने वाले अंतरराष्ट्रीय पंजीकरणों के लिए रु.44.76 करोड़ शुल्क के रूप में प्राप्त किए।

# अध्याय–VIII

# भौगोलिक उपदर्शन

## परिचयः

भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) उन संकेतों को कहते हैं जो किसी उत्पाद को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के रूप में चिह्नित करते हैं, जहाँ कोई विशेष गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य विशेषता अनिवार्य रूप से उस मूल से जुड़ी होती है। जीआई के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, उत्पाद को एक निश्चित क्षेत्र से आना चाहिए, और उसकी विशिष्ट विशेषताएँ अनिवार्य रूप से उस स्थान से संबंधित होनी चाहिए। जीआई में आमतौर पर उस स्थान का नाम शामिल होता है और यह कृषि, प्राकृतिक या निर्मित वस्तुओं पर लागू हो सकता है जिसमें हस्तशिल्प और खाद्य उत्पाद शामिल हैं। निर्मित वस्तुओं के मामले में, उत्पादन, प्रसंस्करण या तैयारी का कम से कम एक चरण निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के भीतर होना चाहिए।

भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) को लंबे समय से बौद्धिक संपदा के एक रूप के रूप में मान्यता प्राप्त है। पेरिस कन्वेंशन (1883) ने पहली बार "स्रोत के उपदर्शन" और "उत्पत्ति के नाम" को औद्योगिक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया। मैड्रिड समझौते (1891) और लिस्बन समझौते (1958) सहित बाद के अंतरराष्ट्रीय समझौतों ने जीआई संरक्षण को और मजबूत किया। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार–संबंधित पहलू (ट्रिप्स) समझौते के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित हुआ, जिसके अनुच्छेद 22.1 में जीआई की पहली औपचारिक अंतरराष्ट्रीय परिभाषा दी गई और ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 22–24 उनके संरक्षण के लिए वैश्विक ढाँचे की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं।

भारत के टीआरआईपीएस समझौते के सदस्य राज्य के रूप में शामिल होने के परिणामस्वरूप, भारत में भौगोलिक उपदर्शन के संरक्षण के लिए एक विशिष्ट कानून 1999 में अधिनियमित किया गया।

## भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री (जीआईआर):

### 1. स्थापना और उद्देश्यः

जीआईआर एक नोडल कार्यालय और अर्ध–न्यायपालिका प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना वस्तुओं के भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 और वस्तुओं के भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) नियम, 2002 के प्रशासन के लिए की गई है।

**उद्देश्यः** वस्तुओं के भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तीन उद्देश्य हैं, (1) देश में वस्तुओं के भौगोलिक उपदर्शन को नियंत्रित करने वाला विशिष्ट कानून बनाना जो ऐसी वस्तुओं के उत्पादकों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा कर सके, (2) अनधिकृत व्यक्तियों को भौगोलिक उपदर्शन के दुरुपयोग से रोकना और उपभोक्ताओं को धोखे से बचाना और (3) निर्यात बाजार में भारतीय भौगोलिक उपदर्शन वाले सामानों को बढ़ावा देना।

**स्थानः** अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री चेन्नई में स्थापित की गई है। यह रजिस्ट्री भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रार के अधीन कार्य करती है। महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रार हैं।

### 2. कार्य और गतिविधियाँः

क. **पंजीकरणः** पंजीकरणः जीआई अधिनियम और नियमों के ढांचे के तहत, जीआई रजिस्ट्री भौगोलिक संकेतकों और जीआई के उत्पादकों को अधिकृत उपयोगकर्ताओं के रूप में पंजीकरण और कानूनी संरक्षण प्रदान करती है।

ख. **जागरूकता कार्यक्रमः** भौगोलिक उपदर्शन से संबंधित जागरूकता पैदा करने के लिए जीआईआर पूरे भारत में जागरूकता/संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन और उनमें भाग लेता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य भौगोलिक उपदर्शन के हितधारकों को भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण के महत्व, उत्पादों को

जीआई पंजीकरण द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट पहचान के लाभों और भौगोलिक उपदर्शन के उत्पादकों को दिए गए अधिकारों से परिचित कराना है।

### 3. भौगोलिक उपदर्शन आवेदनः

वर्ष 2024–25 के दौरान 275 आवेदन दाखिल किए गए, 212 आवेदनों की जांच की गई और 62 भौगोलिक उपदर्शन आवेदन पंजीकृत किए गए।

**सारणी : 31 मार्च, 2025 तक भौगोलिक उपदर्शन आवेदन की स्थिति**

| | |
|---|---|
| दाखिल भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की कुल संख्या | 1481 |
| पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की कुल संख्या | 697 |

**चित्रः 31 मार्च, 2025 तक प्राप्त जीआई आवेदनों का स्थितिवार विवरण**

**सारणी : 31 मार्च, 2025 तक प्राप्त जीआई आवेदनों का स्थितिवार विवरण**

| | |
|---|---|
| भौगोलिक उपदर्शन आवेदन पंजीकृत | 697 |
| भौगोलिक उपदर्शन आवेदन प्रक्रिया में हैं | 647 |
| विरोध के तहत भौगोलिक उपदर्शन आवेदन | 03 |
| भौगोलिक उपदर्शन आवेदन एवं अन्य निपटान | 134 |
| कुल भौगोलिक उपदर्शन आवेदन प्राप्त हुए | 1481 |

### 4. जीआई प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनः

भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन प्राप्त करने का प्रावधान 2003 से उपलब्ध था किन्तु मई 2009 से रजिस्ट्री ने भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन प्राप्त करना प्रारंभ किया तथा रजिस्ट्री ने 31 मार्च, 2025 तक 45214 (पैंतालीस हजार दो सौ चौदह) भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन प्राप्त किए हैं।

वर्ष 2024–25 के दौरान, 9777 जीआई एयू आवेदन दाखिल किए गए, 7547 जीआई एयू आवेदन विज्ञापित किए गए और 5116 जीआई एयू आवेदन पंजीकृत किए गए।

चित्र: 31 मार्च, 2025 तक दाखिल किए गए भौगोलिक उपदर्शन आवेदन और भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन की प्रवृत्ति

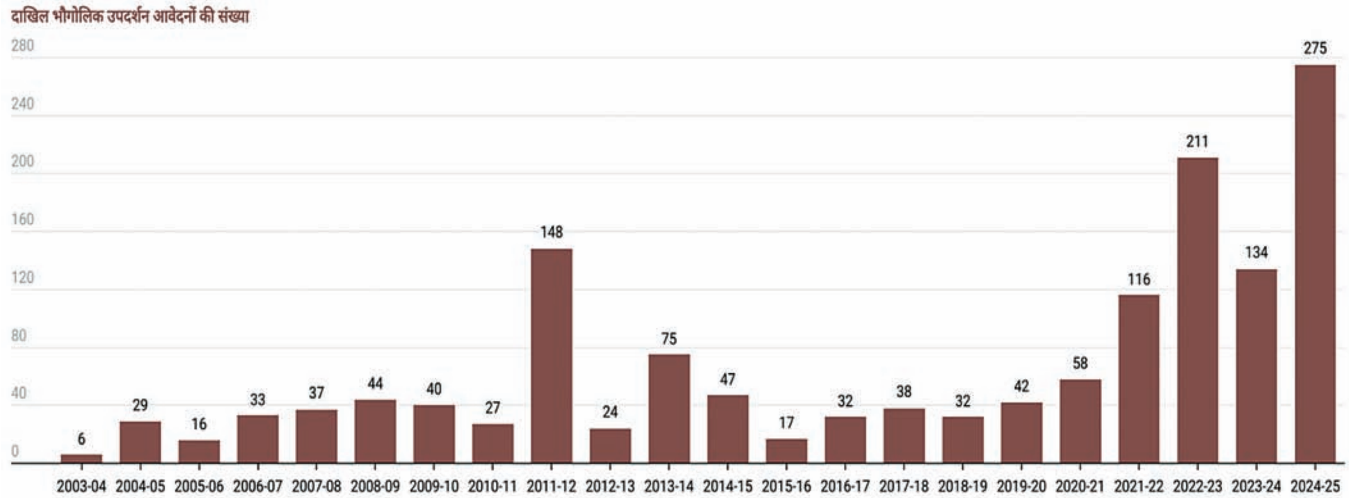


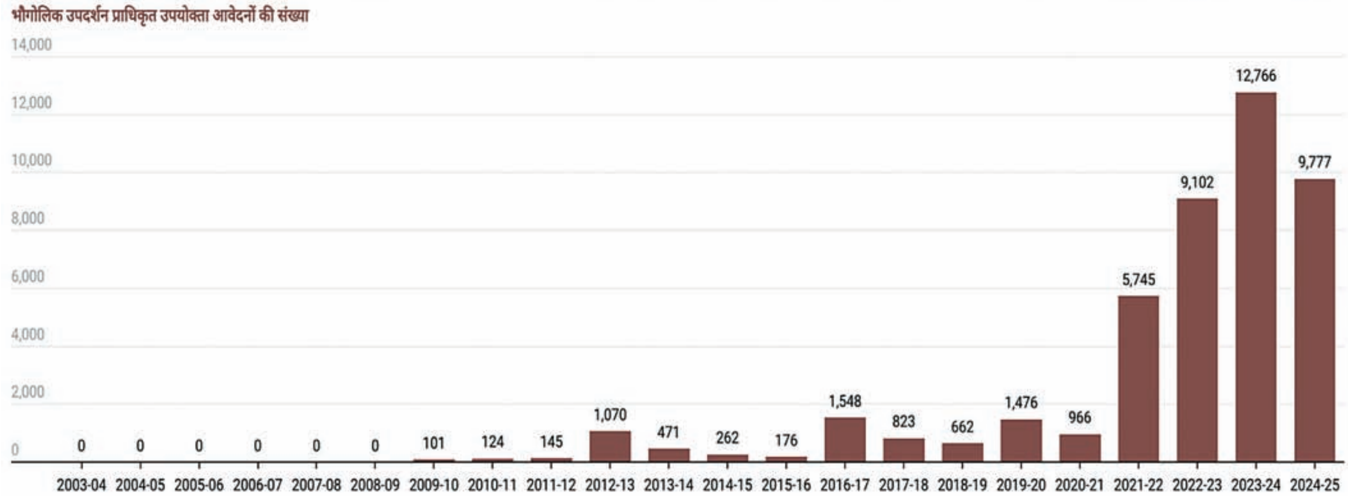


सारणी : 31 मार्च, 2025 तक दाखिल किए गए भौगोलिक उपदर्शन आवेदन और भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन का वर्ष वार विवरण

| वर्ष | दाखिल भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की संख्या | भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या |
|---|---|---|
| 2003—04 | 6 | 0 |
| 2004—05 | 29 | 0 |
| 2005—06 | 16 | 0 |
| 2006—07 | 33 | 0 |
| 2007—08 | 37 | 0 |
| 2008—09 | 44 | 0 |
| 2009—10 | 40 | 101 |
| 2010—11 | 27 | 124 |
| 2011—12 | 148 | 145 |
| 2012—13 | 24 | 1070 |

| | | |
|---|---|---|
| 2013—14 | 75 | 471 |
| 2014—15 | 47 | 262 |
| 2015—16 | 17 | 176 |
| 2016—17 | 32 | 1548 |
| 2017—18 | 38 | 823 |
| 2018—19 | 32 | 662 |
| 2019—20 | 42 | 1476 |
| 2020—21 | 58 | 966 |
| 2021—22 | 116 | 5745 |
| 2022—23 | 211 | 9102 |
| 2023—24 | 134 | 12766 |
| 2024—25 | 275 | 9777 |
| **कुल** | **1481** | **45214** |

**चित्र: 31 मार्च, 2025 तक दाखिल किए गए भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों का वर्गीकरण**

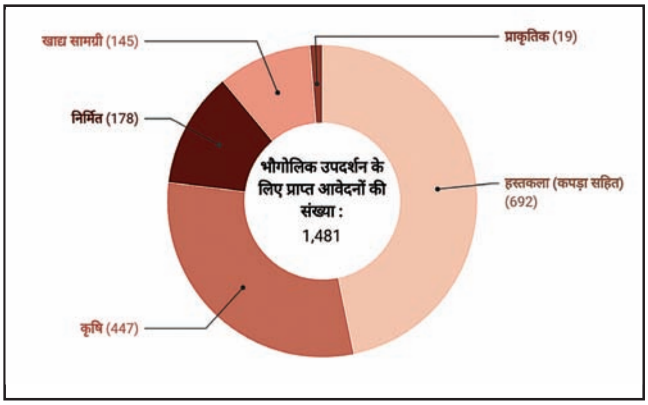


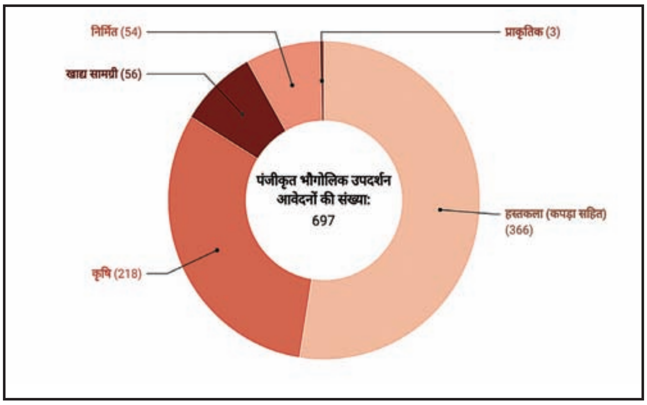


**सारणी : जीआई अधिनियम, 1999 की धारा 2 (च) के अनुसार माल के लिए प्राप्त और पंजीकृत जीआई आवेदन**

| वस्तुओं के प्रकार | भौगोलिक उपदर्शन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या | पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की संख्या |
|---|---|---|
| हस्तकला (कपड़ा सहित) | 692 | 366 |
| कृषि | 447 | 218 |
| निर्मित | 178 | 54 |
| खाद्य सामग्री | 145 | 56 |
| प्राकृतिक | 19 | 3 |
| **कुल** | **1481** | **697** |

टिप्पणी: 'भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम, 1999 की धारा 2(च) के अनुसार वर्गीकृत

चित्रः 31 मार्च, 2025 तक पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन राज्यानुसार

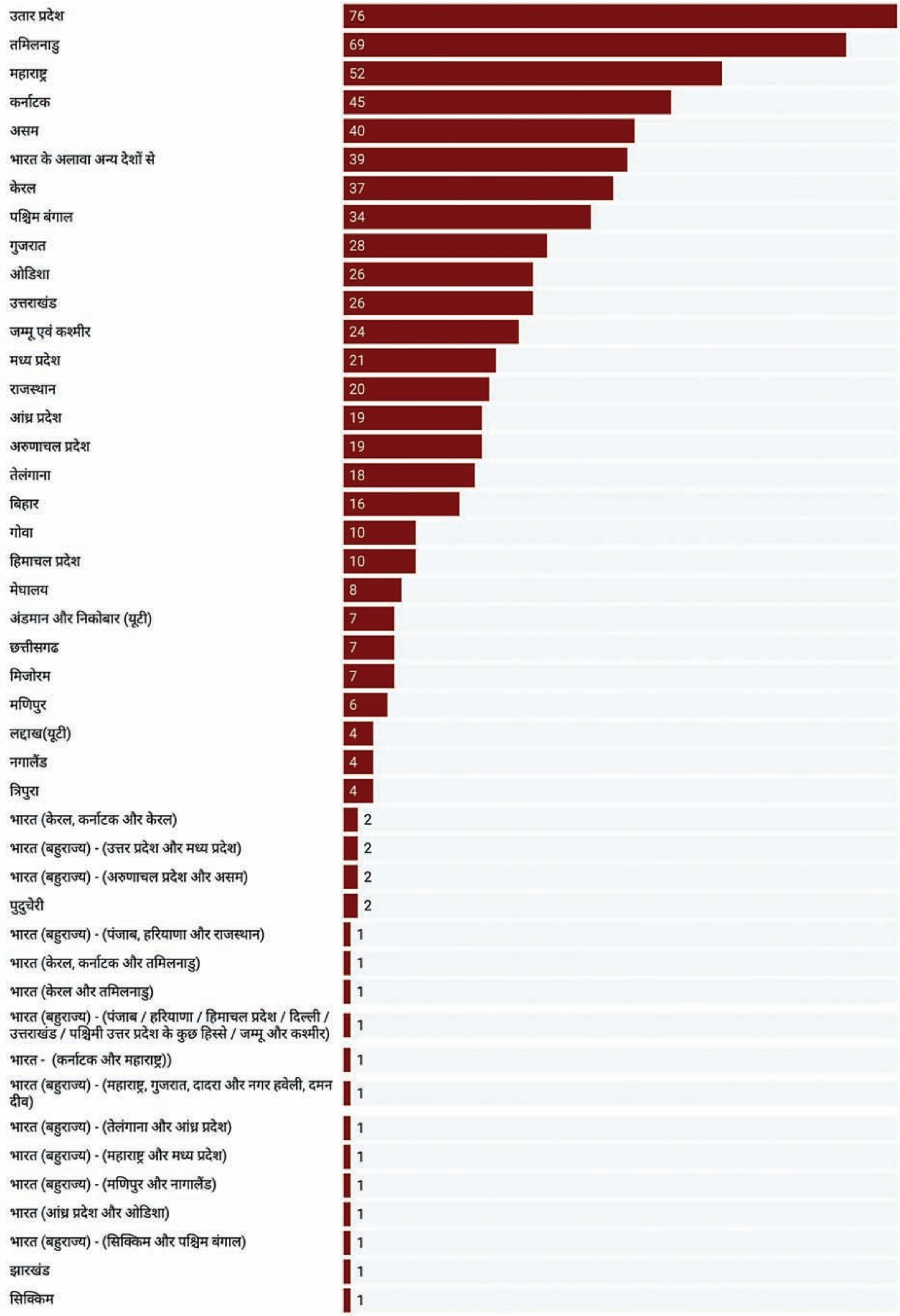

**सारणी : 31 मार्च, 2025 तक पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन राज्यानुसार**

| राज्य / इकाई | पंजीकृत जीआई की संख्या |
|---|---|
| अंडमान और निकोबार (यूटी) | 7 |
| आंध्र प्रदेश | 19 |
| अरुणाचल प्रदेश | 19 |
| असम | 40 |
| बिहार | 16 |
| छत्तीसगढ | 7 |
| गोवा | 10 |
| गुजरात | 28 |
| हिमाचल प्रदेश | 10 |
| भारत (बहुराज्य) – (पंजाब, हरियाणा और राजस्थान) | 1 |
| भारत (केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु) | 1 |
| भारत (केरल और तमिलनाडु) | 1 |
| भारत (केरल, कर्नाटक और केरल) | 2 |
| भारत (बहुराज्य) – (पंजाब / हरियाणा / हिमाचल प्रदेश / | 1 |
| दिल्ली / उत्तराखंड / पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से / | |
| जम्मू और कश्मीर) | |
| भारत – (कर्नाटक और महाराष्ट्र) | 1 |
| भारत (बहुराज्य) – (महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा और नगर हवेली, | 1 |
| दमन दीव) | |
| भारत (बहुराज्य) – (तेलंगाना और आंध्र प्रदेश) | 1 |
| भारत (बहुराज्य) – (महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश) | 1 |
| भारत (बहुराज्य) – (उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश) | 2 |
| भारत (बहुराज्य) – (मणिपुर और नागालैंड) | 1 |
| भारत (आंध्र प्रदेश और ओडिशा) | 1 |
| भारत (बहुराज्य) – (सिक्किम और पश्चिम बंगाल) | 1 |
| भारत (बहुराज्य) – (अरुणाचल प्रदेश और असम) | 2 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 24 |
| झारखंड | 1 |
| कर्नाटक | 45 |
| केरल | 37 |
| लद्दाख(यूटी) | 4 |
| मध्य प्रदेश | 21 |
| महाराष्ट्र | 52 |

| | |
|---|---|
| मणिपुर | 6 |
| मेघालय | 8 |
| मिजोरम | 7 |
| नगालैंड | 4 |
| ओडिशा | 26 |
| पुदुचेरी | 2 |
| राजस्थान | 20 |
| सिक्किम | 1 |
| तमिलनाडु | 69 |
| तेलंगाना | 18 |
| त्रिपुरा | 4 |
| उतार प्रदेश | 76 |
| उत्तराखंड | 26 |
| पश्चिम बंगाल | 34 |
| भारत के अलावा अन्य देशों से | 39 |
| **कुल** | **697** |

**सारणी : 31 मार्च, 2025 तक जीआई प्राधिकृत उपयोगकर्ता आवेदन स्थिति**

| | |
|---|---|
| पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोगकर्ता आवेदनों की संख्या | 34569 |
| जांच के अधीन जीआई प्राधिकृत उपयोगकर्ता आवेदनों की संख्या | 2313 |
| परीक्षा–पूर्व भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोगकर्ता आवेदनों की संख्या | 5652 |
| विज्ञापित भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोगकर्ता आवेदनों की संख्या | 2594 |
| विरोध के अधीन भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोगकर्ता आवेदनों की संख्या | 10 |
| विलय किए गए भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोगकर्ता आवेदनों की संख्या | 28 |
| वापस लिए गए भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोगकर्ता आवेदनों की संख्या | 48 |
| भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोगकर्ता आवेदनों की कुल संख्या | 45214 |

**चित्र: 31 मार्च, 2025 तक जीआई प्राधिकृत उपयोगकर्ता आवेदनों और पंजीकृत उपयोगकर्ता आवेदनों का वस्तु–वार विवरण**

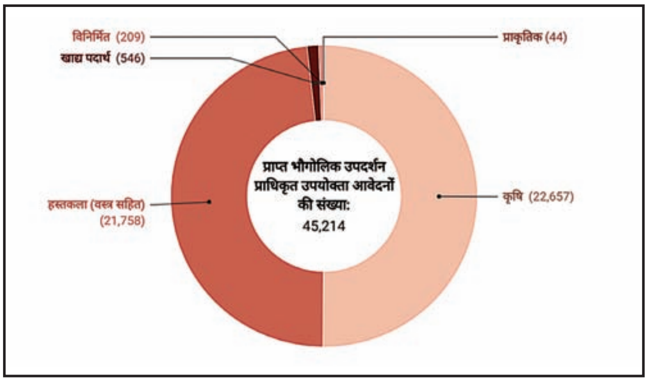


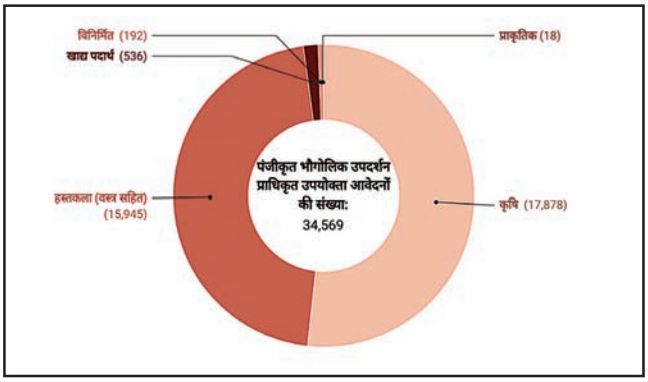

**सारणी : 31 मार्च, 2025 तक भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों का वस्तुओं के अनुसार विवरण**

| भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम,1999 की धारा 2(च) के अनुसार वस्तुएँ | प्राप्त भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या | पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या |
|---|---|---|
| हस्तकला (वस्त्र सहित) | 21758 | 15945 |
| कृषि | 22657 | 17878 |
| विनिर्मित | 209 | 192 |
| खाद्य पदार्थ | 546 | 536 |
| प्राकृतिक | 44 | 18 |
| **कुल** | **45214** | **34569** |

## 5. राजस्वः

वर्ष के दौरान भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री, चेन्नई से जीआई आवेदनों और जीआई एयू आवेदनों तथा वस्तुओं के भौगोलिक उपदर्शन संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत अन्य कार्यवाहियों से संबंधित शुल्क के रूप में कुल 18,57,020/– रुपये (केवल अठारह लाख सत्तावन हजार बीस रुपये) का राजस्व प्राप्त हुआ।

# अध्याय–IX

# कॉपीराइट

## परिचयः

प्रतिलिप्यधिकार या कॉपीराइट एक अनन्य, कानूनी अधिकार है, जिसका उद्देश्य साहित्य, कला, संगीत, फ़िल्म और कंप्यूटर प्रोग्राम आदि के रूप में मानव बुद्धिमता के निर्माण की रक्षा करना है, जिससे मालिक को इसके उपयोग से लाभ मिल सके। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत प्रतिलिप्यधिकार का प्रशासन किया जाता है, जिसमें समय–समय पर संशोधन करके विधि को तीव्र विकास के अनुरूप बनाया गया है।

## 1. प्रतिलिप्यधिकार कार्यालयः

प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय की स्थापना 1958 में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के तहत की गई थी। प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय का मुख्य कार्य प्रतिलिप्यधिकार का पंजीकरण करना है।

प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय द्वारा बनाए रखा गया प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के तहत पंजीकृत कार्यों के बारे में आम जनता को जानकारी प्रदान करता है।

इसके अलावा, प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर का निरीक्षण, विवरण में परिवर्तन, उससे उद्धरण लेना, प्रतिलिप्यधिकार का प्रशासन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। कॉपीराइट सोसायटी आदि भी प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय के क्षेत्राधिकार में हैं। सीजीपीडीटीएम को प्रतिलिप्यधिकार के पदेन रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है।

प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय ने पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदन के विरुद्ध ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करने की सुविधा शुरू की है। आवेदक सुनवाई के समय आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकता है।

जैसा कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 13 के तहत प्रदान किया गया है, प्रतिलिप्यधिकार कार्यों के निम्नलिखित वर्गों में मौजूद है।

(i) मूल साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय और कलात्मक कृतियाँ;
(ii) सिनेमैटोग्राफ़िक फ़िल्में; और
(iii) ध्वनि रिकॉर्डिंग।

प्रतिलिप्यधिकार किसी कार्य का निर्माण होते ही अस्तित्व में आ जाता है और प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त करने के लिए किसी औपचारिकता को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है। हालाँकि, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 48 के अनुसार, प्रतिलिप्यधिकार के पंजीकरण का प्रमाण पत्र और उसमें दर्ज की गई प्रविष्टियाँ विधिक न्यायालय में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामित्व से संबंधित विवाद के संदर्भ में प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में काम करती हैं।

आवेदन पत्र, शुल्क संरचना, प्रतिलिप्यधिकार नियम, 2013 के संबंधित उद्धरण सहित पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में विवरण, प्रतिलिप्यधिकार की आधिकारिक वेबसाइट, अर्थात http://copyright.gov.in पर उपलब्ध हैं।

## 2. प्रतिलिप्यधिकार का स्वामित्वः

प्रतिलिप्यधिकार कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार विशिष्ट हैं यद्यपि ये सीमित अवधि के लिए हैं। ऐसे कार्य का कार्य के स्वामी के प्राधिकार/अनुमति के बिना कोई भी उपयोग प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है (प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के तहत कुछ सीमाएँ और अपवाद प्रदान किए गए हैं।) कानून यह भी सुनिश्चित करता है कि एक बार विशेष अधिकार रखने की अवधि समाप्त हो जाने पर, आम जनता को कार्य तक सहज पहुंच मिलनी चाहिए।

## 3. प्रतिलिप्यधिकार सोसायटी:

भारत में पंजीकृत प्रतिलिप्यधिकार सोसायटी निम्नलिखित हैं:

- CINEFIL प्रोड्यूसर्स परफॉर्मेंस लिमिटेड–सिनेमेटोग्राफ कार्यों के लिए।
- भारतीय रिप्रोग्राफ़िक अधिकार संगठन (आईआरआरओ) – फोटोग्राफी कार्यों के लिए।
- रिकॉर्डेड म्यूजिक परफॉर्मेंस लिमिटेड (आरएमपीएल ) – ध्वनि रिकॉर्डिंग कार्यों के लिए।
- मेसर्स स्क्रिनराईटर्स राइट्स एसोशिएसन ऑफ इंडिया (एसआरएआई) – रंगमंचीय कार्यों से संबंधित रंगमंचीय आर साहित्यिक कार्य
- इंडियन परफोर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड (आईपीआरएस) – संगीत संबंधी कार्यों के संगीतमय और साहित्यिक कार्य

## 4. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/संधि/समझौते:

विदेशों में भारतीय कार्यों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, भारत प्रतिलिप्यधिकार और संबंधित अधिकारों पर निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का सदस्य बना हुआ है:

- बर्न कन्वेन्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटररी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स,
- यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेन्शन,
- ट्रेड रिलेटिड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटलेक्चुयल प्रॉपर्टी राइट्स (ट्रिप्स) समझौता,
- मरक्केश ट्रीटी टू फेसिलिटेट एक्सेस टू पब्लिश्ड वर्क्स बाय विजुयली इंपेयर्ड पर्सन्स एंड प्रिंट डिसेबिलिटीज़,
- वायपो कॉपीराइट ट्रीटी (डबल्यूसीटी),
- वायपो परफोरमन्सेस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी (डबल्यूपीपीटी)

## 5. अद्यतन गतिविधियां:

विश्व कॉपीराइट दिवस 2025 के अवसर पर, कॉपीराइट कार्यालय ने एक **नया कॉपीराइट प्रमाणपत्र** प्रारूप का शुभारंभ किया, जिससे प्रमाणपत्र को समझना और व्याख्या करना सरल हो गया है।

**अद्यतित ऑनलाइन फाइलिंग प्रणाली:** कॉपीराइट पंजीकरण के लिए ऑनलाइन फाइलिंग प्रणाली में प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। इस पहल का उद्देश्य रचनाकारों के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और भारत के वैश्विक नवाचार केंद्र बनने के लक्ष्य का समर्थन करना है।

कॉपीराइट पंजीकरण प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के बाद से, 2025 तक 3,50,000 से अधिक कॉपीराइट पंजीकृत किए जा चुके हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों के रचनाकारों के बीच कॉपीराइट सुरक्षा तंत्र के बारे में जागरूकता और स्वीकार्यता में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि रचनाकारों (लेखकों, कलाकारों, संगीतकारों, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, फिल्म निर्माताओं, आदि) के बीच अपने मूल कार्यों की सुरक्षा के महत्व के बारे में बढ़ी हुई समझ और प्रशंसा को दर्शाती है।

## 6. प्रतिलिप्यधिकार की प्रवृत्ति :

प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय ने उपयोगकर्ताओं की पारदर्शिता और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ाने के अपने प्रयास में "प्रतिलिप्यधिकार सोसायटी के पंजीकरण/नवीनीकरण फॉर्म (VIII) और फॉर्म (IX)" और "परफॉर्मर्स सोसायटी के पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए फॉर्म (XI) और फॉर्म (XII)" के लिए ई–फाइलिंग सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है।

चित्र : विगत 5 वर्षों में प्रतिलिप्यधिकार की प्रवृत्ति

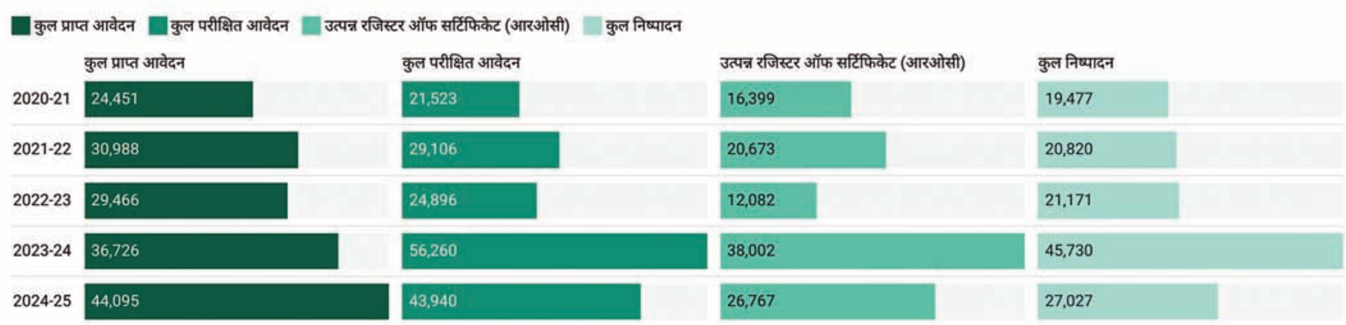


वर्ष 2024–25 के दौरान कुल 44095 आवेदन प्राप्त हुए और 43940 आवेदनों का परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान पाई गई विसंगतियों को सुधार के लिए आवेदकों को सूचित किया गया। 2024–25 में 26767 रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेट (आरओसी) सृजित हुए।

सारणी : 2020–21 से 2024–25 तक के सांख्यिकीय आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

| वर्ष | कुल प्राप्त आवेदन | कुल परीक्षित आवेदन | उत्पन्न रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट (आरओसी) | कुल निष्पादन |
|---|---|---|---|---|
| 2020–21 | 24451 | 21523 | 16399 | 19477 |
| 2021–22 | 30988 | 29106 | 20673 | 20820 |
| 2022–23 | 29466 | 24896 | 12082 | 21171 |
| 2023–24 | 36726 | 56260 | 38002 | 45730 |
| **2024–25** | **44095** | **43940** | **26767** | **27027** |

चित्र : विगत पाँच वर्षों में निष्पादन की प्रवृत्ति

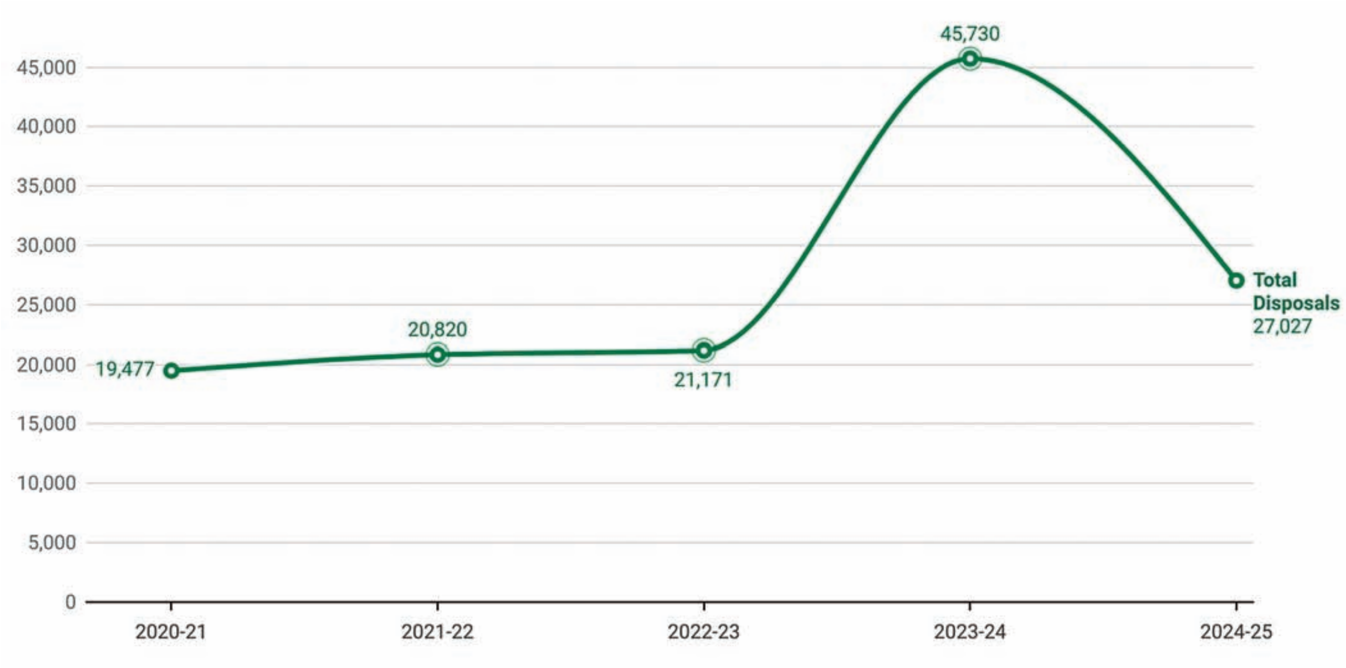

चित्र : वर्ष 2024–25 के दौरान वर्गवार सृजित रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेट (आरओसी)

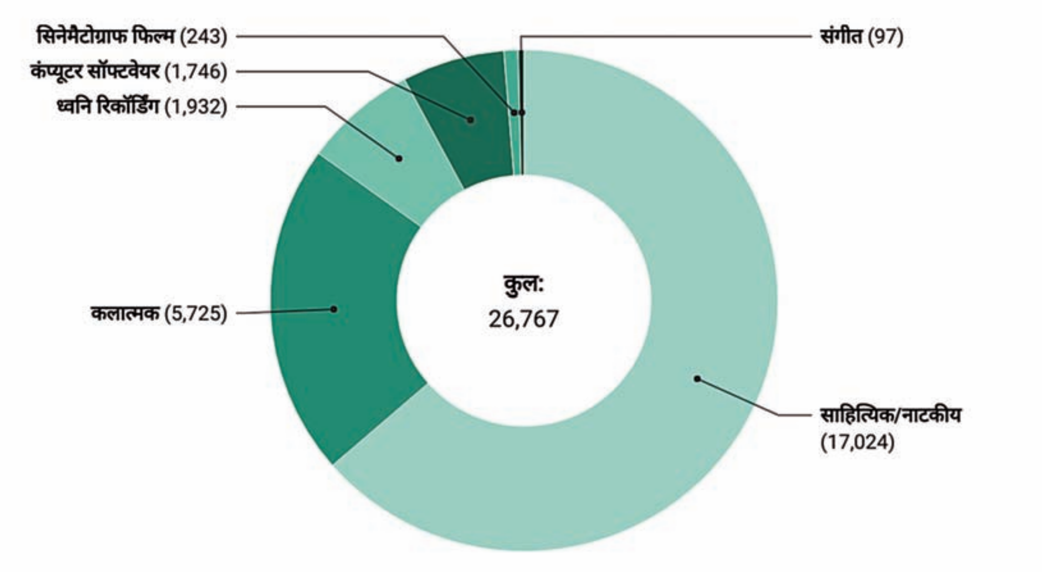


सारणी : वर्ष 2024–25 के दौरान वर्गवार सृजित रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेट (आरओसी)

| क्र. सं. | वर्ग | आरओसी |
|---|---|---|
| 1 | कलात्मक | 5725 |
| 2 | सिनेमैटोग्राफ फिल्म | 243 |
| 3 | कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | 1746 |
| 4 | साहित्यिक / नाटकीय | 17024 |
| 5 | संगीत | 97 |
| 6 | ध्वनि रिकॉर्डिंग | 1932 |
| | **कुल** | **26767** |

## 7. प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय की प्रमुख उपलब्धियाँः

ऑनलाइन आवेदनों की संख्याः अब कुल आवेदनों में से 97% ऑनलाइन दाखिल किए जा रहे हैं।

आवेदक अब प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर में बदलावों को अपडेट करने के लिए फॉर्म XV ई–फाइल कर सकते हैं। प्रतिलिप्यधिकार और परफॉर्मर्स सोसाइटीज़ का पंजीकरण / नवीनीकरणः अब ई–फाइलिंग सुविधाएँ निम्नलिखित के लिए उपलब्ध हैंः

- कॉपीराइट सोसाइटीज़ का पंजीकरण / नवीनीकरण (फॉर्म VIII और IX)
- परफॉर्मर्स सोसाइटीज़ का पंजीकरण / नवीनीकरण (फॉर्म XI और XII)
- तृतीय–पक्ष आपत्तियाँः एक नया प्रावधान तृतीय पक्षों को प्रस्तावित प्रतिलिप्यधिकार कार्यों के विरुद्ध आपत्तियाँ दर्ज करने की अनुमति देता है। यह सुविधा प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो डिजिटल इंडिया पहल का सहयोग करती है और कागज़ के उपयोग को कम करती है।
- सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंगः अब प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय पंजीकरण आवेदनों के लिए भौतिक बैठकों के स्थान पर सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विकल्प प्रदान करता है।

## 8. राजस्वः

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 और नियमों के तहत प्रतिलिप्यधिकार आवेदनों और अन्य कार्यवाहियों के संबंध में शुल्क के माध्यम से वर्ष के दौरान प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय से कुल रू. 3,64,76,300.00 / – (तीन करोड़ चौसठ लाख छिहत्तर हजार तीन सौ रुपये मात्र) का राजस्व अर्जित हुआ है।

अध्याय–X

# अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री

**परिचय:**

यह अध्याय अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 88 के तहत अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री (एसआईसीएलडीआर) द्वारा की गई गतिविधियों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 (एसआईसीएलडी अधिनियम) अर्धचालक एकीकृत परिपथ (आईसी) डिजाइनों को संरक्षण प्रदान करता है। अर्धचालक एकीकृत परिपथ अर्धचालकों, धातुओं, डाइइलेक्ट्रिक (इंसुलेटर) व अन्य सामग्री की कई परतों को मिलाकर सब–स्ट्रेट पर बनाए (फेब्रीकेट किए) जाते हैं। एसआईसीएलडी अधिनियम और नियम एकीकृत परिपथ अभिन्यास के रूप में इन परतों के त्रिआयामी विन्यास को संदर्भित करते हैं।

एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन के पंजीकरण के लिए मानदंड यह है कि वह होना चाहिएः–

- मूल
- विशिष्ट
- किसी भी अन्य अभिन्यास डिजाइन से अलग होने में सक्षम
- भारत में अथवा किसी भी कन्वेंशन देश में कहीं भी व्यावसायिक रूप से उपयोग नहीं किया गया हो।

## 1. अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री (एसआईसीएलडीआर):

एकीकृत परिपथों के विन्यास डिजाइन संबंधी आवेदन बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्री में दाखिल किए जाते हैं। इस रजिस्ट्री का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण भारत है। अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (एसआईसीएलडी) अधिनियम तथा एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (एसआईसीएलडी) नियम, 2001 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार रजिस्ट्री एकीकृत परिपथ के विन्यास डिजाइन का परीक्षण करती है व अर्धचालक एकीकृत परिपथ के मूल विन्यास डिजाइन को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करती है।

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम और अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री का प्रशासन पूर्व में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के नियंत्रण में था, लेकिन 17 मार्च, 2016 की अधिसूचना द्वारा अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 और अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के प्रशासन को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग जिसका नाम अब उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) है, उसमें स्थानांतरित कर दिया गया तथा कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न के नियंत्रण में लाया गया। अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री अब बौद्धिक संपदा भवन, द्वारका नई दिल्ली से कार्य कर रही है।

अब तक अभिन्यास डिजाइन के लिए सात (07) पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं:

1. अभिन्यास–डिजाइन संख्या 1(I)/2013 जिसका शीर्षक **"8 पोर्ट माइक्रो–कंट्रोलर (BE-80501)"** है, मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के नाम पर।
2. अभिन्यास–डिजाइन संख्या 2(I)/2016 जिसका शीर्षक **"50–60 GHz सब हार्मोनिक IQ मिक्सर"** है, मेसर्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के नाम पर।

3. अभिन्यास–डिजाइन संख्या 1/9/2020 जिसका शीर्षक **"अल्ट्रा–हाई गेन एंड लो नॉइज मोनोलिथिक एक्स–बैंड एमएमआईसी एम्पलीफायर ऑन 0.15 Um InGaAs प्रोसेस"**, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (बीईएल) के नाम पर।

4. अभिन्यास–डिजाइन संख्या 1/10/2020 जिसका शीर्षक **"हाई गेन एंड अल्ट्रा–लो नॉइज सी बैंड एम्पलीफायर"**, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (बीईएल) के नाम पर।

5. अभिन्यास–डिज़ाइन संख्या 1/11/2020 जिसका शीर्षक **एस बैंड 8–बिट डिजिटल फेज़ शिफ्टर** है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (बीईएल) के नाम पर।

6. अभिन्यास–डिज़ाइन संख्या 1/12/2021 जिसका शीर्षक **"ऑन ई/डी मोड गैस फीमेट स्ट्रक्चर के साथ कस्टमाइज़्ड गेट का उपयोग करते हुए कम करंट ड्राइवर लॉजिक"** है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (बीईएल) के नाम पर।

7. अभिन्यास–डिज़ाइन संख्या 1/13/2021 जिसका शीर्षक **"बेहतर आईआईपी3, कम इंसर्शन फेज़ शिफ्ट, अच्छी तरह से मिलान किया गया एस–बैंड 7–बिट गैस एमएमआईसी डिजिटल एटेन्यूएटर"** है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (बीईएल) के नाम पर।

## 2. उपलब्धियां:

प्रतिवेदन वर्ष 2024–25 के दौरान, दो (06) सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट अभिन्यास–डिज़ाइन आवेदन पंजीकरण के लिए प्राप्त हुए, और उनकी प्रारंभिक जांच पूरी हो गई है।

31 मार्च, 2025 तक इकत्तीस (31) एसआईसीएलडी आवेदन पंजीकरण के लिए दाखिल किए गए हैं। अब तक पंद्रह (15) आवेदनों का परीक्षण किया गया जिसमें से (07) आवेदन पंजीकृत किए गए और आठ (08) आवेदन अस्वीकृत /परित्यक्त किए गए।

अध्याय–XI

# राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) व पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस)

## परिचय

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) संबंधी गतिविधियाँ पिछले कई वर्षो से देश में निरंतर बढ़ रही हैं। आईपीआर के सृजन, उपयोग व सार्थक समुपयोजन में कई जटिल समस्याएं शामिल हैं। देश में आईपीआर संबंधित ज्ञान में सुधार लाने और आईपीआर में हितधारकों के कौशल को उन्नत करने हेतु राष्ट्रीय केंद्र की आवश्यकता को महसूस करते हुए भारत सरकार ने बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में प्रशिक्षण, प्रबंधन, शोध और शिक्षण हेतु उच्च कोटि के राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में नागपुर में राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) की स्थापना की गई है। आरजीएनआईआईपीएम आईपीआर में प्रशिक्षण, प्रबंधन, अनुसंधान और शिक्षा पर केंद्रित एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करता है। इस संस्थान द्वारा परीक्षक, एकस्व एवं अभिकल्प हेतु प्रशिक्षण, बौद्धिक संपदा कार्यालय (आईपीओ) के अधिकारियों हेतु न्यायिक प्रशिक्षण, परीक्षक, व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन व अन्य आईपीओ अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है तथा यह विभिन्न उपयोक्ता समुदायों हेतु बौद्धिक संपदा आईपी प्रशिक्षण/शिक्षण व आईपीआर प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है।

## 1. उद्देश्यः

राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) की स्थापना राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए देश की बौद्धिक संपदा (आईपी) व्यवस्था को समर्थन देने के उद्देश्य से की गई है। वर्तमान में, राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारियों व विभिन्न प्रकार के हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना एवं बौद्धिक संपदा अधिकार विषय में जागरूकता पैदा करना है। इस संस्थान का समग्र उद्देश्य निम्नानुसार हैंः

- बौद्धिक संपदा कार्यालयों की आंतरिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करना व उन्हें पूर्ण करना तथा बौद्धिक संपदा कार्यालय के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के उद्देश्यों को लागू करने हेतु विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों आदि में बौद्धिक संपदा जागरूकता पैदा करने व प्रशिक्षित बौद्धिक संपदा जनशक्ति के सृजन हेतु सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- बौद्धिक संपदा व्यावसायिकों, बौद्धिक संपदा प्रबंधकों, अनुसंधान एवं विकास वैज्ञानिकों, सरकारी संस्थान एवं बौद्धिक संपदा उपयोगकर्ताओं जैसे अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना।
- बौद्धिक संपदा अधिकार पर अल्पकालिक अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- बौद्धिक संपदा उपयोगकर्ताओं, जिनमें विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान और अनुसंधान संगठन शामिल हैं, के बीच आईपी प्रणालियों की सामान्य जागरूकता को बढ़ावा देना
- बौद्धिक संपदा अधिकार के सृजन, वाणिज्यिकरण और प्रबंधन में शामिल हितधारकों– उपयोक्ता समुदायों, सरकारी कर्मियों आदि को आधारभूत शिक्षा देना।
- देश में सभी प्रकार के बौद्धिक संपदा हितधारकों के लिए व प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रशिक्षण और शिक्षण की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।

## 2. प्रशिक्षण कार्यक्रमः

आरजीएनआईआईपीएम बौद्धिक संपदा अधिकारों अर्थात पेटेंट, डिजाइन, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन, कॉपीराइट एवं एसआईसीएलडी आदि के वास्तविक और संभावित उपयोगकर्ताओं की पेटेंट व अन्य आईपी प्रणाली की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इनसे व्यावसायिक, स्टार्ट–अप, विधि व्यवसाय, भावी पेटेंट आईपीआर अभिकर्ता(एजेंट), अनुसंधान एवं विकास संगठन, उद्योग, लघु व मध्यम उद्यमी, विद्याविद, केन्द्रीय /राज्य सरकारी /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, वैयक्तिक आविष्कारक गण लाभान्वित होते हैं।

आरजीएनआईआईपीएम निम्नलिखित के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है:

- आईपीओ के नवनियुक्त अधिकारी,
- आईपीओ के अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम,
- आईपीओ के अधिकारियों के लिए न्यायिक प्रशिक्षण,
- आईपी पर अल्पकालिक सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम,
- संस्थानों, संगठनों, आईपीआर से संबन्धित संगठनों के लिए बौद्धिक संपदा विषय पर कार्यशालाएँ/ संगोष्ठियाँ/ जागरूकता कार्यक्रम,
- वायपो व अन्य संगठनों के साथ संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

## 3. 2024–25 के दौरान उपलब्धियां

| साल | सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम<br>प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि | | | | | | विभागीय प्रशिक्षण | | | सेमिनार/ सार्वजनिक संस्थान के लिए कार्यशाला/ जागरूकता कार्यक्रम | अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम | प्रतिभागियों की संख्या | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 दिन | 2दिन | 3 दिन | 5 दिन | 6 दिन | 2 सप्ताह | 6 सप्ताह | 1–21 दिन | (ऑन-जॉब) प्रशिक्षण | | | | |
| 2020–21 (कोविड-19 महा-मारी के कारण केवल ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए) | 17 | 1 | 1 | 3 | –– | – | 1 | 3 | 1 | 128 | 1 | 21077 | 156 |
| 2021–22 (कोविड-19 महा-मारी के कारण केवल ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए) | 12 | 19 | 8 | 9 | –– | 1 | 1 | 3 | –– | 358 | 2 | 79136 | 413 |
| 2022–23 | 4 | 19 | 13 | 5 | –– | –– | –– | 8 | –– | 772 | 1 | 174217 | 822 |
| 2023–24 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 3 | 350 | – – | 65987 | 353 |
| **2024–25** | – | – | – | – | – | – | – | – | **5** | **321** | – | **57585** | **326** |
| **कुल** | **47** | **53** | **32** | **20** | **6** | **3** | **3** | **15** | **9** | **1929** | **4** | **398002** | **2070** |

वित्तीय वर्ष 2024–25 में आरजीएनआईआईपीएम द्वारा निपम–2.0 के तहत सफलतापूर्वक 321 ऑनलाइन जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, संस्थान ने चार ऑफलाइन और एक ऑनलाइन विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनका विवरण इस प्रकार है:

- प्रशिक्षकों के लिए 2–दिवसीय प्रशिक्षण – 2 कार्यक्रम
- आईपी मंथन (ऑनलाइन) – आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर और एमसीआरएचआरडी, हैदराबाद में आयोजित किया गया।
- नए भर्ती किए गए (पेटेंट और डिज़ाइन) परीक्षकों का प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम नागपुर में (283 प्रशिक्षुओं) में 14 जनवरी 2025 से प्रारंभ किया गया। एमसीआरएचआरडी, हैदराबाद में (124 प्रशिक्षुओं) के लिए यह प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 जनवरी 2025 से प्रारंभ किया गया।

## 4. प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संकाय सदस्य:

ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बौद्धिक संपदा अधिकार विषय के विशेषज्ञों द्वारा संचालित किए गए, जिनमें भारतीय पेटेंट कार्यालय और व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के विशेषज्ञ शामिल रहे। इसके अतिरिक्त, संकाय सदस्यों में देश भर के सुप्रसिद्ध संगठनों के प्रमुख आईपी अटॉर्नी और प्रसिद्ध आईपी विशेषज्ञ आदि भी शामिल थे।

**2024–25 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों का विवरणः**

**विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमः**

| विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम | कार्यक्रम की संख्या | प्रशिक्षण अवधि | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (टीओटी) | 2 | 10–11 जनवरी 2025 एवं 11–12 मार्च 2025 | 48 एवं 33 |
| नवनियुक्त परीक्षकों का प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम | 2 | 16 सप्ताह, 14 जनवरी 2024 से आरजीएनआईआईपीएम में और 20 जनवरी 2025 से हैदराबाद में | 407 |
| "आईपी मंथन (ऑनलाइन) आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर और एमसीआरएचआरडी, हैदराबाद में" | 1 | | 407 |

| क्रम. सं | तारीख | विवरण का प्रशिक्षण और संकाय प्रदान किया |
|---|---|---|
| 1 | 10–11 जनवरी 2025 और ii)11–12 मार्च 2025 | (प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (टीओटी) – 2 कार्यक्रम<br>संकाय – सीईजीआईएस और सीबीयू से |
| 2 | 14 जनवरी 2024 से आरजीएन आईआईपीएम में और 21 जनवरी 2025 से हैदराबाद में | **आईपीओ आंतरिक संकायः** डॉ. अमरेंद्र सामल, श्री पिंकेश जैन, श्री विजय टी डोए, डॉ. अभिजीत दास, श्री एपी श्रीवास्तव, डॉ. देबाशीष बनर्जी, श्री सागर पोल, श्री संतोष कुमार गुप्ता, श्री कुंदन कुमार, श्री केएस श्रीकांत, श्री विशाल शुक्ला, श्री अरुण कुमार प्रधान, सुश्री पार्वती, डॉ. लतिका दवारा, सुश्री अनुश्री कांबले, सुश्री मीनाक्षी यादव, श्री दिव्यांशु मिश्रा, श्री रवि प्रकाश पांडे, सुश्री संध्या कोठारी, सुश्री शाहिदा उमर, सुश्री विशाखा गुप्ता, डॉ. लक्ष्मी मीना, डॉ. रवि सिद्धा, श्री विपिन जैन, श्री राघवेंद्र, श्री सुनील शरण यादव, श्री सुरजीत पॉल, श्री मनोज वर्मा, श्री राजेश पटेल, श्री प्रीतीश रंजन पाल, श्री सरथ पी, श्री शुभंकर पांडा, श्री वीरा राघवुलु के, श्री देवेन्द्र देशमुख, श्री शिवांशु मोहन सिंह, श्री सीएचएस रामलिंगा प्रसाद, मोहम्मद तनवीर रहमान, श्री राहुल धाकड़, श्री विपिन कुमार, श्री श्रीधर पी, श्री अंकुर, श्री शैलेन्द्र सिंह, श्री अंशुमन वर्मा, श्री मनोज वर्मा, श्री महेंद्र डोंगरे, श्री नवीन जयसवाल, श्री राहुल जयसवाल, श्री सुनील शरण यादव, श्री प्रणव कुमार, श्री अनिल तगाले, श्री चंदन कुमार झा, श्री राहुल गहलान, श्री अजय कुमार यादव, श्री गौरव तोमर, श्री दीपू कुमार, श्री शुभांशु गौतम, श्री सौरभ द्विवेदी, सुश्री सिल्विया, श्री शिवम वर्मा, श्री राहुल धाकड़, श्री अरिंदम पोद्दार, श्री शांतनु आचार्य, श्री वेणुगोपाल ए, डॉ नरसिम्हा जी, सुश्री अंजना हरिदास, श्री लक्ष्मी नारायणन ए, श्री प्रशांत गुप्ता, श्री एन गणेश, एमडी आरिफ नदीम, श्री शिवांशु मोहन सिंह, श्री अविनाश कुमार पुहान, श्री प्रवीण कुमार गोंड, श्री अनिरुद्ध गर्ग, श्री रंजन विश्वास, श्री सैकत गायेन, श्री शांतनु आचार्य, श्री आनंद कुमार सोनी<br>**बाहरी अतिथि संकायः** वाईपो अध्ययन केंद्र, आईआईएफटी, नई दिल्लीः i)सुश्री पल्लवी अरोड़ा, कानूनी सलाहकार, ii)श्री देबाशीष लाहिड़ी, कानूनी सलाहकार, iii)सुश्री मुमृता गौरद्वाज, शोध अध्येता, iv)सुश्री ज्योत्सना मनोहर, युवा पेशेवर |
| 3 | – | आईपी मंथन (ऑनलाइन) आरजीएनआईआईपीएम और एमसीआर एचआरडी, संकाय – श्री. योगेश पाई, एनएलयू, दिल्ली, श्रीमती मालथी कुमारन, मैसर्स एलकेएस; सुश्री राजेश्वरी हरिहरन, राजेश्वरी एसोसिएट्स |

**ख. प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तस्वीरें उपरोक्त कालानुक्रमिक क्रम के अनुसार:**

## ग. सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम:

वर्ष 2024–25 के दौरान, आरजीएनआईआईपीएम ने कोई सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। हालाँकि, संस्थान आमतौर पर 1 से 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन और 2 सप्ताह तक की अवधि के अल्पकालिक सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। ये कार्यक्रम बौद्धिक संपदा के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हैं, जिनमें आईपीआर का परिचय, पेटेंट–योग्यता मानदंड, पेटेंट कार्यवाही, पेटेंट खोज जानकारी, पेटेंट विनिर्देश का परिचय, अनंतिम और पूर्ण विनिर्देश, आईपी लाइसेंसिंग, असाइनमेंट, मुकदमेबाजी, प्रवर्तन, फॉर्म और शुल्क, ई–फाइलिंग, पीसीटी प्रक्रिया, डिजाइन, ट्रेडमार्क, जीआई, एसआईसीएलडीआर और प्रतिलिप्यधिकार प्रक्रिया आदि पर प्राथमिक जानकारी शामिल है।

## घ. आरजीएनआईआईपीएम द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (निपम) एवं आईपीआर पर कार्यशालाएं:

वर्ष 2024–25 के दौरान, आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर ने कुल 321 ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें निपम 2.0 के तहत आरजीएनआईआईपीएम परिसर में आईपीआर जागरूकता/कार्यशालाएं और 8 (आठ) ऑफलाइन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम से कुल 57585 प्रतिभागियों ने पेटेंट, डिजाइन और आईपीआर के अन्य पहलुओं के महत्व को समझा। उक्त निपम कार्यक्रम 31 मार्च, 2025 तक आयोजित किए गए जिसमें शैक्षणिक संस्थानों के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें छात्र–छात्राओं और उनके संकाय सदस्यों भी प्रतिभागियों के रूप में सम्मिलित हुए, इसका विवरण निम्न प्रकार है:

**अप्रैल 2024 से 31 मार्च, 2025 तक निपम प्रशिक्षण कार्यक्रम**

| क्रं सं | वक्ता | प्रशिक्षण कार्यक्रम की सं. | प्रतिभागियों की सं. |
|---|---|---|---|
| 1. | डॉ. भरत सूर्यवंशी | 180 | 33691 |
| 2. | श्री कुमार राजू | 131 | 22829 |
| 3. | श्रीमती पूजा माऊलिकर | 3 | 359 |
| 4. | श्री हिमांशु चंद्राकर | 2 | 145 |
| 5. | श्री निर्माल्या सिन्हा | 1 | 180 |
| 6. | श्री अतुल खड़े | 1 | 50 |
| 7. | श्री एम.बुची बाबू | 1 | 111 |
| 8. | श्री अमित चक्रवर्ती | 1 | 200 |
| 9. | श्रीमती स्मिता भोयर | 1 | 20 |
| | **कुल** | **321** | **57585** |

आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर द्वारा निपम 2.0 के अंतर्गत आयोजित किए गए ऑफलाइन जागरूकता कार्यक्रम / कार्यशालाओं की तस्वीरें

## ङ. 2024–25 के दौरान आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में संचालित विभिन्न कार्यक्रम

**1) बाबासाहेब अम्बेडकर जयंती**

## 2) आईपी–दिवस उत्सव

## 3) अंतरराष्ट्रीय योग दिन पर 21 जून 2024 :

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार 21 जून 2024 को योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सीजीपीडीटीएम कार्यालय द्वारा आयोजित किए गए ऑनलाइन सत्र में आरजीएनआईआईपीएम के अधिकारियों ने भाग लिया और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर व्यावहारिक सत्र का भी आयोजन किया गया।

## 4) हिंदी कार्यशाला

राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान, नागपुर के कार्यालय में दो (2 ) हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

- विषयः "हिंदी के विकास में मीडिया की भूमिका"
- दिनांकः 30 अप्रैल, 2024
- उद्देश्यः हिंदी भाषा के विकास और प्रसार में मीडिया के योगदान पर चर्चा और प्रकाश डालना।

## 5) स्वतंत्रता दिवस 2024

## 6) रक्तदान शिविर:

आरजीएनआईआईपीएम में लता मंगेशकर अस्पताल ब्लड बैंक और कंपोनेंट्स लैब, नागपुर के सहयोग से एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आरजीएनआईआईपीएम के सभी अधिकारियों ने भाग लिया।

## 7) हिंदी पखवाड़ा 2024

राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान, नागपुर कार्यालय में दिनांक 14.09.2024 से 29.09.2024 तक राजभाषा हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया।

## 8) महात्मा गांधी जयंती–2024

## 9) एक पेड़ मां के नाम

माननीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार के दिनांक 26 जुलाई 2024 के डेमी आधिकारिक पत्र. 08/06/2024–लाइफसेल–पार्ट (1) के अनुसरण में, जिसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के कार्यालय, वाणिज्य भवन द्वारा डायरी सं –1145 दिनांक 07/08/2024 और सचिव (पीआईआईटी) द्वारा डायरी सं –1145 दिनांक 08/08/2024 के माध्यम से अनुमोदित किया गया था, के अनुसरण में इस कार्यालय (आरजीएनआईआईपीएम) कार्मिकों द्वारा अपनी माँ के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना दिखाते हुए तथा धरती माता की सुरक्षा के प्रतीक के रूप में "एक–पेड़–माँ–के–नाम प्लांट–फॉर–मदर अभियान" कार्यक्रम मनाया।

## 10) स्वच्छता कार्य योजना 2024

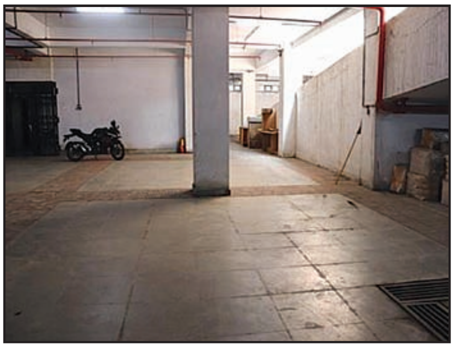

डीपीआईआईटी और सीजीपीडीटीएम के निर्देशों के अनुसार, आरजीएनआईआईपीएम ने स्वच्छता कार्य योजना (एस.ए.पी) के तहत अक्टूबर 2024 के महीने के दौरान कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिनका विवरण इस प्रकार है:

1) सीटीयू की पहचान

2) सीटीयू की सफाई

3) आरजीएनआईआईपीएम के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यालय के हरित क्षेत्रों की सफाई हेतु 'श्रमदान गतिविधि'

4) आरजीएनआईआईपीएम के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यालय परिसर की सफाई

5) आरजीएनआईआईपीएम के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत डेस्क/केबिन की सफाई

6) सफाई मित्रों (हाउसकीपिंग स्टाफ) का अभिनंदन

## 11) सतर्कता जागरूकता सप्ताह

डीपीआईआईटी के निर्देशानुसार, आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, जिसमें सभी अधिशासियों ने ऑनलाइन ई–प्रतिज्ञा ली और सतर्कता जागरूकता सप्ताह के संबंध में कार्यालय के प्रवेश द्वार और परिसर के अंदर बैनर चिपकाए गए।

## 12) फायर मॉक ड्रिल

आरजीएनआईआईपीएम,नागपुर द्वारा नगर निगम, नागपुर के सहयोग से अग्निशमन उपकरणों और संचालन प्रक्रिया के बारे में अधिकारियों को शिक्षित करने के लिए एक फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जो कि प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम के मद्देनजर किया गया था और अधिकारियों द्वारा पूरे उत्साह के साथ सफलतापूर्वक किया गया।

## 13) अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह

## 14) पेटेंट सूचना पद्धति:

वर्ष 1980 में भारत सरकार ने नागपुर में, पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस) कार्यालय की स्थापना विश्व स्तर पर पेटेंट विनिर्देशों और पेटेंट से संबंधित साहित्य का विशद् संकलन बनाए रखने ताकि अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, उद्योगों, व्यवसायी उद्यमों, आविष्कारकों और भारत के अन्य उपयोक्ताओं की प्रौद्योगिकीय सूचना की आवश्यकता पूर्ण की जा सके व पेटेंट में निहित प्रौद्योगिकी सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। पेटेंट सूचना पद्धति उपयोगकर्ताओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यालय में उपलब्ध पेटेंट दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदान करके पेटेंट आपूर्ति सेवा प्रदान करती है।

## 15) वार्षिक क्षमता निर्माण योजना

**भविष्य का निर्माण: वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एसीबीपी) 2023–24 का निर्माण:**

वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एसीबीपी) 2023–24 का निर्माण और कार्यान्वयन, पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय (सीजीपीडीटीएम) को मज़बूत बनाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। यह रणनीतिक पहल कार्यालय

की क्षमताओं को उसके व्यापक दृष्टिकोण के साथ संरेखित करने की दिशा में उठाया गया पहला सुनियोजित कदम था। आवश्यकता की पहचान कर व्यक्तिगत तथा संगठनात्मक क्षमता दोनों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से, एसीबीपी ने एक अधिक कुशल और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल की नींव रखी है।

**व्यक्तिगत क्षमता विकासः योग्यता अंतर को पाटना**

व्यक्तिगत स्तर पर, एसीबीपी ने विभिन्न पदों के लिए आवश्यक दक्षताओं की माँग और आपूर्ति का सावधानीपूर्वक मानचित्रण किया। माँग पक्ष पर, इसने अधिकारियों के लिए अपनी भूमिकाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु आवश्यक दक्षताओं (दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान) की पहचान की। आपूर्ति पक्ष पर, इसने अधिकारियों को प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु आवश्यक विशेषज्ञता से लैस करने हेतु ऑनलाइन पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण मॉड्यूल जैसे दक्षता–निर्माण उत्पादों की सिफारिश की।

यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक पोजीशन के लिए उपयुक्त योग्यताएँ हों तथा उन्हें अपनी भूमिकाओं की स्पष्ट समझ हो, और उनके भूमिका से जो अपेक्षा की जाती हो उस विषय में उन्हें अच्छी जानकारी हो, एसीबीपी का लक्ष्य एक अत्यंत सक्षम कार्यबल तैयार करना है। इस संरचित शिक्षण अवसरों के द्वारा अधिकारी अपनी व्यावसायिक क्षमताओं को बढ़ाने और सार्वजनिक सेवाओं के सफल निष्पादन में सार्थक योगदान दे कर और सशक्त हो सकेंगें।

**संगठनात्मक विकासः दक्षता और प्रभावशीलता में वृद्धि**

व्यक्तिगत विकास के अलावा, एसीबीपी संगठनात्मक परिवर्तन के लिए रणनीतिक सुझाव भी देता है। ये सुझाव प्रक्रिया दक्षता, परिचालन प्रभावशीलता और समग्र सेवा वितरण में सुधार पर केंद्रित हैं। एसीबीपी की सिफारिशों को लागू करके बौद्धिक संपदा कार्यालय अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने, अतिरेक को कम करने और संस्थागत चपलता को बढ़ाने के लिए तैयार है।

एसीबीपी का एक प्रमुख आकर्षण इसका संरचित रोडमैप है, जो लघु, मध्यम और दीर्घकालिक हस्तक्षेपों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। ये उपाय मौजूदा ढाँचे को मज़बूत करने के साथ–साथ निरंतर सुधार के लिए एक स्थायी तंत्र बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इस कार्यालय का उद्देश्य शून्य लंबितता प्राप्त करना है, यह सुनिश्चित करना है कि कार्यालय पूरी दक्षता से संचालित हो और हितधारकों को उच्च–गुणवत्ता वाली सेवाएँ प्रदान करे।

**मिशन कर्मयोगी**

राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी), जिसे मिशन कर्मयोगी के नाम से भी जाना जाता है, सरकार में योग्यता–आधारित क्षमता निर्माण करने और बेहतर कार्मिक प्रबंधन करने की दिशा में उठाया गया कदम है। यह कार्यक्रम एक भविष्य के लिए तैयार सरकारी कार्यबल की परिकल्पना करता है और उसके लिए एक रोडमैप तैयार करता है, जो चुस्त, तकनीक–सक्षम और नागरिक–केंद्रित हो। ये सभी गुण अधिकारियों को दीर्घकालिक राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बनाएंगे, साथ ही उन्हें अप्रत्याशित चुनौतियों का आत्मविश्वास से सामना करने के लिए भी तैयार करेंगे। मिशन कर्मयोगी विशिष्ट मूल सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है जो इसके अंतर्गत आने वाले सभी क्षमता–निर्माण हस्तक्षेपों पर लागू होते हैं।

**योग्यता–आधारित क्षमता निर्माण**

इस कार्यालय ने मिशन कर्मयोगी के तहत, एक फुर्तीला, तकनीक–सक्षम और नागरिक–केंद्रित कार्यबल बनाने की दृष्टि को मजबूत करने के लिए एक योग्यता–आधारित क्षमता–निर्माण ढांचा लागू किया है क्षमता निर्माण इकाई के सहायता से, इसने 7 तकनीकी और 13 प्रशासनिक पदों सहित कुल 20 पदों के लिए योग्यता मानचित्रण को पूरा कर लिया है। इसके परिणामस्वरूप कार्य आवंटन आदेश, योग्यता प्रोफाइल, और कर्मयोगी मानचित्र की रूपरेखा वाले कुल आठ पुस्तिकाएं जारी की गई हैं। यह 'नियम–आधारित' प्रणाली से 'भूमिका–आधारित' प्रणाली की ओर बदलाव की दिशा में लिया गया एक कदम है।

**आई गॉट पर ऑनबोर्डिंग और सीखने की प्रगति**

इस कार्यालय की क्षमता निर्माण इकाई (सीबीयू) ने अपने अधिकारियों के लिए एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (आई गॉट) प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2023 में सभी तकनीकी पदों पर अधिकारियों की ऑनबोर्डिंग और ओरिएंटेशन के साथ हुई थी। नीचे दिए गए अनुसार 2023–24 के दौरान आई गॉट सीखने के परिणाम से प्रेरित होकर और इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, 264 प्रशासनिक पदों और 407 भर्ती हुए अधिकारियों को उनके प्रेरण प्रशिक्षण के दौरान क्रमशः अप्रैल 2024 और फरवरी 2025 के महीने में आई गॉट प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया गया और उनका ओरिएंटेशन किया गया। कर्मयोगी भारत ने प्लेटफॉर्म पर सुचारू ऑनबोर्डिंग और प्रगति सुनिश्चित करने

के लिए निरंतर तकनीकी सहायता प्रदान की। इसके बाद सीबीयू ने चालू वर्ष में सभी पदों के लिए आई गॉट पोर्टल से स्व–शिक्षण के लिए कुछ पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। सीबीयू ने चालू वर्ष में सभी पदों के लिए आई गॉट पोर्टल से स्व–शिक्षा के लिए कुछ पाठ्यक्रम तैयार किए, जो 2023–24 के दौरान किए गए तरीके के अनुरूप विशिष्ट भूमिकाओं और दक्षताओं के लिए मैप की गई योग्यताओं के साथ संरेखित थे।

जैसे–जैसे यह यात्रा आगे बढ़ी, सीबीयू ने प्रगति की निगरानी, अधिकारियों के साथ नियमित रूप से संवाद और निरंतर जुड़ाव सुनिश्चित करने का कार्यभार संभाला। शिक्षण डेटा की प्रगति की निगरानी में आने वाली शुरुआती चुनौतियों से निपटने के लिए, सीबीयू और सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स (सीईजीआईएस) की टीम ने मिलकर एक शिक्षण प्रबंधन डैशबोर्ड बनाया। यह डैशबोर्ड, जो शिक्षण डेटा प्रबंधन प्रणाली का एक हिस्सा है, शिक्षण प्रगति पर नज़र रखने, समय पर संकेत देने और शिक्षण के रुझानों और पैटर्न को समझने का एक उपकरण प्रदान करता है।

सीबीयू ने वर्ष 2023–24 के दौरान डीओपीटी द्वारा अनिवार्य कोर पाठ्यक्रमों के अलावा 7 तकनीकी पदों (पेटेंट परीक्षक, पेटेंट नियंत्रक, डिजाइन परीक्षक, डिजाइन नियंत्रक, परीक्षक ट्रेडमार्क और जीआई, वरिष्ठ परीक्षक और ट्रेडमार्क और जीआई के रजिस्ट्रार–ट्रेडमार्क और जीआई से जुड़े व्यवहारिक और कार्यात्मक दक्षताओं के अनुरूप 27 पाठ्यक्रमों का एक सेट तैयार किया था। योग्यता–संरेखित सीखने के पहल से इस कार्यालय के अधिकारियों में उल्लेखनीय लाभ देखा गया है, जिसमें संचयी संस्थागत सीखने के घंटे उक्त वर्ष के दौरान से 41,750 घंटे से अधिक थे, जिसमें आईपी अधिकारियों के औसत सीखने के घंटे लगभग 43 घंटे थे। सभी 990 आईपी अधिकारियों को वर्ष 2023–24 में भी आई गॉट प्लेटफॉर्म पर सम्मिलित किया गया था।

इसके अलावा वर्ष 2024–25 के दौरान, डीओपीटी आदि द्वारा अनिवार्य कोर पाठ्यक्रमों के अलावा तकनीकी पदों के लिए 47 पाठ्यक्रम और प्रशासनिक पदों के लिए 29 पाठ्यक्रम तैयार कर आई गॉट पोर्टल से सीखने के लिए सभी संबंधितों को सूचित किया गया। आई गॉट पोर्टल से प्राप्त संचयी संस्थागत सीखने के घंटे, वर्ष 2024–25 से 65,417 घंटे से अधिक रहे हैं, जिसमें आईपी अधिकारियों के औसत सीखने के घंटे लगभग 47 घंटे से अधिक हैं। अपेक्षानुसार, प्रति अधिकारी कम औसत सीखने के घंटों के कारण को निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया हैः 31.03.2025 तक, 1,661 में से 1,630 अधिकारी ( 98%) मिशन कर्मयोगी के आई गॉट प्लेटफॉर्म पर शामिल हो चुके हैं।

अपेक्षित की तुलना में प्रति अधिकारी कम औसत शिक्षण घंटों का एक कारण निम्नलिखित तालिका में दिया गया हैः 31.03.2025 तक, मिशन कर्मयोगी के iGOT प्लेटफॉर्म पर 1,661 में से 1,630 अधिकारी (98%) ऑनबोर्ड किए गए हैं।

**सारणी : वर्ष 2023–24 और 2024–25 में सभी तकनीकी अधिकारियों के लिए ऑनबोर्डिंग और सीखने के घंटों की संचयी स्थिति**

| वर्ष | ऑनबोर्ड किए गए आई पी अधिकारियों की संख्या | कम से कम एक कोर्स में पंजीकृत आई पी अधिकारियों की संख्या | कुल कोर्स पंजीकरण | कुल कोर्स पूरे किए गए | कुल शिक्षण घंटे | प्रति व्यक्ति औसत शिक्षण घंटे |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क | ख | ग | घ | ङ | ङ /ख | |
| 2023–24 | 990 | 968 | 2,5965 | 23,650 | 41,750:31:37 | 43:07:51 |
| 2024–25 | 1,630* | 1,392 | 42,774 | 33,745 | 65,417:16:00 | 47:00:00** |

*अप्रैल 2024 और फरवरी 2025 के दौरान क्रमशः 264 प्रशासनिक पदों और 376 नए भर्ती हुए अधिकारियों को आई गॉट पर और ऑनबोर्ड किया गया था।

**407 नए भर्ती हुए अधिकारी जनवरी 2025 के महीने में कार्यालय में शामिल हुए, जिनका वित्तीय वर्ष 2024–25 में फरवरी और मार्च 2025 के दौरान 2 महीनों में कुल शिक्षण घंटों में नगण्य योगदान रहा।

**कार्य आवंटन आदेश**

आईपी कार्यालय के भीतर क्षमता निर्माण के प्रयासों को मजबूत करने के चल रहे प्रयासों के रूप में, 7 तकनीकी और 13 प्रशासनिक पदों के लिए एक संरचित कार्य आवंटन आदेश तैयार किया गया था। अभ्यास का उद्देश्य प्रत्येक भूमिका के तहत

की जाने वाली भूमिकाओं और गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से परिभाषित करना था। इस अभ्यास से बनाया गया आउटपुट एक कार्य आवंटन पुस्तिका है जिसमें कार्य आवंटन आदेश, योग्यता प्रोफ़ाइल और कर्मयोगी मानचित्र (व्यक्तिगत क्षमता निर्माण योजना) शामिल हैं, जिसमें कार्य आवंटन आदेश में उल्लिखित भूमिकाओं को आवश्यक दक्षताओं से मैप किया गया है। पहचानी गई दक्षताओं के आधार पर, प्रत्येक पद के लिए आई गॉट प्लेटफॉर्म से प्रासंगिक पाठ्यक्रम तैयार किए गए थे। इस पुस्तिका का उद्देश्य अधिकारी को आईपी कार्यालय में उनसे अपेक्षित कार्य के बारे में मार्गदर्शन और बेहतर स्पष्टता देना है।

इस गहन प्रक्रिया में, सीबीयू सदस्यों ने उन पदों की पहचान की जिनके कार्य आवंटन आदेश को चरणबद्ध तरीके से तैयार किया जाना था। प्रत्येक पद के लिए, एक व्यापक प्रक्रिया अपनाई गई। इसकी शुरुआत संदर्भ–निर्माण और अभिविन्यास सत्र से हुई जहाँ पदधारकों को योग्यता मानचित्रण अभ्यास से परिचित कराया गया। कई समूह चर्चाएँ और साक्षात्कार आयोजित किए गए जिनसे प्रमुख गतिविधियों के डेटा संग्रह में मदद मिली, सांकेतिक भूमिकाएँ और ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण परिभाषित किए गए। भूमिकाओं और गतिविधियों की समीक्षा करने पर, डोमेन, कार्यात्मक और व्यवहारिक दक्षताओं का मानचित्रण किया गया। कई पुनरावृत्तियों, द्वितीयक शोध, पदधारकों की समीक्षा और वरिष्ठ अधिकारियों से व्यापक प्रतिक्रिया के माध्यम से एक संरचित सत्यापन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप पुस्तिका का अंतिम संस्करण तैयार हुआ। कार्य आवंटन आदेश को मुद्रित कर वर्ष 2024–25 के दौरान सभी 20 स्तरों के बीच उनके त्वरित संदर्भ के लिए वितरित किए गए हैं।

इस अभ्यास का उद्देश्य आईपी कार्यालय में योग्यता–आधारित कार्यबल को संस्थागत रूप से तैयार करना है। आगे चलकर, यह पूरे संगठन में लक्षित शिक्षा, करियर प्रगति और कार्यालय के उत्कृष्ट परिचालन के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा।

**प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम**

सीजीपीडीटीएम कार्यालय द्वारा नवनियुक्त परीक्षकों (407 अधिकारियों) के लिए जनवरी 2025 से 16 सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। उपरोक्त 407 अधिकारियों में से, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग व कंप्यूटर विज्ञान के कुल 124 परीक्षकों के लिए डॉ.एमसीआरएचआरडीआईटी, हैदराबाद में प्रशिक्षण शुरू किया गया और शेष विषयों के 283 परीक्षकों के लिए आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में प्रशिक्षण शुरू किया गया।

परीक्षक 14 विषय विशेषज्ञताओं से थे, जो इस प्रकार हैं:

1. विद्युत अभियांत्रिकी
2. इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी
3. भौतिकी
4. कंप्यूटर विज्ञान
5. जैव चिकित्सा
6. रसायन विज्ञान
7. पॉलिमर
8. जैव रसायन
9. जैव प्रौद्योगिकी
10. खाद्य
11. यांत्रिक अभियांत्रिकी
12. सिविल अभियांत्रिकी
13. टेक्सटाइल
14. धातु विज्ञान

प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के दौरान, प्रोफेसर (डॉ.) उन्नत पी. पंडित, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न द्वारा शीर्ष प्रबंधन, प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के संबंध में व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए एक पुस्तिका, "बौद्धिक आगमन– आईपी कार्यालय में एक इंडक्शन यात्रा" जारी की गई थी।

प्रेरण कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ और दृष्टिकोण निम्नलिखित विषयों पर आधारित थे:

(क) आधारभूत दक्षताओं का मूल्यांकन;
(ख) सीखने के प्रतिधारण को बढ़ाना
(ग) प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन प्रदान करना;
(घ) निरंतरता और मानकों को सुनिश्चित करना;
(ङ) प्रमाणन और प्रमाणीकरण;
(च) प्रेरण कार्यक्रमों में निरंतर सुधार;
(छ) मार्गदर्शन और सहायता; और
(ज) आई गॉट के माध्यम से मिशन कर्मयोगी की स्व–गति से शिक्षा।

प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के व्यापक कवरेज को मोटे तौर पर 360 डिग्री शिक्षण दृष्टिकोण को कवर करने वाले 05 विशिष्ट मॉड्यूल में वर्गीकृत किया गया था। ये मॉड्यूल निम्नलिखित थे:

I. केंद्रीय सरकारी सेवा और सीजीपीडीटीएम कार्यालय का परिचय;
II. मुख्य कार्यों पर प्रशिक्षण;
III. कानूनी पहलुओं पर प्रशिक्षण;
IV. अंतरराष्ट्रीय आईपी फ्रेमवर्क का अवलोकन; और
V. मिशन कर्मयोगी और आई गॉट का परिचय।

कुल प्रेरण प्रशिक्षण 640 घंटों का था जो निम्नलिखित कल खंड में विभाजित थे:

(क) सिद्धांत और अभ्यास (495 घंटे);
(ख) अतिथि व्याख्यान (45 घंटे);
(ग) मिशन कर्मयोगी और आई गॉट (60 घंटे) और
(घ) मूल्यांकन (40 घंटे)।

इस प्रेरण प्रशिक्षण को मुख्य उद्देश्य परीक्षकों को आत्मनिर्भर रूप से तैयार करना था। उद्देश्य के अनुसार इस कार्यक्रम को तैयार कर कार्यान्वित किया गया था ताकि बौद्धिक संपदा कार्यालय विधिशास्त्रीय रूप से अनुपालन करने में अपनी भूमिका निभाने में सक्षम हों। कार्यान्वित किये गए कुछ अनूठे विचारों में निमन्वत हैं:

- उद्देश्य मानदंडों पर आधारित संकाय का चयन
- पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया गया कि पेटेंट मूल्यांकन के मापदंड के लिए एक एकीकृत और डी–सिलो दृष्टिकोण को सक्षम रूप में प्रयोग किया जा सके, जिसमें पर्याप्त उदाहरण और प्रत्येक विषय में एकीकृत और व्यावहारिक घटक सम्मिलित हों।
- बिना कानूनी पृष्ठभूमि वाले प्रशिक्षुओं के लिए अनुभवात्मक शिक्षण पर जोर देते हुए उसे सुविधाजनक बनाना, जो उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को सुविधाजनक बना सके।
- विषय विशिष्ट आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, पेटेंट अधिनियम द्वारा परिभाषित कानूनी ढांचे को समझने में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए संसाधन सामग्री की तैयारी करना सीखना,
- प्रशिक्षण के दौरान आयोजित किए जाने वाले परीक्षाओं के परीक्षाफलों का आवधिक मूल्यांकन कर रणनीति तैयार करना और उन कमियों की पहचान कर आगामी आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के पाठ्यक्रम को सुधार करना।
- प्रशिक्षुओं से दिन–वार और सत्र–वार विशिष्ट फीडबैक प्राप्त कर उसे व्यवस्थित संग्रह करना। पेटेंट कार्यालय से प्रशिक्षण संस्थान पर भेजे गए वरिष्ठ पर्यवेक्षकों से प्रशिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर प्रशिक्षुओं की आवश्यकताओं को समय पर निराकरण करना।
- प्रशिक्षणार्थियों द्वारा स्वयं दर्शाई गई कमजोरी के क्षेत्रों को लक्षित करते हुए समर्पित समीक्षा रिकैप सत्र चलाना। उल्लेख किए गए कमियों को दूर कर व्यापक एवं सार्थक प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।

पेटेंट के नवनियुक्त परीक्षकों के बैच 1 और 2 का 16 सप्ताह का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मई 2025 में पूरा हो जाएगा।

## अध्याय–XII

# अंतरराष्ट्रीय सहयोग

### परिचय

यह अध्याय प्रतिवेदन वर्ष 2024–25 के दौरान अंतरराष्ट्रीय सहयोग में हुई प्रगति का चित्रण करता है। कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने अन्य आईपी कार्यालयों के साथ बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में कई पहल किए। कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण आईपी से संबंधित मुद्दों पर वायपो और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आयोजित चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया।

कई विदेशी आईपी कार्यालयों के साथ नए समझौता ज्ञापन (एमओयू) संपन्न किए गए जिससे परस्पर सहयोग और सहभागिता को सुदृढ़ करते हुए गहन साझेदारी के मार्ग का सृजन हुआ। विदेशी बौद्धिक संपदा कार्यालयों के सहयोग से कार्य योजनाओं के अंतर्गत कई पारस्परिक रूप से लाभकारी गतिविधियों का संचालन किया गया।

## 1. द्विपक्षीय सहयोगः

### 1.1 डेनिश पेटेंट व व्यापार चिह्न कार्यालय ( डीकेपीटीओ):

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, आईपी कार्यालयों ने कार्य योजना में उल्लिखित विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता की एवं उनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया। इन गतिविधियों में आनुवंशिक संसाधनों से संबंधित प्रकटीकरण, मैड्रिड प्रोटोकॉल, तथा डिज़ाइन, व्यापार चिह्न और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान–प्रदान जैसी जैसी गतिविधियाँ शामिल थीं। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक डिज़ाइनों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण से संबंधित हेग समझौते में सम्मिलित होने के अनुभव भी साझा किए गए। इसके अतिरिक्त, डेनिश पक्ष ने आईपीओ, भारत के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई कार्यशालाएँ आयोजित कीं। 15 जनवरी, 2025 को 2 वर्ष (2025–2027) की अवधि के लिए एक नई कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए।

### 1.2. यूरोपीय संघ बौद्धिक संपदा संगठन (ईयूआईपीओ):

यूरोपीय संघ बौद्धिक संपदा कार्यालय (ईयूआईपीओ) और सीजीपीडीटीएम कार्यालय के मध्य सक्रिय कार्य योजना के अंतर्गत अनेक गतिविधियों का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों में डिज़ाइन और ट्रेडमार्क में अपील प्रणालियों से संबंधित सूचना के आदान–प्रदान, डिज़ाइन एवं ट्रेडमार्क से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान–प्रदान सत्रों का संचालन, तथा औद्योगिक डिज़ाइनों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण से संबंधित हेग समझौते में सम्मिलित होने के अनुभवों का साझा किया जाना सम्मिलित था।

### 1.3. संयुक्त राज्य पेटेंट और व्यापार चिह्न कार्यालय (यूएसपीटीओ):

वर्ष 2024–2025 के दौरान यूएसपीटीओ और भारतीय बौद्धिक संपदा कार्यालयों के मध्य अनेक सहयोगात्मक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया, जिनमें मुख्य रूप से भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) तथा ट्रेडमार्क पर केंद्रित सेमिनार शामिल थे। इनमें कांचीपुरम में आयोजित भौगोलिक उपदर्शन सेमिनार तथा हेग डिज़ाइन्स एवं मैनुअल ऑफ पेटेंट एग्ज़ामिनिंग प्रोसीजर (एमपीईपी) पर वर्चुअल सत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे। भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकारियों ने यूएसपीटीओ के नेतृत्व में श्रीलंका में आयोजित भौगोलिक उपदर्शन विषयक कार्यक्रम में भी सहभागिता की।

### 1.4. ताइवानः

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, सीजीपीडीटीएम कार्यालय एवं ताइवानी बौद्धिक संपदा कार्यालय ने संयुक्त रूप से अनेक प्रमुख आईपी कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिनमें भौगोलिक नामों, औषधियों (फार्मास्यूटिकल्स) तथा जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित व्यापार चिह्न पर केंद्रित ऑनलाइन सत्र सम्मिलित थे। जून 2024 में एक भारतीय आईपी अधिकारी ने ताइवान में आयोजित न्यू साउथबाउंड बौद्धिक संपदा सम्मेलन में सहभागिता की। इसके अतिरिक्त, दिसंबर 2024 में चेन्नई में पेटेंट परीक्षक विनिमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन सभी गतिविधियों ने बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में ज्ञान के आदान–प्रदान तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और अधिक सुदृढ़ किया।

**1.5. फ्रांसीसी पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय (आई एन पी आई):**

एक आईपी अधिकारी ने 25 जून से 6 जुलाई 2024 की अवधि के दौरान फ्रांस स्थित स्ट्रांसबर्ग विश्वविद्यालय में आयोजित सीईआईपीआई समर स्कूल कार्यक्रम में सहभागिता की। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत बौद्धिक संपदा कानून एवं व्यवहार के क्षेत्र में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

**1.6. जापान पेटेंट कार्यालय (जेपीओ):**

कार्य योजना के अंतर्गत, आईपी अधिकारियों ने जापान पेटेंट कार्यालय (जेपीओ) द्वारा आयोजित हाइब्रिड प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता की, साथ ही जेपीओ एवं सीजीपीडीटीएम कार्यालय के मध्य आयोजित ऑनलाइन सत्रों में भी भाग लिया। इन कार्यक्रमों में कार्यालयी प्रक्रियाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरणों के उपयोग, डिज़ाइन परीक्षण की सर्वोत्तम प्रथाओं, ट्रेडमार्क विरोध तथा पंजीकरण प्रक्रियाओं जैसे विषयों को समाविष्ट किया गया। इसके अतिरिक्त, आईपी कार्यालयों के मध्य नियमित बैठकों ने प्रमुख मुद्दों पर द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक सुदृढ़ किया है।

**1.7. बौद्धिक संपदा के लिए फेडरल सेवा (रोसपेटेंट):**

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, दोनों कार्यालयों द्वारा संयुक्त रूप से एक आभासी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को भारत एवं रूस में प्रचलित भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) संरक्षण प्रणालियों के साथ–साथ जीआई पंजीकरण से संबंधित सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के बारे में अवगत कराया गया।

**1.8. इतालवी पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय (यूआईबीएम):**

भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) और इतालवी गणराज्य के उद्यम और मेड इन इटली मंत्रालय के औद्योगिक संपत्ति संरक्षण महानिदेशालय– इतालवी पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय (डीजीटीपीआई–यूआईबीएम) के बीच औद्योगिक संपत्ति अधिकारों के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 14 जून, 2024 को हस्ताक्षर किए गए।

**1.9. यूनाइटेड किंगडम का बौद्धिक संपदा कार्यालय (यूकेआईपीओ):**

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, दोनों आईपी कार्यालयों द्वारा विविध गतिविधियों का सफल आयोजन किया गया, जिनमें पंजीकरण प्रक्रियाओं पर ज्ञान के आदान–प्रदान हेतु ट्रेडमार्क संबंधी सूचना विनिमय सत्र तथा विश्व आईपी दिवस के उपलक्ष्य में एनएलयू दिल्ली में आयोजित संयुक्त यूकेआईपीओ, कार्यालय सीजीपीडीटीएम कार्यक्रम शामिल था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आईपी के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना एवं दोनों कार्यालयों के मध्य सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करना था।

**1.10. वायपो:**

2024–25 के दौरान कई प्रमुख वायपो कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें एशिया–प्रशांत और आसियान क्षेत्रों में पेटेंट खोज, जीआई और पीसीटी पर उन्नत पाठ्यक्रम शामिल हैं। वायपो अकादमी, कार्यालय सीजीपीडीटीएम और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली (एनएलयू–डी) द्वारा संयुक्त रूप से बौद्धिक संपदा (आईपी) और प्रबंधन में मास्टर डिग्री 2024 में शुरू की गई थी। भारत ने छह शहरों में वायपो–आईपीओ पीसीटी–मैड्रिड रोविंग सेमिनारों की मेजबानी की, जिसमें पीसीटी और मैड्रिड प्रणालियों के लाभों और हितधारकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। मार्च 2025 में, वायपो की डीडीजी सुश्री सिल्वी फोर्बिन ने कॉपीराइट और रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए भारत का दौरा किया।

**2. वायपो के सदस्य देशों की सभाएं – बैठकों की 65 वीं श्रृंखला:**

2.1. वर्ष 2024–25 के दौरान, वायपो महासभा और वायपो के सदस्य देशों की सभाओं में भारत से निम्नलिखित प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया:

क. श्री अरिंदम बागची, राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि, स्थायी मिशन, जिनेवा

ख. सुश्री प्रियंका चौहान, राजदूत, उप स्थायी प्रतिनिधि, स्थायी मिशन, जिनेवा

ग. प्रो. (डॉ.) उन्नत पी. पंडित, महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम), कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मुंबई

घ. श्री राजेश शर्मा, काउंसलर, स्थायी मिशन, जिनेवा
ङ. श्री गौरव कुमार ठाकुर, काउंसलर, स्थायी मिशन, जिनेवा
च. सुश्री काजल, निदेशक, डीपीआईआईटी
छ. सुश्री सिमरत कौर, निदेशक, डीपीआईआईटी
ज. श्री अनूप कुन्नाथुपरम्बिल जॉय, संयुक्त नियंत्रक, एकस्व एवं अभिकल्प, कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न,
झ. डॉ. दिनेश पी. पाटिल, संयुक्त नियंत्रक, एकस्व एवं अभिकल्प, कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न
ञ. श्री पिंकेश कैलाशचन्द्र जैन, संयुक्त नियंत्रक, एकस्व एवं अभिकल्प, कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न
ट. श्री विजय डोये, उप नियंत्रक, एकस्व एवं अभिकल्प, कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न
ठ. श्री पवन कुमार, उप रजिस्ट्रार, ट्रेडमार्क एवं जीआई, कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न
ड. श्री शम्मी रंजन, सहायक नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प, कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न
ढ. श्री जाधव सिद्धार्थ, सहायक नियंत्रक, एकस्व एवं अभिकल्प, कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न

**2.2. प्रारंभिक वक्तव्यः** उद्घाटन वक्तव्य भारत की ओर से जिनेवा स्थित भारत के स्थायी मिशन के परामर्शदाता, श्री गौरव कुमार ठाकुर ने दिया। वक्तव्य में यह कहा गया कि बौद्धिक संपदा अधिकार प्रणाली के वैश्विक विकास में वायपो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो नवाचार तथा सतत और समावेशी विकास को सक्षम बनाता है। इस विषय पर प्रकाश डाला गया कि पिछले दशक में भारत ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अनेक विधायी एवं नीतिगत सुधार अपनाए हैं, जिनका उद्देश्य विशेष रूप से अनुपालन बोझ को कम करना तथा बौद्धिक संपदा प्राप्त करने और उसके रखरखाव में आसानी के लिए फाइलिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। इन पहलों के कारण घरेलू पेटेंट आवेदनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, पिछले वर्ष (2023–24) 90,000 से अधिक आवेदन दाखिल किए गए और 100,000 से अधिक पेटेंट अनुदत्त किए गए। हाल के एफटीए में भारत के नए विदेशी व्यापार भागीदारों के साथ आधुनिक और व्यापक आईपी अध्यायों के समापन पर भी प्रकाश डाला गया। 13 से 24 मई, 2024 के दौरान आयोजित "आनुवंशिक संसाधनों एवं संबद्ध पारंपरिक ज्ञान पर राजनयिक सम्मेलन" के अवसर पर सदस्य राज्यों को उनके उल्लेखनीय प्रयासों हेतु बधाई दी गई तथा उनकी सराहना की गई। यह आशा की गई थी कि यह संधि प्रासंगिक प्रतिस्पर्धी अधिकारों के बीच एक स्थायी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। भारत ने नवाचार को बढ़ावा देने, आईपी अधिकारों की सुरक्षा करने तथा एक समावेशी और दीर्घकालिक आईपी–आधारित भविष्य को बढ़ावा देने के सामूहिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जो एक तरफ अधिकार धारकों के अधिकारों और दूसरी तरफ आम जनता के अधिकारों के बीच पर्याप्त संतुलन बनाए रखे। भारत ने आईजीसी के आगामी सत्रों में पारंपरिक ज्ञान (टीके) और पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों (टीसीई) के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था पर वार्ता में समर्थन देने और सक्रिय रूप से योगदान देने की इच्छा भी व्यक्त की। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में भारत द्वारा की जा रही पहलों पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) और अटल इनोवेशन मिशन देश भर में छात्रों को जोड़ने और स्टार्ट–अप को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई के लिए एक बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र की स्थापना की है। इन प्रयासों ने भारत को कई यूनिकॉर्न के साथ, वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्टार्ट–अप इकोसिस्टम के रूप में उभरने में योगदान दिया है।

**2.3. एसीई रिपोर्ट पर (डब्ल्यूओ/जीए/57/9 – प्रवर्तन पर सलाहकार समिति की रिपोर्ट),** भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बौद्धिक संपदा (आईपी) के बारे में जागरूकता फैलाने के महत्व पर बल दिया और आउटरीच प्रयासों के विस्तार के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यह अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (एनआईपीएएम) ने 7,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में बौद्धिक संपदा के बारे में जागरूकता फैलाई है। पिछले दो वर्षों की अवधि में, निपम मिशन द्वारा पूरे भारत में 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों को बौद्धिक संपदा अधिकारों पर बुनियादी जागरूकता प्रशिक्षण सफलतापूर्वक दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 2023 में, भारत ने "आईपी मंथन" कार्यक्रम शुरू किया, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सार्वजनिक चर्चाओं की एक श्रृंखला है जिसका उद्देश्य आईपी के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना है। यह पहल, जिसका अर्थ "आईपी पर विचार–मंथन" है, जो हितधारकों को चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती है, जिससे आईपी मुद्दों के प्रति सहभागिता और समझ बढ़ती है। यह उल्लेख किया गया कि सीआईपीएएमदृ डीपीआईआईटी ने एक नोडल केंद्र के रूप में कार्य करते हुए अनेक टीआईएससी की स्थापना की है तथा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों एवं नवोद्यमियों को सहायता प्रदान करने हेतु आईपी व्यावसायीकरण पर ऑनलाइन सत्रों का आयोजन किया है। सीआईपीएएम द्वारा समन्वित भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) जागरूकता पहल ने आईपी व्यावसायीकरण पर व्यापक सत्रों के माध्यम से 4,600 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों तक सफलतापूर्वक अपनी पहुँच स्थापित की है। इसके अतिरिक्त, सीआईपीएएम बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के प्रवर्तन को सुदृढ़ करने तथा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं वेबिनारों के माध्यम से वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा अंतरराष्ट्रीय समकक्ष संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित करता है। आईपीआर प्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने व्यापक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किए हैं। हाल ही में, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) दिल्ली ने बौद्धिक संपदा कानून और प्रबंधन में एलएलएम की शुरुआत की है, जिसे वायपो इंडिया एक्शन प्लान, 2023 के तहत वायपो और सीजीपीडीटीएम कार्यालय के सहयोग से विकसित किया गया है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए, बौद्धिक संपदा से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक मजबूत न्यायिक ढांचा प्रदान करने हेतु उच्च न्यायालयों में विशेष बौद्धिक संपदा पीठों की स्थापना की गई है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने विचार–विमर्श के लिए अपनी सराहना व्यक्त की तथा इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदस्य देशों के साथ बातचीत जारी रखने की अपनी उत्सुकता व्यक्त की।

**2.4. मैड्रिड यूनियन रिपोर्ट (एमएम/ए/58/1),** भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष महोदय की सराहना की तथा ट्रेडमार्क संरक्षण को बढ़ाने तथा ट्रेडमार्क के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मैड्रिड यूनियन की सराहनीय भूमिका को स्वीकार किया। प्रतिनिधिमंडल ने माना कि अंतरराष्ट्रीय ट्रेडमार्क पंजीकरण के क्षेत्र में उभरती जरूरतों और प्रगति को समायोजित करने के लिए प्रोटोकॉल में विभिन्न संशोधन किए गए हैं और अंतरराष्ट्रीय ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रणालियों को मजबूत करने के लिए अटूट समर्थन और प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रतिनिधिमंडल ने मूल चिह्न की आवश्यकता को यथावत बनाए रखने तथा निर्भरता अवधि को पाँच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। भारत ने बुनियादी आवेदन की आवश्यकता को संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि ट्रेडमार्क धारक अपनी बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए एक सुसंगत और विश्वसनीय ढांचे पर भरोसा कर सकें। इसके अतिरिक्त, भारत ने ट्रेडमार्क धारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अनंतिम अस्वीकृतियों पर प्रतिक्रिया के लिए न्यूनतम दो माह की समय–सीमा निर्धारित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। विश्व में सर्वाधिक भाषायी विविधता वाले देशों में से एक के रूप में अपनी स्थिति को स्वीकार करते हुए, भारत ने भाषायी समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए अपना समर्थन दिया। प्रतिनिधिमंडल को विश्वास था कि अतिरिक्त भाषाओं को शामिल करने का निर्णय गहन व्यावहारिकता मूल्यांकन के बाद लिया जाएगा।

**2.5. पेटेंट कानून पर स्थायी समिति (एससीपी) के (डब्ल्यूओ/जीए/57/4) की रिपोर्ट,** भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रसन्नता के साथ यह तथ्य साझा किया कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2023–24 में एक लाख से अधिक पेटेंट अनुदत्त किए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत ने हाल ही में पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है, जो प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पेटेंट आवेदनों के प्रसंस्करण में तेजी लाने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारत ने विश्व भर में बौद्धिक संपदा कार्यालयों (आईपीओ) द्वारा क्रियान्वित त्वरित परीक्षण कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु एक समर्पित वेबपेज स्थापित करने की पहल का स्वागत किया है। प्रतिनिधिमंडल ने त्वरित परीक्षण कार्यक्रमों से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं एवं अनुभवों के आदान–प्रदान के महत्व को स्वीकार किया तथा पेटेंट परीक्षण प्रक्रिया में तीव्रता लाने हेतु अपनाए गए विभिन्न उपायों पर प्रकाश डाला, जिनमें आवेदकों की कुछ श्रेणियों को त्वरित परीक्षण का अनुरोध करने का अवसर प्रदान करना भी सम्मिलित है। प्रतिनिधिमंडल ने आविष्कार की एकता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्यापक अध्ययन संपादित करने के लिए सचिवालय के प्रति आभार व्यक्त किया, जिसमें विशेष रूप

से विविध प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रभागीय आवेदनों पर केंद्रित विश्लेषण सम्मिलित था। भारत के पेटेंट नियमों में हाल ही में किए गए संशोधन में विभागीय आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता लाने के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, मानक आवश्यक पेटेंट (एसईपी) और निष्पक्ष, उचित और गैर–भेदभावपूर्ण (एफआरएएनडी) लाइसेंसिंग से संबंधित मुद्दों से संबंधित नीतिगत अनुभवों पर सूचना–साझाकरण सत्र आयोजित करने के प्रस्ताव का स्वागत किया गया, जिसमें एसईपी के प्रबंधन और एफआरएएनडी शर्तों पर बातचीत के लिए एक संतुलित और न्यायसंगत ढांचा बनाने के महत्व को रेखांकित किया गया। इसके अतिरिक्त, मानक आवश्यक पेटेंट (एसईपी) तथा निष्पक्ष, उचित एवं गैर–भेदभावपूर्ण (एफआरएएनडी) लाइसेंसिंग से संबंधित नीतिगत अनुभवों पर सूचना–साझाकरण सत्र आयोजित करने के प्रस्ताव का स्वागत किया गया। इस संदर्भ में, एसईपी के प्रभावी प्रबंधन एवं एफआरएएनडी शर्तों पर वार्ता के लिए एक संतुलित एवं न्यायसंगत ढांचा स्थापित करने के महत्व पर बल दिया गया।

## 2.6. ट्रेड मार्क्स, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक उपदर्शन (एसीटी) (डब्ल्यूओ/जीए/57/5), कानून पर स्थायी समिति की रिपोर्ट

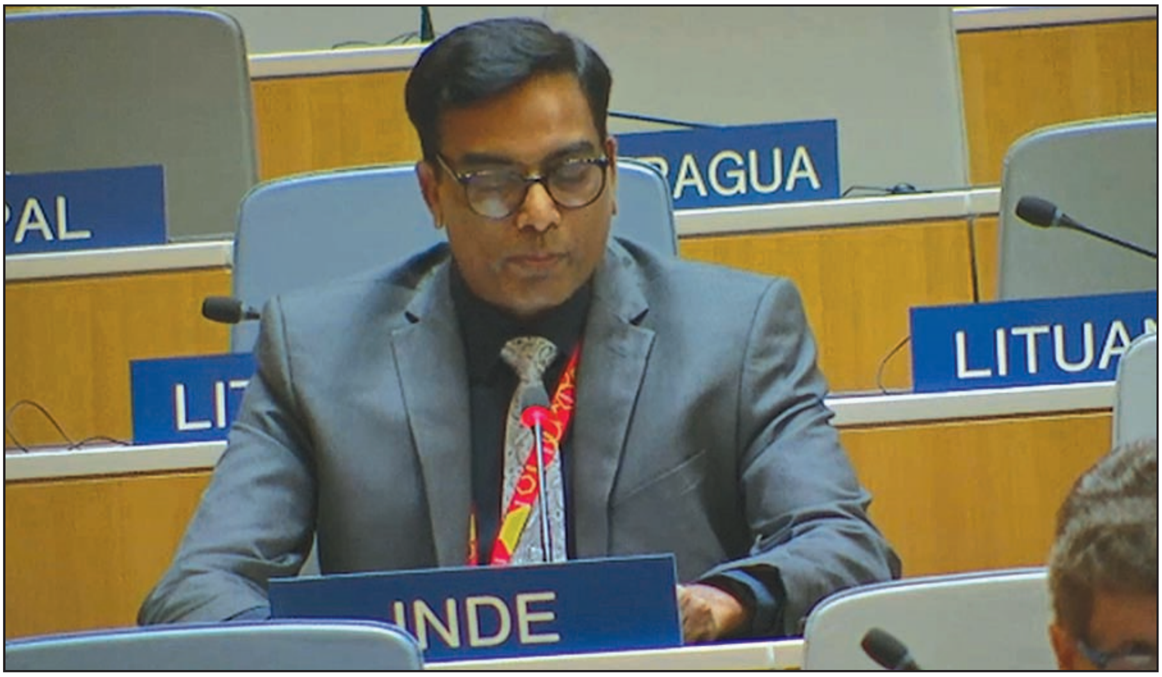

पीसीटी सिस्टम (पीसीटी/ए/56/1, पीसीटी/ए/56/2) पर रिपोर्ट, भारत के प्रतिनिधिमंडल ने पीसीटी कार्य समूह की सिफारिशों के तहत प्रस्तावित संशोधनों का स्वागत किया। पीसीटी विनियमों के नियम 33 एवं 64 में प्रस्तावित संशोधनों को अनुमोदित किया गया, जिनके अंतर्गत विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय खोज एवं प्रारंभिक परीक्षा प्रक्रियाओं में गैर–लिखित प्रकटीकरणों को सम्मिलित किए जाने का प्रावधान किया गया है। यह कहा गया कि पूर्व कला के सिद्धांत के रूप में अलिखित प्रकटीकरणों की स्वीकृति पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। मौखिक परंपराओं के माध्यम से पीढ़ी–दर–पीढ़ी उनके संचरण को मान्यता प्रदान करते हुए, यह स्वीकृति पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को अनुचित विनियोजन के विरुद्ध सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगी। परिणामस्वरूप, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मौखिक प्रकटीकरण के माध्यम से पूर्व में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रकट किए जा चुके नवाचारों पर पेटेंट प्रदान न किए जाएँ। प्रस्तावित संशोधनों का भी स्वागत किया गया, जिनके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय आवेदनों या उनकी पश्चात प्रस्तुतियों को अनिवार्य रूप से केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है, अथवा कागज़ी प्रस्तुतियों की स्थिति में उन्हें दो माह की अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप में पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक निर्धारित किया गया है। पीसीटी कार्य समूह द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों की भी सराहना की गई, जिनमें यह सुझाव दिया गया कि प्राप्त कार्यालयों द्वारा चित्रों के सारांश एवं पाठ्य सामग्री को किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में, उन्हें प्रकाशन भाषा में अनुवादित करने की अनिवार्यता से संबंधित अपवादों को यथासंभव सीमित किया जाए। इसके अतिरिक्त, पीसीटी विनियमों के नियम 89 बी और 92 में प्रस्तावित संशोधनों को आईपी प्रणाली के लिए लाभकारी माना गया और भारत ने चर्चा में भाग लेने की अपनी तत्परता व्यक्त की।

2.7 कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों पर स्थायी समिति (एससीसीआर) (डब्ल्यूओ/जीए/57/3), की रिपोर्ट, भारत के प्रतिनिधिमंडल ने कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए समिति के निरंतर प्रयासों की सराहना की और 2025 में एससीसीआर के 46वें सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले संशोधित मसौदा वायपो प्रसारण संगठन संधि पर चर्चा में भाग लेने की अपनी उत्सुकता व्यक्त की। नकल की रोकथाम हेतु प्रसारण संकेतों के संरक्षण के महत्व पर बल दिया गया, साथ ही विभिन्न देशों के घरेलू विधिक ढाँचों की विविधता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक लचीलेपन को बनाए रखने का आह्वान किया गया। बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित सीमाओं एवं अपवादों की महत्वपूर्ण प्रकृति को मान्यता प्रदान की गई, साथ ही स्थायी कॉपीराइट समिति (SCCR) में "शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों तथा अन्य विकलांग व्यक्तियों" के लिए इन सीमाओं एवं अपवादों पर आयोजित चर्चाओं और परामर्शों की सराहना की गई। भारत ने आगामी 46वें सत्र में जीआरयूएलएसी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले "डिजिटल वातावरण में कॉपीराइट पर मसौदा कार्य योजना"पर विस्तृत विचार–विमर्श में सहभागी होने की अपनी अभिलाषा व्यक्त की, तथा आगामी सत्रों में जनरेटिव एआई से संबंधित नए एवं उभरते मुद्दों को सम्मिलित किए जाने की अपेक्षा व्यक्त की। कलाकारों एवं रचनाकारों की आजीविका पर जनरेटिव एआई के संभावित प्रभावों के प्रति चिंता व्यक्त की गई,

साथ ही कॉपीराइट संरक्षण प्रणाली के समक्ष जनरेटिव एआई द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर एक रचनात्मक एवं सूचित संवाद को प्रोत्साहित करने हेतु समर्थन भी व्यक्त किया गया। व्यापक "कलाकार के पुनर्विक्रय अधिकार पर वायपो टूलकिट" को स्वीकृति दी गई, तथा टूलकिट में रेखांकित राष्ट्रीय लेखक पुनर्विक्रय रॉयल्टी अधिकार (एआरआरआर) योजना के विकास के लिए आगे विचार–विमर्श करने का आह्वान किया गया, ताकि समिति के भीतर पुनर्विक्रय अधिकारों के विषय पर निरंतर चर्चा की जा सके। भारत ने 44वें सत्र के दौरान कोट डी आइवर के प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत उस प्रस्ताव का स्वागत किया, जिसमें दृश्य–श्रव्य लेखकों के अधिकारों तथा उनके कार्यों के उपयोग से संबंधित पारिश्रमिक पर एक व्यापक अध्ययन किए जाने का सुझाव दिया गया था। साथ ही, भारत ने अनुरोध किया कि उक्त अध्ययन में दृश्य–श्रव्य कृतियों में कलाकारों के अधिकारों तथा उनके प्रदर्शन के उपयोग से संबंधित पारिश्रमिक को भी सम्मिलित किया जाए।

2.8. **अंतरसरकारी बौद्धिक संपदा और आनुवंशिक संसाधन, पारंपरिक ज्ञान तथा लोकसाहित्य समिति (आईजीसी) (डब्ल्यूओ/जीए/57/7) की रिपोर्ट,** भारत के प्रतिनिधिमंडल ने "बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधन और आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था"के सफल समापन के लिए वायपो सचिवालय और सदस्य देशों को बधाई दी। यह कहा गया कि पारंपरिक ज्ञान एवं सांस्कृतिक विरासत से संपन्न राष्ट्र होने के नाते, भारत स्वदेशी समुदायों के उनके पारंपरिक ज्ञान तथा आनुवंशिक संसाधनों पर अधिकारों की रक्षा, संरक्षण और संवर्द्धन के महत्व को जनता है। भारत का मानना है कि एक संतुलित एवं न्यायसंगत बौद्धिक संपदा प्रणाली होनी चाहिए जो स्वदेशी लोगों के अधिकारों का आदर करे, उनके ज्ञान के उपयोग और व्यावसायीकरण से जुड़े निर्णयों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करे, और साथ ही नवोन्मेष एवं अनुसंधान के मूल्य को भी स्वीकार करे। पारंपरिक ज्ञान एवं पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों से संबंधित पाठ को अंतिम रूप देने तथा उनके प्रभावी कानूनी संरक्षण के लिए एक सुसंगत रूपरेखा तैयार करने के महत्व पर भी बल दिया गया।

2.9 **बौद्धिक संपदा समिति (सीडीआईपी) और विकास एजेंडा सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा (डब्ल्यूओ/जीए/57/6) पर समिति की रिपोर्ट,** भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने "विश्वविद्यालयों में बौद्धिक संपदा के प्रबंधन एवं व्यावसायीकरण हेतु क्षमता निर्माणः बौद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण"विषय पर दी गई प्रस्तुति के लिए समिति के प्रति आभार व्यक्त किया। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने भारत में पेटेंट अभियोजन प्रक्रिया में तेजी लाने तथा बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लागू की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। इन पहलों में विशेष रूप से प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सहायता केंद्रों की स्थापना का उल्लेख किया गया, जो पेटेंट आवेदन दाखिल करने, बौद्धिक संपदा जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन तथा बौद्धिक संपदा के व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संगठन तथा इनक्यूबेटर्स की स्थापना का भी उल्लेख किया गया, जो देश के विभिन्न शोध संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में बौद्धिक संपदा के व्यावसायीकरण को सक्रिय रूप से समर्थन प्रदान कर रहे हैं। इकतीसवें सीडीआईपी सत्र के दौरान "स्थानीय समुदायों के सशक्तीकरण तथा स्थानीय कलाओं और परंपराओं के संरक्षण या पुनरुद्धार हेतु बौद्धिक संपदा और गैर–कृषि भौगोलिक उपदर्शन की क्षमता को सशक्त बनाना"(सीडीआईपी/31/9) परियोजना के लिए भारत के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने पर संतोष व्यक्त किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने इस परियोजना के प्रभावी एवं परिणामोन्मुखी कार्यान्वयन की दिशा में उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा किए जाने का उल्लेख किया। वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले "बौद्धिक संपदा और विकास पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन" में भारत की सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा व्यक्त की गई। इस सम्मेलन का प्रस्तावित विषय "वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान में बौद्धिक संपदा एवं नवाचार की भूमिकाः प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सहयोग को प्रोत्साहित करना"निर्धारित किया गया था।

2.10. **वायपो मानकों पर समिति (सीडब्ल्यूएस) (डब्ल्यूओ/जीए/57/8), पर समिति की रिपोर्ट,** यह उल्लेख किया गया कि मौजूदा मानकों ST.26, ST.61 एवं ST.88 में संशोधन, साथ ही आगे के अध्ययन हेतु क्षेत्रों की पहचान, विशेष रूप से कॉपीराइट ऑर्फन कार्य मेटाडाटा (वायपो मानक ST.96) के परिष्करण के संदर्भ में, वैश्विक बौद्धिक संपदा प्रणाली की प्रगति के प्रति सचिवालय की सतत प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। वायपो मानकों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से बौद्धिक संपदा संस्थानों को प्रदान की जा रही तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण हेतु सचिवालय की सराहना की गई। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय पेटेंट वर्गीकरण (आईपीसी) सहित अंतरराष्ट्रीय उपकरणों का उपयोग करने में आईपी अधिकारियों और परीक्षकों की क्षमता निर्माण में किए गए प्रयासों की सराहना की गई।

2.11. **डोमेन नामों स वायपो मध्यस्थता और माध्यस्थम केंद्र (डब्ल्यूओ/जीए/57/9), की रिपोर्ट,** भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) प्रक्रियाओं के माध्यम से घरेलू और सीमा पार वाणिज्यिक बौद्धिक संपदा विवादों को सुलझाने के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करने में वायपो मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र की भूमिका को मान्यता दी। यह उल्लेख किया गया कि केंद्र डिजिटल परिवेश में उत्पन्न होने वाले विवादों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान की सुविधा प्रदान करने के लिए सतत प्रयासरत है, जो ऑनलाइन सामग्री–साझाकरण प्लेटफार्मों की अखंडता बनाए रखने तथा सामग्री रचनाकारों एवं उपयोगकर्ताओं – दोनों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है। इसके अतिरिक्त, यह स्वीकार किया गया कि डोमेन नाम विवाद समाधान तंत्र ई–कॉमर्स को प्रभावित करने वाले अपमानजनक पंजीकरणों तथा धोखाधड़ी के अन्य रूपों में हो रही वृद्धि का प्रभावी रूप से समाधान करने में सक्षम सिद्ध हुआ है। यह अनुमान व्यक्त किया गया कि वादकारियों के लिए उपलब्ध विभिन्न वैकल्पिक विवाद निपटान (एडीआर) विकल्पों के संदर्भ में सदस्य देशों के साथ भविष्य में होने वाला सहयोग, हितधारकों के मध्य जागरूकता में वृद्धि करेगा तथा वैश्विक स्तर पर बढ़ती बौद्धिक संपदा विवादों की संख्या के समाधान में सार्थक योगदान प्रदान करेगा।

2.12. वायपो महासभा के दौरान आयोजित होने वाले अतिरिक्त कार्यक्रम

क. **भारत पवेलियनः** भारत ने वायपो असेंबलीज़ 2024 के दौरान एक पविल्यन की माध्यम से, बौद्धिक संपदा (आईपी) में अपनी उपलब्धियों और नवाचारों का प्रदर्शन किया। पविल्यन में भारत के बौद्धिक संपदा (आईपी) पारिस्थितिकी तंत्र को उजागर करने वाले इंटरैक्टिव प्रदर्शन, प्रस्तुतियाँ एवं सूचनात्मक सामग्रियाँ प्रदर्शित की गईं, जिनमें आईपी जागरूकता के संवर्धन, पेटेंट प्रक्रियाओं में तीव्रता लाने तथा स्टार्टअप्स एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समर्थन प्रदान करने संबंधी पहलों को सम्मिलित किया गया था।

ख. **रचनात्मक भारतः अभिनव भारतः** वायपो महासभा 2024 में स्थापित भारतीय पैवेलियन में आईपी का विषय "रचनात्मक भारतः अभिनव भारत निर्धारित किया गया था, जिसका उद्देश्य इन प्रगतियों को रेखांकित करना तथा भारत के गतिशील बौद्धिक संपदा (आईपी) परिदृश्य को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना था।

ग. **स्टैंडीज़ के विषय** : स्टैंडीज़ को विभिन्न संदर्भगत विषयों पर प्रदर्शित किया गया था, जिनमें "प्रकृति से नवाचार तक "जैसे विषय विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे, जिसके अंतर्गत अभूतपूर्व हर्बल उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। अन्य स्टैंडीज़ के विषय निम्नलिखित थेः

घ प्रदर्शित विषयों में निपम और टॉयकाथॉन के माध्यम से बौद्धिक संपदा (आईपी) आउटरीच कार्यक्रम, भौगोलिक उपदर्शन, भारतीय आईपी पारिस्थितिकी तंत्र का इतिहास, भारत की बौद्धिक संपदा विरासत, इसरो द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान को प्रोत्साहित करने वाला आईपी, पेटेंट कानून के प्रमुख प्रावधान एवं सुधार, सतत विकास को प्रोत्साहित करने वाले पेटेंट, तथा वायपो–इंडिया एसोसिएशन सम्मिलित थे।

ङ. **स्टार्टअप उत्पादः** कुछ चुनिंदा स्टार्टअप्स के उत्पाद, जैसे ब्लैकफ्रॉग द्वारा एम्वोलियो, योगीफाई इंडिया द्वारा योगीफाई स्मार्ट योगा मैट, और निम्बल विजन द्वारा नी–द वॉटर सेवियर, भी प्रदर्शित किए गए।

च. **भारत द्वारा आयोजित स्वागत समारोहः** 16 जुलाई, 2024 को भारत ने वायपो सभाओं में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष स्वागत समारोह का आयोजन किया। स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध विरासत और विविधता को प्रदर्शित किया गया, साथ ही वैश्विक आईपी परिदृश्य और भविष्य की आईपी नीतियों को आकार देने में भारत की भूमिका पर चर्चा की गई। स्वागत समारोह के अवसर पर, वैश्विक स्तर पर नवाचार एवं स्थिरता के प्रयासों को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित पहलों का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया।

छ. **आईपी डायग्नोस्टिक टूलः** बौद्धिक संपदा परिसंपत्तियों की पहचान करने में एसएमई और स्टार्टअप्स की सहायता के लिए वायपो आईपी डायग्नोस्टिक टूल पेश किया गया, जो बेहतर आईपी प्रबंधन के लिए अनुरूप मार्गदर्शन प्रदान करता है।

ज. **सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का संग्रह प्रस्तुत किया गया,** जिसमें उन नवाचारों का संग्रह प्रदर्शित किया गया जो संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी की उपलब्धि में सीधे योगदान करते हैं।

## 3. वायपो महासभा–2024 के अवसर पर द्विपक्षीय बैठकें:

वायपो सम्मेलन के दौरान सीजीपीडीटीएम कार्यालय और विभिन्न आईपी कार्यालयों के एचआईपीओ के बीच कई द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों का प्राथमिक एजेंडा आईपी पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करना तथा भविष्य में सहयोग को प्रोत्साहित करना था। आमने–सामने आयोजित चर्चा से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किए गए:

3.1. **कोरियाई बौद्धिक संपदा कार्यालय (केआईपीओ):** केआईपीओ के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीजी–आधारित आविष्कारों और अर्धचालक प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण रुचि व्यक्त की और परीक्षण दक्षता के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया। प्रतिनिधिमंडल ने एमएसएमई के लिए समान ट्रेडमार्क आवेदनों को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की तथा लंबित कार्य योजना पर अद्यतन जानकारी देने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त, भारतीय बौद्धिक संपदा (आईपी) कार्यालय द्वारा कोविड–19 के पश्चात् बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) आवेदन करने में हुई उल्लेखनीय वृद्धि की सूचना प्रदान की गई। साथ ही, आईपी मंथन एवं निपम जैसी पहलों का विवरण प्रस्तुत किया गया, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति हेतु आविष्कारों के मूल्यांकन के महत्व पर बल दिया गया, तथा पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 का संदर्भ उल्लेखित किया गया। बैठक का समापन दोनों देशों में सहयोग को मजबूत करने और बौद्धिक संपदा प्रथाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से आपसी प्रतिबद्धताओं के साथ हुआ।

3.2. **यूके बौद्धिक संपदा कार्यालय (यूकेआईपीओ):** चर्चा के दौरान, यूकेआईपीओ द्वारा विभिन्न कार्यालय गतिविधियों से संबंधित अद्यतन जानकारी प्रदान की गई, जिसमें रचनात्मक उद्योग एवं बौद्धिक संपदा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के साथ सहभागिता एवं समर्थन, विगत वर्ष के आईपी सांख्यिकीय आंकड़े, क्षमता निर्माण संबंधी गतिविधियाँ तथा परिवर्तन परियोजना पर प्रगति संबंधी अद्यतन जानकारी सम्मिलित थी। इसके अतिरिक्त, भारतीय बौद्धिक संपदा कार्यालय द्वारा आईपी मंथन, एनआईपीएएम तथा स्टार्टअप्स के विकास जैसी पहलों संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई, जिनके अंतर्गत सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक बनने हेतु आविष्कारों के मूल्यांकन पर विशेष बल दिया गया, और आविष्कारक के प्रमाणपत्रों से संबंधित नए पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 पर भी चर्चा की जाएगी।

3.3. **मॉरीशस का औद्योगिक संपत्ति कार्यालय (आईपीओएम)**: प्रतिनिधिमंडल ने आईपी कार्यालय और मॉरीशस अनुसंधान संस्थान जैसे अन्य क्षेत्रों में क्षमता निर्माण पर चर्चा की, तथा समझौता ज्ञापन और कार्य योजना पर शीघ्र हस्ताक्षर करने के संबंध में भी चर्चा की गई। भारतीय कंपनियों द्वारा मॉरीशस में ट्रेडमार्क (टीएम) आवेदन दाखिल करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी चर्चा की गई, तथा भारत की अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) मान्यता प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया गया। भारतीय पेटेंट कार्यालय ने क्षमता निर्माण के क्षेत्र में मॉरीशस के साथ सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की तथा एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) एवं कार्य योजना पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। इसके अलावा, संयुक्त आईपी हस्तक्षेप, आईपीओएम अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, तथा मॉरीशस में आईपी जागरूकता को बढ़ावा देने के प्रयासों पर चर्चा की गई।

3.4. **डेनिश पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय (डीकेपीटीओ)**: डीकेपीटीओ के प्रतिनिधिमंडल ने पेटेंट प्रोसेसिंग के लिए नई समय–सीमा का खुलासा किया। डीकेपीटीओ द्वारा आगे की चर्चा में ब्राजील और भारत के प्रतिनिधियों के साथ कोपेनहेगन में संभावित भावी बैठक करने का निर्णय लिया गया। 360 डिग्री दृष्टिकोण पर आधारित वार्षिक चरणबद्ध क्षमता निर्माण कार्यक्रम के कार्यान्वयन, ट्रेडमार्क विषयक आभासी सत्रों के विस्तार, तथा नवंबर 2024 से आगामी तीन वर्षों की अवधि तक वित्तपोषण के विस्तार पर विचार किया जा रहा है। इस संदर्भ में, उद्योग मंत्री की भारत यात्रा के दौरान एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना भी विचाराधीन है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा गत वर्ष भारत में बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में हुई प्रगति संबंधी अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की गई। इस संदर्भ में विशेष रूप से आविष्कार प्रमाणपत्रों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) तथा युवा आविष्कारकों हेतु फास्ट–ट्रैक प्रावधानों के लिए नियम 24(सी) के कार्यान्वयन, स्कूल इनोवेशन लैब्स एवं इनक्यूबेशन सेंटर्स से संबंधित प्रगति विवरण, तथा प्रस्तावित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के निष्पादन पर विस्तृत चर्चा की गई।

3.5. **राष्ट्रीय औद्योगिक संपत्ति संस्थान (आईएनएपीआई), चिली**: चर्चा के दौरान एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) तथा कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए जाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) एवं ट्रेडमार्क (टीएम) जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने में रुचि व्यक्त की गई, साथ ही अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) तथा अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक जांच प्राधिकरण (आईपीईए) से संबंधित मामलों में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की गहन इच्छा प्रकट की गई। इसके अतिरिक्त, क्षमता निर्माण और पारस्परिक प्रशिक्षण सत्रों पर भी चर्चा की गई।

3.6. **फिलीपींस का बौद्धिक संपदा कार्यालय (आईपीओपीएचएल)**: आईपीओपीएचएल प्रतिनिधिमंडल ने हाल के वर्षों में हुई प्रगति पर चर्चा की तथा महिला–केंद्रित आईपी कार्यक्रमों जैसे "किरण" के बारे में जानकारी ली। इसके अतिरिक्त, आईपीओपीएचएल द्वारा युवाओं जैसे विशिष्ट आवेदक वर्गों हेतु प्रदत्त सब्सिडी से संबंधित जानकारी का अनुरोध किया गया, साथ ही भारतीय बौद्धिक संपदा (आईपी) कार्यालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के संभावित उपयोग के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की अभिरुचि व्यक्त की गई। इसके साथ ही, भारत के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) एवं कार्य योजना पर हस्ताक्षर करने में भी औपचारिक रुचि प्रदर्शित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 से संबंधित अद्यतन जानकारी प्रदान की गई तथा पहुंच को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आईपी डायग्नोस्टिक्स पहल को 5 भाषाओं से विस्तारित कर 15 भाषाओं तक लागू किए जाने की सूचना दी गई।

3.7. **सऊदी बौद्धिक संपदा प्राधिकरण (एसएआईपी)**: एसएआईपी प्रतिनिधिमंडल द्वारा सोशल मीडिया तथा प्रिंट मीडिया में विज्ञापन अभियानों सहित बौद्धिक संपदा उल्लंघन की रोकथाम हेतु की गई विभिन्न पहलों की जानकारी साझा की गई। उन्होंने आईपी अधिकारियों को प्रदान किये जाने वाले 360 डिग्री प्रशिक्षण पर भी चर्चा की। एसएआईपी ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) एवं कार्य योजना पर संयुक्त रूप से कार्य करने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही, अधिकारियों हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा सहयोगात्मक क्षेत्रों में परीक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर भी सहमति व्यक्त की गई। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा एसएआईपी को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का

संक्षिप्त सार–संग्रह प्रस्तुत किया गया तथा पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

3.8. **यूरोपीय संघ बौद्धिक संपदा कार्यालय (ईयूआईपीओ):** यूरोपीय संघ प्रतिनिधिमंडल द्वारा भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) विनियमों से संबंधित हालिया प्रगतियों पर संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की गई। परीक्षण प्रक्रिया एवं अन्य संबद्ध गतिविधियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग से संबंधित जानकारी का अनुरोध किया गया, साथ ही क्षमता निर्माण तथा अधिकारियों के प्रशिक्षण के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। यूरोपीय संघ के औद्योगिक नीति संगठन (ईयूआईपीओ) ने उभरती प्रौद्योगिकियों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) तक बौद्धिक संपदा के लाभों के विस्तार से संबंधित एक कार्यशाला के आयोजन में रुचि व्यक्त की। साथ ही, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने यूरोपीय संघ के औद्योगिक नीति संगठन (EUIPO) को उत्पादों के निर्माण हेतु भौगोलिक उपदर्शन की अनुमति प्रदान करने वाले नए नियमों के अधिनियमन पर बधाई प्रेषित की। प्रतिनिधिमंडल द्वारा "आई पी मंथन", निपम, एस आई पी पी कार्यक्रम तथा "आई पी मित्र" जैसी पहलों पर विस्तृत चर्चा की। दोनों कार्यालयों ने सर्वोत्तम प्रथाओं के अधिक नियमित आदान–प्रदान पर सहमति व्यक्त की, जिसे ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन, किसी भी माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।

3.9. **किर्गिज़पेटेंट:** दोनों पक्षों ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की अभिरुचि व्यक्त की, साथ ही बौद्धिक संपदा क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण हेतु संयुक्त कार्यशालाओं एवं सेमिनारों के आयोजन में सहभागिता की इच्छा भी प्रकट की। ज्ञान के आदान–प्रदान तथा बौद्धिक संपदा (आईपी) परीक्षण पद्धतियों की पारस्परिक समझ को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से परीक्षक विनिमय कार्यक्रम का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त, किर्गिज़स्तान प्रतिनिधिमंडल ने अपनी आईपी रणनीति 2026 तैयार करने में सहायता मांगी। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा गत वर्ष भारत में बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में हुई प्रगति से संबंधित अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की गई तथा "आईपी मंथन", निपम, एस अप पी पी कार्यक्रम एवं "आईपी मित्र"जैसी पहलों पर विस्तृत चर्चा की गई।

3.10. **कनाडाई बौद्धिक संपदा कार्यालय (सीआईपीओ):** सीआईपीओ ने उभरती प्रौद्योगिकियों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को बौद्धिक संपदा (आईपी) के लाभ प्रदान करने संबंधी एक कार्यशाला के आयोजन में रुचि व्यक्त की। साथ ही, भारत में पेटेंट एवं ट्रेडमार्क दाखिल प्रक्रिया की सफलता के प्रमुख कारकों के संबंध में जानकारी का अनुरोध किया गया। बौद्धिक संपदा (आईपी) प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण पर चर्चा की गई, जिसमें स्मार्ट आईटी प्रणालियों के विकास को भी सम्मिलित किया गया। क्षमता एवं आउटपुट संबंधी अद्यतनों में संसाधित ट्रेडमार्क (टीएम) आवेदनों में उल्लेखनीय वृद्धि तथा पिछले वर्ष की तुलना में आउटपुट में 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह प्रगति 148 नए परीक्षकों की नियुक्ति के माध्यम से संभव हुई, जिसके परिणामस्वरूप प्रसंस्करण समय में सुधार तथा लंबित मामलों में उल्लेखनीय कमी आई। प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख को सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) संकलन प्रस्तुत किया गया, जिसमें समर्थित एसडीजी की प्राप्ति को सुगम बनाने वाले आविष्कारों का संकलन सम्मिलित था। साथ ही, पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024कृविशेष रूप से आविष्कार प्रमाणपत्र से संबंधित प्रावधानों पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

3.11. **राष्ट्रीय औद्योगिक संपत्ति संस्थान (आईएनपीआई):** क्षमता निर्माण तथा अधिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही, आईएनपीआई, पुर्तगाल द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) तक बौद्धिक संपदा (आईपी) के लाभों के विस्तार पर केंद्रित एक कार्यशाला के आयोजन में रुचि व्यक्त की गई। इसके अतिरिक्त, पुर्तगाल ने भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) संरक्षण के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं के पारस्परिक आदान–प्रदान में रुचि व्यक्त की। नए पेटेंट (संशोधन) नियम – 2024, विशेष रूप से आविष्कार प्रमाणपत्र के संबंध में भी चर्चा की गई। सीजीपीडीटीएम द्वारा पुर्तगाल को गैर–कृषि भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) से संबंधित सीडीआईपी परियोजना में सहयोग प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

3.12. यूरोपीय पेटेंट कार्यालय (ईपीओ): बैठक के दौरान, अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के महत्व पर चर्चा की गई, तथा उभरती प्रौद्योगिकियों और लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) को बौद्धिक संपदा

लाभ प्रदान करने के लिए कार्यशाला आयोजन करने में रुचि व्यक्त की गई। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा आईपी इंडिया की एक ब्रोशर प्रस्तुत की गई, जिसमें भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में किए गए हालिया प्रयासों एवं उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रदर्शित किया गया। साथ ही, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का संक्षिप्त सार–संग्रह भी प्रस्तुत किया गया।

3.13. **स्वीडिश पेटेंट और पंजीकरण कार्यालय (पीआरवी):** बैठक के दौरान, अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के महत्व पर चर्चा की गई, तथा उभरती प्रौद्योगिकियों और लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) को बौद्धिक संपदा लाभ प्रदान करने के लिए कार्यशाला आयोजन करने में रुचि व्यक्त की गई। साथ ही, पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 विशेषतः आविष्कार प्रमाणपत्र से संबंधित प्रावधानों पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई।

3.14. **सिंगापुर बौद्धिक संपदा कार्यालय (आईपीओएस):** चर्चा के दौरान, हाल ही में संपन्न राजनयिक सम्मेलन में भारत की स्थिति की आईपीओएस द्वारा सराहना की गई। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति में सहायक आविष्कारों से युक्त संकलन की सराहना की गई, साथ ही समझौता ज्ञापन (एमओयू) एवं कार्य योजना की प्रगति में विशेष रुचि व्यक्त की गई। साथ ही, भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति–2016 के आधार पर किए गए कार्यों तथा गत वर्ष भारत में बौद्धिक संपदा क्षेत्र में लागू किए गए सुधारों से संबंधित संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की गई। साथ ही सिंगापुर में बौद्धिक संपदा आवेदन दाखिल करने हेतु अधिकाधिक भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की गई तथा पाँच विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध बौद्धिक संपदा निदान (आईपी डायग्नोस्टिक्स) के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

3.15. **बौद्धिक संपदा विभाग (डीआईपी), भूटानः** भारत से भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया तथा भारत से जीआई प्रणाली सीखने में रुचि व्यक्त की गई। थिम्पू के प्रत्येक जिले में "दिल्ली हाट" की अवधारणा को दोहराने की इच्छा भी व्यक्त की गई, तथा खोज और परीक्षण क्षेत्र में पेटेंट कार्यालय के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का अनुरोध भी स्वीकार कर लिया गया। यह संकेत दिया गया कि प्रतिनिधिमंडल समझौता ज्ञापन (एमओयू) के संबंध में जवाब देगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय बौद्धिक संपदा (आईपी) कार्यालय द्वारा भूटान के पेटेंट परीक्षकों हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं के साझा करने एवं तकनीकी प्रशिक्षण सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त, पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) तथा अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) से संबंधित मामलों में समर्थन व्यक्त किया गया। भूटान से समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर आगे की कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया तथा ज्ञान–साझाकरण एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान–प्रदान के उद्देश्य से एक आभासी कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

3.16. **राष्ट्रीय औद्योगिक संपत्ति संस्थान (आईएनपीआई), फ्रांसः** आईएनपीआई फ्रांस प्रतिनिधिमंडल द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में अपने नवीनतम विकास पर अद्यतन जानकारी प्रदान की गई, जिसमें आईपी प्रबंधन और परीक्षण प्रक्रियाओं में सुधार के लिए इसके अनुप्रयोग पर जोर दिया गया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सशक्त समर्थन प्रदान करने हेतु आईएनपीआई फ्रांस द्वारा आरंभ की गई विविध पहलों पर विस्तृत चर्चा की गई। दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने क्षमता निर्माण के क्षेत्र में अपने अनुभवों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान–प्रदान किया, जिसमें विशेष रूप से आईपी पेशेवरों एवं परीक्षकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर केंद्रित विचार–विमर्श किया गया। पेटेंट (संशोधन) नियम 2024 के प्रमुख प्रावधानों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई, जिसमें आविष्कार प्रमाणपत्र की शुरूआत और अनुदान–पूर्व विरोध प्रक्रिया में संशोधन शामिल हैं। आईएनपीआई फ्रांस को व्यापक पहुंच को सुगम बनाने के लिए पांच विभिन्न भाषाओं में आईपी डायग्नोस्टिक्स टूल की शुरूआत करने के विषय में जानकारी दी गई। इसके अलावा, एकात्मक पेटेंट प्रणाली पर भी चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, एकात्मक पेटेंट प्रणाली से संबंधित विषयों पर भी विचार–विमर्श किया गया।

3.17. **यूरेशियन पेटेंट संगठन (ईएपीओ):** ईएपीओ प्रतिनिधिमंडल ने भारत की बौद्धिक संपदा व्यवस्था और उसके परिचालन ढांचे को समझने में गहरी रुचि व्यक्त की। ज्ञान साझा करने तथा आईपी परीक्षा पद्धतियों की पारस्परिक समझ बढ़ाने के लिए ईएपीओ द्वारा परीक्षक विनिमय कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया था। इसके साथ ही, भारतीय

प्रतिनिधिमंडल ने आईपीओ ब्रोशर का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया, जिसमें इसकी प्रमुख विशेषताओं एवं उद्देश्यों को रेखांकित किया गया। साथ ही, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के संकलन पर प्रकाश डालते हुए, एसडीजी की प्राप्ति हेतु भारत के सतत एवं समर्पित प्रयासों पर विशेष बल दिया गया। हाल ही में अधिसूचित पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई, जिसमें विशेष रूप से आविष्कार प्रमाणपत्र की शुरूआत तथा अनुदान–पूर्व विरोध प्रक्रिया में किए गए प्रमुख संशोधनों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

3.18. **राष्ट्रीय औद्योगिक संपत्ति संस्थान (आईएनपीआई), ब्राज़ील**: आईएनपीआई के प्रतिनिधिमंडल को भारतीय बौद्धिक संपदा कार्यालय (आईपीओ) का ब्रोशर तथा सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का संकलन औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत की गई प्रमुख बौद्धिक संपदा (आईपी) संबंधी पहलों में "आईपी मंथन" शामिल है, जिसका उद्देश्य आईपी रणनीतियों पर विचार–विमर्श कर उन्हें सुदृढ़ बनाना है, तथा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (एनआईपीएएम) ने विभिन्न क्षेत्रों में बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अभिकल्पित किया गया है। एसआईपीपी कार्यक्रम" (आईपी मित्र कार्यक्रम) के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई, जिसमें इसके प्रमुख उद्देश्यों एवं अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का विवरण सम्मिलित था।

3.19. **कंपनी और बौद्धिक संपदा आयोग (सीआईपीसी), दक्षिण अफ्रीका**: बैठक के दौरान दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने मौजूदा सहयोग की समीक्षा की तथा संयुक्त कार्यशालाओं जैसे कार्यक्रमों की सफलता और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान–प्रदान के महत्व पर बल दिया। दोनों पक्षों ने क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विस्तार से संबंधित विचार साझा किए। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख द्वारा सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर एक संकलन प्रस्तुत किया गया, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को सुगम बनाने के उद्देश्य से 80 आविष्कारों को प्रदर्शित किया गया।

3.20. **जापान पेटेंट कार्यालय (जेपीओ)**: बौद्धिक संपदा (आईपी) के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने तथा निरंतर सहयोग के महत्व को स्वीकार करने की पारस्परिक प्रतिबद्धता के साथ चर्चा आरंभ हुई। बैठक के दौरान जापान और भारत के मध्य प्रचलित द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की गई, तथा श्री नाकानो को भारत में नए आईपी सहचारी के रूप में औपचारिक रूप से परिचित कराया गया। हाल ही में आयोजित ज्ञान–साझाकरण सत्रों की सराहना की गई, जो विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग पर केंद्रित थे। इसके अतिरिक्त, जापान पेटेंट कार्यालय (जेपीओ) द्वारा फेलोशिप कार्यक्रमों हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता की भी सराहना की गई, जिसे बौद्धिक संपदा क्षेत्र में प्रतिभा संवर्धन और विशेषज्ञता के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में स्वीकार किया गया।

3.21. **इतालवी पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय**: चर्चा के दौरान, इतालवी प्रतिनिधिमंडल द्वारा इटली के बौद्धिक संपदा कार्यक्रमों एवं रणनीतियों का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया गया। भारत और इटली के बीच प्रचलित समझौता ज्ञापन (एमओयू) की सराहना की गई तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत कार्य योजना की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। साथ ही, भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा बौद्धिक संपदा (आईपी) पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की हालिया प्रगति पर प्रकाश डाला गया, जिसमें क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा स्टार्टअप्स एवं लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए स्थापित सहयोग तंत्रों को विशेष रूप से रेखांकित किया गया।

3.22. **संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय (यूएसपीटीओ)**: दोनों कार्यालयों के बीच हाल के विकासों की समीक्षा की गई, जिसके अंतर्गत संयुक्त राज्य पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय (यूएसपीटीओ) द्वारा अपनी प्रमुख पहलों एवं सुधारात्मक उपायों पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित अद्यतन जानकारी प्रदान की। दोनों कार्यालयों के बीच प्रचलित समझौता ज्ञापन (एमओयू) तथा वर्तमान कार्य योजना की समीक्षा की गई, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ करने के अवसरों पर बल दिया गया। इस संदर्भ में, संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से निरंतर क्षमता निर्माण को प्राथमिकता देने के साथ–साथ, संयुक्त अभियानों एवं शैक्षिक पहलों के माध्यम से बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जन–जागरूकता बढ़ाने की रणनीतियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।

3.23. **चेक गणराज्य का औद्योगिक संपत्ति कार्यालय (आईपीओ–सीजेड):** बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच संभावित भावी सहयोगात्मक गतिविधियों पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। यह अवगत कराया गया कि आंतरिक विचार–विमर्श पूर्ण होने के पश्चात्, सहयोग से संबंधित संभावित पहलों के प्रस्ताव समयानुसार भारतीय पेटेंट कार्यालय (आईपीओ) को प्रेषित किए जाएंगे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय पेटेंट कार्यालय में हाल ही में संपन्न प्रमुख विकासात्मक गतिविधियों का एक विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत किया, जिसमें बौद्धिक संपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने तथा मानव संसाधन संवर्धन से संबंधित पहलों का विशेष उल्लेख किया गया। इसके अतिरिक्त, आईपी प्रशासन की दक्षता एवं प्रभावशीलता को सुदृढ़ बनाने हेतु आईपीओ द्वारा अपनाई गई रणनीतिक पहलों और उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला गया।

3.24. **ब्रिक्स के साथ बैठक**

बौद्धिक संपदा कार्यालयों के प्रमुखों एवं ब्रिक्स सदस्य देशों रूस, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के प्रतिनिधियों की एक उच्चस्तरीय बैठक 10 जुलाई, 2024 को आयोजित की गई। यह बैठक रूस की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें बौद्धिक संपदा से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक के दौरान, दक्षिण अफ्रीका द्वारा ब्रिक्स आईपी सहयोग के प्रमुख उद्देश्यों एवं अब तक की उपलब्धियों का संक्षिप्त सार प्रस्तुत करने हेतु एक प्रस्ताव रखा गया। ब्राज़ील ने ट्रेडमार्क एवं पेटेंट परीक्षण प्रक्रियाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाला, जबकि चीन ने सदस्य देशों से प्रतिक्रिया आमंत्रित करते हुए अपने देश में चल रही आईपी डेटा परियोजना का प्रस्तुतीकरण किया। रूस ने सूचना आदान–प्रदान के लिए एक केंद्र बिंदु की स्थापना का समर्थन करते हुए, सदस्यों के बीच त्वरित और प्रभावी संचार की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। इसके अलावा, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का समर्थन करने वाले 80 आविष्कारों का एक संग्रह प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख को भेंट किया गया। बैठक का समापन रूस द्वारा आभार व्यक्त करने और बौद्धिक संपदा प्रणाली विकास पर निरंतर सहयोग पर ज़ोर देने के साथ हुआ। प्रभावी सूचना आदान–प्रदान के लिए एक केंद्र बिंदु स्थापित करने पर सहमति बनी और रूस ने 10–11 अक्टूबर, 2024 को मास्को में एक अनुवर्ती बैठक का निमंत्रण दिया।

3.25. **अफ्रीकी क्षेत्रीय बौद्धिक संपदा संगठन (एआरआईपीओ) के साथ बैठक**

अफ्रीकी क्षेत्रीय बौद्धिक संपदा संगठन (एआरआईपीओ) को अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) के रूप में नामित किए जाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इस संदर्भ में, भारत द्वारा उक्त स्थापना प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु प्रशिक्षण सहायता प्रदान करने की पेशकश की गई। दोनों अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकरणों के मध्य पारस्परिक मान्यता की संभावनाओं पर भी विचार–विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त, एआरआईपीओ ने आईटी क्षमता निर्माण में भारत की सहायता मांगी।

3.26. **श्री मार्को एलेमन (एडीजी – आईपी और नवाचार क्षेत्र) के साथ बैठक**

बैठक के दौरान बौद्धिक संपदा के प्रभावी व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु सहयोग को सुदृढ़ बनाने, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान–प्रदान को प्रोत्साहन देने तथा स्टार्टअप्स एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को उनकी बौद्धिक संपदा परिसंपत्तियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करने के लिए नई रणनीतियों की खोज पर विचार–विमर्श किया गया। चर्चा के प्रमुख बिंदुओं में क्षमता निर्माण के उद्देश्य से संयुक्त पहलों की संभावनाएँ, भारतीय हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं के आयोजन, स्टार्टअप्स के बौद्धिक संपदा प्रबंधन एवं व्यावसायीकरण हेतु रणनीतियों का विकास, तथा सफल अंतरराष्ट्रीय मॉडलों के आदान–प्रदान को सम्मिलित किया गया।

3.27. **आईपी व्यावसायीकरण अनुभाग, वायपो के साथ बैठक**

बैठक के दौरान प्रभावी बौद्धिक संपदा व्यावसायीकरण को सुदृढ़ करने, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान–प्रदान को प्रोत्साहित करने तथा स्टार्टअप्स एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को उनकी बौद्धिक संपदा परिसंपत्तियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने हेतु रणनीतियों के विकास पर विचार–विमर्श किया गया। दोनों पक्षों ने आर्थिक प्रगति एवं नवाचार–संवर्धन के लिए एक सुदृढ़ बौद्धिक संपदा पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व पर बल दिया। चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों में भारतीय हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं

के आयोजन, स्टार्टअप्स हेतु बौद्धिक संपदा प्रबंधन रणनीतियों के विकास, तथा सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति के लिए बौद्धिक संपदा वित्तपोषण पर एक संयुक्त पायलट परियोजना की संभावनाओं का परीक्षण शामिल था। इसके अतिरिक्त, वित्तपोषण प्रक्रियाओं में ऋणदाताओं एवं बैंकों के साथ संवाद स्थापित करने में बौद्धिक संपदा स्वामियों के मार्गदर्शन हेतु विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) की दिशा–निर्देशिका पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

3.28. **वायपो अकादमी** प्रतिनिधिमंडलों के मध्य नवनियुक्त परीक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा आगामी डिजिटल निपम कार्यक्रम पहलों पर विस्तृत चर्चा की गई। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वायपो) ने वायपो डीएल प्लेटफ़ॉर्म में भारतीय प्रतिभागियों की उल्लेखनीय भागीदारी की सराहना की। भारतीय पक्ष ने प्रशिक्षण की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु निपम कार्यक्रम के प्रतिभागियों के लिए डीएल101 पाठ्यक्रम की पेशकश कर एक संयुक्त ब्रांडिंग पहल विकसित करने की संभावना का सुझाव प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त, भारतीय पक्ष ने प्रौद्योगिकी और नवाचार सहायता केंद्रों के लिए सतत प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे वे बौद्धिक संपदा पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक प्रभावी और दक्षतापूर्वक योगदान दे सकें।

3.29. **मैड्रिड लीगल डिवीजन, ब्रांड्स और डिज़ाइन सेक्टर, वायपो के साथ बैठक**

वायपो प्रतिनिधिमंडल द्वारा मैड्रिड प्रणाली में हाल ही में हुए विकासों के संबंध में अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की गई। दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने बौद्धिक संपदा (आईपी) पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में अपने–अपने अनुभव साझा किए तथा संभावित सहयोगात्मक पहलों पर विचार–विमर्श किया। बैठक का समापन दोनों प्रतिनिधिमंडलों द्वारा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वायपो) के मैड्रिड विधि प्रभाग और भारतीय पेटेंट कार्यालय के मध्य सहयोग को सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराते हुए हुआ। दोनों पक्षों ने भारत द्वारा हेग समझौते में सम्मिलित होने की दिशा में की गई प्रगति पर चर्चा की तथा भारत द्वारा संचालित सीडीआईपी परियोजना पर भी विचार–विमर्श किया।

3.30. **मध्यस्थता एवं पंच–निर्णय केंद्र, वायपो के साथ बैठक**

दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने बौद्धिक संपदा (आईपी) विवादों के कुशल एवं प्रभावी समाधान में मध्यस्थता तथा पंच–निर्णय की भूमिका के महत्व पर बल दिया। साथ ही, बौद्धिक संपदा विवादों के समाधान हेतु मध्यस्थता और पंचाट के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वायपो) एवं भारतीय बौद्धिक संपदा कार्यालय (आईपीओ) के मध्य संभावित सहयोगात्मक पहलों के विकास पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। वायपो ने बौद्धिक संपदा अधिकारियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्रदान करने की अपनी तत्परता व्यक्त की।

3.31. **पेटेंट और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के उप महानिदेशक के साथ बैठक, वायपो**

दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने वैश्विक स्तर पर पेटेंट एवं प्रौद्योगिकी ढाँचों को सुदृढ़ एवं उन्नत करने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वायपो) प्रतिनिधिमंडल ने पेटेंट एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हाल ही में हुई प्रगतियों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की, जिसमें पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) प्रणाली में सुधार तथा पेटेंट परीक्षण प्रक्रियाओं को अधिक सुव्यवस्थित और दक्ष बनाने हेतु आरंभ की गई नई पहलों का उल्लेख किया गया। दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने क्षमता निर्माण के महत्व पर बल देते हुए पेटेंट परीक्षकों एवं अन्य बौद्धिक संपदा पेशेवरों के लिए निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता पर चर्चा की। साथ ही, अधिकाधिक पंजीकृत संस्थाओं द्वारा भारत को अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) के रूप में मान्यता प्रदान करने में डब्ल्यूआईपीओ द्वारा सहयोग और समर्थन की संभावनाओं पर भी विचार–विमर्श किया गया।

3.32. **मैड्रिड और पीसीटी प्रमोशन टीमों, वायपो के साथ बैठक**

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वायपो) प्रतिनिधिमंडल ने मैड्रिड प्रणाली में हाल ही में हुए घटनाक्रमों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की, जिसमें आवेदन प्रक्रिया के सरलीकरण तथा उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस में किए गए सुधारों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने बौद्धिक संपदा पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन से संबंधित अपने–अपने अनुभव साझा किए तथा संभावित सहयोगात्मक पहलों पर विचार–विमर्श किया। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने संगीत वाद्ययंत्रों के डिज़ाइन परिप्रेक्ष्य पर

केंद्रित अवधारणा प्रस्तुत की और संगीत–संबंधी डिज़ाइनों में नवाचारों को प्रोत्साहित करने एवं उनके प्रभावी संरक्षण के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व पर बल दिया।

3.33. **कॉपीराइट प्रभाग, वायपो के साथ बैठक**

एससीसीआर में समीक्षाधीन अंतरराष्ट्रीय संधियों पर चर्चा हुई, जिसमें भारतीय कॉपीराइट उद्योग के महत्व और प्रसारण अधिकारों में हालिया प्रगति पर ज़ोर दिया गया। वायपो द्वारा सूचित किया गया कि भारतीय आईपीआर के लिए वायपो कनेक्ट आईपीआर टूलकिट के उपयोग की अनुमति देने के लिए एक आधिकारिक अनुरोध प्रस्तुत किया जाएगा।

3.34. **महानिदेशक, वायपो के साथ बैठक**

वायपो के महानिदेशक ने बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान–प्रदान जैसी पहलों पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अटल टिंकरिंग लैब्स तथा आईआईटी मद्रास और आईआईटी खड़गपुर के उल्लेखनीय योगदान की प्रशंसा की, साथ ही फिक्की, सीआईआई एवं सीजीपीडीटीएम कार्यालय के सहयोग से एक एसएमई "टूल किट" विकसित किए जाने की आवश्यकता पर विशेष रूप से ज़ोर दिया। सीजीपीडीटीएम द्वारा बौद्धिक संपदा संग्रह प्रस्तुत किया गया और पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) तथा मैड्रिड प्रोटोकॉल के अंतर्गत क्षमता निर्माण हेतु वायपो से सहयोग का अनुरोध किया गया, जिसे महानिदेशक द्वारा समर्थन प्रदान किया गया। दोनों पक्षों ने क्षमता निर्माण, बौद्धिक संपदा जागरूकता तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे क्षेत्रों में भविष्य में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा बौद्धिक संपदा क्षेत्र में नए अवसरों की पहचान एवं संवर्धन के लिए संयुक्त प्रयासों पर विचार–विमर्श किया।

## 4. कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों पर स्थायी समिति

कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों पर स्थायी समिति का पैंतालीसवाँ सत्र 15 अप्रैल से 19 अप्रैल, 2024 तक जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में आयोजित किया गया। सत्र के दौरान पुस्तकालयों एवं अभिलेखागारों, शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थानों, तथा अन्य विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा हेतु प्रस्तावित अपवादों और सीमाओं को स्वीकार किया गया। शिक्षा, अनुसंधान और छात्रवृत्ति के उद्देश्यों के लिए समान पहुँच को प्रोत्साहित करने के प्रति प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई। यह उल्लेख किया गया कि भारतीय कॉपीराइट कानून निजी अध्ययन और अनुसंधान के लिए विभिन्न सीमाओं एवं अपवादों का समावेश करता है। कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 52 को एक ऐसे प्रावधान के रूप में उद्धृत किया गया जो कॉपीराइट पर अपवादों और सीमाओं को परिभाषित करता है। इस प्रावधान को ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 13 के अनुरूप माना गया।

प्रस्तावित नियम, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों तथा दिव्यांगजनों द्वारा पहुँच को सुदृढ़ करने हेतु अपवादों और सीमाओं के अनुप्रयोग में एकरूपता और समन्वय को प्रोत्साहित करना है, को स्वीकार किया गया। मराकेश संधि के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत ने दिव्यांगजनों के लिए कॉपीराइट से संरक्षित कृतियों तक पहुँच को सुगम बनाने के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की। बौद्धिक संपदा अधिकारों को एक समतामूलक ढाँचे के अंतर्गत मानवीय प्रकृति के अन्य अधिकारों के साथ समन्वित करने के प्रस्ताव का भी समर्थन किया गया।

"अन्य मामलों" से संबंधित एजेंडा मदों के अंतर्गत, इस तथ्य पर बल दिया गया कि डिजिटल युग में कॉपीराइट की प्रभावी सुरक्षा हेतु उल्लंघन के नवीन और उभरते रूपों से निपटने के लिए तकनीकी एवं कानूनी उपायों का समुचित विकास आवश्यक है। जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को रचनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र में एक संभावित विघटनकारी तत्व के रूप में रेखांकित किया गया, तथा कलाकारों और सृजनकर्ताओं की आजीविका पर इसके संभावित प्रभावों को लेकर बढ़ती चिंताओं पर ध्यान आकर्षित किया गया। जनरेटिव एआई से उत्पन्न चुनौतियों और कॉपीराइट संरक्षण प्रणाली के समक्ष इसके प्रभावों पर एक रचनात्मक एवं तथ्याधारित संवाद को प्रोत्साहित करने का समर्थन किया गया।

सार्वजनिक ऋण अधिकार (पीएलआर) के संबंध में, सिएरा लियोन, पनामा और मलावी के प्रतिनिधिमंडलों को सार्वजनिक ऋण अधिकार (पीएलआर) पर अध्ययन प्रस्तावित करने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा उनके प्रयासों के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया। यह उल्लेख किया गया कि विभिन्न क्षेत्राधिकारों में प्रचलित पीएलआर प्रणालियों, उनके प्रवर्तन तंत्रों, लेखकों को रॉयल्टी वितरण की प्रक्रियाओं तथा लाभार्थियों को प्राप्त होने वाले लाभों पर एक विस्तृत अध्ययन आवश्यक है, जिससे पीएलआर कानूनों के सामंजस्य और सुसंगतता की दिशा में आगे विचार–विमर्श को प्रोत्साहन मिल सके।

पुनर्विक्रय अधिकार के संबंध में, कलाकार के पुनर्विक्रय अधिकार को कॉपीराइट संरक्षण ढाँचे में सम्मिलित करने के प्रस्ताव हेतु सेनेगल और कांगो के प्रतिनिधिमंडलों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। "कलाकार के पुनर्विक्रय अधिकार पर वायपो टूलकिट" (एससीसीआर/43/आईएनएफ/2) की व्यापक एवं सूक्ष्म विषयवस्तु की सराहना की गई। राष्ट्रीय लेखक पुनर्विक्रय रॉयल्टी अधिकार (एआरआरआर) योजना की स्थापना से संबंधित टूलकिट में उल्लिखित विषयों पर आगे विचार–विमर्श की आवश्यकता पर बल दिया गया। यह भी उल्लेख किया गया कि बर्न कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत ने अपने कॉपीराइट अधिनियम में धारा 53ए को सम्मिलित किया है, जिसके माध्यम से कलाकार के पुनर्विक्रय अधिकार को औपचारिक मान्यता एवं विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसमें प्रथम स्वामी के विधिक उत्तराधिकारियों को प्रदत्त अधिकार भी सम्मिलित हैं।

"नाट्य प्रस्तुतियों के मंच निर्देशकों के अधिकार" (एससीसीआर/40/1) शीर्षक वाले अध्ययन की भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि के लिए सराहना की। अध्ययन के परिणामों के लिए समर्थन व्यक्त किया गया, जिसमें यह आकलन करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता बताई गई है कि क्या रंगमंच निर्देशकों के अधिकारों को कॉपीराइट या किसी अन्य उपयुक्त तंत्र के तहत संरक्षित किया जा सकता है।

इन अधिकारों के महत्व की पुनः पुष्टि की गई तथा यह सुझाव प्रस्तुत किया गया कि उनके प्रभावी संरक्षण हेतु उपयुक्त मॉडल की पहचान करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्राधिकारों में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए।

**5. चिह्नों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण हेतु मैड्रिड प्रणाली के विधिक विकास पर कार्यरत मैड्रिड कार्य समूह**

अंतरराष्ट्रीय चिह्नों के पंजीकरण हेतु मैड्रिड प्रणाली के विधिक विकास पर कार्यरत मैड्रिड कार्य समूह का बाईसवाँ सत्र 7 से 11 अक्टूबर, 2024 तक आयोजित किया गया। बैठक के दौरान, भारत में हाल ही में लागू की गई ट्रेडमार्क खोज तकनीक पर ध्यान आकर्षित किया गया, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) आधारित है। इसके अतिरिक्त, इस प्रणाली में एक चैटबॉट की शुरुआत को भी एक उल्लेखनीय प्रगति के रूप में रेखांकित किया गया।

एआई और एमएल प्रौद्योगिकियों के एकीकरण को नियमित कार्यों के स्वचालन के माध्यम से दक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में पहचाना गया। यह उल्लेख किया गया कि भारत द्वारा विकसित एआई और एमएल आधारित चैटबॉट को ट्रेडमार्क अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न कानूनी प्रावधानों के संबंध में जनता तथा हितधारकों को सटीक एवं प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य ट्रेडमार्क आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, विवादों में कमी लाना तथा भारत में ट्रेडमार्क सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए आवेदकों एवं अधिकार धारकों दोनों को सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय स्तर पर मैड्रिड प्रणाली के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रदान किए गए समर्थन को भी औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। साथ ही, ऐसी सहयोगात्मक रणनीतियों की खोज में रुचि व्यक्त की गई जो मैड्रिड प्रणाली से जुड़े सभी हितधारकों के वास्तविक हितों का प्रतिनिधित्व करती हों।

"रिकॉर्डिंग के लिए चयनित अनुरोधों हेतु आवश्यक संकेत के रूप में ई–मेल पते" के संबंध में भारत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की सर्वसम्मति से सराहना की गई। यह उल्लेख किया गया कि ई–मेल संचार का एक त्वरित, किफायती और पर्यावरण–अनुकूल माध्यम है, जो न केवल उत्पादकता को बढ़ाता है, बल्कि सूचना के एक विश्वसनीय अभिलेख के रूप में भी कार्य करता है। इसकी प्रभावशीलता को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया तथा प्रस्ताव को व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। विनियमों के नियम 30, 20 bis, 24 एवं 25 में संशोधन के उद्देश्य से प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव की भी हार्दिक सराहना की गई, जिसे प्रक्रियात्मक दक्षता और पारदर्शिता में वृद्धि के दृष्टिकोण से एक स्वागतयोग्य कदम माना गया।

मोल्दोवा गणराज्य के प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में, उपलब्ध विकल्पों की व्यवहार्यता एवं उनके संभावित निहितार्थों का सम्यक मूल्यांकन करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किए जाने की सराहना की गई। यह रेखांकित किया गया कि भारत का उद्देश्य संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से उनकी अंतर्दृष्टि एकत्रित करना है, ताकि प्रस्ताव के संभावित प्रभावों की एक व्यापक एवं संतुलित समझ विकसित की जा सके।अंतरराष्ट्रीय ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता से अवगत कराया गया। निर्भरता अवधि को पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष करते हुए मूल चिह्न आवश्यकता को बनाए रखने के प्रस्ताव को समर्थन दिया गया। इस संबंध में, मूल आवेदन आवश्यकता को बनाए रखते हुए मूल आवेदन की आवश्यकता को संरक्षित करने के महत्व पर बल दिया गया। निर्भरता अवधि को पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष करने के प्रस्ताव का समर्थन किया गया, क्योंकि यह माना गया कि इस तरह के बदलाव से ट्रेडमार्क धारकों की विश्वसनीयता की रक्षा होगी और यह उत्पत्ति के कार्यालय से परे निषिद्ध चिह्नों के पंजीकरण को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में काम करेगा।

"नई भाषाओं के संभावित परिचय" के संबंध में, यह रेखांकित किया गया कि भारत, जो विश्व के सबसे अधिक भाषाई विविधता वाले देशों में से एक है, भाषाई बहुलता के संरक्षण एवं संवर्धन के महत्व को भली–भांति समझता है। भारत ने भाषाई समावेशिता को सुदृढ़ करने और वैश्विक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस दिशा में उठाए जा रहे प्रयासों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। यह भी उल्लेख किया गया कि मैड्रिड प्रणाली में नई भाषाओं को शामिल करने के संबंध में निर्णय व्यवहार्यता के उपयुक्त मूल्यांकन के बाद, निष्पक्ष और गैर–राजनीतिक तरीके से लिए जाने चाहिए।

## 6. विकास और बौद्धिक संपदा समिति (सीडीआईपी)

विकास एवं बौद्धिक संपदा समिति (सीडीआईपी) का तैंतीसवाँ सत्र 9 से 13 दिसंबर, 2024 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। सत्र के दौरान बौद्धिक संपदा पर भारत के परियोजना प्रस्ताव के पूर्व–कार्यान्वयन चरण की समीक्षा की गई। इस संदर्भ में, स्थानीय समुदायों के सशक्तीकरण तथा स्थानीय कलाओं और परंपराओं के संरक्षण एवं पुनरुद्धार के उद्देश्य से गैर–कृषि भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) की क्षमता को रेखांकित करने हेतु किए गए प्रयासों के लिए सचिवालय के प्रति आभार व्यक्त किया गया। प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि भारत में अब तक कुल 404 गैर–कृषि भौगोलिक उपदर्शन पंजीकृत किए जा चुके हैं। ये उपदर्शन हथकरघा, हस्तशिल्प, निर्मित वस्तुओं तथा प्राकृतिक उत्पादों जैसे विविध क्षेत्रों में विस्तृत हैं, जो भारत की समृद्ध और बहुआयामी सांस्कृतिक विरासत के सजीव प्रतीक हैं।

इस तथ्य पर बल दिया गया कि अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र को इन उत्पादों के प्रभावी व्यावसायीकरण की दिशा में पर्याप्त प्रोत्साहन एवं संगठित प्रयासों की आवश्यकता है।

मई 2024 में वायपो द्वारा आयोजित आनुवंशिक संसाधनों एवं संबद्ध पारंपरिक ज्ञान पर राजनयिक सम्मेलन के दौरान गैर–कृषि भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) की एक डिजिटल सूची का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात्, इस सूची को सभी भारतीय मिशनों एवं दूतावासों के माध्यम से व्यापक प्रसार हेतु साझा किया गया, जिससे इसे वैश्विक दर्शकों के लिए सुलभ बनाया जा सके।इसके अलावा, भारत के समृद्ध शिल्प कौशल के बारे में अंतरराष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाने के लिए, नेशनल ज्योग्राफिक के सहयोग से कई वृत्तचित्रों का निर्माण किया गया है। इन वृत्तचित्रों का उद्देश्य पारंपरिक भारतीय शिल्प की व्यापकता और

गहराई को व्यापक वैश्विक समुदाय के सामने प्रस्तुत करना है।

वायपो में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा रणनीतियों की एक वेधशाला की स्थापना से संबंधित ब्राज़ील द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव का समर्थन किया गया। यह उल्लेख किया गया कि अनेक विकासशील एवं अल्पविकसित देशों में संसाधनों की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, यह परियोजना उनके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। यह परियोजना वायपो के सदस्य देशों, विशेषकर विकासशील एवं अल्पविकसित राष्ट्रों की क्षमता सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बनाई गई है, ताकि वे प्रभावी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा रणनीतियों के विकास एवं कार्यान्वयन में सक्षम हो सकें। जिनसे वैश्विक बौद्धिक संपदा प्रशासन को आगे बढ़ाने और क्षमता निर्माण प्रयासों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है।

**7. बौद्धिक संपदा और आनुवंशिक संसाधन, पारंपरिक ज्ञान और लोककथाओं पर अंतर–सरकारी समितिः**

बौद्धिक संपदा तथा आनुवंशिक संसाधन, पारंपरिक ज्ञान एवं लोककथाओं पर अंतर–सरकारी समिति (आईजीसी) का उनचासवाँ सत्र 2 से 6 दिसंबर, 2024 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। आनुवंशिक संसाधनों एवं संबद्ध पारंपरिक ज्ञान पर वायपो संधि के समापन एवं उसके अंगीकरण की दिशा में सदस्य देशों द्वारा किए गए प्रयासों को आईजीसी द्वारा एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में मान्यता प्रदान की गई। डिज़ाइन कानून संधि का हालिया समापन, जिसके अंतिम पाठ में पारंपरिक ज्ञान (टीके) एवं पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों (टीसीई) की मान्यता को सम्मिलित किया गया, को व्यापक बौद्धिक संपदा परिदृश्य में जीवंत अनुभवों तथा सांस्कृतिक इतिहास के मूल्य को स्वीकार करने की दिशा में वायपो के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना गया।

सदस्य देशों की विविध सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव प्रस्तुत किया गया कि अंतर–सरकारी समिति (आईजीसी) एक न्यूनतम मानक निर्धारित करने की दिशा में कार्य कर सकती है, साथ ही राष्ट्रीय प्राधिकरणों को, जो ज्ञान धारकों की चिंताओं एवं आवश्यकताओं को अधिक गहराई से समझने की स्थिति में हैं, विवरणों पर विचार करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। यह अपेक्षा व्यक्त की गई कि आईजीसी का वर्तमान सत्र परिभाषाओं, लाभार्थियों, सार्वजनिक क्षेत्र, संरक्षण के दायरे, अपवादों तथा सीमाओं जैसे प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित रहेगा और और पाठ्य–अंतराल को और कम किया जाएगा।

प्रस्तावना अनुच्छेदों (पीपी) के संबंध में, सबसे पहले, पीपी 1 में कहा गया कि उस सूत्रीकरण को प्राथमिकता दी गई है जिसका उपयोग जीआरएटीके संधि में किया गया था, जिसमें "स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा और उसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धताओं को स्वीकार किया गया था" जिसे इच्छित भावना को बेहतर ढंग से पकड़ने के लिए माना गया था और उपयोग के लिए अनुशंसित किया गया था। पीपी2 के संबंध में, यह दोहराया गया है कि पसंदीदा कार्य होगाः "स्वदेशी लोगों के अधिकारों और स्थानीय समुदायों के हितों को मान्यता देना।" पैराग्राफ़ पीपी10 में "सुनिश्चित करना" शब्द को समस्याग्रस्त के रूप में पहचाना गया था। इसके स्थान पर, जीआरएटीके संधि के पाठ, अर्थात "यह स्वीकार करते हुए कि यह संधि और आनुवंशिक संसाधनों तथा आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान से संबंधित अन्य अंतरराष्ट्रीय समझौते परस्पर सहायक होने चाहिए", को एक अधिक स्वीकार्य सूत्रीकरण के रूप में प्रस्तावित किया गया था। इसी तर्ज पर, एक संशोधित शब्दावली प्रस्तावित की गई, जैसे कि "इस संधि और पारंपरिक ज्ञान से संबंधित अन्य अंतरराष्ट्रीय साधनों को परस्पर सहायक माना जाना चाहिए"। पीपी 12 को हटाने का भी अनुरोध किया गया था, क्योंकि इस अनुच्छेद को पारंपरिक ज्ञान की परिभाषा को लेकर भ्रम पैदा करने वाला माना गया था। टीसीई (पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ) से संबंधित प्रस्तावना खंड पर भी इसी तरह की टिप्पणियाँ की गईं।

इसके अतिरिक्त, एक अधिक प्रभावी दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया, जिसके अंतर्गत मूल प्रावधानों पर विचार–विमर्श के दौरान प्रासंगिक परिभाषाओं पर चर्चा करना एवं तत्पश्चात अंतिम रूप से स्वीकृत परिभाषाओं को लेख 1 के अधीन समेकित करना सम्मिलित है। यह दृष्टिकोण अधिक व्यवस्थित माना गया। साथ ही, यह भी अवलोकन किया गया कि लेख 1 के अंतर्गत कुछ परिभाषाएँ संबंधित शब्दों को स्वयं परिभाषित नहीं करतीं, अपितु अधिकार धारकों के साथ उनके संबंध की व्याख्या करती हैं, जिसे समस्याग्रस्त पाया गया।

यह भी ध्यान दिया गया कि लेख 1 में कुछ परिभाषाएं स्वरूप से परे जाकर विषय–वस्तु के अधिकार धारकों के साथ संबंध को संबोधित करने का प्रयास करती हैं, जिसे इस स्तर पर अनुचित माना गया।

लेख 2 के अंतर्गत उद्देश्यों के संबंध में, सूत्रधार के वैकल्पिक पाठ पर चिंताएँ व्यक्त की गईं। वैकल्पिक पाठ के भाग क और ख तो स्वीकार्य पाए गए, लेकिन भाग ग पर चिंता व्यक्त की गई, क्योंकि यह विशेष रूप से आईपीएलसी का उल्लेख करता है। भारत की सुसंगत स्थिति दोहराई गईकृकि अधिकार धारकों के संदर्भ में न केवल स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को, बल्कि अन्य लाभार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया गया कि अनुच्छेद क, जिसमें कहा गया है कि उद्देश्य "पारंपरिक ज्ञान का प्रभावी और पर्याप्त संरक्षण प्रदान करना" है, परोक्ष रूप से ज्ञान की सुरक्षा, उसके धारकों के अधिकारों और उन्हें प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभों को सुनिश्चित करता है। इसलिए, अनुच्छेद क को एक व्यापक सूत्रीकरण माना गया जो तीनों महत्वपूर्ण पहलुओं को संबोधित करता है। यह भी बताया गया कि लेख 4, जो लाभार्थियों को परिभाषित करता है, को लेख 2 का मसौदा तैयार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार, भाग ग में एक संशोधित सूत्रीकरण प्रस्तावित किया गया, जैसे "लेख 4 में परिभाषित पारंपरिक ज्ञान के लाभार्थियों को मान्यता देना" या "लेख 4 में परिभाषित पारंपरिक ज्ञान के धारकों को मान्यता देना"।

टीसीई पर सुविधाकर्ता के विकल्प के संबंध में भी यही स्थिति व्यक्त की गई। अनुच्छेद 3 के संबंध में, यह व्यक्त किया गया कि दस्तावेज़ 49/4 में अनुच्छेद की आवश्यकता नहीं हो सकती है, क्योंकि संरक्षण या पात्रता मानदंड अनुच्छेद 2 द्वारा पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। हालाँकि, यदि अनुच्छेद 3 को शामिल करना आवश्यक समझा जाता है, तो विकल्प क को प्राथमिकता दी गई। पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों (टीसीई) के संदर्भ में, यह सुझाव दिया गया कि "अन्य लाभार्थी" वाक्यांश को शामिल किया जाना चाहिए, और सुविधाकर्ता के विकल्प और विकल्प क दोनों को स्वीकार्य माना गया। दोनों अनुच्छेदों में "अन्य लाभार्थियों" को शामिल करने को महत्वपूर्ण बताया गया। अनुच्छेद 4 के लिए सुविधाकर्ता के विकल्प पर भी सहमति व्यक्त की गई, जिसमें अनुच्छेद 4.2क में कुछ मामूली बदलाव प्रस्तावित किए गए। विशेष रूप से, यह सुझाव दिया गया कि इस उपकरण के अंतर्गत लाभार्थियों को अनुच्छेद 4.1 में इस प्रकार परिभाषित किया जाएः "राष्ट्रीय कानून के तहत लागू स्वदेशी लोग और स्थानीय समुदाय और/या अन्य लाभार्थी।"

आईजीसी द्विवार्षिक 2024/25 के उद्देश्यों के संबंध में भारत की स्थिति ब्राज़ील द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के अनुरूप रही, विशेष रूप से पारंपरिक ज्ञान (टीके) पर दस्तावेज़ वायपो/जीआरटीकेएफ़/आईसी/49/4 में संरक्षण के दायरे से संबंधित अनुच्छेद 5 के संदर्भ में। अनुच्छेद क में, यह प्रस्ताव रखा गया था कि तीसरी पंक्ति के शब्दों में "या पवित्र" शब्द को हटाकर संशोधन किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टीके, जो पवित्र है या पवित्र होने के लिए अभिप्रेत है, को ऐसे ज्ञान को बनाए रखने, नियंत्रित करने, उपयोग करने और विकसित करने के नैतिक अधिकार प्रदान किए जाएँ। अनुच्छेद ख को पर्याप्त रूप से स्पष्ट माना गया, जबकि अनुच्छेद ग में, यह अनुशंसा की गई कि "उनकी स्वतंत्र पूर्व सूचित सहमति के बिना" वाक्यांश को हटाकर "उनके अधिकारों के उल्लंघन में" वाक्यांश रखा जाए। अनुच्छेद 5bis के संबंध में, 5bis.1, 5bis.2, और 5bis.3 के प्रावधान स्वीकार्य पाए गए, जबकि शेष भागों को इस दस्तावेज़ के दायरे से बाहर माना गया।

आगे यह प्रस्ताव किया गया कि अनुच्छेद 5bis में भाषा को निम्नानुसार संशोधित किया जाएः

"सहयोग और परामर्श के महत्व को समझते हुए, सदस्य राज्यों को प्रोत्साहित किया जाता है", और अधिक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए "चाहिए" और "कभी नहीं" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाता है। टीसीई पाठ में, विशेष रूप से अनुच्छेद 5सी और 5ई में, टीके के लिए पहले से की गई सिफारिशों को प्रतिबिंबित करते हुए, और भी बदलाव प्रस्तावित किए गए। अनुच्छेद 5बीआईएस के शुरुआती अनुच्छेद में, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्ताव रखा कि "चाहिए" शब्द के स्थान पर "प्रोत्साहित किया जाता है" शब्द रखा जाए। अनुच्छेद 5bis.1, 5bis.2, और 5bis.3 को स्वीकार्य माना गया। हालाँकि, अनुच्छेद

5bis.3 से आगे के पाठ को इस दस्तावेज़ के दायरे से बाहर माना गया। अनुच्छेद 6 के संबंध में, यह स्वीकार किया गया कि यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, विशेष रूप से उन लोगों के हितों की रक्षा के लिए जिनके अधिकारों की टी.सी.ई. और टी.के. दोनों पाठों में सुरक्षा की आवश्यकता है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने विकल्प 1 को प्राथमिकता दी।

प्रकटीकरण आवश्यकता से संबंधित अनुच्छेद 7 के संदर्भ में इस बात पर बल दिया गया कि संधि के पाठ में यह अनुच्छेद अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विकल्प 1 को एक उपयुक्त सूत्रीकरण के रूप में पहचाना गया, जिसका समर्थन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 6 के अंतर्गत हुई चर्चाओं के संदर्भ में, विशेष रूप से विकल्प 1 जिसका भारत द्वारा समर्थन किया गया था के संबंध में "चाहिए" के स्थान पर "करेगा" शब्द के उपयोग को वरीयता दी गई। यह भी पुष्टि की गई कि भविष्य में "करेगा" भाषा का निरंतर समर्थन किया जाएगा।

अधिकारों के प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद 8 के संदर्भ में यह उल्लेख किया गया कि विकल्प 1 अथवा विकल्प 2, दोनों में से कोई भी स्वीकार्य पाया गया। यदि विकल्प 2 को अपनाया जाता, जिसे एक सरल एवं स्पष्ट सूत्रीकरण माना गया, तो इसके शब्दों को इस प्रकार प्रस्तावित किया गयाः "इस दस्तावेज़ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रशासन करें," क्योंकि यह प्रावधान के उद्देश्य को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रतिबिंबित करता है। वहीं, यदि विकल्प 1 को अपनाया जाता, तो यह सुझाव दिया गया कि इसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए: "सदस्य राज्य/संविदाकारी पक्ष, लाभार्थियों के परामर्श से तथा उनके राष्ट्रीय कानून के अनुरूप, इस दस्तावेज़ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रशासन करने हेतु एक सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकारियों की स्थापना करेंगे, बिना इस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले कि लाभार्थी अपने पारंपरिक प्रोटोकॉल, समझौतों, कानूनों और प्रथाओं के अनुसार अपने अधिकारों एवं हितों का प्रशासन करने के अधिकार रखते हैं।" टीसीई पाठ (दस्तावेज़ 49/5) के संदर्भ में, विकल्प 1 को प्राथमिकता दी गई।

टीके पाठ के अनुच्छेद 9 तथा टीसीई पाठ के अनुच्छेद 7 में उल्लिखित अपवादों और सीमाओं के संदर्भ में यह विचार व्यक्त किया गया कि सूत्रधार के पाठ अथवा विकल्प 1 के अनुरूप संरेखण एक व्यवहार्य विकल्प हो सकता है, यद्यपि भविष्य में संशोधनों की संभावना को स्वीकार किया गया। यह रेखांकित किया गया कि अपवादों और सीमाओं का विस्तार इस सीमा तक नहीं किया जाना चाहिए जिससे संरक्षण के दायरे में कमी आए। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक ज्ञान (टीके) पाठ के अनुच्छेद 10 तथा पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों (टीसीई) पाठ के अनुच्छेद 8 के संबंध में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का मत था कि सूत्रधार द्वारा प्रस्तुत विकल्प को आगे बढ़ाया जा सकता है। तथापि, यह अनुशंसा की गई कि उक्त सूत्रीकरण को संरक्षण के लिए पात्रता के मानदंडों तक ही सीमित रखा जाए।

पारंपरिक ज्ञान (टीके) और पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति (टीसीई) दोनों ग्रंथों में औपचारिकताओं पर लेख के लिए, हमारे प्रतिनिधिमंडल ने सूत्रधार के विकल्प को प्राथमिकता दी। टीके पाठ में अनुच्छेद 12 (संक्रमणकालीन उपाय) के संबंध में, हमारे प्रतिनिधिमंडल ने अनुच्छेद 12.2 में दूसरे विकल्प का समर्थन किया। "चाहिए" शब्द के प्रयोग को स्वीकार्य माना गया, और इस बात पर सहमति हुई कि अनुच्छेद 12.2 के अंत में "जारी रहने दिया जाना चाहिए" वाक्यांश को हटाया जा सकता है। टीसीई पाठ में अनुच्छेद 11 (संक्रमणकालीन उपाय) के संबंध में, विकल्प 2 को भी उन्हीं संशोधनों के साथ प्राथमिकता दी गई जो टीके पाठ के लिए बताए गए थे। जहाँ तक अनुच्छेद 11.3 का संबंध है, यह प्रस्ताव रखा गया कि अंत में "राष्ट्रीय कानून के अनुसार" वाक्यांश जोड़ा जाए।

49वीं आईजीसी के दौरान गैर–पत्र के रूप में शामिल किए गए अध्यक्ष के पाठ के महत्व को स्वीकार किया गया और उस पाठ का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन आवश्यक समझा गया। अंत में, यह बताया गया कि हमारा प्रतिनिधिमंडल इस बात से सहमत नहीं है कि संशोधित पाठों पर अगले सत्र में आगे विचार किया जाना चाहिए।

**आईजीसी का 50वां सत्रः** बौद्धिक संपदा एवं आनुवंशिक संसाधन, पारंपरिक ज्ञान और लोककथाओं पर अंतर–सरकारी समिति (आई.जी.सी.) का पचासवाँ सत्र 3 से 7 मार्च, 2025 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। 49वें सत्र के दौरान, समिति सूत्रधारों द्वारा प्रस्तुत पाठों पर आम सहमति स्थापित करने में असमर्थ रही, जिसके परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया कि उक्त पाठों को आई.जी.सी. के 50वें सत्र को प्रेषित नहीं किया जाएगा। अतः, 49वें सत्र के लिए उपलब्ध पाठों पर ही विचार–विमर्श किया गया। भारत ने इस सत्र में समावेशिता के महत्व पर बल देते हुए एक वक्तव्य प्रस्तुत किया। कार्यप्रणाली में प्रस्तावित तंत्रों के समर्थन में, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विकासशील देशों की

आवश्यकताओं और, सबसे बढ़कर, पारंपरिक ज्ञान (टी.के.) तथा पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों (टी.सी.ई.) के धारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, सभी हितधारकों का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, पूर्ण पारदर्शिता, समावेशिता तथा आम सहमति–निर्माण आधारित दृष्टिकोण को अनिवार्य बताया गया। विविध भाषाई, आध्यात्मिक एवं ज्ञान परंपराओं से समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले देश के रूप में, भारत ने पारंपरिक ज्ञान (टी.के.) और पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों (टी.सी.ई.) के प्रभावी अंतरराष्ट्रीय संरक्षण को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय साधन या साधनों की स्थापना के पक्ष में दृढ़ समर्थन व्यक्त किया, जो सुदृढ़ एवं प्रवर्तनीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कार्यान्वयन में आवश्यक राष्ट्रीय लचीलापन प्रदान करें। तथापि, कानूनी सुरक्षा की प्रकृति, लाभार्थियों की परिभाषा, प्रवर्तन तंत्र तथा अन्य विवादास्पद विषयों पर सदस्य देशों के मध्य महत्वपूर्ण मतभेद बने रहे। प्रतिनिधिमंडल ने यह अभिमत व्यक्त किया कि इन मतभेदों का समाधान एक समावेशी एवं रचनात्मक सहयोगात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से किया जा सकता है। समिति ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि पारंपरिक ज्ञान (टी.के.) और पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ (टी.सी.ई.) बौद्धिक संपदा की ऐसी रचनाएँ हैं जिन्हें पर्याप्त और प्रभावी संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, और इसी उद्देश्य से सदस्य देश वायपो के तत्वावधान में एकत्रित हुए हैं। भारत ने इस बात पर बल दिया कि विविध राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक लचीलापन प्रदान करने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अंतरालों को न्यूनतम किया जाए ताकि टी.के. और टी.सी.ई. के लिए व्यापक एवं प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

3 और 5 मार्च, 2025 को आयोजित पूर्ण सत्रों में, अध्यक्ष द्वारा उद्देश्यों, विषय–वस्तु एवं पात्रता मानदंड, संरक्षण का दायरा, अपवाद एवं सीमाएँ, साथ ही प्रतिबंध और उपचार जैसे प्रमुख मुद्दों पर विचार–विमर्श का प्रस्ताव रखा गया। लेख 2, "उद्देश्यों" के संबंध में, भारत ने सुविधादाताओं द्वारा प्रस्तुत पाठ के साथ समग्र रूप से सामंजस्य व्यक्त किया, यद्यपि इसमें कुछ मामूली संशोधनों की आवश्यकता पर बल दिया गया। भारत ने सुझाव दिया कि उद्देश्यों के अंतर्गत उल्लिखित खंड (सी) आवश्यक नहीं है। तथापि, यदि समिति इस खंड को बनाए रखने का निर्णय लेती है, तो इसे "टीके धारकों को मान्यता दें" के रूप में पुनर्लेखित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भारत ने इस बात पर बल दिया कि "आईपीएलसी शब्दों के साथ "अन्य लाभार्थियों" को भी सम्मिलित किया जाए, एलएमसी के कई प्रतिनिधिमंडल 'अन्य लाभार्थियों' को जोड़ने के समर्थन में हैं, और ग्रुप बी के कुछ सदस्य देशों ने भी आगे चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की है।

लेख 5, "संरक्षण का दायरा" के संबंध में, भारत ने टीके पाठ तथा टीसीई पाठ दोनों में संरक्षण के दायरे, शर्तों एवं सुरक्षा के स्वरूप पर कुछ प्रारूपण संबंधी सुझाव प्रस्तुत किए। सूत्रधार द्वारा प्रस्तावित विकल्प के संदर्भ में यह सुझाव दिया गया कि, चूँकि लेख 4 में लाभार्थियों की परिभाषा पहले से ही निहित है, अतः पाठ में सीधे लाभार्थियों का उल्लेख किया जाना अधिक उपयुक्त होगा। भारत ने "गुप्त" शब्द के स्थान पर "अर्थपूर्ण गुप्त" शब्द के प्रयोग का प्रस्ताव रखते हुए स्पष्टता एवं सटीकता बढ़ाने की अनुशंसा की। खंड (क) के उपखंड (4) में भारत ने "और नैतिक अधिकार" शब्दों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया, ताकि लाभार्थियों के नैतिक अधिकारों का भी समुचित संरक्षण सुनिश्चित हो सके। इसी प्रकार, खंड (ख) के लिए भी समान संशोधन प्रस्तावित किए गए। खंड (ग) में, "उनकी स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के बिना" शब्दों के स्थान पर भारत ने "उनके अधिकारों के उल्लंघन में" शब्दावली को अपनाने का सुझाव दिया।

टीके/टीसीई पाठ में अपवादों और सीमाओं से संबंधित अनुच्छेदों के संदर्भ में, भारत के प्रतिनिधिमंडल ने स्वयं को सुविधादाता द्वारा प्रस्तावित विकल्प के साथ संबद्ध किया। भारत ने सैद्धांतिक रूप से विकल्प 1 का भी समर्थन व्यक्त किया। हालाँकि, भारत ने इस अनुच्छेद को राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णय हेतु खुला रखने की आवश्यकता पर बल दिया। सुविधादाता के विकल्प, अर्थात् टीके पाठ के अनुच्छेद 9.3 तथा टीसीई पाठ के अनुच्छेद 7.3 के संदर्भ में, भारत ने यह सुझाव दिया कि "स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों" के पश्चात "जहाँ लागू हो" शब्द जोड़े जाएँ।

सप्ताह के दौरान, आईजीसी ने पारंपरिक ज्ञान (टीके) तथा पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों (टीसीई) पर मसौदा पाठों पर विचार–विमर्श किया, जिसमें पूर्ण एवं अनौपचारिक दोनों सत्र सम्मिलित थे। डब्ल्यूआईपीओ/जीआरटीकेएफ/आईसी/49/4 और डब्ल्यूआईपीओ/जीआरटीकेएफ/आईसी/49/5 दस्तावेजों के आधार पर समिति ने एक समेकित पाठ "पारंपरिक ज्ञान और पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का संरक्षणः मसौदा लेख" तैयार किया। वायपो आईजीसी 50 के अंतिम सत्र में मुख्य

ध्यान इस बात पर केंद्रित रहा कि पारंपरिक ज्ञान (टीके) और पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों (टीसीई) पर संशोधित पाठ को आईजीसी 51 में प्रसारित किया जाए। तथापि, अंतिम दिवस पर व्यापक विचार–विमर्श और समझौते के प्रयासों के बावजूद, नाइजीरिया ने औपचारिक रूप से इस संशोधित पाठ के प्रसारण का विरोध किया, यह अभिव्यक्त करते हुए कि उक्त पाठ सभी प्रतिनिधिमंडलों के बीच पूर्ण सहमति को प्रतिबिंबित नहीं करता है। परिणामस्वरूप, यह निर्णय लिया गया कि संशोधित पाठ को आईजीसी 51 में प्रसारित नहीं किया जाएगा। बल्कि समिति ने दस्तावेज़ के आधार पर कार्य जारी रखने का निर्णय किया।

**8. प्रवर्तन पर सलाहकार समिति**

प्रवर्तन सलाहकार समिति का सत्रहवाँ सत्र 4 से 6 फ़रवरी, 2025 तक जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में आयोजित हुआ। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने विशेषकर युवाओं के बीच जागरूकता अभियानों के माध्यम से बौद्धिक संपदा (आईपी) के प्रति सम्मान पैदा करने के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों को भारत के प्रमुख कार्यक्रम, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (निपम) और आविष्कारता प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी दी गई। भारत ने एक निष्पक्ष और सुलभ आईपी प्रवर्तन प्रणाली के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जो जनहित में हो और सभी के लिए न्यायसंगत विवाद समाधान और न्याय सुनिश्चित करे। फिल्म पाइरेसी से निपटने के निरंतर प्रयासों के तहत, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत फिल्मों की अवैध रिकॉर्डिंग एवं अनधिकृत प्रदर्शन के लिए कठोर दंड प्रावधान किए गए। समिति से विकास एजेंडा अनुशंसा 45, ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 7 तथा एसीई अधिदेश के अनुरूप बौद्धिक संपदा (आईपी) प्रवर्तन के लिए एक व्यापक एवं संतुलित दृष्टिकोण अपनाने पर विचार करने का आग्रह किया गया। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आईपी प्रवर्तन न केवल तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करे, बल्कि व्यापक सामाजिक और आर्थिक विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायक हो, साथ ही अधिकारों और दायित्वों के मध्य संतुलन बनाए रखे। सत्र के दौरान "आईपी के प्रति सम्मान निर्माण और प्रभावी आईपी प्रवर्तन में आईपी शिक्षा की भूमिका" विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें सीजीपीडीटीएम ने भाग लिया। पैनल चर्चा के दौरान राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (निपम), जो वर्ष 2021 से भारत में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है, को एक प्रमुख पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह उल्लेख किया गया कि निपम का उद्देश्य छात्रों, शोधकर्ताओं तथा स्टार्टअप्स तक पहुँच स्थापित कर उन्हें बौद्धिक संपदा (आईपी) के संरक्षण और पहचान के महत्व के प्रति शिक्षित करते हुए नवाचार को प्रोत्साहित करना है। इस मिशन का प्रमुख लक्ष्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में संभावित अग्रणी माने जाने वाले विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों में आईपी के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना तथा नवाचार की संस्कृति को सुदृढ़ करना है। मिशन के अंतर्गत जागरूकता बढ़ाना, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना तथा घरेलू आईपी फाइलिंग में वृद्धि

सहित कुल छह प्रमुख उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है, जो देश में एक सशक्त एवं नवोन्मेषी बौद्धिक संपदा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह उल्लेख किया गया कि इस मिशन की पहुँच केवल महानगरों तक सीमित न रहकर टियर–2, टियर–3, ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों तक भी विस्तारित हुई, जहाँ 48% महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सराहनीय लैंगिक संतुलन बनाए रखा गया। इन संगठित प्रयासों के परिणामस्वरूप शैक्षणिक संस्थानों द्वारा दाखिल पेटेंट आवेदनों में 121% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जबकि स्थानीय निवासियों द्वारा दाखिल आवेदनों का अनुपात बढ़कर 60% तक पहुँच गया। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावशाली पहलें भी की गईं, जिनमें जम्मू एवं कश्मीर में आयोजित खिलौना डिज़ाइन चुनौतियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय रहीं। इस पहल के अंतर्गत छात्रों द्वारा विकसित 115 मॉडलों को मात्र 60 दिनों के भीतर डिज़ाइन संरक्षण प्रदान किया गया, जो नवाचार को प्रोत्साहित करने और बौद्धिक संपदा अधिकारों के शीघ्र कार्यान्वयन की दिशा में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करता है।

समापन सत्र के दौरान इस बात पर बल दिया गया कि प्रवर्तन बौद्धिक संपदा व्यवस्था का एक अभिन्न एवं अनिवार्य घटक है। भारत ने विकास एजेंडा अनुशंसा 45 के साथ प्रवर्तन सलाहकार समिति के कार्य को संरेखित करने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की। यह आकांक्षा व्यक्त की गई कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के प्रयास प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ज्ञान साझाकरण को प्रोत्साहित करने की दिशा में केंद्रित हों, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सदस्य देश वैश्विक बौद्धिक संपदा प्रणाली में समान रूप से योगदान कर सकें और उससे समान रूप से लाभान्वित हो सकें। इस पर भी ज़ोर दिया गया कि प्रवर्तन का दृष्टिकोण विस्तृत, संतुलित और समग्र होना चाहिए, जो ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 7 में निहित उद्देश्यों के अनुरूप हो। साथ ही यह सिफारिश की गई कि विकास, प्रौद्योगिकी तक पहुँच और डिजिटल परिवर्तन से संबंधित विषयों पर अन्य वैश्विक बहुपक्षीय मंचों पर चल रही चर्चाओं का प्रतिफल विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की नीतियों और क्रियान्वयन ढाँचों, विशेषकर प्रवर्तन व्यवस्था में भी परिलक्षित होना चाहिए।

### 9. बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधनों और आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानूनी दस्तावेज को अंतिम रूप देने के लिए राजनयिक सम्मेलन

13 से 24 मई, 2024 की अवधि के दौरान, अधिकारियों के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने जिनेवा में आयोजित राजनयिक सम्मेलन में भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वायपो) की आनुवंशिक संसाधनों और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान संधि (GRATK संधि) का ऐतिहासिक रूप से अंगीकरण किया गया। यह महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक समझौता, जिसे भारत ने वैश्विक दक्षिण की एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को औपचारिक रूप से वैश्विक बौद्धिक संपदा शासन ढाँचे में समाहित करने की दिशा में प्रथम मील का पत्थर सिद्ध हुआ। यह विशेष रूप से पेटेंट आवेदकों के लिए मूल देश या आनुवंशिक संसाधनों के स्रोत और उनके दावा किए गए आविष्कारों में प्रयुक्त किसी भी संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के बारे में अनिवार्य प्रकटीकरण की आवश्यकता स्थापित करता है, जिससे पेटेंट प्रणाली में पारदर्शिता मजबूत होती है और जैव विविधता की सुरक्षा होती है।

सम्मेलन के दौरान, भारत ने भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) मंडप को विशेष रूप से प्रमुखता प्रदान करते हुए प्रदर्शित किया। इस पहल के माध्यम से देश के जीआई–टैग उत्पादों की समृद्ध एवं विविध श्रृंखला का प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया, साथ ही पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय (टीकेडीएल) की पारंपरिक ज्ञान के दुरुपयोग की रोकथाम में निभाई जा रही महत्वपूर्ण निवारक भूमिका को भी रेखांकित किया गया। इस प्रदर्शन ने वैश्विक मंच पर भारत की अद्वितीय सांस्कृतिक एवं स्वदेशी उत्पाद विरासत के संरक्षण और संवर्धन के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को पुष्ट किया। उक्त संधि संतुलित एवं समावेशी वैश्विक बौद्धिक संपदा व्यवस्था की स्थापना हेतु भारत की दीर्घकालिक वकालत को रेखांकित करती है, जो पारंपरिक ज्ञान धारकों तथा जैव विविधता से समृद्ध देशों के अमूल्य योगदानों की मान्यता सुनिश्चित करती है।

## 10. डिज़ाइन कानून संधि को समाप्त करने और अपनाने के लिए राजनयिक सम्मेलन

भारत ने 11 से 22 नवंबर, 2024 तक रियाद में आयोजित राजनयिक सम्मेलन में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की, जिसके परिणामस्वरूप विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वायपो) के सदस्य देशों द्वारा डिज़ाइन कानून संधि (डीएलटी) को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया गया। इस सम्मेलन में तीन अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिससे मजबूत एवं आधुनिक बौद्धिक संपदा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता और सुदृढ़ हुई। अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर करते हुए, भारत ने औद्योगिक डिज़ाइन संरक्षण के लिए एक सुव्यवस्थित, कुशल और सुलभ ढाँचे का समर्थन किया, जिससे विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), स्टार्टअप्स और स्वतंत्र डिज़ाइनरों को वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। यह सहभागिता भारत के बौद्धिक संपदा बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण में उसके सक्रिय एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण का प्रतीक है। भारत ने लंबे समय से सतत आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में डिजाइनों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी है, जिसका प्रमाण यह है कि पिछले दशक में भारत में डिजाइन पंजीकरण तीन गुना बढ़ गया है, तथा पिछले दो वर्षों में ही घरेलू पंजीकरण में 120% की वृद्धि हुई है।

## 11. अंतरराष्ट्रीय सहयोग वेबपेजः

जनवरी 2025 में, आईपी इंडिया वेबसाइट पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को समर्पित एक नया वेबपृष्ठ औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। इस वेबपृष्ठ में सभी द्विपक्षीय एवं वायपो बैठकों के साथ–साथ वर्ष 2019 से अब तक आईपी अधिकारियों की विदेश यात्राओं का विस्तृत दस्तावेजीकरण सम्मिलित किया गया है। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में भारत की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों में पारदर्शिता को सुदृढ़ करना तथा सार्वजनिक अभिगम्यता और सूचना प्रसार को बढ़ावा देना है।

Bilateral meeting with National Institute of Industlial Propeny, (INPI), France

Bilateral meeting with Japan Patent Office (JPO)

Bilateral meeting with Italian Patent and Trademark Office

Bilateral meeting with Czech Republic

WIPO DG and H.E. Arindam Bagchi, Ambassador PMI at the Indian Pavillion

Meeting with WIPO

**Bilateral meeting with Korean Patent office (KIPO)**

**Bilateral meeting with IPOM, MAURITIUS**

**Bilateral meeting with Danish Patent and Trademark Office (DKPTO), Denmark**

**Bilateral meeting with INAPI, CHILE**

**Bilateral meeting with Saudi, Saudi Arabia Authority for Intellectual Property (SAIP)**

**Bilateral meeting with IPOPHL, Philippines**

Bilateral meeting with EUIPO

Bilateral meeting with CIPO

Bilateral meeting with INPI, Portugal

Bilateral meeting with European Patent Office (EPO)

Bilateral meeting with DIP, BHUTAN

Bilateral meeting with IPOS, Singapore

**Release of Multilingual IP Diagnostic tool - Indian adaptation**

**Release of the SDG compendium by WIPO DG**

**Indian Pavilion: Creative India, Innovative India**

**Indian Pavilion: Creative India, Innovative India**

DIP Bhutan Impressed by India's IP Growth, Expresses Interest in NIPAM and Requests Capacity-Building Programs

Kyrgyz Republic Seeks Insight into India's IP System, Proposes Examiner Exchange, and Expresses Interest in Innovation Projects and SIPP Scheme

Officials from INPI Portugal and India Exchange Updates on India's Expedited Examination and Fee Reduction and Portugal's Major Paper Reduction and Online Filing Achievements.

NCPI Shows Interest in Capacity-Building through Patent and Trademark Examiner Exchanges with India, and Discussed MoU and Work Plan Status

Officials from INPI Brazil and India Exchange Updates on IP Developments and Discuss WIPO Proposals, with India Supporting Brazil's SCP Proposal

# प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा बर्हि–क्रियाकलाप

## परिचय

बौद्धिक संपदा (आईपी ) नवाचार और रचनात्मकता को पोषित और प्रोत्साहित करती है, जिससे समाज के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में योगदान मिलता है। आईपी एक बहुआयामी उपकरण है जो उदाहरण के लिए,

(i) अन्वेषकों, लेखकों और कलाकारों को प्रोत्साहन प्रदान करता है;

(ii) अनुसंधान और विकास के चक्र में स्थिरता लाता है;

(iii) व्यवसायों को उनकी सद्भावना के अनधिकृत उपयोग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है; और

(iv) उन कारीगरों के गरीबी उन्मूलन में योगदान देता है जो जमीनी स्तर के भौगोलिक उपदर्शन के अधिकृत उपयोगकर्ता हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सीजीपीडीटीएम कार्यालय कई वर्षों से आम जनता के लिए जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम संचालित करने की पहल कर रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आईपी संबंधित प्रमुख मुद्दों की व्यापक समझ पैदा करना, आईपीआर सुरक्षा और प्रवर्तन के बारे में ज्ञान प्रदान करना और जागरूकता बढ़ाना और साथ ही आईपीआर का लाभ उठाने के लिए व्यवसायों को सशक्त बनाना है। आईपी कार्यालयों के अधिकारी इन जागरूकता कार्यक्रमों में विशेषज्ञ के रूप में नियमित भाग लेते रहे हैं।

## 1. आईपीओ अधिकारियों का प्रशिक्षण:

महानियंत्रक कार्यालय, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) ने नये परीक्षकों, एकस्व और अभिकल्प के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, साथ ही नियंत्रक, एकस्व और अभिकल्प के लिए पुनश्चर्या और कानूनी प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य आईपी अधिकारियों के कौशल और विशेषज्ञता को बढ़ाना है साथ ही आईपी कार्यालयों की क्षमता को श्रेष्ठ करना है, जिससे मानव संसाधन आधार सशक्त हो। ये कार्यक्रम राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम), नागपुर द्वारा आयोजित किए गए।

## 2. सीजीपीडीटीएम कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम:

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (निपम) 5 अगस्त, 2022 से पहले देश भर में दस लाख विद्यार्थियों को जागरूकता प्रदान करने के उद्देश्य से 08 दिसंबर, 2021 को लॉन्च किया गया। इस मिशन के लिए समर्पित सीजीपीडीटीएम कार्यालय के अधिकारियों की टीमों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन देशव्यापी नवाचार और आईपी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए और दस लाख विद्यार्थियों को आईपी जागरूकता प्रदान करने का उद्देश्य समय सीमा से पहले ही हासिल कर लिया गया। सीजीपीडीटीएम कार्यालय के निरंतर प्रयासों ने प्रतिभागियों से गर्मजोशी भरी और उत्साहजनक प्रतिक्रिया उत्पन्न की और एनआईपीएएम 2.0 के लिए प्रेरित किया।

अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में बैनर आधिकारिक वेबसाइट *https://iprsearch.ipindia.gov.in/*. पर पोस्ट किए गए थे।

**लक्ष्य समूह**

इस मिशन ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को दो स्तरों पर लक्षित किया था, जो इस प्रकार हैं:

लेवल ए – स्कूल (कक्षा 9 वीं से12 वीं)

लेवल बी – विश्वविद्यालय / कॉलेज

वेबसाइट *https://iprsearch.ipindia.gov.in/events-ipr/home/home.aspx* पर एक समर्पित लिंक ने इच्छुक स्कूलों / कॉलेजों के साथ–साथ निजी तौर पर विद्यार्थियों के लिए भी इस जागरूकता कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करना आसान बना दिया है। आईपी के सभी पहलुओं को कवर करने वाली 28 पृष्ठों की 'सूचना पुस्तिका' भी athttps://iprsearch.ipindia.gov.in/events-ipr/home/Information-Booklet.aspx. पर त्वरित संदर्भ के लिए उपलब्ध है।

Office of the Controller General of Patents, Designs & Trade Marks
Department for Promotion of Industry and Internal Trade
Ministry of Commerce & Industry,
Government of India
NIPAM
NATIONAL IP AWARENESS MISSION
About Us
Quick Information
Training and Courses
WIPO
Contact Us
Event List
Gallery
Login
INTELLECTUAL PROPERTY INDIA
Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Department for Promotion of Industry and Internal Trade
Office of the Controller General of Patents, Designs & Trademarks
IPR Awareness Programme
(Under National Intellectual Property Awareness Mission)
Azadi Ka Amrit Mahotsav
Creative India; Innovative India
Request for Participating in NIPAM Awareness Program
Rashtriya Boudhik Sampada Mahotsav partnered with CSIR and NRDC
NIPAM - IP PROFESSIONAL Programs
NIPAM -TIFAC Programs
Atal Tinkering Labs (ATLs)
Atal Incubation Centers
Organization (Schools,Colleges,Universities and Institutions)
Students (Class 6 Onwards)
IP Awareness
IP Care Centre
Announcement of Intellectual Property Rights (IPR) awareness session under NIPAM, No Fee for Registration
No Records Found !
NIPAM Web Series
india.gov.in
राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल
NATIONAL VOTERS' SERVICES PORTAL
Department of Industrial Policy and Promotion
Government of India
myGOV
Terms & conditions | Privacy Policy Copyright | Hyperlinking Policy Accessibility Archive Contact Us | Help
Page last updated on: 24/02/2022
Content Owned, updated and maintained by Intellectual Property India, All Rights Reserved.

**बर्हि–क्रियाकलाप का तरीका:**

भारत के विशाल भौगोलिक विस्तार को देखते हुए, लक्षित दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हाइब्रिड मोड यानि ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण दिया गया।

**अवधि:**

महानियंत्रक कार्यालय की एक सतत प्रमुख पहल के रूप में जारी निपम कार्यक्रम का लक्ष्य एक करोड़ छात्रों तक अपनी पहुँच का विस्तार करना है। प्रमुख शैक्षिक परिषदों और बोर्डों के साथ सहयोग के माध्यम से इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को और तेज़ी से पूरा किए जाने की उम्मीद है।

**वित्त वर्ष 2024–25 में कार्यक्रम और प्रतिभागियों का विवरण**

**चित्र: वित्त वर्ष 2024–25 में संचालित निपम कार्यक्रम का राज्यानुसार विवरण**

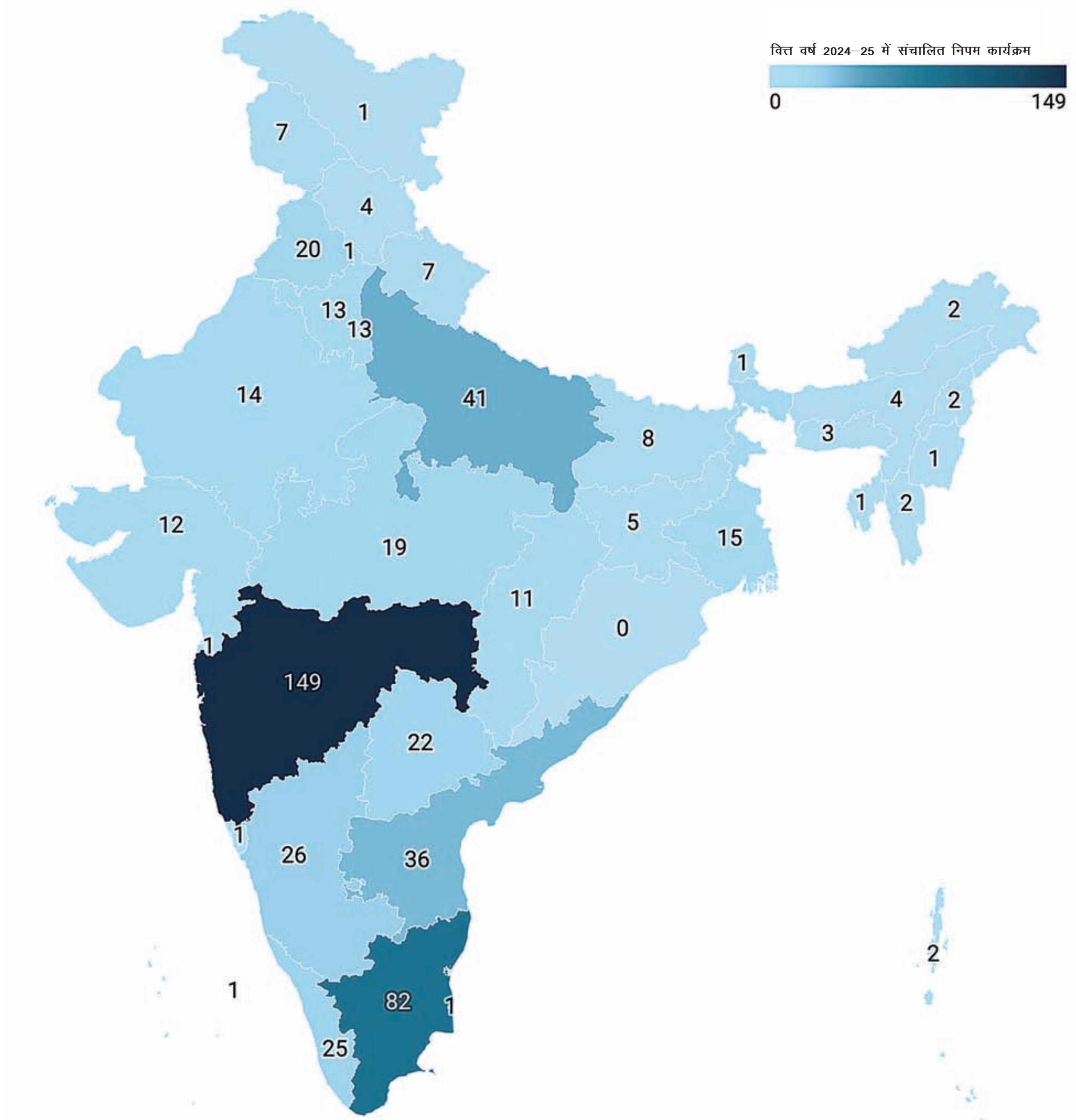

**सारणीः वित्त वर्ष 2024–25 में संचालित निपम कार्यक्रम का राज्यानुसार विवरण**

| क्र. सं. | राज्य का नाम | कुल कार्यक्रम |
|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 2 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 36 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 2 |
| 4 | असम | 4 |
| 5 | बिहार | 8 |
| 6 | चंडीगढ़ | 1 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 11 |
| 8 | दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीउ | 1 |
| 9 | दिल्ली–एनसीआर | 13 |
| 10 | गोआ | 1 |
| 11 | गुजरात | 12 |
| 12 | हरियाणा | 13 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 4 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 7 |
| 15 | झारखंड | 5 |
| 16 | कर्नाटक | 26 |
| 17 | केरल | 25 |
| 18 | लद्दाख | 1 |
| 19 | लक्षद्वीप | 1 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 19 |
| 21 | महाराष्ट्र | 149 |
| 22 | मणिपुर | 1 |
| 23 | मेघालय | 3 |
| 24 | मिज़ोरम | 2 |
| 25 | नागालैंड | 2 |
| 26 | पुद्दुचेरी | 1 |
| 27 | पंजाब | 20 |
| 28 | राजस्थान | 14 |
| 29 | सिक्किम | 1 |
| 30 | तमिलनाडु | 82 |
| 31 | तेलंगाना | 22 |
| 32 | त्रिपुरा | 1 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 41 |
| 34 | उत्तराखंड | 7 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 15 |
| | **कुल** | **553** |

चित्रः वित्त वर्ष 2024–25 में संचालित निपम कार्यक्रम का राज्यानुसार विवरण

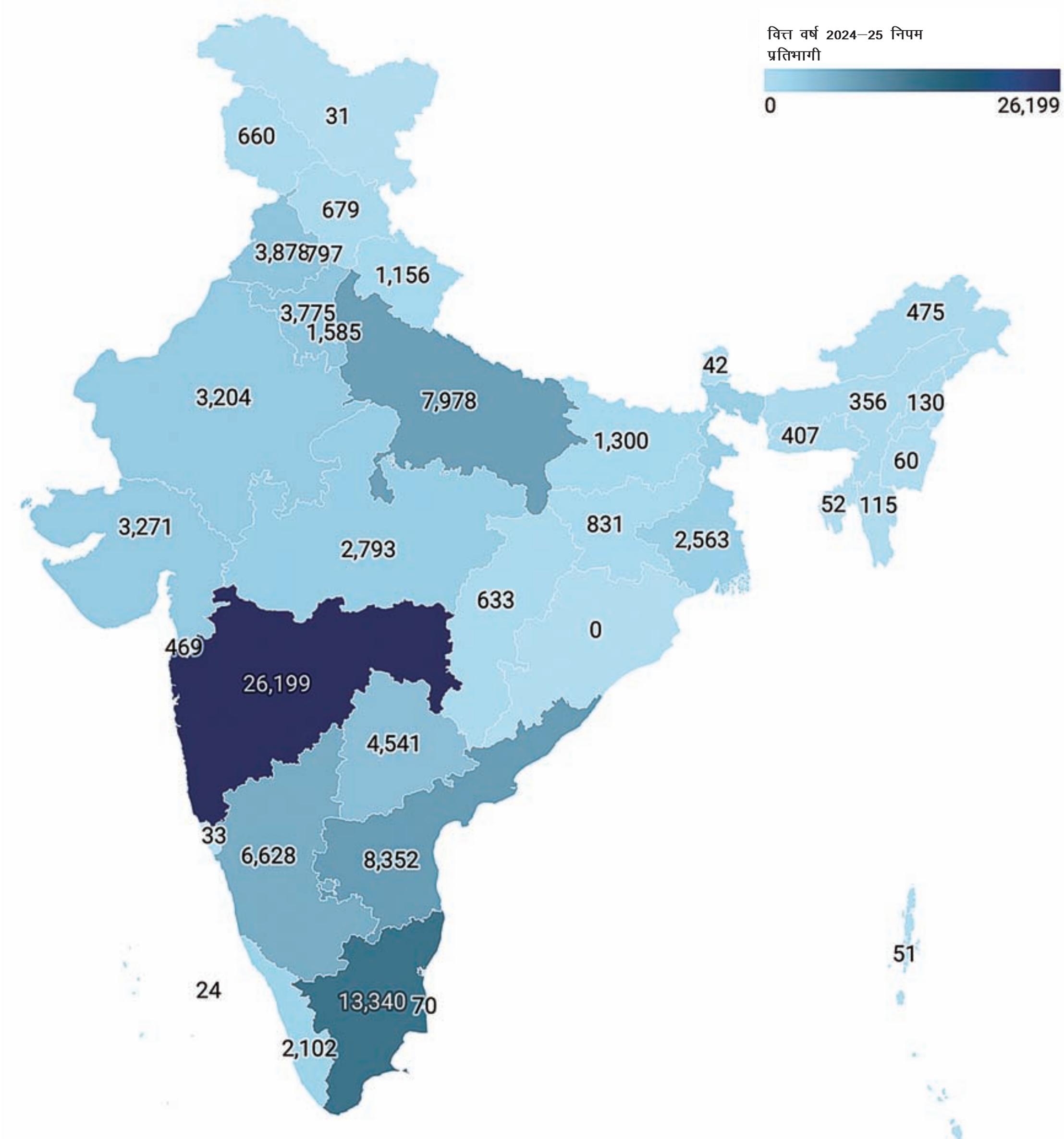


सारणीः वित्त वर्ष 2024–25 के लिए राज्यानुसार और संस्थान के अनुसार निपम प्रतिभागियों का विवरण

| क्र.सं. | संगठन राज्य | विद्यालय | महाविद्यालय | संस्थान | विश्वविद्यालय | कुल प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 12 | 5540 | 1991 | 809 | 8352 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 1 | 474 | 0 | 475 |
| 4 | असम | 0 | 33 | 0 | 323 | 356 |
| 5 | बिहार | 0 | 631 | 12 | 657 | 1300 |
| 6 | चंडीगढ़ | 2 | 728 | 20 | 47 | 797 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | छत्तीसगढ़ | 1 | 381 | 41 | 210 | 633 |
| 8 | दादर और नागर हवेली तथा | 7 | 374 | 41 | 47 | 469 |
| | दमन एवं दीउ | | | | | |
| 9 | दिल्ली–एनसीआर (यूटी) | 6 | 949 | 378 | 252 | 1585 |
| 10 | गोआ | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 11 | गुजरात | 1 | 2534 | 179 | 557 | 3271 |
| 12 | हरियाणा | 9 | 2597 | 524 | 645 | 3775 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 157 | 151 | 243 | 128 | 679 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर (यूटी) | 0 | 147 | 50 | 463 | 660 |
| 15 | झारखंड | 3 | 141 | 176 | 511 | 831 |
| 16 | कर्नाटक | 88 | 4056 | 637 | 1847 | 6628 |
| 17 | केरल | 0 | 1957 | 137 | 8 | 2102 |
| 18 | लद्दाख (यूटी) | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 19 | लक्षद्वीप (यूटी) | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 20 | 1337 | 892 | 544 | 2793 |
| 21 | महाराष्ट्र | 69 | 17954 | 5484 | 2690 | 26199 |
| 22 | मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 23 | मेघालय | 24 | 267 | 108 | 8 | 407 |
| 24 | मिज़ोरम | 0 | 1 | 65 | 49 | 115 |
| 25 | नागालैंड | 0 | 0 | 72 | 58 | 130 |
| 26 | पुद्दुचेरी (यूटी) | 0 | 34 | 6 | 30 | 70 |
| 27 | पंजाब | 40 | 1365 | 1333 | 1140 | 3878 |
| 28 | राजस्थान | 10 | 2698 | 203 | 293 | 3204 |
| 29 | सिक्किम | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 30 | तमिलनाडु | 43 | 11265 | 745 | 1287 | 13340 |
| 31 | तेलंगाना | 3 | 3207 | 1023 | 308 | 4541 |
| 32 | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 58 | 3677 | 1288 | 2955 | 7978 |
| 34 | उत्तराखंड | 0 | 564 | 417 | 175 | 1156 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 0 | 2324 | 118 | 121 | 2563 |
| | **कुल*** | **553** | **64979** | **16741** | **16305** | **98580** |

*दो पर लागू नहीं है।

**सारणी: वित्त वर्ष 2024–25 के लिए लिंगानुसार निपम प्रतिभागियों का विवरण**

| क्र.सं. | संगठन राज्य | महिला प्रतिभागी | पुरुष प्रतिभागी | कुल प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 26 | 25 | 51 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 4403 | 3949 | 8352 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 258 | 217 | 475 |
| 4 | असम | 175 | 181 | 356 |
| 5 | बिहार | 611 | 689 | 1300 |
| 6 | चंडीगढ़ | 517 | 280 | 797 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 318 | 315 | 633 |
| 8 | दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीउ | 312 | 157 | 469 |
| 9 | दिल्ली–एनसीआर | 697 | 888 | 1585 |
| 10 | गोआ | 6 | 27 | 33 |
| 11 | गुजरात | 1616 | 1655 | 3271 |
| 12 | हरियाणा | 1919 | 1856 | 3775 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 290 | 389 | 679 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 243 | 417 | 660 |
| 15 | झारखंड | 359 | 472 | 831 |
| 16 | कर्नाटक | 3668 | 2960 | 6628 |
| 17 | केरल | 1463 | 639 | 2102 |
| 18 | लद्दाख | 12 | 19 | 31 |
| 19 | लक्षद्वीप | 8 | 16 | 24 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 1291 | 1502 | 2793 |
| 21 | महाराष्ट्र | 13449 | 12750 | 26199 |
| 22 | मणिपुर | 25 | 35 | 60 |
| 23 | मेघालय | 239 | 168 | 407 |
| 24 | मिज़ोरम | 46 | 69 | 115 |
| 25 | नागालैंड | 91 | 39 | 130 |
| 26 | पुद्दुचेरी | 57 | 13 | 70 |
| 27 | पंजाब | 2068 | 1810 | 3878 |
| 28 | राजस्थान | 2023 | 1181 | 3204 |
| 29 | सिक्किम | 6 | 36 | 42 |
| 30 | तमिलनाडु | 7998 | 5342 | 13340 |
| 31 | तेलंगाना | 2883 | 1658 | 4541 |
| 32 | त्रिपुरा | 30 | 22 | 52 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 3379 | 4599 | 7978 |
| 34 | उत्तराखंड | 470 | 686 | 1156 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 1229 | 1334 | 2563 |
| | **कुल** | **52185** | **46395** | **98580** |

चित्र: वित्त वर्ष 2024–2025 में आयोजित एनआईपीएएम कार्यक्रमों का भौगोलिक वितरण

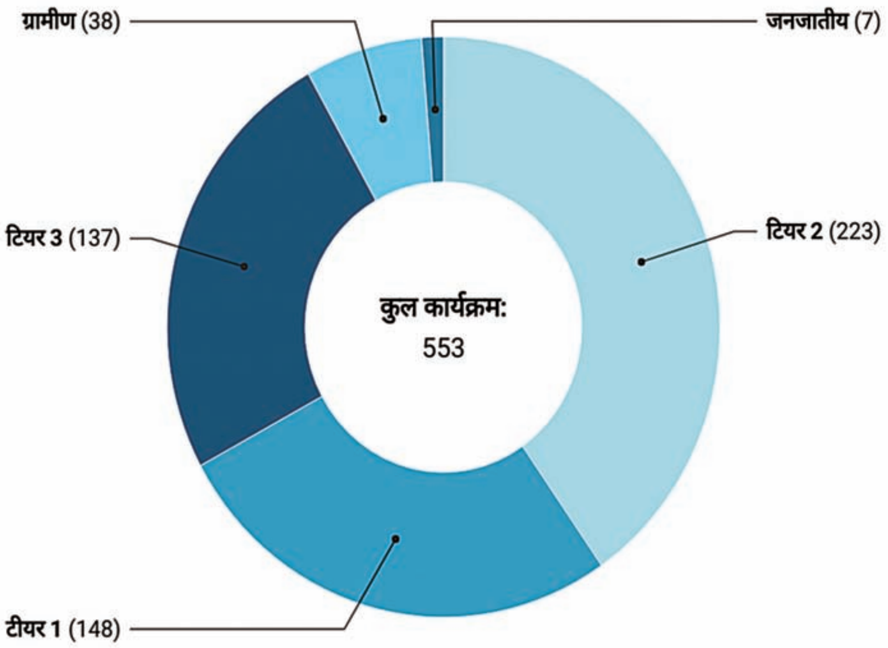


सारणी : वित्त वर्ष 2024–25 में आयोजित एनआईपीएएम कार्यक्रमों का भौगोलिक वितरण

| क्र. सं. | जिले का स्तर | कुल कार्यक्रम |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामीण | 38 |
| 2 | टीयर 1 | 148 |
| 3 | टियर 2 | 223 |
| 4 | टियर 3 | 137 |
| 5 | जनजातीय | 7 |
| | **कुल** | **553** |

### 3. राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024:

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (आईपी) पुरस्कार, आईपी निर्माण और व्यावसायीकरण के क्षेत्र में व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों और उद्यमों द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने और उनका सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। ये पुरस्कार रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए देश के आईपी ढांचे को मजबूत करने वाले प्रयासों को उजागर करते हैं। राष्ट्रीय आईपी पुरस्कारों का प्राथमिक उद्देश्य प्रभावी आईपी प्रबंधन को बढ़ावा देना और नवाचार को समर्थन देना है, जो विभिन्न उद्योग क्षेत्रों की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इस वर्ष के समारोह का एजेंडा:

## NATIONAL IP AWARD CEREMONY 2024

| Timing | Event |
|---|---|
| 4.00 pm - 4.30 pm | Registration & High Tea |
| 4.30 pm - 5.30 pm | Showcase of ' Roots' a National Geographic Film on GI products produced by the department |
| 5.30 pm | Welcome of Guests |
| 5.30 pm - 6.00 pm | Plenary Discussion |
| 6.00 pm - 6.30 pm | Plenary Discussion |
| 6.30 pm - 7.00 pm | Jugalbandi ( A Musical Gathering) |
| 7.00 pm | Arrival of Special Guests : HCIM, MoS of C&I, SIIT |
| 7.00 pm - 8.00 pm | National IP Award Ceremony |
| | **Minute to Minute Program** |
| 7.00 pm - 8.00 pm | 7:00 pm - Inviting Hon'ble Guest on Dias<br>7:02 pm - 7:05 pm - Deep Prajvalan (Lighting of Lamp)<br>7:05 pm - 7:10 pm - Welcome & Felicitation of Guests<br>7 :10 pm - 7:15 pm - Short Preview of 'Roots'<br>7:15 pm - 7:20 pm - Inaugural Address by SIIT<br>7:20 pm - 7:25 pm - Special Address by Hon'ble MoS<br>7.25 pm - 7.45 pm - National IP Award Ceremony<br>- IP Data Dashboard Launch<br>7:45 pm - Address by Hon'ble CIM<br>Vote of Thanks & National Anthem |
| 8.00 pm onwards | Dinner |

सूचीबद्ध पुरस्कार श्रेणियां नीचे हैं:

| क्र.स. | वायपो पुरस्कार श्रेणी | विजेता |
|---|---|---|
| 1 | आविष्कारक के लिए वायपो पदक | सिद्रमाप्पा शिवशंकर धरणे |
| 2 | वायपो आईपी एंटरप्राइज ट्रॉफी (क) विनिर्माण | टाटा स्टील लिमिटेड |
| 3 | वायपो एंटरप्राइज ट्रॉफ़ी (क) सेवा | जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड |
| 4 | वायपो उपयोगकर्ता ट्रॉफी | बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड. |
| **क्र.स.** | **राष्ट्रीय आईपी पुरस्कार श्रेणी** | |
| 1 | शीर्ष भारतीय व्यक्तिगत रूप से: पेटेंट | सिद्रमाप्पा शिवशंकर धरणे |
| 2 | शीर्ष भारतीय व्यक्तिगत रूप से–महिला: पेटेंट | डॉ. स्वागतिका पांडा |
| 3 | शीर्ष भारतीय व्यक्तिगत रूप से – महिला: डिज़ाइन | डॉ. अनुषा पी. |
| 4 | शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान: पेटेंट | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर |
| 5 | शीर्ष सार्वजनिक/निजी कंपनी: विनिर्माण | टाटा स्टील लिमिटेड |
| 6 | शीर्ष सार्वजनिक/निजी कंपनी: सेवा | जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड |
| 7 | शीर्ष भारतीय एमएसएमई: पेटेंट | पश्चिम बंगाल केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड. |
| 8 | बौद्धिक संपदा के लिए शीर्ष भारतीय स्टार्ट–अप | न्यूमेरोस मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 9 | शीर्ष भारतीय कंपनी: डिज़ाइन्स | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | भारत और विदेशों में ब्रांड बनाने वाली शीर्ष भारतीय कंपनी/ संगठन | बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड. |
| 11 | आईपी पुरस्कार में विशेष प्रशस्ति पत्रः प्रौद्योगिकी नवाचार एवं स्टार्ट–अप केंद्र (टीआईएससी) | पश्चिम बंगाल राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, पश्चिम बंगाल |
| 12 | आईपी पुरस्कार में विशेष प्रशस्ति पत्रः पेटेंट सूचना केंद्र (पीआईसी) | पश्चिम बंगाल राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, पश्चिम बंगाल |
| 13 | विशेष प्रशस्ति– अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) | डीसीएम प्रेसीडेंसी स्कूल, लुधियाना। |
| 14 | आईपी पुरस्कार में विशेष प्रशस्ति पत्रः संस्थान की नवाचार परिषद (आईआईसी)। | पिंपरी चिंचवड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पुणे |
| 15 | ग्रामीण केंद्रित आविष्कार | 1. कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड<br>2. सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड |

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department for Promotion of Industry and Internal Trade
Office of the Controller General of Patents, Designs & Trade Marks
NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY (IP) AWARDS
2024
A Confluence to Recognise Creativity & Innovation

AWARDS 2024
A Confluence to Recognise
Creativity & Innovation
26TH MARCH, 2025
BHARAT MANDAPAM, NEW DELHI
A Confluence to

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY (IP) AWARDS 2024
ROOTS: TRACING ORIGINS
NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY (IP) AWARDS 2024

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY (IP) AWARDS 2024
A Confluence to Recognise Creativity & Innovation

AWARDS 2024
A Confluence to Recognise Creativity & Innovation
26TH MARCH, 2025
BHARAT MANDAPAM, NEW DELHI

NATIONAL
INTELLECTUAL PROPERTY (IP)
AWARDS 2024
A Confluence to Recognise
Creativity & Innovation
26TH MARCH, 2025
BHARAT MANDAPAM, NEW DELHI

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY (IP) AWARDS 2024
Certificate
OF APPRECIATION

Central Bank of India
AIC - Nalanda Institute of Technology Foundation
One Lakh Only
1,00,000/-
National IP Award 2024

WIPO | OMPI

Dr. Swagatika Panda
One Lakh Only
1,00,000/-

A/C PAYEE
Dr. Anusha P.
One Lakh Only

A/C PAYEE
One Lakh Only

## 4. आईपी मंथनः

महानियंत्रक कार्यालय (सीजीपीडीटीएम), एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने आईपी मंथन नामक चर्चाओं की एक नई श्रृंखला शुरू की है, जिसका उद्देश्य विभिन्न आईपी क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ संवाद करना है। भारत के आईपी परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, आईपी पेशेवरों, उद्योग जगत के नेताओं और न्यायिक हस्तियों को सीजीपीडीटीएम अधिकारियों और इच्छुक हितधारकों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

व्यापक जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आगामी आईपी मंथन सत्रों का विवरण सीजीपीडीटीएम की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है। सीजीपीडीटीएम की अध्यक्षता में वर्ष 2024–25 के दौरान सफलतापूर्वक आयोजित आईपी मंथन श्रृंखला का विवरण नीचे दिया गया हैः

| क्र.स. | आईपी मंथन थीम | दिनांक | मोड | प्रति–भागी | वक्ता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | भारत और यूरोपीय संघ यूरोपीय संघ में अपील प्रणालियाँ (टीएम और डिज़ाइन) | 12 अप्रैल, 2024 | ऑनलाइन | 110 | 1. प्रो. डॉ. उन्नत पी. पंडित, महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प, व्यापार चिह्न, कॉपीराइट रजिस्ट्रार, भौगोलिक उपदर्शन, डीपीआईआईटी, एमओसीआई, भारत सरकार 2. श्री गॉर्डन हम्फ्रीज़, अध्यक्ष, अपील बोर्ड (अंतरिम), यूरोपीय संघ औद्योगिक उत्पाद निगम (ईयूआईपीओ) 3. श्री विकास पुनिया, कार्यालय प्रमुख, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, आईपीओ दिल्ली 4. श्री संजय भट्टाचार्य, कार्यालय प्रमुख, डिज़ाइन विंग, आईपीओ कोलकाता 5. सुश्री नीना कोरजस, अध्यक्ष, चतुर्थ अपील बोर्ड, ईयूआईपीओ 6. सुश्री जंका बुडोविकोवा, परियोजना प्रबंधक, अपील बोर्ड, ईयूआईपीओ |
| 2. | भारत और रूस में जीआई संरक्षण प्रणाली | 27 जून, 2024 | ऑनलाइन | 105 | 1. प्रशांत कुमार भैरप्पनवर, सहायक रजिस्ट्रार, भौगोलिक उपदर्शन, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री, चेन्नई 2. श्री सर्गेई रेनझिन, फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी (एफआईपीएस) के ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन केंद्र के प्रमुख – रोसपेटेंट |
| 3. | ईयूआईपीओ और भारत के सीजीपीडीटीएम कार्यालय में व्यापार चिह्न फाइलिंग प्रणाली को समझना | 19 फ़रवरी, 2025 | ऑनलाइन | 190 | 1. प्रो. (डॉ.) उन्नत पी. पंडित, सीजीपीडीटीएम, डीपीआईआईटी, एमओसीआई, भारत सरकार 2. श्री विकास पुनिया, कार्यालय प्रमुख, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, आईपीओ दिल्ली, भारत 3. श्री जेवियर फर्नांडीज, परीक्षक, व्यापार चिह्न |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | रजिस्ट्री बिजनेस ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, ईयूआईपीओ में 4. श्री सैंड्रिस लैगनोवस्की, निदेशक, सहयोग और साझेदारी विभाग, ईयूआईपीओ |
| 4. | यूनिटरी पेटेंट और एकीकृत पेटेंट न्यायालय (डीकेपीटीओ) को समझने के लिए सूचना साझाकरण सत्र | 5 मार्च, 2025 | ऑनलाइन | 160 | 1. प्रो. (डॉ.) उन्नत पी. पंडित, सीजीपीडीटीएम, डीपीआईआईटी, एमओसीआई, भारत सरकार 2. फ्लेमिंग कोनिग मेजल, निदेशक, अंतरराष्ट्रीय मामलों, नीति, कानूनी और निदेशक, अंतरराष्ट्रीय संबंध, डेनिश पेटेंट और व्यापार चिह्न कार्यालय |

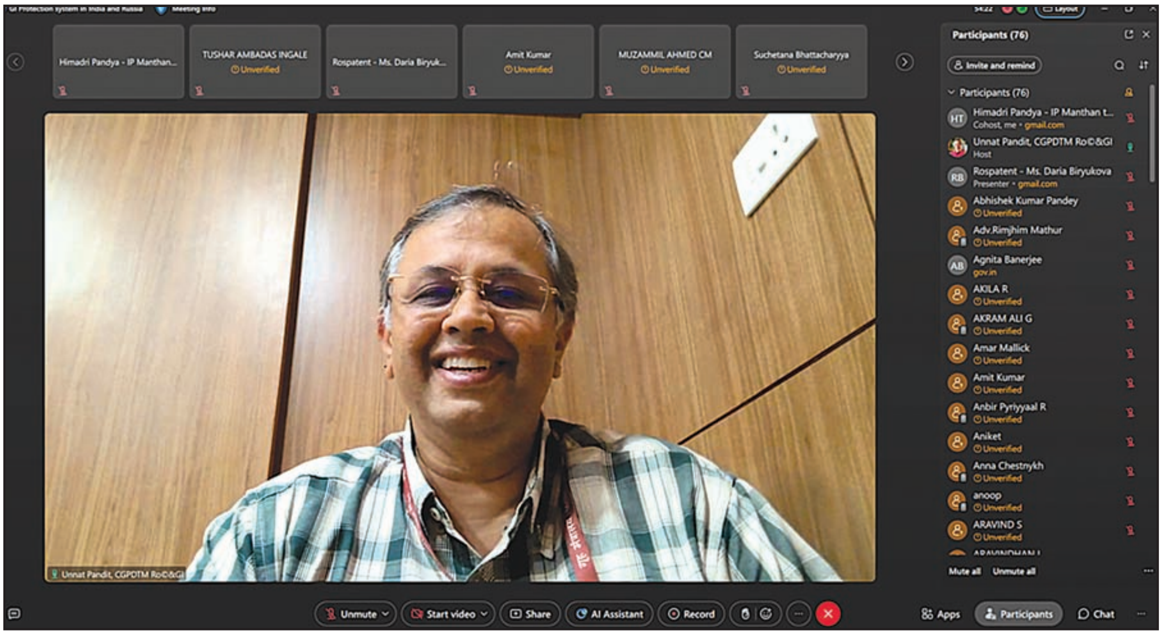


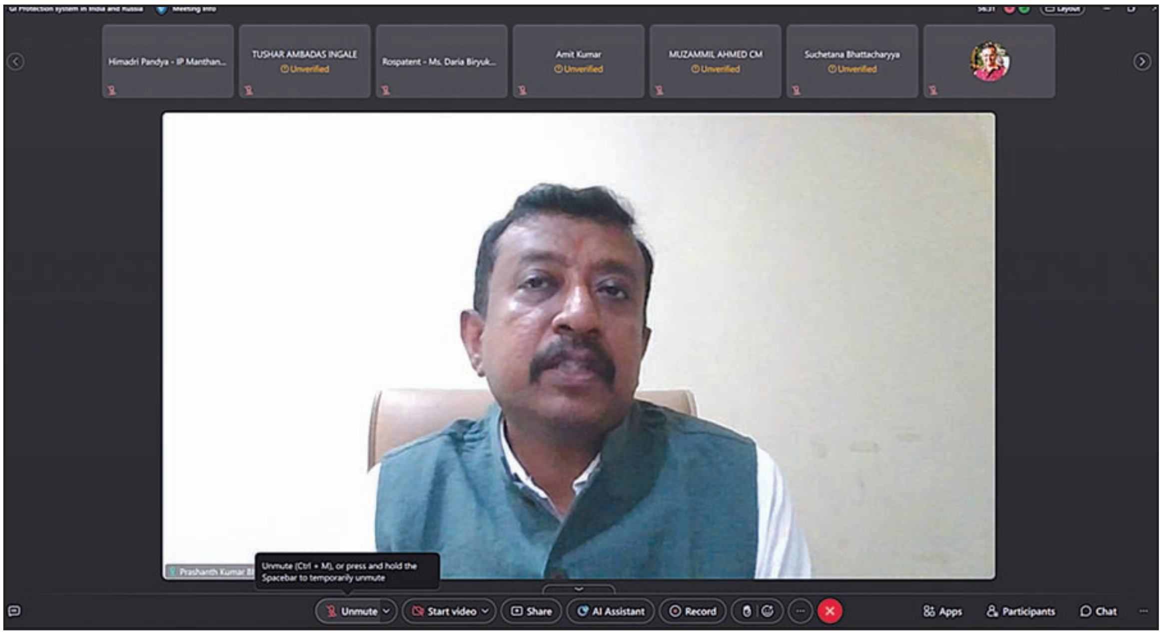

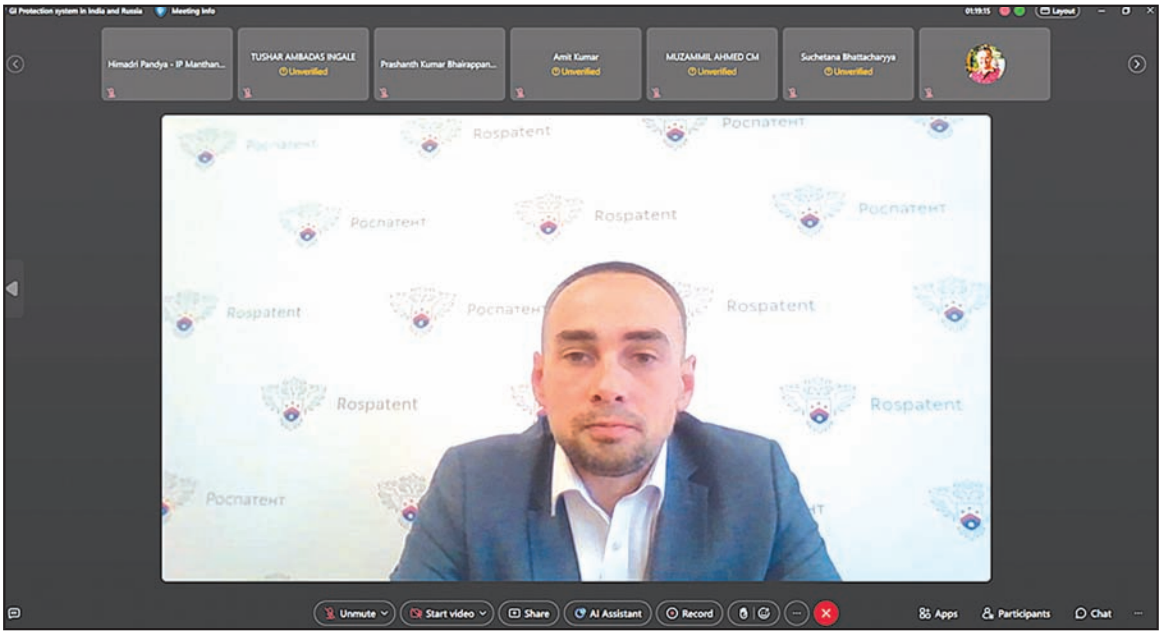


### 5. वायपो–पीसीटी मेड्रिड रोविंग सेमिनार 2025

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वायपो) के सहयोग से कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) ने छह भारतीय शहरों चेन्नई (3 मार्च, 2025 को), बेंगलुरु (5 मार्च, 2025 को), मुंबई (7 मार्च, 2025 को), हैदराबाद (10 मार्च, 2025 को), अहमदाबाद (12 मार्च, 2025 को) और दिल्ली (13 मार्च, 2025 को) में "भारतीय नवप्रवर्तकों और व्यवसायों के लिए वैश्विक अवसरों की खोज: विदेशों में आविष्कारों और ट्रेडमार्क की सुरक्षा के लिए वायपो आईपी सेवाएं" शीर्षक से रोविंग सेमिनारों की एक श्रृंखला का आयोजन किया।

सेमिनार के फॉर्मेट में दो सत्र शामिल है:

– **पीसीटी प्रणाली पर सुबह के सत्र** में वायपो प्रतिनिधि द्वारा "अंतरराष्ट्रीय पेटेंट संरक्षण हेतु पीसीटी प्रणाली का अवलोकन" विषय पर सुश्री अंजलि ऐरी द्वारा व्याख्यान और "पीसीटी आवेदनों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग हेतु ईपीसीटी प्रणाली पर अद्यतन" विषय पर श्री रॉबर्टो पेरेज़ गोम्स द्वारा व्याख्यान दिए जाएँगे। आईपीओ प्रतिनिधियों द्वारा "पीसीटी प्राप्ति कार्यालय के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय की भूमिका" विषय पर डॉ. रोहित राठौर, उप–नियंत्रक, पेटेंट एवं डिज़ाइन, पीसीटी/आरओ प्रभारी) द्वारा व्याख्यान दिए जाएँगे। श्री एन. रामचंदर, संयुक्त नियंत्रक, पेटेंट एवं डिज़ाइन, पीसीटी प्रभाग प्रमुख द्वारा "पीसीटी अंतरराष्ट्रीय खोज एवं प्रारंभिक जाँच प्राधिकरण (आईएसए/आईपीईए)" विषय पर व्याख्यान दिए जाएँगे। साथ ही "उद्योग परिप्रेक्ष्य: पीसीटी अनुभव पर पैनल चर्चा" विषय पर एक पैनल चर्चा भी होगी।

– **मैड्रिड प्रणाली पर दोपहर के सत्र** में वायपो प्रतिनिधि द्वारा "विदेश में भारतीय ब्रांडों का संरक्षण: अंतरराष्ट्रीय ट्रेडमार्क पंजीकरण हेतु मैड्रिड प्रणाली के प्रमुख लाभ और विशेषताएँ" विषय पर श्री बेनोइट एपर्स द्वारा व्याख्यान दिए जाएँगे। और भारतीय ट्रेडमार्क कार्यालय के प्रतिनिधि द्वारा "भारत में मैड्रिड सिस्टम का उपयोग कैसे करें: आईपी इंडिया में एक अंतरराष्ट्रीय ट्रेडमार्क पंजीकरण दाखिल करना" विषय पर डॉ. पवन कुमार पांडे, ट्रेड मार्क्स, जीआई और कॉपीराइट के उप रजिस्ट्रार, मैड्रिड प्रभारी और सुश्री रूपा बी., ट्रेड मार्क्स जीआई और कॉपीराइट के वरिष्ठ परीक्षक, अनुभाग प्रभारी, आईआर डिवीजन (मैड्रिड) द्वारा "उद्योग परिप्रेक्ष्य: मैड्रिड सिस्टम अनुभव पर पैनल चर्चा" पर एक पैनल चर्चा के साथ।

श्रृंखला का पहला सेमिनार भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से आईआईटी चेन्नई के टी.टी. जगन्नाथन ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन प्रोफेसर (डॉ.) उन्नत पी. पंडित, महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम), आरओसी, जीआई और एसआईसीएलडीआर ने किया।

उद्योग परिप्रेक्ष्य: पीसीटी अनुभव पर पैनल चर्चा" विषय पर पैनल चर्चा का संचालन महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) प्रोफेसर (डॉ.) उन्नत पी. पंडित द्वारा किया गया, जिसमें उद्योगों, स्टार्टअप और एसएमई के पैनल सदस्य शामिल थे।

दूसरा सेमिनार 5 मार्च, 2025 को फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से सर एमवी ऑडिटोरियम, बेंगलुरु में आयोजित किया गया। सेमिनार का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री श्रीकर मैसूर श्रीधर, आईएएस, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, कर्नाटक सरकार ने किया। सुश्री चित्रा नारायणस्वामी (वायपो) और श्री एन. रामचंदर (आईपीओ) ने विशेष संबोधन दिया। इसके बाद फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफकेसीसीआई) के अध्यक्ष श्री एम जी बालकृष्ण ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

तीसरा सेमिनार 7 मार्च, 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी (आईसीटी), मुंबई में एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) के सहयोग से आयोजित किया गया। सेमिनार का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रोफेसर (डॉ.) अनिरुद्ध बी. पंडित, कुलपति, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने किया।

चौथा सेमिनार फार्मेक्सिल के सहयोग से 10 मार्च, 2025 को हैदराबाद स्थित डॉ. एमसीआर एचआरडी संस्थान के दशरथी सभागार में आयोजित किया गया। सेमिनार का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉ. शशांक गोयल, महानिदेशक, डॉ. एमसीआर एचआरडी संस्थान और तेलंगाना सरकार के विशेष मुख्य सचिव ने किया।

पाँचवाँ सेमिनार अहमदाबाद प्रबंधन संघ (एएमए) के सहयोग से 12 मार्च, 2025 को अहमदाबाद में आयोजित किया गया। सेमिनार का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री पी. एन. सोलंकी, आईईडीएस, संयुक्त निदेशक, एमएसएमई डीएफओ, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने किया।

एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) के सहयोग से छठा और अंतिम सेमिनार 13 मार्च, 2025 को आईआईटी दिल्ली के सेमिनार हॉल में आयोजित किया गया। सेमिनार का उद्घाटन मुख्य अतिथि सुश्री हिमानी पांडे, अपर सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और विशिष्ट अतिथि प्रो. रंगन बनर्जी, निदेशक आईआईटी दिल्ली ने किया।

इस रोविंग सेमिनार में भाग लेने वाले वायपो प्रतिनिधिमंडल में शामिल थेः सुश्री चित्रा नारायणस्वामी, निदेशक, कार्यक्रम नियोजन एवं वित्त विभाग (नियंत्रक), वायपो; सुश्री लोरेटो ब्रेस्की, वरिष्ठ निदेशक, वायपो कानूनी एवं अंतरराष्ट्रीय मामले विभाग, वायपो; श्री डेविड मुल्स, वरिष्ठ निदेशक, मैड्रिड रजिस्ट्री, ब्रांड्स एवं डिजाइन सेक्टर, वायपो; सुश्री अंजलि ऐरी, परामर्शदाता, कार्यालय सेवा अनुभाग, वायपो अंतरराष्ट्रीय प्रभाग, पेटेंट्स एवं प्रौद्योगिकी सेक्टर (वायपो), वायपो; श्री रॉबर्टो पेरेज़ गोम्स, वरिष्ठ तकनीकी सहयोग सहायक, तकनीकी सहयोग सहायक पीसीटी, आईसीडी, पीटीएस, वायपो; श्री बेनोइट एपर्से, संचार एवं सूचना प्रबंधक, मैड्रिड सूचना एवं संवर्धन प्रभाग, ब्रांड्स एवं डिजाइन सेक्टर (बीडीएस), वायपो और सुश्री हाना कांग, कानूनी अधिकारी, वायपो कानूनी एवं उपयोगकर्ता संबंध प्रभाग, वायपो। पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) और चिह्नों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण हेतु मैड्रिड प्रणाली के माध्यम से बौद्धिक संपदा (आईपी) और नवाचार के वैश्विक संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वायपो द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों के तहत ये भ्रमणशील सेमिनार आयोजित किए गए। सेमिनारों में भागीदारी निःशुल्क थी और सभी स्थानों से बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया।

इन सेमिनारों ने पीसीटी और मैड्रिड प्रणालियों की कार्यप्रणाली के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की, और हितधारकों के लिए अपनी अमूर्त संपत्तियों की सुरक्षा और उनका लाभ उठाने हेतु उपलब्ध विभिन्न उपकरणों पर प्रकाश डाला। वायपो और राष्ट्रीय आईपी कार्यालयों के विशेषज्ञों ने दोनों प्रणालियों का व्यापक अवलोकन प्रदान किया, और आवेदकों, आईपी पेशेवरों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, उद्योगों, हितधारकों और आम जनता के लिए उनके लाभों पर ज़ोर दिया।

सेमिनारों की एक प्रमुख विशेषता प्रतिभागियों को उपयोगकर्ता खाते बनाने और वायपो की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग प्रणालियों और अन्य आईपी उपकरणों तक साइट पर ही पहुँच प्रदान करने का अवसर प्रदान करना था। इस व्यावहारिक घटक ने उपयोगकर्ताओं को उन डिजिटल प्लेटफार्मों का अनुभव करने की अनुमति दी जो वास्तविक समय में अंतरराष्ट्रीय आवेदनों की फाइलिंग और प्रबंधन की सुविधा प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, सेमिनारों ने वायपो अधिकारियों के साथ सीधे संपर्क को संभव बनाया, जिससे उपस्थित लोगों को पीसीटी और मैड्रिड प्रणालियों के प्रक्रियात्मक और मूल दोनों पहलुओं पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर मिला, जिससे इन अंतरराष्ट्रीय आईपी ढांचे का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की उनकी समझ और क्षमता में वृद्धि हुई।

**सारणी : भारत और विदेश में अंतरराष्ट्रीय मंच और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकारियों की भागीदारी (अप्रैल 2024 से मार्च 2025)**

| क्र. सं. | प्रशिक्षण / सेमिनार / कार्यशाला / कार्यक्रम में भाग लिया | देश, जिसका दौरा किया गया | भाग लेने वाले अधिकारियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों पर स्थायी समिति का 45वां सत्र 15 से 19 अप्रैल, 2024 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। | जेनेवा | 01 |
| 2 | सीडीआईपी का 32वां सत्र 29 अप्रैल से 3 मई, 2024 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। | दूरस्थ भागीदारी | 01 |
| 3 | बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधनों और आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानूनी दस्तावेज के समापन के लिए राजनयिक सम्मेलन 13 से 24 मई, 2024 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। | जेनेवा | 02 |
| 4 | कॉपीराइट प्रवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी 17 से 21 जून, 2024 तक हनोई, वियतनाम में आयोजित की गयी। | हनोई, वियतनाम | 01 |
| 5 | न्यू साउथबाउंड बौद्धिक संपदा सम्मेलन 18 से 19 जून, 2024 तक ताइवान में आयोजित किया गया। | ताइवान | 01 |
| 6 | वायपो के सदस्य राज्यों की सभाओं की बैठकों की 65वीं श्रृंखला और वायपो महासभा का 57वां सत्र, 2024, 9 से 17 जुलाई, 2024 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजन किया गया। | जेनेवा | 08 |
| 7 | भारत–एफटीए के अंतर्गत आईपीआर ट्रैक पर वार्ता का 11वां दौर 10 से 13 जुलाई, 2024 तक लंदन में आयोजित किया गया। | लंदन | 02 |
| 8 | "आईपी प्रशिक्षकों के लिए जेपीओ / आईपीआर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम" 27 अगस्त से 6 सितंबर, 2024 (ऑनलाइन) और 24 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2024 (ऑफलाइन) तक टोक्यो में आयोजित किया गया। | टोक्यो | 01 |
| 9 | "यूएसपीटीओ का वैश्विक बौद्धिक संपदा अकादमी (जीआईपीए) कार्यक्रम, 2024" 4 से 6 सितंबर, 2024 तक श्रीलंका में आयोजित किया गया। | श्रीलंका | 02 |
| 10 | " वायपो मानकों पर समिति (सीडब्ल्यूएस) का 12वां सत्र" 16 से 19 सितंबर, 2024 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। | दूरस्थ भागीदारी | 02 |
| 11 | इंटर जीआई यूरोप 2024 प्रशिक्षण 30 सितंबर से 5 अक्टूबर, 2024 तक एस्पेलेट, फ्रांस में आयोजित किया गया। | एस्पेलेट, फ्रांस | 01 |
| 12 | पेटेंट में विशेषज्ञता रखने वाले चिकित्सकों के लिए जेपीओ / आईपीआर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, 2024, "18 / 09 / 2024 से 15 / 10 / 2024 (ऑनलाइन), 30 / 10 / 2024 से 7 / 11 / 2024 (ऑफलाइन)" तक टोक्यो में आयोजित किया गया। | टोक्यो | 02 |
| 13 | अंतरराष्ट्रीय चिह्न पंजीकरण के लिए मैड्रिड प्रणाली के कानूनी विकास पर कार्य समूह का 22वां सत्र 7 से 11 अक्टूबर, 2024 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। | जेनेवा | 02 |
| 14 | 16वीं ब्रिक्स बौद्धिक संपदा कार्यालय प्रमुख (एचआईपीओ) की बैठक 10 से 11 अक्टूबर, 2024 तक रूस में आयोजित की गयी। | दूरस्थ भागीदारी | 10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | चीन के राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रशासन (सीएनआईपीए) द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरणों की बैठक (पीसीटी–एमआईए) का 31वां सत्र 16 से 17 अक्टूबर, 2024 तक बीजिंग में आयोजित किया गया। | बीजिंग | 03 |
| 16 | पेटेंट कानून पर स्थायी समिति (एससीपी) का 36वां सत्र 14 से 18 अक्टूबर, 2024 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। | जेनेवा | 01 |
| 17 | हेग प्रणाली के कानूनी विकास पर कार्य समूह का तेरहवां सत्र 21 से 23 अक्टूबर, 2024 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। | दूरस्थ भागीदारी | 04 |
| 18 | डेनिडा फेलोशिप सेंटर (डीएफसी) कार्यक्रम और डीकेपीटीओ के साथ द्विपक्षीय बैठक 28 अक्टूबर से 19 नवंबर, 2024 तक डेनमार्क में आयोजित की जाएगी | डेनमार्क | 01 |
| 19 | वायपो संवाद का 10वां सत्रः एआई आउटपुटः संरक्षित करना है या नहीं, 5 से 6 नवंबर, 2024 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। | दूरस्थ भागीदारी | 04 |
| 20 | डिज़ाइन कानून संधि को अंतिम रूप देने और अपनाने के लिए राजनयिक सम्मेलन 11 से 22 नवंबर, 2024 तक रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया गया। | रियाद, सऊदी अरब | 03 |
| 21 | "जेपीओ/आईपीआर ऑपरेशनल पेटेंट परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम (ओपीईटी)" 22 अक्टूबर से 22 नवंबर, 2024 (ऑनलाइन) और 9 से 18 दिसंबर, 2024 (ऑफलाइन) तक टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। | टोक्यो | 02 |
| 22 | आसियान सदस्य देशों के लिए पीसीटी क्षेत्रीय संगोष्ठी – पीसीटी प्रणाली और पेटेंट परीक्षण प्रक्रियाओं के उन्नत उपयोग पर 27 से 29 नवंबर, 2024 तक सिंगापुर में आयोजित | सिंगापुर | 01 |
| 23 | आईजीसी का 48वां और 49वां सत्र 29 नवंबर और 2 से 6 दिसंबर 2024 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। | दूरस्थ | 03 |
| 24 | विकास और बौद्धिक संपदा समिति (सीडीआईपी) का तैंतीसवां सत्र 9 से 13 दिसंबर, 2024 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। | दूरस्थ भागीदारी | 04 |
| 25 | चिह्नों के आलंकारिक तत्वों के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण के लिए वियना संघ की विशेषज्ञ समिति का 9वां सत्र 20 से 21 जनवरी, 2025 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। | दूरस्थ भागीदारी | 02 |
| 26 | वायपो प्रवर्तन सलाहकार समिति (एसीई) का 17वां सत्र 04 से 06 फरवरी, 2025 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। | जेनेवा | 01 |
| 27 | पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) कार्य समूह का 18वां सत्र 18 से 20 फरवरी, 2025 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। | दूरस्थ भागीदारी | 04 |
| 28 | आईपीसी यूनियन – विशेषज्ञ समिति का 56वां सत्र 25 से 27 फरवरी, 2025 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। | दूरस्थ भागीदारी | 06 |
| 29 | बौद्धिक संपदा और आनुवंशिक संसाधन, पारंपरिक ज्ञान और लोककथाओं (आईजीसी) पर अंतर–सरकारी समिति का 50वां सत्र 3 से 7 मार्च, 2025 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। | जेनेवा | 02 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 | प्राथमिकता दस्तावेजों के लिए डिजिटल एक्सेस सेवा पर कार्य समूह (डीएएस कार्य समूह) का चौथा सत्र 10 से 12 मार्च, 2025 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। | दूरस्थ भागीदारी | 06 |
| 31 | लिस्बन प्रणाली के विकास पर कार्य समूह का छठा सत्र 18 से 20 मार्च, 2025 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। | दूरस्थ भागीदारी | 01 |
| 32 | चयनित एशिया और प्रशांत देशों के लिए मैड्रिड प्रणाली हेतु उत्तरदायी बौद्धिक संपदा कार्यालय के अधिकारियों की क्षेत्रीय बैठक 19 से 21 मार्च, 2025 तक ताइगुंग शहर, फिलीपींस में आयोजित की गयी। | तागुइग शहर, फिलीपींस | 01 |
| 33 | 19 से 21 मार्च, 2025 तक सियोल, कोरिया गणराज्य में कॉपीराइट कार्यालयों के लिए क्रॉस–क्षेत्रीय उच्च स्तरीय बैठक का चौथा सत्र आयोजित किया गया। | सियोल, दक्षिण कोरिया | 01 |
| 34 | वायपो मैड्रिड फेलोशिप 2025, 14 मार्च 2025 से 15 मार्च 2025 तक वायपो मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गयी। | जेनेवा | 01 |

# अध्याय–XIV

## मानव संसाधन

**परिचयः**

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न के अधीक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत पेटेंट कार्यालय, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री, पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस)/ राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) अपनी गतिविधियाँ निष्पादित करते हैं।

वर्ष 2024–25 के दौरान, कुल 407 पेटेंट परीक्षकों ने 16 सप्ताह के प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जनवरी 2025 के दूसरे और तीसरे सप्ताह में राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम), नागपुर और डॉ. एम.सी.आर. मानव संसाधन विकास संस्थान (डॉ. एम.सी.आर. एचआरडी संस्थान), हैदराबाद में योगदान किया।

**तस्वीर : विभिन्न बौद्धिक संपदा कार्यालयों में मानव संसाधन**

### कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) में निम्नलिखित सहायक कर्मचारी हैं:

**सारणीः 31 मार्च, 2025 तक कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न के अनुमोदित और नियोजित व कार्मिक शक्ति का विवरणः**

| क्र. सं. | पदनाम | संस्वीकृत कार्मिक संख्या | कार्यरत कार्मिक संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | महानियंत्रक | 1 | 1 |
| 2 | निजी सचिव | 1 | 1 |
| 3 | स्टाफ कार ड्राइवर | 1 | 1 |
| 4 | मल्टी–टास्किंग स्टाफ | 1 | 0 |
| | कुल | 4 | 3 |

हालांकि, पेटेंट और व्यापार चिह्न कार्यालयों के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को सीजीपीडीटीएम कार्यालय में स्थापना, प्रशासन, बजट और वित्त, नीतिगत मामलों आदि से सबंधित कार्य को संभालने के लिए तैनात किया गया है।

**पेटेंट कार्यालयः**

पेटेंट कार्यालयों की कार्मिक शक्ति **परिशिष्ट क** में दर्शायी गई है। उक्त परिशिष्ट में चारों पेटेंट कार्यालयों में 31 मार्च, 2025 तक संस्वीकृत कार्मिक संख्या के साथ–साथ कार्यरत कार्मिक संख्या को भी दर्शाया गया है।

**व्यापार चिह्न रजिस्ट्री एवं भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री :**

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की कार्मिक शक्ति **परिशिष्ट ख** में दर्शाई गई है। सभी स्थानों में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में 31 मार्च, 2025 तक संस्वीकृत कार्मिक संख्या के साथ–साथ कार्यरत कार्मिक संख्या को भी दर्शाता है।

**पीआईएस / आरजीएनआईआईपीएमः**

31 मार्च, 2025 में पीआईएस / आरजीएनआईआईपीएम में संस्वीकृत कार्मिक संख्या के साथ–साथ कार्यरत कार्मिक संख्या का विवरण **परिशिष्ट ग** में दिया गया है।

## 31 मार्च, 2025 तक पेटेंट कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारियों का विवरण

| क्र.सं. | पदनाम | श्रेणी | वेतन लेवेल | स्वीकृत कार्मिक शक्ति | कार्यरत कार्मिक शक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | वरिष्ठ संयुक्त नियंत्रक, एकस्व एवं अभिकल्प | समूह क | 13क | 3 | 2 |
| 2. | संयुक्त नियंत्रक, एकस्व एवं अभिकल्प | समूह क | 13 | 47 | 41 |
| 3. | निदेशक | समूह क | 13 | 1 | 1 |
| 4. | उप नियंत्रक, एकस्व एवं अभिकल्प | समूह क | 12 | 112 | 74 |
| 5. | उप सचिव | समूह क | 12 | 1 | 1 (अतिरिक्त प्रभार) |
| 6. | सहायक नियंत्रक, एकस्व एवं अभिकल्प | समूह क | 11 | 498 | 493 |
| 7. | परीक्षक, एकस्व एवं अभिकल्प | समूह क | 10 | 773 | 623 |
| 8. | सहायक निदेशक (राजभाषा) | समूह क | 10 | 1 | 1 |
| 9. | प्रशासनिक अधिकारी | समूह क | 10 | 1 | 1 |
| 10 | व्यवस्था विश्लेषक सह कंप्यूटर प्रोग्रामर | समूह क | 10 | 4 | 4 |
| 11 | सहायक प्रशासनिक अधिकारी | समूह ख | 7 | 6 | 4 |
| 12 | सहायक पुस्तकाध्यक्ष व सूचना अधिकारी | समूह ख | 7 | 2 | 2 |
| 13 | निजी सचिव | समूह ख | 7 | 3 | 1 |
| 14 | कार्यालय अधीक्षक | समूह ख | 6 | 63 | 46 |
| 15 | पुस्तकालय और सूचना सहायक | समूह ख | 6 | 1 | 1 |
| 16 | कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी | समूह ख | 6 | 3 | 2 |
| 17 | आशुलिपिक श्रेणी I | समूह ख | 6 | 3 | 3 |
| 18 | फोटोग्राफी सहायक | समूह ग | 5 | 3 | 2 |
| 19 | प्रवर श्रेणी लिपिक | समूह ग | 4 | 45 | 45 |
| 20 | आशुलिपिक श्रेणी II | समूह ग | 4 | 2 | 2 |
| 21 | डाटा इंट्री ऑपरेटर | समूह ग | 4 | 9 | 9 |
| 22 | स्वागतकर्ता | समूह ग | 4 | 1 | 1 |
| 23 | अवर श्रेणी लिपिक | समूह ग | 2 | 37 | 13 |
| 24 | बहु कार्य कर्मी | समूह ग | 1 | 45 | 32 |
| | **कुल** | | | **1664** | **1404** |

## परिशिष्ट – ख

**31 मार्च, 2025 तक व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्मिक शक्ति का विवरण**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1 | वरिष्ठ संयुक्त पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौगोलिक उपदर्शन | समूह क | 13 क | 1 | 1 |
| 2. | संयुक्त पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौगोलिक उपदर्शन | समूह क | 13 | 8 | 0 |
| 3. | उप पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौगोलिक उपदर्शन | समूह क | 12 | 50 | 8 |
| 4. | सहायक पंजीकार, व्यापार चिह्न व भौगोलिक उपदर्शन | समूह क | 11 | 69 | 19 |
| 5. | वरिष्ठ परीक्षक, व्यापार चिह्न व भौगोलिक उपदर्शन | समूह क | 10 | 135 | 66 |
| 6. | सहायक निदेशक (राजभाषा) | समूह क | 10 | 1 | 0 |
| 7. | परीक्षक, व्यापार चिह्न व भौगोलिक उपदर्शन | समूह ख | 7 | 204 | 66 |
| 8. | सहायक पुस्तकालय व सूचना अधिकारी | समूह ख | 7 | 1 | 1 |
| 9. | निजी सचिव | समूह ख | 7 | 3 | 2 |
| 10. | कार्यालय अधीक्षक | समूह ख | 6 | 4 | 1 |
| 11. | पुस्तकालय व सूचना सहायक | समूह ख | 6 | 1 | 1 |
| 12. | आशुलिपिक समूह I | समूह ख | 6 | 8 | 6 |
| 13. | सहायक परीक्षक, व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन | समूह ख | 6 | 10 | 7 |
| 14. | कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी | समूह ख | 6 | 3 | 0 |
| 15. | सहायक अधीक्षक | समूह ग | 5 | 11 | 7 |
| 16. | प्रवर श्रेणी लिपिक | समूह ग | 4 | 28 | 10 |
| 17. | आशुलिपिक समूह II | समूह ग | 4 | 12 | 10 |
| 18. | डाटा इंट्री ऑपरेटर | समूह ग | 4 | 6 | 6 |
| 19. | अवर श्रेणी लिपिक | समूह ग | 2 | 36 | 16 |
| 20. | बहु कार्य कर्मी | समूह ग | 1 | 25 | 17 |
| | **कुल** | | | **616** | **244** |

## 31 मार्च, 2025 तक पेटेंट सूचना पद्धति और आरजीएनआईआईपीएम के अधिकारियों और कार्मिक शक्ति का विवरण

| क्र.सं. | पदनाम | श्रेणी | वेतन लेवेल | स्वीकृत कार्मिक शक्ति | कार्यरत कार्मिक शक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वरिष्ठ दस्तावेज़ीकरण अधिकारी | समूह क | 11 | 1 | 0 |
| 2 | कार्यालय अधीक्षक | समूह ख | 7 | 1 | 0 |
| 3 | वरिष्ठ दस्तावेज़ीकरण सहायक | समूह ख | 7 | 1 | 0 |
| 4 | स्टोर सहायक | समूह ख | 7 | 1 | 0 |
| 5 | कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी | समूह ख | 7 | 1 | 1 |
| 6 | आशुलिपिक समूह I | समूह ख | 7 | 1 | 1 |
| 7 | जूनियर रिप्रोग्राफी सहायक | समूह ग | 6 | 3 | 0 |
| 8 | सहायक अधीक्षक | समूह ग | 6 | 1 | 0 |
| 9 | शेल्फ सहायक | समूह ग | 6 | 1 | 1 |
| 10 | प्रवर श्रेणी लिपिक | समूह ग | 4 | 3 | 1 |
| 11 | अवर श्रेणी लिपिक | समूह ग | 2 | 3 | 1 |
| 12 | डेटा एंट्री ऑपरेटर | समूह ग | 5 | 2 | 2 |
| 13 | हिंदी टाइपिस्ट | समूह ग | 6 | 1 | 1 |
| 14 | बहु कार्य कर्मी (दफ्तरी) | समूह ग | 3 | 1 | 0 |
| 15 | बहु कार्य कर्मी (चपरासी) | समूह ग | 3 | 3 | 1 |
| | **कुल** | | | **24** | **9** |

## 31 मार्च, 2025 तक पेटेंट सूचना पद्धति और आरजीएनआईआईपीएम के अधिकारियों और कार्मिक शक्ति का विवरण

| क्र.सं. | पदनाम | श्रेणी | वेतन लेवेल | स्वीकृत कार्मिक शक्ति | कार्यरत कार्मिक शक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वरिष्ठ दस्तावेज़ीकरण अधिकारी | समूह क | 11 | 1 | 0 |
| 2 | कार्यालय अधीक्षक | समूह ख | 7 | 1 | 0 |
| 3 | वरिष्ठ दस्तावेज़ीकरण सहायक | समूह ख | 7 | 1 | 0 |
| 4 | स्टोर सहायक | समूह ख | 7 | 1 | 0 |
| 5 | कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी | समूह ख | 7 | 1 | 1 |
| 6 | आशुलिपिक समूह I | समूह ख | 7 | 1 | 1 |
| 7 | जूनियर रिप्रोग्राफी सहायक | समूह ग | 6 | 3 | 0 |
| 8 | सहायक अधीक्षक | समूह ग | 6 | 1 | 0 |
| 9 | शेल्फ सहायक | समूह ग | 6 | 1 | 1 |
| 10 | प्रवर श्रेणी लिपिक | समूह ग | 4 | 3 | 1 |
| 11 | अवर श्रेणी लिपिक | समूह ग | 2 | 3 | 1 |
| 12 | डेटा एंट्री ऑपरेटर | समूह ग | 5 | 2 | 2 |
| 13 | हिंदी टाइपिस्ट | समूह ग | 6 | 1 | 1 |
| 14 | बहु कार्य कर्मी (दफ्तरी) | समूह ग | 3 | 1 | 0 |
| 15 | बहु कार्य कर्मी (चपरासी) | समूह ग | 3 | 3 | 1 |
| | **कुल** | | | **24** | **9** |